दशम माला, खंड 7, अंक 15

बुधवार, 11 दिसंबर 1991
20 अग्रहायण 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खंड 7 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

5 दिसम्बर, 1991 के लोक सभा-वाद-विवाद
के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	5	सल के स्थान पर सख्या पढ़िए	
	6	ख्या का लोप करिए	
(ii)	4	डा· खुशीराम जेस्वाणी	डा· खुशीराम डुंगरीमल जेस्वाणी
(ii)	19	स्थिति के पश्चात् 'के बारे में - जारी' जोड़िए ।	
7	नीचे से 10वीं	श्री वा· शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे - श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे पढ़िए ।	
14, 15	फुट नोट	मूलत: उड़ीसा	मूलत: उड़िया
56	15	प्रो· के· बी· थॉमस	प्रो· के·वी· थॉमस
58	नीचे से 5	न्य	अन्य
169	6	डा· लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	पाण्डेय
199	1	उठाए गये	उठाए गये कदम
232	नीचे से 6	"3405	3405
257	नीचे से 9	दुर्गापार्क दिल्ली स्थित अनाधिकृत कब्जे के बारे में 29·7·91 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण ।	दिनांक 29·7·91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण ।
287	नीचे से 11वीं	मऊ से गाजीपुर घाट, उत्तर प्रदेश तक	उत्तर प्रदेश में मऊ से गाजीपुर घाट तक
292	6 एवं 34	श्री अमल दत्ता	श्री अमल दत्त
329	नीचे से 15	म·प· 6·00 बजे	6·00 म·प·

विषय-सूची

[illegible] सभा, खंड 7, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अं[illegible] बुध[illegible]र, 11 दिसम्बर, 1991/20 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
*तारांकित प्रश्न संख्या: 284 से 287, 290 और 291	3—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
*तारांकित प्रश्न सं288, 289 और 292 से 303	23—49
[illegible]:	
अतारांकित प्रश्न संख्या:3200 से 3255, 3257 से 3308, 3310 से 3316 और 3318 से 3435	49—257
दिनांक 29.7.1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	257
[illegible]ी द्वारा वक्तव्य	258—279
कावेरी जल विवाद	
श्री विद्याचरण शुक्ल	258
सभा पटल पर रखे गए पत्र	279—284
राज्य सभा से संदेश	285
प्राक्कलन समिति	285
चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	
[illegible]क लेखा समिति	285
पहला प्रतिवेदन	
377 के अधीन मामले	285—288
(एक) जलगांव से भेजे जाने वाले केलों को ले जाने वाली मालगाड़ियों का दिल्ली समय पर पहुंचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता	285
श्री विजय एन० पाटील	
(दो) छोटे और सीमान्त किसानों पर विद्युत शुल्क लगाने संबंधी सरकार के प्रस्ताव की समीक्षा करने की आवश्यकता	
श्री के०वी० तंगकबालू	286
(तीन) महाराष्ट्र सरकार द्वारा तारापुर में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का कब्जा पुनर्वास योजना को अंतिम रूप देने से पहले न लिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नाईक	286

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) आयातित जीवन रक्षक चिकित्सा और शल्य उपकरणों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने की आवश्यकता	
डा० खुशीराम जेस्वाणी	287
(पांच) बिहार में सहरसा को हवाई नक्शे पर लाने की आवश्यकता	
श्री सूर्य नारायण यादव	287
(छः) उत्तर प्रदेश में मऊ से गाजीपुर घाट तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता	
श्री विश्वनाथ शास्त्री	287
(सात) मध्य प्रदेश को सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने की आवश्यकता	
श्री भीम सिंह पटेल	287
(आठ) महाराष्ट्र में नासिक को विमान सेवाओं से जोड़ने और इस प्रयोजन के लिए "हाल" की हवाई पट्टी को इंडियन एयर लाइंस के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
डा० वसन्त पवार	288
नियम 193 के अधीन चर्चा	288—342
आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में हुई बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति	
श्री पवन कुमार बंसल	288
श्री अमल दत्त	292
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु	297
डा० जयंत रंगपी	298
श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ	306
श्री शरद दिघे	309
श्री अमर राय प्रधान	314
श्री ई० अहमद	317
डा० एस०पी० यादव	319
कुमारी शैलजा	321
श्री बी०एन० रेड्डी	323
श्री राम नगीना मिश्र	324
श्री पीयूष तीरकी	326
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	327
श्री लाईता उम्ब्रे	329
श्री शिबू सोरेन	332
श्री छेदी पासवान	333
श्री किरिप चालिहा	337
श्री राजेश कुमार	340

लोक सभा

बुधवार, 11 दिसंबर, 1991/20 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा): न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जा रहे हैं। चार करोड़ कन्नड़ भाषियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर): महोदय, अनेक हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सिंचाई मंत्री प्रश्नकाल के तुरन्त बाद एक वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: हम प्रधान मंत्री जी से इस बारे में आवश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं। हमें प्रधान मंत्री जी पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिये। मैं यह कह रहा हूं कि प्रश्नकाल के तुरन्त बाद सिंचाई मंत्री एक वक्तव्य देने वाले हैं।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर): यह कहा गया था कि इस मुद्दे को न्यायालय के बाहर सुलझाया जाना चाहिए।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: चार करोड़ कन्नड़ भाषियों की उपेक्षा की गई है। महोदय, वे इसे सहन करने को तैयार नहीं हैं।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: वहां काफी उत्पात हो रहा है तथा कानून एवं व्यवस्था कायम रखने की समस्या पैदा हो गई है।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: आज समूचे कर्नाटक राज्य में उत्तेजना व्याप्त है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे सिंचाई मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रश्नकाल के तुरन्त बाद इसी मुद्दे पर वक्तव्य देने की अनुमति मांगी है। आप पता लगा सकते हैं कि ... इस बारे में क्या दृष्टिकोण अपना रही है। यह आपकी ही सरकार है। आप मंत्री जी से बात कर सकते ...र आप यह पता लगा सकते हैं कि सरकार इस बारे में क्या दृष्टिकोण अपना रही है। मंत्री जी द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य की एक प्रति मेरे पास है। मैंने इस प्रति को देखा है तथा मैं उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं। अब, प्रश्नकाल गैर-सरकारी सदस्यों के बोलने का समय होता है। जब आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है, तो वह आपके बोलने का समय होता है। यदि आप सदस्यों को प्रश्न नहीं पूछने देना चाहते, तो आप गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आबंटित समय को नष्ट कर रहे हैं। आम तौर पर, प्रश्नकाल के दौरान ऐसा नहीं किया जाता। उसके लिये आपके पास समय है। प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात, आप इस मुद्दे को

उठा सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को इस समय उठाने तथा अन्य सदस्यों को प्रश्न न पूछने देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता तथा न ही यह बात मेरी समझ में आती है।

(व्यवधान)

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: महोदय, यह प्रश्न चार करोड़ कन्नड़ भाषियों से संबंधित है। आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे को किसी उचित समय पर उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: महोदय, हम इन सभी बातों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्वयं अपनी सहायता नहीं कर रहे हैं। आप संसद को सहयोग नहीं दे रहे हैं। आपको यह विदित नहीं है कि बात कैसे कहनी चाहिए। आप वक्तव्य दिये जाने की मांग कर सकते थे। सरकार इस बारे में वक्तव्य देने जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझसे एक-एक करके बात कीजिये तथा मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। अब आप सभी बैठ जाएये तथा एक सदस्य को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: महोदय, यह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इससे चार करोड़ कन्नड़ भाषियों का हित जुड़ा है। यह कर्नाटक की जनता के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। हाल ही में, भारत सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करने के बारे में लिये गये निर्णय से समूचे कर्नाटक राज्य को भारी धक्का लगेगा। संसद सदस्यों एवं विधायकों सहित हम सभी सदस्य प्रधान मंत्री जी से मिले थे तथा उन्हें एक ज्ञापन दिया था एवं उनसे अनुरोध किया था कि वह इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण और बातचीत के जरिए हल करने हेतु अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद, उन्होंने इसे राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्णय ले लिया है। हम भारत सरकार अथवा प्रधान मंत्री या जल संसाधन मंत्री से स्प- खुला आश्वासन प्राप्त करना चाहते हैं कि कर्नाटक एवं तमिलनाडु देनों ही संबद्ध राज्यों के हितों की जायेगी तथा इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जाता है, तो क्या आप संतुष्ट होंगे?

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: महोदय, निश्चित रूप से हम संतुष्ट होंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप 12.00 बजे तक प्रतीक्षा कीजिये। अब मैं प्रश्न संख्या 284 को लेता हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.00 बजे म०पू०

श्रमिकों पर औद्योगिक नीति का प्रभाव

†*284. श्री लोक नाथ चौधरी:
श्री रवि राय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक नीति में किये गये परिवर्तनों के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सरकार ने कोई विशेष त्रिपक्षी समिति गठित की है।

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

(कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पी०ए० संगमा): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है ताकि वह श्रमिकों की समस्याओं और अन्य संबंधित मामलों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार कर सके और समुचित सिफारिशें कर सके। समिति के गठन का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। समिति की बैठक समय-समय पर होगी और विषय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिश करेगी।

अनुबन्ध

विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन निम्न प्रकार से है:

(I) सरकार

(क) केन्द्र सरकार	स्थानों की संख्या
1. श्रम मंत्रालय	1
2. उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	1
3. उद्योग मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग)	1
4. वित्त मंत्रालय	1
5. योजना आयोग	1
कुल	5

(II) नियोक्ता

(एक) भारतीय नियोक्ता परिषद	8
(दो) अखिल भारतीय विनिर्माण संगठन	2
कुल	10

(तीन) कर्मचारी

(1) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस	3
(2) भारतीय मजदूर संघ	2
(3) हिन्द मजदूर सभा	1
(4) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर (एल॰एस॰)	1
(5) अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस	1
(6) भारतीय मजदूर संघ केन्द्र	1
(7) राष्ट्रीय श्रमिक संगठन	1
कुल	10

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी: मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि नई औद्योगिक नीति का उद्योग पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में सरकार द्वारा गठित समिति विचार करेगी। उत्तर में यह भी कहा गया है कि यह समिति सरकार को इसका श्रम से संबंधित विषयों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समुचित उपायों की सिफारिश करेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा किये बिना रुग्ण उद्योगों से संबंधित विधेयक पारित करने की क्या आवश्यकता थी एवं इसके पारित किये जाने के क्या कारण थे। मैं उन विशिष्ट कारणों को जानना चाहता हूं जिनकी वजह से सरकार को इस समिति की सिफारिशों के बिना रुग्ण उद्योगों से संबंधित विधेयक पारित करने की जरूरत पड़ी। क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह समिति निरर्थक है?

श्री पी॰ ए॰ संगमा: 17 सितम्बर को, मजदूर संघों के नेताओं का शिष्टमंडल वित्त मंत्री एवं प्रधान मंत्री जी से मिला। उस बैठक में उन्होंने इस बात की वकालत की कि नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जाना चाहिये। मजदूर संघों के नेताओं की इस दलील के कारण प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री जी उनके प्रस्ताव से सहमत हुए। उसके परिणामस्वरूप, 12 नवम्बर को इस समिति का गठन किया गया। यह समिति इसलिए गठित हो गई क्योंकि मजदूर संघ नई औद्योगिक नीति के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते थे। इसी वजह से इस समिति का गठन किया गया।

श्री लोक नाथ चौधरी: मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को क्यों तैयार किया है। वे एक समिति गठित करना चाहते थे, जो उन्हें इस बारे में सिफारिश करेगी। मैं इस बात के विशिष्ट कारण जानना चाहता हूं कि उन्होंने विधेयक तत्काल क्यों पेश किया। क्या इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि यह समिति निरर्थक है? क्या इस समिति को निरर्थक नहीं समझा जायेगा?

श्री पी॰ ए॰ संगमा: मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री लोक नाथ चौधरी: यह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है। इस समिति में विभिन्न मजदूर संघों के सदस्यों को नामजद करने का क्या आधार था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि मजदूर संघों ने इस पर आपत्ति की थी और यदि हां, तो उनके द्वारा क्या-क्या आपत्तियां उठाई गई हैं। मेरे प्रश्न का यह पहला भाग है। प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने त्रिपक्षीय बैठक में चर्चा किये जाने के लिए 46 उद्योगों के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है और यदि हां, तो ये 46 उद्योग कौन-कौन से हैं?

श्री पी॰ ए॰ संगमा: विशेष त्रिपक्षीय समिति की संरचना उसी आधार पर की गई है जिस आधार पर स्थायी श्रम समिति का गठन किया गया है जिसमें मजदूर संघों के नेताओं को उनकी प्रामाणिक सदस्य संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार हमने राज्य सरकारों के बगैर स्थायी श्रम समिति की संरचना का पूरी तरह से अनुपालन किया है। यह सच है कि कुछ मजदूर संघों के नेताओं ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें त्रिपक्षीय समिति में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये तथा हम इस पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय: अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि मंत्री के नाते ये इस चीज को मानते हैं कि हिन्दुस्तान के मजदूर वर्ग के स्वार्थ की रक्षा करना इनकी पहली जिम्मेदारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रूलिंग पार्टी के मजदूर संगठन इंटक के सभापति श्री रामानुजम के बयान की तरफ इनका ध्यान गया है जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बी॰आई॰एफ॰आर॰ को पब्लिक अंडरटेकिंग को सिक यूनिट्स भेजने से पहले ट्रिपार्टाइट बैठक में ट्रिपार्टाइट कमेटी की राय लेनी चाहिए थी जो सरकार ने नहीं ली है? मैं जानना चाहता हूं कि इसको ट्रिपार्टाइट कमेटी को रैफर न करके बी॰आई॰एफ॰आर॰ को रैफर करने के लिए तय क्यों किया है?

[अनुवाद]

श्री पी॰ ए॰ संगमा: समिति का गठन 12 नवम्बर को किया गया था। 17 नवम्बर को मैंने यथाशीघ्र मजदूर संघों के प्रतिनिधियों की एक अनौपचारिक बैठक बुलाई थी। उस दिन जब हम मिले तो जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक उल्लेख किया है, श्री रामानुजम सहित सभी मजदूर नेताओं ने यह दलील दी थी कि किसी भी रुग्ण इकाई का मामला बी॰आई॰एफ॰आर॰ के पास भेजने से पहले उस पर त्रिपक्षीय समिति में चर्चा होनी चाहिए। विशेष त्रिपक्षीय समिति के मजदूर पक्ष का यही सर्वसम्मत सुझाव था। इस मामले पर विचार-विमर्श के लिए हमने 21 दिसम्बर की तिथि निश्चित की थी। अत्यधिक हानि में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने वाला एक प्रपत्र तैयार किया गया है तथा इसे मजदूर नेताओं में परिचालित किया गया है। पहली बैठक इस महीने की 21 तारीख को मुम्बई में होगी।

श्री विजय एन॰ पाटील: महोदय, हमने देखा है कि त्रिपक्षीय समिति में सात मज़दूर संघ हैं। अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो यह पता चलेगा कि जितनी मज़दूर संघों की संख्या अधिक होगी, उतनी ही उद्योग के क्षेत्र में समस्याएँ अधिक होंगी। मज़दूर संघों की गतिविधियों के कारण छुट्टियों की संख्या बहुत अधिक है। राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, वैकल्पिक छुट्टियां हैं, तथा मज़दूर संघों की गतिविधियों के लिए छुट्टियां होती हैं। इसलिए उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

हमने देखा है कि हड़ताल की बीमारी के कारण मुम्बई की अधिकतर कपड़ा मिलें लगभग बंद हो गई हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या त्रिपक्षीय समिति की कार्यसूची में हड़तालों के मुद्दे को भी रखा गया है; जिससे औद्योगिक उत्पादन को सबसे बड़ा खतरा है।

श्री पी॰ए॰ संगमा: इस महीने की 17 तारीख को होने वाली पहली बैठक की कार्यसूची केवल अत्यधिक हानि में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थिति पर विचार करने तक सीमित है। फिर भी, हमने यह

निर्णय लिया है कि प्रत्येक बैठक के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जायेगा। हम इन सब मुद्दों पर विचार-विमर्श करके अपनी सिफारिशें सरकार को देते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, जैसे अनेक नीतियों का मजाक होता है, उसी तरह मुझे लगता है कि औद्योगिक नीति को लेकर भी यह एक मजाक का मामला सरकार हम लोगों के सामने लाई है। यहां ऐसा बताया गया है कि औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष समिति बनाई गई है। क्या सरकार को इस चीज़ की जानकारी है कि उनकी जो नई औद्योगिक नीति है, उसके चलते केवल मछली पकड़ने के एक उद्योग में 50 लाख लोग अभी बेकार होने जा रहे हैं? जब इन्होंने कहा कि नॉन रेजीडैण्ट इण्डियंस विदेश से अपनी सारी चीजों को लाकर शत-प्रतिशत हिन्दुस्तान की मछली पकड़कर विदेश ले जा सकते हैं तो इस देश के जो छोटे मछुआरे हैं, जो अपनी नाव में जाकर रात को मछली पकड़ते हैं और दिन में उनकी महिलाएँ उनको बेचने का काम करती थीं तो इस पूरे उद्योग का सफाया होने जा रहा है। मैं एक और उदाहरण दूं कि नई औद्योगिक नीति के चलते हिन्दुस्तान की रेलवे में आज जहां सवा 16 लाख कर्मचारी हैं, उनकी संख्या साढ़े 9 लाख होनी है, यह राइट्स की रिपोर्ट है, जिसको सरकार ने खुद ही प्रकाशित करने का काम किया है या अखबारों को लीक-आउट करने का काम किया। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसे ये दो उदाहरण मात्र मैं यहां पर रख रहा हूं, ऐसे ही उदाहरण मैं दे सकता हूं तो इन मामलों को इस कमेटी के सामने आप भेजोगे? और यह कमेटी के सामने जाने पर जो फैसला कमेटी का आ जायेगा कि इन विदेशी कम्पनियों को हिन्दुस्तान लाने से रोकना है, इस सिफारिश को आप मानोगे? और रेलवे के अन्दर आधुनिकीकरण के नाम से रोजगार को खत्म करने वाली जो आपकी नीति है, यह नीति नहीं चलेगी, करके अगर यह कमेटी सिफारिश करेगी तो इस सिफारिश को आप मानोगे?

[अनुवाद]

श्री पी॰ए॰ संगमा: महोदय, नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप श्रम कल्याण से संबंधित सभी मुद्दों पर त्रिपक्षीय समिति में विचार किया जायेगा? जिन मामलों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनकी जानकारी मेरे पास नहीं है। परन्तु मेरे विचार में औद्योगिक नीति के प्रभावों से जुड़े इन सब मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं।

जहां तक इस समिति का सम्बन्ध है, इसके पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। त्रिपक्षीय समिति की भूमिका केवल सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करने की है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट और साफ था कि सिफारिशों को आप मानेंगे? [व्यवधान]

[अनुवाद]

वे हमारी नौकरियां समाप्त करने जा रहे हैं। रेलवे में कंप्यूटरीकरण के कारण नौकरियों में 40 प्रतिशत कटौती की जा रही है। आपके वक्तव्य के अनुसार इस आदेश को रद्द समझा जायेगा।

अगर समिति ऐसी सिफारिश करती है तो क्या आप इस सिफारिश को मानेंगे?

श्री पी॰ए॰ संगमा: महोदय, वास्तव में मैं इस त्रिपक्षीय समिति का हिस्सा हूं क्योंकि मैं इस समिति का अध्यक्ष हूं। इसलिए इस विशेष त्रिपक्षीय समिति के सदस्य तथा अध्यक्ष के रूप में मेरा कर्तव्य सरकार को

सिफारिश भेजने का है। इसलिए, मैं यह नहीं कह सकता कि क्या सरकार इसे मानेगी क्योंकि मेरा कर्तव्य केवल सिफारिश करना है।

श्री मुकुल वासनिक: औद्योगिक नीति तथा श्रम पर इसके दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में भ्रांतियों के कारण अनेक मज़दूर संघों ने हाल ही में औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया था। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस औद्योगिक हड़ताल के कारण होने वाली हानि का क्या सरकार ने आकलन किया है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रशन मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब है और नयी इंडस्ट्रीयल पालिसी के आते ही स्थिति कैसी होगी, इस दृष्टि से समिति की रिपोर्ट के बारे में सरकार का क्या मंतव्य है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो स्थिति विद्यमान है जैसा कि अभी जार्ज फर्नान्डीज जी ने मछली उद्योग के बारे में बताया है उसी प्रकार से कपड़ा उद्योग की हालत भी बहुत बदतर और खराब है और इस कारण से हजारों-लाखों मजदूर बेकार हो गए हैं। इसके लिए आप इनको राहत पहुंचाने की दृष्टि से क्या कोई उपाय करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री पी॰एम॰ सईद: माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में एक विधेयक ला कर उसे जल्दी से पारित करवायेगी ताकि मजदूर संघों के नेताओं के मन में जो शंकायें हैं, उन्हें दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न औद्योगिक नीति के प्रभावों के बारे में है।

श्री पी॰ए॰ संगमा: यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। [व्यवधान]

श्री अमल दत्त: ऐसा लगता है कि उन्हें प्रश्न-उत्तर की समझ नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। [व्यवधान]

श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकर इस समति द्वारा जांच के लिए एक और मुद्दा रखेगी अर्थात क्या विदेशी प्रौद्योगिक और पूंजी के आयात का प्रभाव इस समय देश के समक्ष बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि करेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या यह समिति इस पहलू की भी जांच करेगी और इस देश के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद देने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाएगी तथा इसके साथ ही विदेशी प्रौद्योगिकी तथा पूंजी आमंत्रित करेगी?

श्री पी॰ए॰ संगमा: वास्तव में, मैने श्रमिक संगठनों के नेताओं से 17 तारीख को पहली बैठक की थी और उन्होंने विशेष त्रिपक्षीय समिति के दायरे तथा विषयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने का आग्रह किया है। यह सुझाव था कि यह समिति न सिर्फ श्रम नीति के प्रभाव तथा इसके दायरे पर ही गौर करे बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करे। यह सुझाव श्रमिक संगठनों के अनेक सदस्यों ने दिया था। हम इस सुझाव पर भी गौर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्यों के संबंध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

†*285. श्री हरिन पाठकः

श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुलः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या औषधियों की लागत में 50 प्रतिशत की कमी बरकरार रखने के संबंध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों की अनुपूरक रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं;

(ख) क्या औषध-कम्पनियों को पहले ही अनेक लाभ दे दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरों की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) और (ग) 1978 की औषधि नीति की तुलना में 1986 की औषधि नीति निम्नलिखित मुख्य पहलुओं में उदार थीः

(I) नियंत्रित औषधियों की संख्या 381 से घटाकर 143 कर दी गई थी।

(II) मूल्य-नियंत्रण के अंतर्गत औषधियों की श्रेणियों को तीन से घटाकर दो कर दिया गया था।

(III) (एमएपीई) मैक्सीमम अलाउएबल पोस्ट मैन्फैक्चरिंग एक्सपेंसेज) को बढ़ा दिया गया था।

(IV) पूरे औषधि क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था (6 ए पी ए के अलावा)।

(V) औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन दिए गए थे।

श्री हरिन पाठकः महोदय, अपने प्रश्न का उत्तर पढ़कर मुझे बहुत अफसोस है तथा मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदयः मुझे आशा है कि आप उत्तर नहीं पढ़ेंगे।

श्री हरिन पाठकः निःसन्देह, उत्तर पढ़ना आवश्यक है और मैं इस मामले में आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको उत्तर पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा। यह मंत्री का अधिकार है।

श्री हरिन पाठकः महोदय, राज्य सभा में इसी प्रश्न का उत्तर था।

अध्यक्ष महोदयः पाठक जी कृपया इसे न पढ़े। मैं आपको उत्तर पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा।

श्री हरिन पाठकः महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपके प्रश्न को पूरा संरक्षण प्रदान करूंगा और उत्तर पढ़ने के लिए ऐसा नहीं करूंगा।

श्री हरिन पाठकः महोदय, मैं नहीं पढ़ रहा। मैं तो केवल सभा का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित कर रहा हूं। यही प्रश्न, शब्दशः 25 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में पूछा गया था, जहां मंत्री महोदय ने उत्तर दिया....

अध्यक्ष महोदय: आप यहां पर राज्य सभा की कार्यवाही उद्धृत न करें।

श्री हरिन पाठक: लेकिन यहां पर मंत्री महोदय कहते हैं कि बी०आई०सी०पी० की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जबकि राज्य सभा में दिया गया उत्तर भिन्न था।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न कीजिए।

श्री हरिन पाठक: क्या यह सच है कि यही प्रश्न राज्य सभा में पूछा गया था और मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्होंने बी०आई०सी०पी० की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं?

डा० चिन्ता मोहन: मुझे राज्य सभा में किए गए प्रश्न याद नहीं है।

श्री हरिन पाठक: महोदय, मैं उन्हें इसकी प्रति दे सकता हूं।

डा० चिन्ता मोहन: उनका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है। मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है। यदि आप उनके प्रश्न को देखें तो यह इस प्रकार है "क्या सरकार ने औषधों की लागत में 50 प्रतिशत कमी कायम रखने के लिए बी०आई०सी०पी० की अनुपूरक रिपोर्ट में निहित सिफारिश स्वीकार कर ली है।" मेरी जानकारी के मुताबिक बी०आई०सी०पी० से ऐसी कोई अनुपूरक रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री हरिन पाठक: लेकिन महोदय, मंत्री महोदय द्वारा राज्य सभा में दिया गया उत्तर यह है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने बी०आई०सी०पी० की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

अध्यक्ष महोदय: यह देखिए कि क्या उसमें 'अनुपूरक' शब्द है।

श्री हरिन पाठक: महोदय यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे पढ़ूंगा।

डा० चिन्ता मोहन: मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर माननीय सदस्य ने केलकर की अनुपूरक सिफारिशों के बारे में पूछा होता तो मैं पूरे ब्यौरे के साथ उत्तर देता। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न किया था और यह प्रश्न करने में वह बहुत स्पष्ट नहीं बोले।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप प्रश्न को समझ गए हैं तो कृपया उन्हें स्पष्ट कर दें।

डा० चिन्ता मोहन: अक्तूबर, 1988 में केलकर समिति ने अनुसंधान तथा विकास कार्य को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए अनुपूरक सिफारिशें की थी। यदि कोई स्वदेशी विनिर्माता अपने अनुसंधान तथा विकास के तहत औषध उत्पादन करता है और इस प्रकार यदि उत्पादन लागत में कोई कमी आती है तो इसे दो भागों में बांटा जाएगा—50 प्रतिशत उपभोक्ता को तथा 50 प्रतिशत विनिर्माता को दिया जाएगा।। उन्होंने अनुपूरक सिफारिशों के माध्यम से इस प्रोत्साहन की सिफारिश की थी।

श्री हरिन पाठक: प्रोद्योगिकी में सुधार के कारण औषध निर्माता को दो मुख्य लाभ उपलब्ध हैं अर्थात जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, पांच वर्षों तक मूल्य नियंत्रण से छूट तथा अनुसंधान और विकास पर हुए वास्तविक व्यय को औषध मूल्यों में कमी तय करते समय स्वीकार किया जाएगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सिफारिश की क्या आवश्यकता है। सरकार ने इसे क्यों स्वीकार किया?

डा० चिन्ता मोहन: 1988 में जब केलकर बी आई सी पी के अध्यक्ष थे तब हमने विशेषज्ञ राय मांगी थी। सामान्यतः सरकार बी आई सी पी की सिफारिश स्वीकार कर लेती है। हम सदैव ही जांच करके औषध लागत कम करने का प्रयास करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रौद्योगिकी में सुधार भी करते हैं।

डा० चिन्ता मोहन: हमारा विचार है कि तकनीकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए। **(व्यवधान)**

श्री हरिन पाठक: महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने समझा कि आपके दोनों अनुपूरक प्रश्न पूरे हो गए। ठीक है, बोलिए।

श्री हरिन पाठक: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्थाई समिति के रूप में नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने बी आई सी पी की इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया है कि निर्माताओं को 50 प्रतिशत कमी का लाभ दिया जाए। यदि हा, तो इस मुद्दे पर उनकी क्या टिप्पणियां हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

डा॰ चिन्ता मोहन: देश में अनेक निर्माता हैं और लगभग 30,000 औषधियां हैं। 10,000 औषधियां औषध मूल्य नियंत्रण के तहत हैं। यदि वे किसी विशेष निर्माता के संबंध में प्रश्न करें तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्याम से पूछना चाहता हूं कि गत कई सालों से दवाइयों की कीमतें जो इतनी बढ़ रही हैं कि आम आदमी के लिए दवाइयां खरीद कर इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो रहा है, इसके क्या कारण हैं। अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि बी आई सी पी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन पाठक जी का कहना बिल्कुल सही है कि बी आई सी पी ने रिपोर्ट दी है और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट ने अलग एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी के जरिए कुछ कदम उठाए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दवाइयों की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए आपके पास कौन सी मशीनरी है, जिसके जरिए आप कीमतों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि कम कीमत पर आम आदमी को दवाइयां मिल सकें। इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पूर्णतः भिन्न प्रश्न है। यदि आप उत्तर दे सकते है तो दें।

डा॰ चिन्ता मोहन: आज भारत में दवाओं की कीमत विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम है। हम औद्योगिक लागत तथा मूल्य संबंधी ब्यूरो की सिफारिशें लागू करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या मूल्य पर नियंत्रण हेतु कोई तन्त्र है।

डा॰ चिन्ता मोहन: महोदय, हमारे पास एक पूर्ण तन्त्र है लेकिन अनेक घटकों जैसे कच्चा माल, विद्युत, श्रम इत्यादि की लागत बढ़ गई है। जब इन चीजों के मूल्य बढ़ेंगे तो हम इसे पूर्णतः नहीं दबा सकते। इसके लिए कुछ नियम हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: स्पीकर साहब, प्रधान मंत्री जी ने अलग-अलग जवाब दिए हैं राज्य सभा में और लोक सभा में, टैक्नीकल बातों में आप जाते हैं। दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या दवाइयों की उपलब्धि नहीं है? आपने कहा कि कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम है। मैं समझता हूं कि कंट्रोल करने की आपके पास पूरी मशीनरी नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक महीने पहले जब प्रधान मंत्री जी उस कमेटी मिटिंग के अध्यक्ष थे, कंसल्टेटिव कमेटी आफ कैमिकल्ज़ तब नई औषध नीति के बोर में उस समय जवाब दिया गया था कि शीघ्र ही हम नई औषध नीति अनाउंस करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शीघ्र का मतलब कितने दिनों से है? कोई टाईम बाउंड औषध

नीति नई इण्डस्ट्रियल नीति के हिसाब से क्या आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं? यदि डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो कब तक डिक्लेयर कर देंगे?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यह बड़ा स्पैसिफिक क्वैश्चयन है। दवाइयों का बहुत बड़ा प्रश्न होता है, प्रश्न में से ही आपको प्रश्न निकालना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा॰ चिन्ता मोहन: महोदय, हमने पूर्व औषध नीति की समीक्षा की है। उचित समय पर हम इस नीति को सदन के समक्ष लायेगें।

श्री अंकुशराव रावसाहिब टोपे: महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या औषध नीति का यह उदारीकरण मिलावट को बढ़ावा नहीं देगी।

डा॰ चिन्ता मोहन: नहीं, महोदय, ऐसा नहीं होगा। मिलावट के मामले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निपटाये जाते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह: महोदय, बहुत सी लघु उद्योग इकाइयों ने अपनी दवाइयों के मूल्य में वृद्धि की है और दूसरी तरफ बड़ी इकाइयां दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि नहीं कर पाई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह एम्पलीसीन और सेफलीसीन के मूल्यों को पुनरीक्षित करने पर विचार करेंगे क्योंकि इस उद्योग में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: आप विशेषतया एक दवाई के बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। ऐसी बहुत सी दवाइयां है जिनके मूल्य किसी निकाय की सिफारिश पर निर्धारित किये जाते है। उनके लिए इस बात का उत्तर देना बहुत कठिन है।

श्री हरि किशोर सिंह: महोदय, मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपको अपने विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। ठीक है, आप प्रश्न पूछिये और यदि मंत्राजी के पास उत्तर होगा तो वह इसका उत्तर देगें अन्यथा वह इसका उत्तर लिखित में भेज देंगे।

डा॰ चिन्ता मोहन: महोदय, इस समय मेरे पास उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें इसे लिखित में भेज दीजिए।

[अनुवाद]

जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

†*286. **श्री अनादि चरण दास:**
श्री सुबास चन्द्र नायक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत में जल गुणवत्ता पर निगरानी के लिए स्थिर और चलती-फिरती प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु मंजूरी दी थी और वे स्थापित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर ये प्रयोगशालायें स्थापित की जा चुकी हैं अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने के लिए आठवीं योजना हेतु नीति और परिव्ययों, जिन्हें अभी निर्धारित किया जाना है, के आधार पर देश के प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने का है। प्रयोगशालाओं के लिए सहायता का पैटर्न सरकार द्वारा आठवीं योजना हेतु परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद ही तय किया जायेगा।

(ग) जी हां।

(घ) विगत में स्वीकृत की गई चलती-फिरती और स्थिर प्रयोगशालाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न **अनुबंध** में दिये गये हैं।

(ङ) उड़ीसा में कोरापुट (रायगडा), मयूरभंज (बारीपाडा), फुलबनी, सम्बलपुर, गंजम (बरहामपुर) और कालाहांडी (भवानीपटना) जिलों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं पहले ही स्थापित कर दी गई हैं। राज्य सरकार के लिए एक चलती-फिरती प्रयोगशाला भी मुहैया की गई है। बोलांगीर, बालासोर, कटक, क्योंझर, ढेंकनाल और सुन्दरगढ़ जिलों में स्थापित करने के लिए 6 नई प्रयोगशालायें अनुमोदित की गई हैं। इसके अलावा, पुरी जिले के लिए एक चलती-फिरती प्रयोगशाला मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव है।

अनुबंध

क्रमांक	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत व स्थापित स्थिर प्रयोगशालायें	स्वीकृत व स्थापित चलती-फिरती प्रयोगशालायें
1	2	3	4
	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	3	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3.	असम	6	1
4.	बिहार	5	—
5.	गोवा	1	—

1	2	3	4
6.	गुजरात	5	1ळ
7.	हरियाणा	4	1ळ
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1
9.	जम्मू व कश्मीर	2	3ळ
10.	कर्नाटक	10	—
11.	केरल	3	—
12.	मध्य प्रदेश	6	1
13.	महाराष्ट्र	3	1
14.	मणिपुर	1	1
15.	मेघालय	1	1
16.	मिजोरम	1	1
17.	नागालैंड	1	1
18.	उड़ीसा	6	1
19.	पंजाब	3	—
20.	राजस्थान	6	1
21.	सिक्किम	1	1
22.	तमिलनाडु	5	1
23.	त्रिपुरा	1	1ळ
24.	उत्तर प्रदेश	7	1
25.	पश्चिम बंगाल	4	1ळ*
	संघशासित क्षेत्र		
26.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	1	1ळ
27.	चंडीगढ़	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	1	—
29.	दमन व दीव	1	—
30.	दिल्ली	1	1
31.	लक्षद्वीप	2	—
32.	पांडिचेरी	2	—
	अन्य		
1.	भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ	—	—
2.	श्री जयचोमाराजेन्द्र इंजीनियरिंग कालेज, मैसूर	—	1ळ
3.	प्रतिरक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर	—	1

4.	अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता	—	1
5.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई	—	—
	अखिल भारत	96	26
		(12 अभी स्थापित किए जाने है)	(9 अभी स्थापित किये जाने है)

टिप्पणियां:
चलती-फिरती: ळ अभी स्थापित की जानी है।
*मिदनापुर जिले में मिनी-मिशन परियोजना हेतु

स्थित :
असम: मार्च, 1991 में स्वीकृत की गई 4 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।
कर्नाटक: जुलाई, 1991 में अनुमोदित की गई 4 प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।
पांडिचेरी: मई, 1991 में अनुमोदित करैकाल में 1 प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

श्री अनादि चरण दास: अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की इस देश में बड़ी गंभीर समस्या है। गवर्नमेंट की तरफ से वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी स्थापित की गई हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न था वह रूरल के लिए था। क्योंकि शहरों में कई संस्थाएं हैं, उनके पास लैबोरेटरीज़ है, वे लोग टैस्टिंग करते हैं। गांव में अभी भी, हमारे एरियाज़ में भी, ट्राइबल एरियाज़ में भी, जो पानी लोग पीते हैं वह बहुत गंदा पानी है। उसको टैस्ट करने के लिए अभी भी व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त नहीं है। इस वजह से मैं पूछना चाहता हूं कि लैबोरेटरी स्थापित करने के बेसिज़ क्या हैं? अगर पापूलेशन और एरिया बेसिज़ है, जैसे कोरापुट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे एरियाज में बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी बहुत पापूलेशन है, कटक डिस्ट्रिक्ट में 60 लाख की पापूलेशन है, लेकिन वहां गंदा पानी लोग पीते हैं। इस गंदे पानी को टैस्ट करने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं? सारा ब्यौरा क्या बता सकते हैं?[1]

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल: अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने 122 लेबोरेट्रीज मंजूर की हैं। इनमें से 96 स्थाई हैं और 26 मोबाइल हैं। जिस राज्य से दरख्वास्त आती है कि उनके यहां गंदा पानी है और उसको चैक करने के लिए लैबोरेट्री लगाई जाये, हम वहां मंजूरी देते हैं।

श्री अनादि चरण दास: कई मिनी टैस्टिंग लैबोरेट्री इलाके भी हैं जैसे मेघालय है या जहां प्रोन एरिया होता है वहां पर मोबाइल लेबोरेट्री होनी चाहिए। जहां पीने का पानी गंदा होता है, खराब होता है, स्लाइंट वाटर होता है या नाले-टयूबवैल से खराब पानी आ जाता है उसके लिए भी सब-डिवीजन के अंदर मिनी लैबोरेट्रीज स्थापित करने की क्या आपके पास कोई योजना है?

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल: आठवीं योजना में हम सब जिलों में इसको लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

[1]मूलतः उड़ीसा में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अभी तक हमारी 26 मोबाइल लेबोरेट्रीज है। नई दरख्वास्त 36 आई है इनमें से 8 मोबाइल लेबोरेट्रीज की दरख्वास्त है।

[अनुवाद]

श्री वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी: महोदय, कुछ समय पहले, आन्ध्र प्रदेश में आंत्र शोथ तथा हैजा महामारी फैलने के बहुत से मामले सामने आये थे। न केवल यहीं फुफ्फुसावरण-शोथ (प्लूरिसी) के नये मामलों का भी पता चला है। अन्य जिलों में भी जहां पहले प्लूरिसी नहीं थी, वहां प्लूरिसी फैल गई है।

आंत्र शोथ हैजा तथा प्लूरिसी जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय आन्ध्र प्रदेश में नई प्रयोगशालाएं खोलने पर विचार करेंगे? इस समय केवल तीन प्रयोगशालाएं है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल: राज्य सरकार से जो लेबोरेट्रीज की दरख्वास्त आई है वह हमारे विचाराधीन है, हम विचार करके मंजूर करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें पश्चिम बंगाल की हाल ही की उस रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें कुछ जिलों के जल स्रोतों में संखिया पाया गया है। यदि हां, तो क्या वह ऐसे जिलों में प्रयोगशाला संबंधी सुविधायें तुरन्त उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र ही कदम उठायेंगे?

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल: राज्य सरकार दरख्वास्त भेजेगी; हम जरूर करेंगे?

श्रीमती गीता मुखर्जी: राज्य सरकार के भेजने से नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: उनकी रिकमंडेशन पर करते है।

[अनुवाद]

***श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर):** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में देश में पानी की जांच के लिए बहुत सी चलती फिरती प्रयोगशालाएं स्थापित करने के बारे में बताया है। लेकिन उड़ीसा के क्योंझर जिले में कुछ नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कौने सी भाषा में बोल रहे है आप?

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा: उड़ीया में।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप ओडिया, हिन्दी और इंगलिश तीनों भाषा में बोल रहे है मिक्सचर है।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा: मेरे राज्य में ऐसे कई गांव है जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मेरे क्योंझर जिले में कोई भी जल जांच प्रयोगशाला नहीं है। इस जिले में स्थापित फैक्टरियों के अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषण के मामले बढ़ते जा रहे है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मेरे जिले के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

*मूलतः उड़ीसा में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्यः ये कौन सी भाषा में बोल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः देखिये उन्होंने प्रश्न पूछ लिया और मंत्री जी समझ गये हैं और जवाब दे देंगे।

[अनुवाद]

यदि वह प्रश्न समझ गये हैं तो यदि वह उस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेलः पूरी बात समझ में नहीं आई, फिर भी मैं उड़ीसा के बारे में बता देता हूं कि अभी छः स्थायी लैबोरेट्रीज हैं और जो पहले नई दरख्वास्तें आई थीं, उसमें से छः लैबोरेट्रीज को मंजूर कर लिया है।

श्री तारा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि जो पुरानी वाटर पाईप्स ले की हुई हैं, उनमें से कुछ टूट चुकी हैं लेकिन जिसमें सीवरेज़ का पानी आ जाता है, गंदा पानी चला जाता है, उसके कारण जो जौंडिस या कालरा होता है, क्या इसको देखते हुए सैण्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट सरकारों की कोई पॉलिसी है कि शुद्ध पानी के लिए इन पाईप लाइनों की तरफ ध्यान देगी?

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेलः अध्यक्ष जी, जरूर देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के पूर्वांचल में रिहन्द जलाशय का पानी प्रयोग में लाया जाता है। यह पहले बता चुके हैं कि वहां कितना प्रदूषित पानी है। इसके बावजूद भी वहां जल परीक्षण प्रयोगशालायें नहीं बनी हैं। वहां रहने वाले दस लाख लोग दूषित पानी पीते हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जल परीक्षण के लिए वहां पर प्रयोगशालायें कब बनेंगी? मेरे क्षेत्र के..........

अध्यक्ष महोदयः जो राज्य सरकारें हैं, उनकी रिकमेंडेशंस पर बनती है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः राज्य सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है, इसके बाद सर्वे हुआ है लेकिन फिर भी नहीं बन पायी हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कब प्रावधान है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्या आपको सिफारिशें प्राप्त हुई हैं?

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेलः हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास 30 दरख्वास्तें विचाराधीन हैं। राज्य सरकारों से डिटेल्स मांगें जा रहे हैं और उसके बाद ही काम करेंगे।

श्री अन्ना जोशीः अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में जो तीन स्थायी लैबोरेट्रीज़ हैं और एक चलती है, तो क्या यह पर्याप्त है, अगर नहीं है तो और कितनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के पास सिफारिश भेजी है?

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेलः अध्यक्ष जी, अभी तो कोई नई सिफारिश नहीं है, अगर आ जाए तो हम सोचेंगे।

श्री राम नाईकः इसमें जो एनेक्चर दिया है उसमें स्टेशनरी और मोबाईल लैबोरेट्रीज़ के बारे में दिया है लेकिन लास्ट आईटम भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर मुम्बई और तारापुर दोनों को ''निल'' नहीं करके दिखाया गया है मेरा सवाल यह है कि अटामिक अनर्जी का वहां प्लांट होने के कारण तारापुर और मुम्बई में रेडिएशन और पोल्यूशन होता है इस रेडिएशन और पोल्यूशन को चेक करने के लिए जरूरी है कि क्या कोई ऐसी लैबोरेट्री........

अध्यक्ष महोदय: यह उन्हीं की लेबोरेट्री है.....

श्री राम नाईक: नहीं, यह इसमें दिया है.......

अध्यक्ष महोदय: यह एटामिक एनर्जी का क्वेशचन है जो मार्गेट अल्वा से संबंधित है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: नहीं, यह समस्या नहीं है, उन्होंने यहां संकेत दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह जानता हूं। आप कृपया प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: तो क्या इस प्रकार की कोई प्रयोगशाला भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर की ओर से सरकार के पास आई है या नहीं, अगर आई है तो उसके बारे में सरकार क्या करने वाली है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पीने के पानी से संबंधित है। उनका अपना प्रबंध है; उनके पास उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाने से बेहतर इंतजाम है।

श्री राम नाईक: उन्हें इंकार करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल: आपने सही बतलाया है लेकिन हमें जो भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर सहायता देती है, उसमें हम सैम्पल सर्वे करवाते हैं और इतना ही हमारा काम है, लैबोरेट्रीज़ हमारी नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसे प्रदेश सरकार है, उसकी जो सिफारिशें हैं, उसके मुताबिक वे करते हैं लेकिन जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, जहां केंन्द्र सरकार की खुद की जिम्मेदारी है जिसमें अण्डमान निकोबार है। साथ ही वहां कई अलग-अलग द्वीप हैं वहां के शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो फिल्टर्ड वाटर देते हैं और गांव में रहने वाले लोगों के लिए अन-फिल्टर्ड वाटर दिया जाता है जिसके कारण एक किस्म की बीमारी फैली हुई है जिसमें खून निकलता है और ट्ट्टी निकलने के बाद मर जाता है। आज भी उसके इलाज के लिए कोई बन्दोबस्त नहीं कर पाई है। तो मैं आपसे निर्दिष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या आप मेहरबानी करके जो केन्द्रशासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप, उधर पीने के पानी के शुद्धीकरण करके देने का आपके पास कोई उपयुक्त प्रावधान है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: यह लेबोरेटरी के बारे में प्रश्न है।

श्री मनोरंजन भक्त: लेबोरेटरी में ही तो शुद्धीकरण होता है।

अध्यक्ष महोदय: आप फिल्टरेशन के बारे में पूछ रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण से यह पता लगता है कि आन्ध्र प्रदेश में केवल तीन स्थायी प्रयोगशालाऐं स्वीकृत की गई हैं और कोई चल-प्रयोगशाला नहीं है। समूचे तटीय आन्ध्र प्रदेश में भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण ज्यादातर गांवों में जल प्रदूषित हो रहा है और उथले कुओं में गंदला पानी बढ़ता जा रहा है तथा वे प्रदूषित हो रहे हैं। अधिकतर मामलों में गम्भीर क्लोरीकरण हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न रखिए।

प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटश्वरलु: क्या सरकार समूचे तटीय क्षेत्र में चलती-फिरती प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराने पर विचार करेगी जहां पर पानी प्रदूषित हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि यह कार्य राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम: माननीय अध्यक्ष महोदय, गाज़ियाबाद बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। 1972 में इन्होंने यह स्कीम बनाई थी कि गंगा नहर से पीने का पानी लाएंगे। यहां पीने का पानी नहीं है। आज तक भी नहीं है। कभी-कभी उधर मीठा जल निकल आया है, बाकी नहीं है। 1972 से गवर्नमेंट अभी तक उस स्कीम को पूरा नहीं कर पाई है। क्या इनका भविष्य में कुछ करने का इरादा है?

अध्यक्ष महोदय: यह फिल्टरेशन के बारे में नहीं है, लेबोरेटरी के बारे में है।

[अनुवाद]

यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है।

[अनुवाद]

पंजाब में कागज संयंत्र

†*287. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोइंदवाल, पंजाब में एक कागज संयंत्र का शिलान्यास किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इसका शिलान्यास होने के बाद वहां कई सहायक उद्योगों के कारखाने लग गये है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस संबंध में निर्णय पंजाब राज्य सरकार को लेना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पवन कुमार बंसल: इस कागज संयंत्र की आधारशिला 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने रखी थी। यह बात ठीक है कि सरकार ने इस परियोजना को रद्दी की टोकरी में नहीं डाला है लेकिन यह बहुत निराशाजनक बात है कि पिछले चार वर्षों से इस परियोजना के लिए कुछ नहीं किया गया है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि पंजाब राज्य में पिछले चार वर्षों से राष्ट्रपति शासन रहा है और कई बार इस सदन में पंजाब का बजट प्रस्तुत किया गया है और अब सरकार कहती है यह परियोजना कब शुरू की जायेगी इस बात का निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे परिस्थितियां जिन्होंने उस समय सरकार को इस परियोजना को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया था क्या वे अभी भी हैं और क्या यह

सच है कि परियोजना की रिपोर्ट और रूपरेखा तैयार की गई थी। हमने लगभग 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अखबारी कागज के आयात के लिए खर्च कर दी है। यदि यह परियोजना शुरू की जाती है तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी?

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन: यह सच है कि इस परियोजना की आधार-शिला स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा रखी गयी थी। सदस्य का इस तर्क में कि अभी तक कुछ नहीं किया गया है बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सरकार ने पहले ही कुछ कदम उठा लिये हैं। पंजाब सरकार ने अच्छे इलाके में लगभग चार एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके उस स्थान पर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है उसके बाद पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने आई डी॰ बी॰ आई॰ से सहायता मांगी थी और आई डी॰बी॰ आई॰ ने इसका लागत अध्ययन करने को कहा है। लागत अध्ययन से लगता है कि आज इस परियोजना की लागत 497 करोड़ रुपए है, परियोजना की आज की लागत को देखते हुए पंजाब सरकार की राय है कि यह परियोजना व्यवहार्य नहीं है। उन्होंने इसे पंजाब सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ भेज दिया है कि इस परियोजना के बारे में क्या किया जाए। जहां तक भारत सरकार का संबंध है हम इस परियोजना का आगे विकास करने के बड़े उत्सुक हैं।

बचत के संबंध में, यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाता है तो मैंने पहले ही कहा है कि इस परियोजना की अर्थक्षमता के बार में संदेह है तथापि, चूंकि यह परियोजना अन्य बातों के साथ-साथ अखबारी कागज जिसका हम आयात कर रहे हैं—के उत्पादन के संबंध में है, अतः यदि यह परियोजना शुरू की जाती है तो हमें निश्चित रूप से अखबारी कागज के आयात पर व्यय हो रहे विदेशी मुद्रा में से कुछ बचत होगी।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, जैसा कि मैंने इससे पहले निवेदन किया है, जिन परिस्थितियों ने सरकार को उस समय इस परियोजना को शुरू करने के लिए प्रेरित किया था, वह इसलिए कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 8000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलना था। अभी भी उसी तरह की परिस्थितियां विद्यमान हैं। यह अभिलिखित है कि सरकार आयात प्रतिस्थापन के रूप में विदेशी मुद्रा में पर्याप्त बचत कर सकती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उस समय सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति दी थी और यह सुनिश्चित करने में अपनी उत्सुकता दिखाई थी कि पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के उन लोगों को, जिन्हें आतंकवादी और असामाजिक तत्व बहका फुसला सकते है, वहां नौकरी देकर मुख्यधारा में लाया जाय और कुछ सहायक एकक्कों की स्थापना की संभावनाएं थीं। अब मंत्री महोदय ने अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि यह एक गैर-अर्थक्षम एकक है........

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पर आइये।

श्री पवन कुमार बंसल: जी, अच्छा महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना से संबंधित कार्य कब तक शुरू हो जाएगा।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन: माननीय सदस्य ने कहा है कि इससे 8000 लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन रिकार्ड के अनुसार 1498 लोगों को नौकरी मिलेगी।

तत्कालीन प्रधान मंत्री जी इस परियोजना के लिए जिन सामाजिक-राजनीतिक कारणों से पहल करने के लिए उद्यत हुए थे, वे कारण आज भी विद्यमान है। इसलिए मैंने कहा है कि भारत सरकार इस परियोजना का कार्य जारी रखने के लिए अत्यन्त उत्सुक है। तथापि, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1986 में आशय-पत्र दिया गया था और 30 नवंबर, 1991 को इस आशय-पत्र की वैधता समाप्त हो गई थी। हमें आशा है कि पंजाब सरकार आशय-पत्र की वैधता संबंधी अवधि को बढ़ाने के लिए निवेदन करेगी और भारत सरकार इस पर अवश्य ही विचार करेगी.....

अध्यक्ष महोदय: अब वे लोग एक जैसे ही हैं।

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन: हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 288

श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी : अनुपस्थित
श्री चित्तबसु : अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 289

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : अनुपस्थित
कुमारी दीपिका चिखलिया : अनुपस्थित

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती: अब वें कुमारी नहीं हैं, श्रीमती दीपिका हो गयी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: खैर। मुझे सामाजिक तौर पर इसकी सूचना मिली है। कानूनी तौर पर अभी सूचना नहीं मिली है।

प्रश्न संख्या 290 श्री राम बदन

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय में लम्बित मामले

*290. **श्री राम बदन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के श्रम न्यायालयों में लम्बित पड़े औद्योगिक विवाद संबंधी मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और श्रम न्यायालयों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

11/12/1991 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 290 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उसके द्वारा गठित विभिन्न औद्योगिक अधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों में 30/6/1991 तक 12,075 औद्योगिक विवाद तथा 5,095 आवेदन-पत्र लम्बित थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा कानपुर में स्थापित किए गए औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय में उक्त तारीख तक 741 औद्योगिक विवाद तथा 886 आवेदन-पत्र लम्बित थे।

(ख) से (घ) वित्तीय कठिनाईयों के कारण इस समय न तो केन्द्र सरकार का और न ही उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश में कोई नया औद्योगिक अधिकरण अथवा श्रम न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राम बदन: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि केवल कानपुर में एक ही श्रम न्यायालय खोला गया है जबकि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में, जैसे गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ आदि में, श्रम न्यायालय खोलने की मांग काफी समय से की जा रही है और लोगों को काफी परेशानी होती है। पैसा भी काफी खर्च होता है। इसे देखते हुए क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ आदि जिलों में श्रम न्यायालय खोले जा सकें और वहां के लोगों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी॰ ए॰ संगमा: महोदय, जैसाकि मैंने पहले ही कहा है फिलहाल हमारे पास कोई नया श्रम न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम बदन: अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विवाद काफी बड़ी संख्या में लम्बित हैं। नये औद्योगिक न्यायालय खोलने के लिए कहां से बजट प्राप्त होता है और इसमें क्या अवरोध है कि न तो प्रदेश सरकार और न केन्द्र सरकार नये श्रम न्यायालय खोलने पर विचार कर रही है। आखिरकार, इसका कारण क्या है कि अब तक केवल पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही स्थान पर श्रम न्यायालय खोला गया है जब कि यह समस्या और जिलों में भी है। क्या समस्या को दूर करने में सरकार इंटरैस्टेड नहीं है। सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर क्यों नहीं गया। क्या सरकार निकट भविष्य में नये न्यायालय खोलने पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

श्री पी॰ ए॰ संगमा: महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि देश के विभिन्न भागों में स्थित श्रम न्यायालय अपर्याप्त हैं। इसके परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं। साथ ही, संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार वित्तीय कठिनाइयों से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप और अधिक श्रम न्यायालय खोलने की आवश्यकता को स्वीकार करने के बावजूद हम और अधिक श्रम न्यायालय खोलने की स्थिति में नहीं हैं। हम इस पर बाद में विचार करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव: इस सच्चाई को देखते हुए कि मंत्री महोदय इन दो वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं कि श्रम न्यायालय में एक बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जहां कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं, वे कानपुर आते हैं और उन्हें इन न्यायालयों से न्याय प्राप्त करने के लिए एक लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय गोरखपुर तथा वाराणसी जैस स्थानों पर कम से कम कुछ न्यायालय खोलने की बात को प्राथमिकता देने की बात सोचेंगे जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कानपुर न आना पड़े। क्या वह इस मामले को प्राथमिकता देंगे?

श्री पी॰ ए॰ संगमा: वास्तव में हमें फिलहाल कानपुर में उस प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में न्यायालय हैं। लेकिन अन्य स्थानों पर ऐसी समस्या है। जैसाकि मैंने कहा है, चूंकि हमारे समक्ष वित्तीय कठिनाईयां हैं, इसलिए फिलहाल हम नये न्यायालय खोलने के संबंध में विचार करने की स्थिति में नहीं हैं। भविष्य में जैसे ही वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जैसा कि मैंने कहा है, हम इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक बन्द

*291. **श्री पी॰ एम॰ सईद:**

श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुछ मजदूर यूनियनों ने 29 नवम्बर, 1991 को औद्योगिक बन्द का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या सरकार ने बन्द को टालने के लिए प्रयास किए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तथा (ख) केन्द्रीय मजदूर संगठनों के कुछ वर्गों ने 29 नवम्बर, 1991 को हड़ताल करने का आह्वान किया था। अन्य भागों के अतिरिक्त उनकी मुख्य मांगें ये थीं कि सरकार मजदूर संघों से परामर्श करके अपनी आर्थिक और औद्योगिक नीतियों को पुनः तैयार करे, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को बंद करे, प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी विधेयक के शीघ्र अधिनियमन के लिए कदम उठाये।

(ग) तथा (घ) नई औद्योगिक नीति के प्रभावों तथा श्रमिकों की समस्याओं और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति बनाई है जिसमें नियोजकों तथा केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है। नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में हड़ताल के आह्वान के कारण पैदा हुई स्थिति पर विचार करने के लिए कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में समिति के मजदूर पक्ष की एक बैठक विशेष तौर पर 17 नवम्बर, 1991 को बुलाई गई थी। उस बैठक में, केन्द्रीय मजदूर संगठनों को आश्वासन दिया गया था कि नई औद्योगिक नीति के संदर्भ में कामगारों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। प्रधान मंत्री महोदय ने भी संसदीय सलाहकार समिति में यह आश्वासन दिया था कि नई औद्योगिक नीति मजदूर-विरोधी नहीं होगी तथा इसका परिणाम मानव-व्यथा नहीं होगा। सर्वोच्च स्तर से आश्वासन देने के बावजूद, मजदूर संघों के कुछ वर्गों ने हड़ताल करने का निश्चय किया। समझौता करवाने वाले अधिकारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत हड़ताल को टालने के प्रयत्न किए विशेषकर सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में। 29 नवम्बर, 1991 को, उद्योगों के कुछ क्षेत्रों में केवल आंशिक हड़ताल हुई। आंशिक हड़ताल के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा आवश्यक सेवाएं बनाए रखी गईं। फिर भी, कुछ राज्यों में वाणिज्यिक सेवाएं तथा परिवहन सेवाएं हड़ताल के कारण प्रभावित हुईं।

[अनुवाद]

श्री पी॰ एम॰ सईद: राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित बंद का, विशेषकर बंगाल और बिहार राज्य में, बहुत सीमित असर रहा। यह महसूस किया गया कि सम्पूर्ण देश राजनीतिक रंग में रंग गया है। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि नई औद्योगिक नीति से कामगारों के हितों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि चूंकि वह त्रिपक्षीय समिति के चेयरमैन है और उन्होंने मजदूर संघ के नेताओं से बात भी की है अतः क्या वह इस श्रमिक प्रबंधन विधेयक की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और इस विधेयक को इस सत्र अथवा कम से कम बजट सत्र में पारित करने की कोशिश करेंगे ताकि राजनीतिज्ञों द्वारा की जाने वाली राजनीति को भविष्य में रोका जा सके।

श्री पी॰ ए॰ संगमा: जब नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तब मजदूर संघों के साथ-साथ कामगारों के कुछ वर्गों के मन में कुछ आशंका थी, इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। इसी वजह से मजदूर संघ के नेताओं के एक प्रतिनिधि-मण्डल ने 17 सितम्बर को वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से भेंट की। वहां इस बात पर सहमति हुई कि नई औद्योगिक नीति के प्रभावों की जांच करने के लिए एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया जायेगा। जैसा कि मैंने कहा है, मजदूर संघ के नेताओं के अनुरोध पर इस समिति का गठन किया गया। सरकार ने इस समिति को अपने पास रखा। दूसरे कई अवसरों पर, यहां तक कि 28 जून को इस सभा

में जब प्रधान मंत्री जी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों संबंधी मांग पर बहस के संबंध में उत्तर दे रहे थे, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि नई औद्योगिक नीति से कामगार प्रभावित नहीं होंगे और नई नीति में कामगारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। अतः, हमने मजदूर संघ के नेताओं को यह समझाने का प्रयास किया था कि हड़ताल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामले पर विचार किया जा रहा है। इसके बावजूद, कुछ मजदूर संघों ने 29 नवम्बर को हड़ताल करने का निश्चय कर लिया। जैसा कि माननीय सदस्य ने इसका सही मूल्यांकन किया है, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य को छोड़कर जहां यह हड़ताल सरकार द्वारा प्रायोजित थी इस हड़ताल का सीमित प्रभाव रहा और केरल में इसका आंशिक प्रभाव रहा।

श्रीमती गीता मुखर्जी: श्री संगमा जी, पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सहित वहां के संसद सदस्यों के साथ हुई आपकी बैठक में क्या हुआ और क्या आम राय बनी? **(व्यवधान)**

श्री पी० ए० संगमा: पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्य बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कहा है कि भविष्य में वे बहुत अच्छे रहेंगे।

श्री गीता मुखर्जी: आपने उनको विश्वास दिलाया, आप भी तो अच्छे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? **(व्यवधान)**

श्री पी० ए० संगमा: जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हमें प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होने में बहुत दिलचस्पी है और भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री राम विलास पासवान जी द्वारा एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। विधेयक सभा के समक्ष है। मुझे अफसोस है कि सदन के इस वर्तमान सत्र में हम इस विधेयक को नहीं ले सकेंगे। परन्तु हम इस पर अगले सत्र में निश्चत रूप से बहस करने की कोशिश करेंगे। इस विधेयक को प्राथमिकता देना संसदीय कार्य मंत्री पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त होता है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन

***288. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:**
श्री चित्त बसु:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर, 1991 के समाचार पत्र "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अनेक राज्यों में इस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है और उन्हें अधिक घंटों तक काम करने के लिए भी बाध्य किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का किन-किन राज्यों में उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि राज्य सरकारें अपने यहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पूरी तरह से लागू करें?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) जी, हां। यह खबर पंजाब राज्य में

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित है। पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 67 अधिसूचित रोजगारों में से 60 अधिसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने के लिए 100 निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितम्बर, 1991 के दौरान औद्योगिक इकाईयों में 13,178 निरीक्षण किए गए और 623 अभियोग दायर किए गए। इसी अवधि के दौरान 423 प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं करने के लिए जुर्माना लगाया गया और 76,350 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।

(ख) से (घ) राज्य में आने वाले अधिसूचित रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्ध तय करने/पुनरीक्षा करने और इन्हें लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। इस प्रयोजनार्थ सभी राज्य सरकारों ने प्रवर्तन तंत्र कायम कर रखा है और राज्य सरकारें नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अनुरूप न चलने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करती हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय त्रिपक्षीय संस्थाओं जैसे भारतीय श्रम सम्मेलन और राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से समय-समय पर राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी रूप से लागू करने की अनिवार्यता के बारे में बताती रहती है।

जापान द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड में इक्विटी भागीदारी

***289. श्रीमती महेन्द्र कुमारी:**
कुमारी दीपिका चिखलिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स सुजुकी मोटर कारपोरेशन ऑफ जापान ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी इक्विटी में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी इक्विटी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा निर्यात

***292. श्री एन० डेनिस:** क्या प्रधान मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड मानवलाकुरिचि (तमिलनाडु) के उत्पादों का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी हां। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के मानवलाकुरिचि स्थित संयंत्र में होने वाले उत्पादन का कुछ हिस्सा निर्यात किया जाता है। तथापि, विदेशी बाजार में मांग कम हो जाने विशेषतः इल्मेनाइट फीड स्टाक की मांग कम हो जाने से पिछले कुछ समय से मानवलाकुरिचि संयंत्र से होने वाले निर्यात में कमी आ गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

लाख रुपए

मद	1988-89		1989-90		1990-91	
	मात्रा मीटरी टन	पोत पर्यन्त मूल्य (रुपए)	मात्रा मीटरी टन	पोत पर्यन्त मूल्य (रुपए)	मात्रा मीटरी टन	पोत पर्यन्त मूल्य (रुपए)
इल्मेनाइट	25,560	284.09	22,200	267.30	6,000	73.91
गार्नेट	3,009	25.26	3,775	45.77	1,917	22.75
रूटाइल	—	—	500	51.55	—	—
मोनाजाइट	—	—	1,700	183.41	400	46.71
कुल	28,569	309.35	28,173	548.03	8,317	143.37

बंगाल पॉटरीज लिमिटेड, कलकत्ता

*293. **श्रीमती गीता मुखर्जी:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह बंगाल पॉटरीज लिमिटेड, कलकत्ता को गैर-अधिसूचित करने के अपने पहले निर्णय को रद्द कर दे तथा उस पुनर्वास कार्यक्रम को लागू करे जिसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा नियुक्त प्रबंधक इस यूनिट को चलायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूर्व निर्णय को रद्द करने में क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है।

(ग) कोई भी निर्णय लेने से पूर्व, महत्वपूर्ण विगत वित्तीय दायित्वों, अतिरिक्त श्रम बल, तथा प्रतियोगिता बाजार में उत्पादों को स्वीकार किये जाने में अनिश्चितता पर विचार करना होगा।

[हिन्दी]

उर्वरक एककों की उत्पादन क्षमता

*294. **श्री काशीराम राणा:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन उर्वरक एककों के नाम-पते आदि क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक अनुरोध पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) और (ख) जिन उर्वरक उद्योगों ने गत दो वर्ष के दौरान उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी थी तथा उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र सं॰	कम्पनी का नाम	संयंत्र का स्थान	उत्पादन	वर्तमान क्षमता (000 टन)	क्षमता में मांगी गई वृधि (000 टन)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰	हजीरा	नाइट्रोफास्फेट, सी ए एन, अमोनियम निट्रेट सांद्रित निट्रिक एसिड	यूरिया 1452	291—नाइट्रो फास्फेट 198—सी ए एन 45—अमोनियम निट्रेट 16.5—सान्द्रित निट्रिक एसिड	गैस के आवंटन की पुष्टि नहीं की गई है।
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰	पलवल	यूरिया	शून्य	726-यूरिया	गैस के आवंटन की पुष्टि नहीं की गई है
3.	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि॰	कांडला	डी ए पी और कम्पलैक्स	पी2 ओ5 के रूप में 309	पी2 ओ5 के रूप में 309	इफको ने संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰	मद्रास	यूरिया एन पी के	292 540	170 शून्य	सरकार ने परियोजना को 15.5.91 को मंजूरी दी थी।
5.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰	थाल	नाइट्रोफास्फेट सी ए एन	शून्य शून्य	360 322	आर सी एफ को सिद्धांत रूप से पर्यावरणात्मक दृष्टिकोण से मंजूरी प्राप्त करनी है। गैस आवंटन की पुष्टि नहीं की गई है।

1	2	3	4	5	6	7
6.	जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि॰	गोआ	कम्पलैस उर्वरक	111 पी2 ओ5 के रूप में	69 पी2 ओ5 के रूप में	वर्तमान औद्योगिक नीति के तहत किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पार्टी को यह सुझाव दिया गया है कि यदि वे आर्थिक सहायता चाहते हैं तो उन्हें उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को आंकड़े भेजने चाहिए।
7.	साउदर्न पेट्रो कैमिकल्स लि॰	तुती-कोरिन	डी ए पी	150	90	-वही-
8.	ई आई डी पैरी (आई) लि॰	इन्नोर	(1) अमोनियम फास्फेट	77.221	15.970	इस आवेदन पत्र को उच्च क्षमता की मंजूरी के लिए 1989 में प्राप्त किया गया और उसे मंजूरी दी गयी।
			(2) फास्फेटिक एसिड (पी2 ओ5 के रूप में)	15.166	1.893	
			(3) सल्फ्यूरिक एसिड	79.197	11.219	
9.	वरीन्दर एग्रो कैमिकल्स लि॰	संगरूर	एस एस पी	66	66	आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया गया
10.	शिवालिक फर्टिलाइजर्स लि॰	होशियार-पुर	एस एस पी	132	66	-वही-
			सल्फ्यूरिक एसिड	69.5	13	
11.	त्रिमूर्ति फर्टिलाइजर्स	कानपुर	एस एस पी	66	66	-वही-
12.	रमत्रि फास्फेट लि॰	सनवर	एस एस पी	66	82.5	-वही-
		इन्दौर	सल्फ्यूरिक एसिड	33	67	

13.	राशि फर्टिलाइजर्स लि॰	नासिक एस एस पी	33	99	आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया गया
14.	कृष्णा इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन लि॰	पश्चिम एस एस पी	50.8	15.2	-वही-
		गोदावरी सल्फ्यूरिक एसिड	16.76	83.24	
15.	फास्फेट कंपनी लि॰	रिशरा एस एस पी	108.00	60	नई औद्योगिक नीति के अनुसार कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। तथापि, एस एस पी के संबंध में राजसहायता के लिए आवेदक को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति से सम्पर्क स्थापित करना पड़ेगा।
		पश्चिम बंगाल सल्फ्यूरिक एसिड	61.00	24.75	
16.	वरिन्द्र एग्रो कैमिकल्स लि॰	संगरूर एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	66	55.256 (पुनः पृष्ठांकन)	ये आवेदन पत्र 1990 के दौरान प्राप्त हुए थे। संबंधित एककों को तकनीकी क्षमता की जांच करने के लिए जून, 1991 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। इस बीच जुलाई, 1991 में उर्वरक उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। आवेदकों को राज सहायता से संबंधित ब्यौरे उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के साथ सम्पर्क स्थापित कर के तय करने पड़ेंगे।

1	2	3	4	5	6	7
17.	श्री एसिड्स एण्ड कैमिकल्स लि०	मोरादा-बाद	एस एस पी	66	36.000 (पुनः पृष्ठांकन)	ये आवेदन पत्र 1990 में प्राप्त हुए थे। संबंधित एककों की तकनीकी क्षमता की जांच करने के लिए जून, 1991 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस बीच जुलाई, 1991 में उर्वरक उद्योग को लाइसेंस से मुक्त किया गया। आवेदकों को आर्थिक सहायता के बारे में उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के साथ ब्यौरे तय करने होंगे।
18.	श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि०	झांसी	एस एस पी	66	6.316 (पुनः पृष्ठांकन)	-वही-

19.	रामगंगा फर्टिलाइजर्स लि०	मोरादाबाद एस एस पी	66	20.017 (पुनः पृष्ठांकन)	-वही-
20.	दि रामपुर डिस्टीलरी एण्ड कैमिकल्स कं० लि०	रामपुर एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	66 33	16.807 2.881 (पुनः पृष्ठांकन)	-वही-
21.	उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	उदयपुर एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	66 33	8.089 5.474 (पुनः पृष्ठांकन)	-वही-
22.	खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज लि०	खरबोव एस एस पी	66	16.393 (पुनः पृष्ठांकन)	-वही-
23.	भारत फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज लि०	थाने एस एस पी	66	9.822 (पुनः पृष्ठांकन)	-वही-
24.	ई आई डी पैरी (इंडिया) लि०	मद्रास एस एस पी सल्फ्यूरिक एसिड	48 16.5	18.000 8.585 (पुनः पृष्ठांकन)	-वही-

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष

*295. **श्री जे॰ चोक्का रावः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष के लिए विभिन्न राज्यों से कुल कितनी राशि एकत्रित की गयी;

(ख) इसी अवधि के दौरान इस कोष से बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु कितनी राशि दी गयी; और

(ग) विभिन्न राज्यों में जिन योजनाओं के लिए इस राशि का उपयोग किया गया उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा): (क) विगत तीन वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बीड़ी के उत्पादन पर उपकर के रूप में एकत्रित की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) कोष का उपयोग बीड़ी मजदूरों तथा उनके परिवारों को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन तथा परिवार कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में, इसमें एक अथवा उससे अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, व्यय की गई राशि का वार्षिक ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में, वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान योजनाओं तथा इन योजनाओं पर व्यय की गई कुल धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-III तथा IV में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी उद्योग से कल्याण उपकर के माध्यम से राज्य-वार और वर्ष-वार एकत्रित राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपये हजार में)

क्रम संख्या	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	21032	21071	21374
2.	बिहार	5930	5713	6143
3.	गुजरात	286	202	192
4.	कर्नाटक	17127	15461	15104
5.	केरल	4555	4627	4539
6.	असम	97	107	116
7.	मध्य प्रदेश	25289	21612	20114
8.	महाराष्ट्र	10200	9470	9285
9.	उड़ीसा	1391	1460	1346

क्रम संख्या	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
10.	राजस्थान	1160	1112	1093
11.	तमिलनाडु	18728	18581	20825
12.	उत्तर प्रदेश	7481	6187	6796
13.	पश्चिम बंगाल	11708	12689	13869
	कुल :	124984	118292	120796

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी मजदूर कल्याण कोष से क्षेत्र-वार और वर्ष-वार किए गए व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रुपये हजार में)

कुल संख्या	क्षेत्र	शामिल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	किया गया व्यय		
			1988-89	1989-90	1990-91
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़	4006	5605	6435
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप समूह	17857	21016	23071
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात, और हरियाणा	4939	7577	6931
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	4044	3950	4987
5.	कलकत्ता	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, और त्रिपुरा	4638	5849	6154
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6415	11173	8697
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	6345	8643	10756
8.	करमा	बिहार	2592	5162	6166
9.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली	15071	14591	13377
		कुल .	65907	83566	86574

विवरण-III

बीड़ी प्रतिष्ठानों में संलग्न व्यक्तियों के कल्याण संबंधी कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए बीड़ी मजदूर कल्याण कोष गठित किया गया है। इसमें, अनेक कल्याण योजनाएं शामिल हैं जैसे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, जल आपूर्ति और परिवार कल्याण संबंधी सुविधाएं प्रदान कराना। ये योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. तपेदिक अस्पतालों में शय्याओं के आरक्षण संबंधी योजना।
2. बीड़ी मजदूरों को अधिवासीय सुविधा प्रदान करना।
3. चश्मा खरीदने के लिए बीड़ी मजदूरों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना।
4. बीड़ी मजदूरों को कुष्ठ रोग निवारण के लिए सहायता देने संबंधी योजना।
5. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी मजदूरों के इलाज के लिए सुविधा प्रदान करने संबंधी योजना।
6. कैंसर से पीड़ित बीड़ी मजदूरों की चिकित्सा पर हुए वास्तविक व्यय का भुगतान करने संबंधी योजना।
7. सहकारी समितियों के माध्यम से बीड़ी मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना।
8. महिला बीड़ी मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ योजना।
9. परिवार कल्याण कार्यक्रम—नसबन्दी करवाने पर बीड़ी मजदूरों को अतिरिक्त धन लाभ देने की योजना।
10. अपना घर बनाने संबंधी योजना।
11. राज्य सरकारों के माध्यम से बीड़ी मजदूरों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासीय योजना।
12. बीड़ी मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना।
13. कार्यशेडों अथवा गोदामों अथवा दोनों का ही निर्माण करने के लिए बीड़ी मजदूर सहकारी समितियों को राजसहायता देने संबंधी योजना।
14. बीड़ी मजदूरों को छात्रवृत्ति देने की योजना।
15. बीड़ी मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक जोड़ा स्कूल ड्रेस के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना।
16. बीड़ी मजदूरों के लिए खेल, क्रीड़ा, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी योजना।
17. टी॰वी॰ सेट देने संबंधी योजना।
18. बीड़ी मजदूरों के मनोरंजन के लिए श्रव्य-दृश्य सेट स्थापित करने/सिनेमा वैन लगाने/फिल्म प्रदर्शन करने संबंधी योजना।
19. विश्राम गृह स्थापित करने संबंधी योजना।

विवरण-4

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी मजदूर कल्याण कोष से योजनावार व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा

(रुपये हजार में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	शामिल राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़	1926	11288	2676	79	77
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप समूह	2696	44734	7250	59	7205
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात, और हरियाणा	2010	10735	4791	680	1231
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	1274	9766	1381	70	490
5.	कलकत्ता	असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, और त्रिपुरा	2010	8963	4268	71	1329
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1553	14660	7209	10	2853
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	2176	13650	7093	24	2801
8.	करमा	बिहार	1593	9532	2709	80	6
9.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली	3265	11462	6484	50	21778
		कुल :	18503	134790	43861	1123	37770

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराना

*296. श्री के॰ प्रधानी:

कुमारी बिमला वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को मंजूर किए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है तथा "स्रोत विहीन समस्याग्रस्त गांव" (नो सोर्स प्राब्लम विलेजेज) योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने-कितने गांवों को शामिल किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में चालू वर्ष के लिए पेय जल की व्यवस्था करने सम्बन्धी लक्ष्य क्या हैं और उसे प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) जी हां।

(ख) पिछले दो वर्ष के दौरान ऐसे स्रोत विहीन समस्याग्रस्त गांव जहां स्वच्छ पेय जल की आंशिक अथवा पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं कि संख्या तथा राज्यवार जारी अनुदान सम्बन्धी ब्यौरे क्रमशः विवरण-एक तथा विवरण-दो में दिये गये हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान स्रोत विहीन समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने में राज्य-वार प्रगति विवरण-तीन में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/शासित प्रदेश	जारी की गई सहायता राशि	
		1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	28.42	28.01
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.45	5.15
3.	असम	15.85	12.38
4.	बिहार	28.70	24.42
5.	गोवा	0.25	1.00
6.	गुजरात	12.31	18.27
7.	हरियाणा	7.63	6.41
8.	हिमाचल प्रदेश	7.14	8.00
9.	जम्मू-कश्मीर	25.18	15.25
10.	कर्नाटक	29.21	24.76

1	2	3	4
11.	केरल	9.78	11.33
12.	मध्य प्रदेश	34.25	21.58
13.	महाराष्ट्र	26.14	35.91
14.	मणिपुर	3.43	3.33
15.	मेघालय	4.21	6.14
16.	मिजोरम	2.29	2.11
17.	नागालैंड	7.16	5.48
18.	उड़ीसा	12.91	21.63
19.	पंजाब	10.13	5.32
20.	राजस्थान	47.48	44.04
21.	सिक्किम	4.50	7.73
22.	तमिलनाडु	25.72	21.94
23.	त्रिपुरा	4.52	2.53
24.	उत्तर प्रदेश	53.41	46.53
25.	पश्चिमी बंगाल	19.73	14.15
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.40	0.83
27.	चण्डीगढ़	0.00	0.00
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00
29.	दमन एवं दीव	0.10	0.53
30.	दिल्ली	0.13	0.13
31.	लक्षद्वीप	1.21	0.00
32.	पांडिचेरी	1.35	0.40
	अखिल भारतीय	425.99	395.29

विवरण-II

वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान स्रोत विहीन समस्याग्रस्त गांव योजना के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की संख्या

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	स्रोत विहीन समस्याग्रस्त गांव योजना के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की संख्या	
		1989-90	1990-91
1.	आंध्र प्रदेश	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	*
3.	असम	2724	356
4.	बिहार	229	37
5.	गोवा	3	—
6.	गुजरात	318	47

1	2	3	4
7.	हरियाणा	360	96
8.	हिमाचल प्रदेश	320	310
9.	जम्मू-कश्मीर	299	243
10.	कर्नाटक	*	*
11.	केरल	12	1
12.	मध्य प्रदेश	282	63
13.	महाराष्ट्र	309	46
14.	मणिपुर	125	*
15.	मेघालय	462	406
16.	मिजोरम	140	68
17.	नागालैंड	173	7
18.	उड़ीसा	1038	219
19.	पंजाब	291	164
20.	राजस्थान	885	261
21.	सिक्किम	15	7
22.	तमिलनाडु	803	18
23.	त्रिपुरा	532	120
24.	उत्तर प्रदेश	3181	563
25.	पश्चिमी बंगाल	*	*
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	*	*
27.	चण्डीगढ़	*	*
28.	दादरा एवं नागर हवेली	*	*
29.	दमन एवं दीव	*	*
30.	दिल्ली	*	*
31.	लक्षद्वीप	*	*
32.	पांडिचेरी	*	*
	अखिल भारतीय	12501	3032

* इन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोई स्रोत विहीन समस्याग्रस्त गांव नहीं है। इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के गांवों को इस योजना के अन्तर्गत सभी गांवों को शामिल करने के लिए आंशिक रूप से सम्मिलित किया गया है।

विवरण-III

वर्ष 1991-92 के लिए स्रोत विहीन समस्याग्रस्त गांवों में पेय-जल की व्यवस्था करने संबंधी निर्धारित किये गये लक्ष्य तथा अक्तूबर, 1991 तक लक्ष्यों की प्राप्ति में अब तक हुई प्रगति

करोड़ रुपयो में

क्रम संख्या		लक्ष्य			लक्ष्यों की प्राप्ति		
		स्रोत विहीन	आंशिक रूप से योजना में शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या	कुल	स्रोत विहीन	आंशिक रूप से योजना में शामिल किए गए गांवों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	1000	1000	0	718	718
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	190	190	0	15	15
3.	असम	84	750	834	5	318	323
4.	बिहार	7	6000	6007	7	452	459
5.	गोवा	0	57	57	0	15	15
6.	गुजरात	52	906	958	2	325	327
7.	हरियाणा	75	316	391	22	75	97
8.	हिमाचल प्रदेश	314	40	354	134	32	166
9.	जम्मू-कश्मीर	209	0	209	10	0	10
10.	कर्नाटक	0	4572	4572	0	1821	1821
11.	केरल	0	150	150	0	41	41
12.	मध्य प्रदेश	83	5417	5500	12	2787	2799
13.	महाराष्ट्र	52	1563	1615	0	171	171
14.	मणिपुर	0	160	160	0	62	62
15.	मेघालय	600	400	1000	28	0	28
16.	मिज़ोरम	0	150	150	0	15	15
17.	नागालैण्ड	19	88	107	0	0	0
18.	उड़ीसा	606	3258	3864	15	81	96
19.	पंजाब	173	238	411	106	0	106
20.	राजस्थान	95	1905	2000	18	715	733
21.	सिक्किम	0	34	34	0	14	14
22.	तमिलनाडु	0	5901	5901	0	1355	1355
23.	त्रिपुरा	10	495	505	0	99	99
24.	उत्तर प्रदेश	130	5075	5205	21	482	503
25.	पश्चिम बंगाल	0	2951	2951	0	350	350
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	21	21	0	13	13

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	4	4	0	3	3
32.	पांडिचेरी	0	25	25	0	13	13
	अखिल भारत	2509	41666	44150	380	9972	10352

नुक्ता : चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा दिल्ली में किसी भी गांव को "स्रोत विहीन" अथवा आंशिक रूप से योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इन संघ शासित प्रदेशों में संवर्धन/नवीकरण कार्य शुरू किये गये हैं।

भंडारण क्षमता

*297. **डा॰ महादीपक सिंह शाक्यः** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भांडागार निगम और राज्य भंडारण निगमों को इस समय कितनी भंडारण क्षमता की आवश्यकता है;

(ख) इस समय कुल कितने गोदाम हैं ओर उनकी क्षमता कितनी है और क्या यह क्षमता भंडारण के लिए पर्याप्त है; और

(ग) विभिन्न गोदामों में वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न रखा गया?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (ग) आठवीं योजना के लिए भण्डारण और भण्डागारण संबंधी कार्यकारी ग्रुप ने 1994-95 के अन्त तक खाद्यान्नों के लिए 23 मिलियन मीटरी टन को भण्डारण क्षमता की जरूरत आंकी थी। यह क्षमता अंशतः भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व की है और अंशतः केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों सहित अन्य एजेन्सियों से किराये पर ली गई है।

खाद्यान्नों के लिए गोदामों का निर्माण करने के अलावा, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगम उर्वरकों, पटसन, कपास आदि जैसी अन्य वस्तुओं तथा सामान्य भाण्डागारण के लिए भण्डारण सुविधाएं भी मुहैया करते हैं।

भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों के पास 1.4.1991 की स्थिति के अनुसार ढके हुए गोदामों की संख्या और उनकी क्षमताओं की स्थिति नीचे दी गई है:—

एजेन्सी का नाम	गोदामों की संख्या	क्षमता (मिलियन मीटरी टन)
भारतीय खाद्य निगम	1447	19.59*
केन्द्रीय भण्डारण निगम	498	6.47
राज्य भण्डारण निगम	1328	9.16

उपर्युक्त भण्डारण क्षमता और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों के पास उपलब्ध क्षमता वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगमों के विभिन्न गोदामों में 1.4.1991 की स्थिति के अनुसार भण्डारित खाद्यान्नों की मात्रा 146.88 लाख मीटरी टन थी।

* इसमें केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों से किराये पर ली गई 3.72 मिलियन मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

[अनुवाद]

श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करके उद्योगों के उत्पादन बदला जाना

†*298. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमिकों के हितों की उपेक्षा करके औद्योगिक एककों को बन्द किए जाने अथवा अधिक लाभदायक क्षेत्रों मे उत्पादन शुरू किये जाने को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में यह घोषणा की गई है कि प्रौद्योगीकीय परिवर्तन के संदर्भ में सरकार श्रमिकों के हितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने वर्ष 1991-92 के बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि सरकार एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना करेगी जिसका उद्देश्य तकनीकी परिवर्तन के दौरान प्रभावित श्रमिकों को उन्नतिकारक साधन प्रदान करना तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उन्हें सक्रिय उत्पादन भागीदार बनाये रखने के लिए उपकरणों से लैस करना है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*299. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1600 रु॰ से लेकर 3000 रुपये तक की प्रति माह वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर कर्मचारी राज्य बीमा लागू करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा): (क) तथा (ख) जी हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने यह सिफारिश की है।

(एक) कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में शामिल करने के लिए वेतन मौजूदा 1600/- रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 3,000/- प्रतिमास करना; तथा

(दो) नियोजकों के अंशदान को 5% से घटाकर 4% 1.5% करना।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उपर्युक्त प्रस्ताव को शामिल करके कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में संशोधन लागू करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है।

(हिन्दी)

हड़तालें और तालाबंदी

*300. **प्रो॰ रासा सिंह रावतः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में औद्योगिक इकाइयों में कितनी हड़ताल और तालाबंदियों हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने श्रम दिवस की हानि हुई और अनुमानतः कितनी वित्तीय हानि हुई;

(ग) ऐसी हड़तालों और तालाबंदियों के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988, 1989 और 1990 के दौरान और जनवरी से सितम्बर 1991 की अवधि में हुई हड़तालों और तालाबंदियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण "क" में दी गयी है।

(ख) इस अवधि के दौरान नष्ट हुये श्रम दिवसों की संख्या और अनुमानित वित्तीय हानि संलग्न विवरण "ख" में दी गयी है।

(ग) ऐसी हड़तालों और तालाबंदियों के मुख्य कारण संलग्न विवरण "ग" में दिये गये हैं।

(घ) सरकार देश की औद्योगिक संबंध स्थिति पर नजदीकी और लगातार नजर रखे हुये है। औद्योगिक संबंध तंत्र केन्द्र और राज्य दोनों में माध्यस्थम, संराधन और न्यायनिर्णयन के माध्यम से विवादों को निपटाने और काम बंदी कम करने के लिये कदम उठा रहा है।

विवरण-क

राज्य/सं०रा०क्षे०	1988		1989		1990 (अ)		1991 (अ) (जन० से सित०)	
	हड़तालों की सं०	तालाबंदियों की सं०	हड़तालों की सं०	तालाबंदियों की सं०	हड़तालों की सं०	तालाबंदियों की सं०	हड़तालतों की सं०	तालाबंदियों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	238	92	374	61	436	34	277	82
अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	13	2	6	—	10	—	5	—
बिहार	66	10	65	4	66	17	3	—
गोवा	10	2	12	2	7	2	13	—
गुजरात	169	19	171	22	182	27	53	7
हरियाणा	36	10	64	15	60	4	57	5
हिमाचल प्रदेश	5	—	10	1	12	3	—	1
जम्मू-कश्मीर	1	—	—	—	—	—	1	—
कर्नाटक	52	13	44	8	31	5	3	1
केरल	56	18	33	20	28	12	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	72	3	66	—	39	2	15	1
महाराष्ट्र	108	69	19	65	97	67	48	45
मणिपुर	8	—	3	—	7	—	6	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	50	7	25	8	39	1	6	—
पंजाब	41	4	47	5	66	4	40	3
राजस्थान	64	16	76	18	81	13	37	17
सिक्किम	—	19	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	194	2	170	17	181	30	87	21

त्रिपुरा	2	12	—	—	2	—	—	—
उत्तर प्रदेश	67	143	78	10	78	23	20	15
पश्चिम बंगाल	42	0	16	126	23	116	6	81
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	3	—	—	—
चंड़ीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—
दादरा एवं नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	14	7	6	6	3	—
दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	10	—	4	0	5	—	—	—
अखिल भारतीय	1304	441	1397	389	1459	366	684	279

— = शून्य

... = उपलब्ध नहीं (जन॰ 91 से सित॰ 91 की अवधि के लिये सूचना चंड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से और वर्ष 1990 तथा जनवरी, 91 से सितम्बर 91 तक की सूचना दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुई है। अतः इनको विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

(अ) = अनन्तिम

स्रोत = श्रम ब्यूरो शिमला

विवरण-ख

वर्ष	नष्ट श्रम दिवस	हड़तालों और तालाबंदियों के कारण हुयी वित्तीय हानि	
		मजदूरी हानि रु०	उत्पादन हानि रु०
1988	3,39,46,925	61,94,95,599	6,94,23,48,905
1989	3,26,63,377	49,97,09,319	4,95,30,61,512
1990	1,50,86,170	33,73,94,461	3,43,71,40,738
जनवरी 91 से सितम्बर 91	41,65,232	14,29,34,764	1,46,03,06,530

जनवरी, 91 से सितम्बर, 91 की अवधि के लिये सूचना चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से और वर्ष 1990 तथा जनवरी 91 से सितम्बर 91 तक की सूचना दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुई है। अतः इनको विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण-ग

	1988				1989			
	हड़तालों की सं०		तालाबंदियों की संख्या		हड़तालों की संख्या		तालाबंदियों की संख्या	
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र
मजदूरी एवं भत्ता	99	314	12	48	116	275	6	28
बोनस	10	73	8	26	9	83	1	15
व्यक्तिगत	41	161	9	18	104	170	5	21
छंटनी	1	57	0	1	0	36	0	3
अवकाश और काम को घंटे	9	8	1	10	9	9	2	1
अनुशासनहीनता और हिंसा	26	46	21	175	50	50	8	167
अन्य	110	314	24	77	142	304	14	98
ज्ञात नहीं	11	24	0	11	17	23	0	20
अंतः संघ / अंतरसंघ प्रतिस्पर्धा								
कुल	307	997	75	366	447	950	36	353

	1990 (अ)				1991(जन० से सि०) (अ)			
	हड़तालों की संख्या		तालाबंदियों की संख्या		हड़तालों की संख्या		तालाबंदियों की संख्या	
	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र
मजदूरी एवं भत्ता	131	275	3	33	66	96	14	12
बोनस	11	53	0	8	6	14	0	4
व्यक्तिगत	90	135	1	10	67	78	10	5
छंटनी	0	46	0	8	0	15	0	3
अवकाश और काम के घंटे	6	10	1	0	5	2	1	0
अनुशासनहीनता और हिंसा	62	52	6	165	42	18	11	109
अन्य	172	380	4	103	86	161	28	65
ज्ञात नहीं	0	30	0	24	4	20	0	11
अंतः संघ / अंतरसंघ प्रतिस्पर्धा			..		0	4	0	0
कुल	472	987	15	351	276	408	70	209

(अ)-अनन्तिम

..-उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

गरीबी हटाओ कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम की निगरानी

*301. डा० कार्तिकेश्वर पात्र: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों और 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिला प्राधिकरण / डी०आर०डी०ए० (जो कि कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकरण हैं) क्षेत्र के चुने हुए जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मामलों पर ही अधिक ध्यान देते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु चुने हुए जन प्रतिनिधियों के दृष्टिकोणों को उसमें शामिल करने के लिए कार्यान्वयन करने वाली ऐजेंसियों को जारी मार्गनिर्देश और प्रस्तावित मार्ग निदेशों सहित क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) 20-सूत्री कार्यक्रम जिसमें अधिकांश गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं, के कार्यान्वयन पर निकटता से निगरानी

रखी जाती है।

(ख) सभी संसद सदस्य तथा जिले के विधान सभा सदस्य जिला, ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी-निकाय के सदस्य हैं तथा उनके द्वारा उठाए गए ध्यान न देने के दृष्टांत संबंधी मामलों को संघ सरकार के ध्यान में लाया नहीं गया है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को परामर्श देते हुए लिखा था कि संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, विधान परिषद् के सदस्यों, जनता के गैर-सरकारी प्रतिनिधियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रबोधन समितियों में शामिल करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी समितियों का पंजीकरण

*302. **श्री बी०एल० शर्मा "प्रेम"**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास के लिए पंजीकरण करना बंद कर दिया है;

(ख) क्या इसने भूमि का आवंटन करने के लिए सहकारी समितियों का पंजीकरण भी बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) या सरकार का विचार सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नई सहकारी समितियों का पंजीकरण पुनः शुरू करने का है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1983 के पश्चात् सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा दिल्ली में सहकारी सामुहिक आवास समितियों के पंजीकरण को रोक दिया गया है। यह 1983-84 में पंजीकृत सामुहिक आवास समितियों को भूमि के आवंटन में समस्याओं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की चालू आवास योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों के काफी तादात से पिछले बकायों के कारण किया गया है।

(घ) विद्यमान पंजीकृत समितियों को भूमि आवंटित करने के पश्चात् इस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों में इक्विटी निवेश

†*303. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य औद्योगिक उपक्रमों को लघु उद्योगों में इक्विटी-निवेश करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके कारण लघु उद्योगों के स्वतंत्र अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) तथा (ख) सरकार ने लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा इक्विटी सहभागिता की अनुमति देने का निर्णय किया है। तथापि, यह सहभागिता पर लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों की कुल इक्विटी के 24% से अधिक नहीं होगी।

(ग) अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा 24% तक की इक्विटी सहभागिता से लघु क्षेत्र के उपक्रम को मूल रूप प्रभावित नहीं होगा अर्थात् यह किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम का सहायक उपक्रम नहीं होगा अथवा इसका स्वामित्व उसे नहीं दिया जाएगा तथा न ही इस पर उसका नियंत्रण होगा।

[हिन्दी]

गांवों का विकास

3200. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुविधाओं के अभाव में गांवों के लोग बहुत बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गांवों के तीव्र विकास हेतु सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) गांवों से कस्बों में पलायन की प्रवृत्ति सभी विकासशील देशों में देखी गई है।

(ख) देश में गांवों के विकास के लिये निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है:

(1) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰आर॰डी॰पी॰) तथा इसकी सम्बद्ध योजनायें जैसे ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) तथा ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा) और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अर्थात जवाहर रोजगार योजना (जे॰आर॰वाई॰) शामिल है।

(2) क्षेत्र विकास कार्यक्रम-जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी॰पी॰ए॰पी॰) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी॰डी॰पी॰) शामिल है।

(3) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिनमें निम्नलिखित शामिल है:—

i) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा प्रौद्योगिक मिशन
ii) कृषि विपणन तथा ग्रामीण गोदाम
iii) भूमि सुधार
iv) पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्जीवीकरण
v) प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे सुदृढ़ बनाना।
vi) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देना।
vii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा ग्रामीण, स्वास्थ्य, ग्रामीण जल सप्लाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण कुकिंग ऊर्जा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी॰डी॰एस॰) शामिल है।

बी॰एस॰टी॰ पाइप फैक्टरी का बंद होना

3201. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर शहर में बी॰एस॰टी, पाइप फैक्टरी गत वर्ष से बन्द पड़ी है तथा सरकार का विचार इसे पुनः चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः चालू कर दिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख) हरियाणा राज्य सरकार के अनुसार, मै॰ बी॰एस॰टी॰ मैन्यूफैक्चरिंग लि॰, सोनीपत, नवम्बर, 1988 से बंद पड़ी है। इस एकक ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 (1) के उपबंधों के अधीन 22.5.90 को औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) से सम्पर्क किया। राज्य सरकार के अनुसार, मै॰ बी॰एस॰टी॰, मैन्यूफैक्चरिंग लि॰, गन्नौर, जिला सोनीपत ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा नियुक्त संचालन अभिकरण आई॰एफ॰सी॰आई॰ को पुनःस्थापना योजना पहले ही भेज दी है और उनका प्रस्ताव फैक्टरी को अप्रैल, 1992 में पुनः चालू करने का है बशर्ते बी॰आई॰एफ॰आर॰, सहित सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा पुनःस्थापना योजना की स्वीकृति मिल जाये।

[अनुवाद]

नारियल के तेल की कमी

†3202. **श्री सी॰ पी॰ मुदाल गिरियप्पा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नारियल के तेल की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस समस्या को किस प्रकार दूर करने का विचार है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही पेयजल परियोजनायें

3203. **श्री थाइल जान अंजलोज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल में विश्व बैंक और जीवन बीमा निगम की सहायता से कोई नयी पेयजल परियोजनायें चलाने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नयी परियोजनाओं में शामिल किए जाने वाले स्थानों के नाम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) केरल राज्य सरकार विश्व बैंक की सहायता से कोचीन कोझीकोडे तथा तिरूअनन्तपुरम के तीन शहरों में पेयजल के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। 1991-92 के दौरान जीवन बीमा निगम की सहायता से केरल जल प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित योजनाओं को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है:

		अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	कासारगोडे जल सप्लाई योजना	380.00
2.	पीरावम जल सप्लाई योजना	497.00
3.	कुथतुकुलम जल सप्लाई योजना	459.50
4.	मुकतुपूजा जल सप्लाई योजना	337.00

स्किपर भवन का स्वीकृत प्लान

3204. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई दिल्ली नगर पालिका को यह निर्देश दिया है कि वह स्किपर भवन का स्वीकृत प्लान न्यायालय में पेश करे;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका से स्वीकृत प्लान पेश करने के बारे में कहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है स्किपर भवन के विषय में अनुमोदित न तो दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए थे क्योंकि ये मुकदमा सं०-728 / 87, शीर्षक-विलियम जर्कस एंड कम्पनी (प्रा०) लि० बनाम मैसर्स स्किपर सेल्स (प्रा०) लि० एवं अन्य में न्यायालय के निदेशों के तहत अपेक्षित थे, जिनका 31.10.1991 को अनुपालन किया गया है।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र-एक और तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र-दो के लिए अर्जित भूमि के विस्थापितों का पुनर्वास

†3205. **श्री राम नाईक:** क्या प्रधान मंत्री परमाणु विद्युत संयंत्र के बारे में 24 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 121 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के तारापुर में राष्ट्रीय परमाणु विद्युत संयंत्र-एक और राष्ट्रीय परमाणु विद्युत संयंत्र-दो के लिए 25 वर्ष पूर्व अर्जित भूमि से विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी ब्यौरा एकत्र कर लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय परमाणु विद्युत संयंत्र तीन और चार के लिए भूमि स्वामियों को अर्जन के नोटिस जारी किए जा चुके हैं जिनसे उनमें आतंक पैदा हो गया है क्योंकि ये नोटिस परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास की शर्तें तय किए बिना ही जारी कर दिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का महाराष्ट्र सरकार को इस आशय के अनुदेश जारी करने का विचार है कि वह पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक अधिसूचित भूमि का अर्जन न करे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से तारापुर आणविक ऊर्जा संयंत्र-एक तथा दो के लिए भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास से संबंधित सभी कार्य 1960 के दशक में पूरे कर लिए थे। अगस्त, 1990 में, राज्य सरकार ने अगवान गांव के लिए नागरिक सुविधाएं, उपलब्ध कराने के लिए 3.94 लाख रुपये की राशि मांगी है।

(ख) तारापुर आणविक ऊर्जा संयंत्र-तीन तथा चार के लिए आवश्यक जमीन महाराष्ट्र राज्य सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारतीय आणविक ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से अधिग्रहीत की है। 91.04 हैक्टेयर की प्रारम्भिक आवश्यकता के लिए अधिग्रहण करने की अधिसूचना में जनसंख्या को दूसरे स्थान पर हटाने का उल्लेख नहीं था। राज्य सरकार द्वारा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पी ए पी एस) से बातचीत करने के बाद पुनर्वास योजना तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) पुनर्वास के लिए एक मुश्त प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें कुछ अतिरिक्त मुद्दे शामिल होंगे और यह अब तथा बाद में भी अधिग्रहत होने वाली जमीन के मामलों पर लागू होगा।

केरल में औद्योगिक परियोजनाएं

†3206. **श्री कोडीकुन्नील सुरेशः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1990 के दौरान और 1991 में आज तक केरल राज्य के लिए मंजूर औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंजूर की गई इन परियोजनाओं में से किसी की पुनरीक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अंतर्गत केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए 1 जनवरी, 1990 से 31 अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान 17 आशय-पत्र तथा 8 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। सभी दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों से संबंधित ब्यौरे जैसे उपक्रमों का नाम तथा पता, स्थान निर्मित की जाने वाली मद (मदें) तथा क्षमता नियमित रूप से भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसदीय ग्रंथालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

(ख) तथा (ग) वर्तमान में ऐसा कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार विशेषताओं के आधार पर निर्णय की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

"टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्य-निष्पादन"

†3207. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्तिः** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने कार्यकरण में गत दो वर्षों की तुलना में सुधार किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चुनिंदा आधार पर वित्तीय सहायता देने का है;

(ग) क्या कंपनी का आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 (अप्रैल से नवम्बर तक) के दौरान टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन का उत्पादन और बिक्री निष्पादन इस प्रकार है:—

(रुपये लाखों में)

	1989	1990	1991
उत्पादन	487.47	382.03	427.61
बिक्री	518.55	325.73	445.60

(ख) मजदूरी/वेतन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता पहले ही दी जा रही है।

(ग) और (घ) धन की उपलब्धता के अध्यधीन समय-समय पर आधुनिकीकरण आदि की योजनाएं शुरू की जाती हैं।

चमड़ा उद्योग में बाल श्रमिक

†3208. श्री एस० बी० सिदनाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "नाट चाइल्ड्स प्ले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो तमिलनाडु के अन्ना जिले में डिंडीगुल चमड़ा शोधन उद्योग में बाल श्रमिकों से संबंधित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का इन अभागे बच्चों की कार्य-दशाओं का अध्ययन करने के लिए कोई आयोग नियुक्त करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ङ) जी हां, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादन

3209. श्री गोविन्दराव निकाम:
श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्वरकों के मूल्यों को ध्यान में रखकर उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं जहां पर उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी सहयोग के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले उर्वरक उद्योगों की संख्या क्या है और निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) और (ख) उर्वरकों के अधिकतम उपभोक्ता मूल्य भारत सरकार द्वारा सांविधिक रूप से अधिसूचित किए जाते हैं। सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में शिनाख्त की गई उन मुख्य योजनाओं के नाम नीचे दिए गए हैं। जिनमें उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है:—

(1) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ के विजयपुर संयंत्र का विस्तार

(2) इफको के आंवला संयंत्र का विस्तार

(3) नाइट्रो फास्फेट एकक की स्थापना से कृभको के हजीरा संयंत्र का विस्तार

(4) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰ के संयंत्र का पुनरूद्धार/विस्तार

(5) अमोनिया/नाइट्रोफास्फेट संयंत्र की स्थापना से राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि॰ के थल संयंत्र का विस्तार

(6) फैक्ट के कोचीन-II संयंत्र का आधुनिकीकरण एवं विस्तार

(7) फैक्ट द्वारा उद्योगमंडल स्थित तीन अमोनिया संयंत्रों की प्रतिस्थापना में आधुनिक 900 टन प्रतिदिन अमोनिया संयंत्र की स्थापना

(8) इफको के कांडला संयंत्र का विस्तार

(9) एच बी जे पाइपलाइन पर कृभको द्वारा नया अमोनिया/यूरिया संयंत्र।

(ग) और (घ) जी, हां। चार नए अमोनिया/यूरिया संयंत्र तथा एक नाइट्रोफास्फेट संयंत्र इस समय निजी क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन हैं। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अंशदान को बढ़ाएगा। एक एच बी जे पाइपलाइन पर निजी क्षेत्र के एक अन्य एकक ने अपने वर्तमान अमोनिया/यूरिया संयंत्र की क्षमता को दुगुना करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, नई औद्योगिकी नीति के अंतर्गत उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

(ङ) उत्पादन लक्ष्य के अंतिम आंकड़े तथा नई परियोजनाओं के ब्यौरे आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योग के लिए धनराशि

†3210. **श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चमड़ा उद्योग के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के अधीन आने वाली चमड़ा बनाने वाली वर्तमान इकाईयों को नजरअंदाज किया जा रहा है;

(ग) क्या सहकारी क्षेत्र के चमड़ा बनाने वाले संबंधित एकको से प्रशासनिक मंत्रालयों ने उनके आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सहकारी क्षेत्र के चमड़ा बनाने वाले उद्योग के संरक्षण एवं विकास के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) भारत सरकार का यू एन पी की सहायता से लेदर सेक्टर के विकास का कार्यक्रम है। इस परियोजना के लिए कुल यु॰ एन॰ डी॰ पी॰ सहायता 15.05 मीलियन अमरीकी डालर है।

(ख) से (घ) मैसर्ज भारत लेदर कारपोरेशन के प्रस्ताव को भी यु॰ एन॰ डी॰ पी॰ परियोजना में शामिल करने के लिए विचार किया गया था। भारत लेदर कारपोरेशन के प्रस्ताव में लगभग 10.01 लाख अमरीकी डालर की सहायता की मांग की गई थी। जिसमें से 9.54 लाख अमरीकी डालर उपकरणों की खरीद के लिए मांगें लाये थे। चूंकि यु॰एन॰डी॰पी॰ सहायता के अंतर्गत कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास किया जाना, उत्पाद तथा प्रौद्योगिकी विकास को सुविधाजनक बनाए जाने के लिए अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाना, सहायता सेवाओं को सुधारणा प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए नीति को लागू करना था। अतः मैसर्ज भारत लेदर कारपोरेशन के प्रस्ताव को अंतिम कार्यक्रम प्रलेख में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, क्योंकि यह पूंजी प्रधान प्रस्ताव था।

(ङ) सरकार का उद्देश्य लेदर सेक्टर के सर्वांगीण विकास करने का है और इसमें गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के चमड़ा निर्माण उद्योग के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। केन्द्र सरकार के अंतर्गत दो चमड़ा निर्माण उपक्रम नामतः टैनरी एंड फुटवियर कारपेरेशन (टी॰ एंड एफ॰ सी॰ ओ॰) तथा भारत लेदर कारपोरेशन (बी॰एल॰सी॰) को योजना स्कीमों को लागू करने के लिए अपनी चमड़ा फुटवियर निर्माण क्रियाओं के विकास के लिए समय-समय पर धनराशि प्रदान की जाती है। इन इकाईयों को अपनी नकदी हानि को पूरा करने के लिए गैर-योजना धनराशि भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है।

महाराष्ट्र के कस्बों में पानी की समस्या

†3211. **श्री सुधीर सावंत:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से राजपुर संसदीय क्षेत्र में स्थित कस्बों को पानी की समस्या को हल करने के लिए कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) तथा (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजापुर संसदीय क्षेत्र में स्थित राजापुर, बेगुरला, सावंतवाड़ी तथा मालवान के शहरी कस्बों में जलापूर्ति की कोई स्कीम वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को नहीं भेजी गई है। तथापि, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र जलापूर्ति तथा मलचल, निर्यास परियोजना-फेस-II के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है। भारत सरकार द्वारा जांच-पडताल के पश्चात् प्रस्ताव महाराष्ट्र जलापूर्ति तथा मलजल-निर्यास बोर्ड को तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टिकोणों से संशोधन के लिए भेज दिया गया है।

सीमेंट की कमी

†3212. **श्री के॰वी॰ तंग्का बालू**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आगामी वर्षों में सीमेंट की कमी की संभावना है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख) आगामी वर्षों में सीमेंट की कमी होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने से पहले जारी किए गए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस तथा इसके पश्चात् प्राप्त किए गए ज्ञापनों से पर्याप्त संकेत मिलता है कि आगामी वर्षों में सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा कर लिया जाएगा।

सावित्री नगर, नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

†3213. **प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस**:
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से साधना इन्कलेव/पंचशील क्लब, नई दिल्ली के निकट सावित्री नगर में अनधिकृत निर्माण के संबंध कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार सावित्री नगर में लाल डोरा भूमि पर और अन्य स्थानों पर अवैध निर्माणों और कारखानें आदि चलाकर दुरूपयोग करने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सावित्री नगर सहित सभी क्षेत्रों में सभी अनधिकृत निर्माण दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343/344 के तहत कार्रवाई योग्य है। गत तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली नगर निगम द्वारा सावित्री नगर में इस अधिनियम के तहत अनधिकृत निर्माण के 10 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम द्वारा इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सावित्री नगर सहित लाल डोरा तथा अन्य स्थानों में अनधिकृत फैक्टरियां चलाने के विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 416/417 के तहत कार्रवाई भी की जाती है। इस प्रकार की अनधिकृत फैक्टरियों के संबंध में बिजली काटने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भी अनुरोध किया जा रहा है।

सीमेंट उद्योग में समस्यायें

†3214. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष सीमेंट को लाने ले जाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सीमेंट उद्योग कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) चालू वर्ष के लिए, बड़े आकार के सीमेंट संयंत्रों के लिए निर्धारित किए गए 52 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य में से रेलवे ने 30 मिलियन टन सीमेंट रेल द्वारा ढोने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) और (ग) सीमेंट निर्माता एसोसिएशन और अनेक सीमेंट संयंत्रों के प्रबंधकों ने बताया है कि कम संख्या में वैगनों की आपूर्ति होने तथा निदेशात्मक प्रतिबंधों के कारण सीमेंट उत्पादन बढ़ाने तथा इसके प्रेषण में बाधाएं आई हैं। सीमेंट उद्योग को वैगनों की आपूर्ति का विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग द्वारा ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाता है तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो रेल विभाग के साथ विचार-विमर्श करके उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

उड़ीसा में नैफ्था पर आधारित रसायनिक संयंत्र

†3215. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के औद्योगिक संवर्धन और निवेश निगम लि॰ ने उड़ीसा के कटक जिले में स्थित पारादीप में नैफ्था रिफार्मर पर आधारित रसायनिक संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) फीड-स्टॉक तथा अन्य तकनीकी आर्थिक पहलुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम ऐसे पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स स्थापित करने पर विचार किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का संस्थापन वेतन बिल

†3216. श्री जीवन शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के वेतन बिलों की तुलना में दिल्ली विकास प्राधिकरण का वर्ष 1991 के संस्थापन वेतन बिल का ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्थापन वेतन बिलों में कड़ाई से छंटनी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) डी॰डी॰ए॰ फ्लैटों की लागत/मूल्य में कितना प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार जोड़ा गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) गत तीन वित्त वर्षों और वर्ष 1990-91 के लिए संस्थापन वेतन बिल का श्रेणीवार विवरण लगभग इस प्रकार है:—

वर्ष (आंकड़े लाख रुपये में)

	87-88	88-89	89-90	90-91
श्रेणी-क	2.40	2.59	3.04	3.21
श्रेणी-ख	4.21	4.57	5.30	5.65
श्रेणी-ग	9.90	10.74	12.46	13.29
श्रेणी-घ	6.80	7.37	8.55	9.12
श्रेणी-चार्ज	26.83	29.10	34.00	36.00
योगः	50.14	54.37	63.35	67.27

(ख) संस्थापन को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं;

(i) वर्ष 1984 में दैनिक मजदूरी/मस्टर रोल कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगायी गयी थी।

(ii) झुग्गी-झोपड़ी योजना के अंतरण और विकसित कालोनियों को सौंपे जाने के कारण विभिन्न श्रेणियों के 11418 कर्मचारियों का दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरण किया गया है।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न विभागों में फालतू स्टाफ का पता लगाने के लिए स्टाफ निरीक्षण एकक द्वारा अध्ययन भी किया गया और फालतू स्टाफ को रिक्त पदों पर समायोजित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) स्ववित्त पोषित योजना, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग श्रेणियों के फ्लैटों की कीमत निकालते समय। प्रतिशत वर्ष की दर से प्रशासनिक प्रभार जोड़े जाते हैं; जनता फ्लैटों के लिए इस प्रकार के कोई प्रभार नहीं लगाये जाते हैं।

[हिन्दी]

अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा संचालित की गई आशुलिपिक श्रेणी-दो की परीक्षा

3217. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा संचालित 1989 की आशुलिपिक श्रेणी-दो की परीक्षा में कुल कितने प्रत्याशी सफल रहे;

(ख) हिन्दी माध्यम के कितने प्रत्याशियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है;

(ग) क्या इन प्रत्याशियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक श्रेणी-ग संवर्ग के अतिरिक्त कोई न्य संवर्ग दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1990 की आशुलिपिक श्रेणी-दो परीक्षा के कितने सफल प्रत्याशियों को अन्य सं॰ में भेजने का प्रस्ताव है;

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक ग्रेड "ग" परीक्षा 1989 में 278 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे।

(ख) उक्त परीक्षा में हिन्दी माध्यम से 21 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अन्य सहभागी संवर्गों द्वारा आयोग को हिन्दी आशुलिपिकों की कोई भी रिक्तियां सूचित नहीं की गई थी।

(ङ) ग्रेड "ग" आशुलिपिक परीक्षा 1990, 8.12.91 को आयोजित की गई उक्त परीक्षा से भरी जाने वाली निश्चित रिक्तियों की संख्या विभिन्न संवर्गों द्वारा अभी तक आयोग को सूचित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

चित्तूर चीनी मिल को हुआ घाटा

†3218. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में पलक्काड़ जिले की चित्तूर चीनी मिल को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इन चीनी मिलों को गन्ना विकास कोष से सहायता करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) केरल में पाल घाट जिले के अंतर्गत चित्तूर स्थित को-आपरेटिव शूगर्स लिमिटेड ने पिछले तीन वर्ष अर्थात् 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के अपने लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र में सकल लाभ दर्शाया है।

(ख) और (ग) गन्ना विकास तथा चीनी कारखानों के आधुनिकीकरण/पुनर्वास के लिए गन्ना विकास कोष से ऋण दिए जाते हैं। उपर्युक्त कारखाने से इस संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्र तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राष्ट्रीय अकादमी

†3219. **श्री गोपीनाथ गजपति**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के उपक्रमों के लिए प्रशिक्षण विंग के रूप में कार्य करने हेतु सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना का कई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रशिक्षण संस्थान की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दस्तकारी का प्रशिक्षण

†3220. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ ऐसी योजनाओं को प्रायोजित किया है जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में दस्तकारों को प्रशिक्षण देने हेतु कुछ तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी हैं और अब तक किन-किन स्थानों पर इन्हें स्थापित किया गया है; और

(ग) इन संस्थानों में प्रशिक्षण पा रहे दस्तकारों की अनुमानित संख्या क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और अभियांत्रिकी तथा गैर-अभियांत्रिकी व्यवसायों में स्कूल छोड़ने वालों के लिए दस्तकारी प्रशिक्षण योजना 1950 से प्रचलन में है।

(ख) और (ग) 31.7.91 की स्थिति के अनुसार राज्यवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की सीटिंग क्षमतावार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

31.7.91 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की सीटिंग क्षमता सहित संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ॰क्षे॰ का नाम	औ॰प्र॰सं॰ की संख्या				गै॰स॰ आईटीआई/आईटीसी की संख्या					कुल सीटिंग क्षमता (6+10)
		संबद्ध	असंबद्ध	कुल	सीटिंग क्षमता	संबद्ध	असंबद्ध	कुल	सीटिंग क्षमता (निजी)	आई॰टी॰आई॰/आईटी॰सी॰ की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	57	7	64	15300	186	16	202	24992	266	40292
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	0	2	240	0	0	0	0	2	240
3.	असम	20	1	21	4225	0	0	0	0	21	4232
4.	बिहार	31	0	31	13360	3	2	5	568	36	13928
5.	गोवा	11	0	11	2768	3	1	4	176	15	2944
6.	गुजरात	63	14	77	17824	70	7	77	8490	154	26214
7.	हरियाणा	80	3	83	13629	14	10	24	816	107	14436
8.	हिमाचल प्रदेश	32	0	32	3392	0	0	0	0	32	3394
9.	जम्मू और कश्मीर	7	25,	32	3532	0	0	0	0	32	3532
10.	कर्नाटक	34	0	34	8000	136	10	146	12184	180	20184
11.	केरल	19	3	22	10780	227	6	233	31216	255	41996
12.	मध्य प्रदेश	59	5	64	16672	3	1	4	3368	68	17040
13.	महाराष्ट्र	109	4	113	37472	103	12	115	9216	228	46688
14.	मणिपुर	1	5	6	496	0	0	0	0	6	496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मेघालय	3	0	3	360	1	0	1	196	4	556
16.	मिजोरम	1	0	1	240	0	0	0	0	1	240
17.	नागालैंड	1	2	3	404	0	0	0	0	3	404
18.	उड़ीसा	13	2	15	5016	6	5	11	920	26	5936
19.	पंजाब	93	3	96	16800	8	8	16	800	112	17600
20.	राजस्थान	27	6	33	5000	15	11	26	1644	59	6644
21.	सिक्किम	1	0	1	144	0	0	0	0	1	144
22.	तमिलनाडु	43	1	44	15960	201	56	257	15801	301	31762
23.	त्रिपुरा	2	1	3	528	0	0	0	0	3	528
24.	उत्तर प्रदेश	5	65	82	147	42384	65	38	103	7904	250
24.	उत्तर प्रदेश	65	82	147	42384	65	38	103	7904	250	50288
25.	पश्चिम बंगाल	30	0	20	9648	10	0	10	452	30	10000
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	1	176	0	0	0	0	1	176
27.	चंडीगढ़	2	0	2	596	1	0	1	16	3	912
28.	दादरा और नगर हवेली	1	0	1	192	0	0	0	0	1	192
29.	दमण एवं दीव	2	0	2	288	0	0	0	0	2	288
30.	दिल्ली	12	1	13	7004	20	3	23	932	36	7936
31.	लक्षद्वीप	0	1	1	64	0	0	0	0	1	64
32.	पांडिचेरी	3	0	3	464	1	0	1	32	4	496
	योग:	815	166	981	253256	1073	186	1259	116624	2240	369880

[हिन्दी]

वेस्ट इन्क्लेव में शापिंग काम्पलेक्सों का निर्माण

3221. श्री भगवान शंकर रावतः क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष के अंत तक उत्तरी दिल्ली में शापिंग काम्पलेक्सों के निर्माण के लिए नियत भूमि पर कितने शापिंग काम्पलेक्सों का निर्माण किया जायेगा;

(ख) प्रीतमपुरा के निकट त्रिवेणी और पौलिटेक समितियों के बीच वेस्ट इन्क्लेव में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर निर्माण कार्य कब शुरू होने की संभावना है; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा और इस संबंध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) (क) चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 11 शापिंग काम्पलेक्स पूरे किए जाने की संभावना है।

(ख) विभिन्न स्कीमों के निमित्त प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नई वाणिज्यिक परियोजनाओं को प्रारंभ करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा योजना के अंतर्गत महिलाओं को आटोरिक्शाचालन प्रशिक्षण

†3222. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित निर्धनों के लिए शहरी-बुनियादी सेवा योजना के अंतर्गत महिलाओं को आटोरिक्शा चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो बंगलौर, मैसूर, हुबली, धारवाड़, मंगलौर तथा बेलगांव में आटोरिक्शा चालन प्रशिक्षण के लिए कितनी महिलाओं का चयन किया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) (क) और (ख) कर्नाटक में बंगलौर में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए आटोरिक्शा चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। यह योजना हुबली, धारवाड़, मैसूर, मंगलौर तथा बेलगांव शहरों में कार्यान्वित नहीं की गई है।

बंगलौर में आटोरिक्शा चालन प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये चयनित महिलाओं की संख्या पचास है/वे प्रशिक्षण ले रही हैं।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पानीपत में नैमित्तिक श्रमिक

†3223. श्रीमती सुशीला गोपालनः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेशनल फटिलाइजर्स लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा के नैमित्तिक श्रमिक अपनी मांगों के समर्थन में वर्ष 1983 से संघर्ष कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी मांगों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन) (क) और (ख): नैमित्तिक मजदूर वास्तव में विभिन्न ठेकेदारों के ठेके के मजदूर थे जिन्हें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन एफ एल) ने काम पर लगाया था। 1983 में ये मजदूर गैर कानूनी हड़ताल पर चले गए और ठेकेदारों में अपनी संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध कर लिए थे। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि पानीपत कारखाने में नियुक्त ठेके के मजदूरों को कम्पनी के नियमित कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए लेकिन न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी थी।

1987 में इस विषय में एक औद्योगिक विवाद उठाया गया था और इस मामले को हरियाणा सरकार ने निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण अम्बाला को भेज दिया है। इस न्यायाधिकरण ने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है।

सिविल सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिये उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देना

3224. श्री आनंद रत्न मौर्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1990 के सिविल सेवा की परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए सरकार ने उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा मौका किन श्रेणियों के उम्मीदवारों को दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो सिविल सेवा परीक्षा, 1990 के दौरान हुई अनियमितताओं के कारण उम्मीदवारों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) (क) से (ग) वर्ष 1992 में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष नियत करने का सरकार का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि परीक्षा के प्रयासों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी जाए। ये सुविधाएं केवल वर्ष 1992 की परीक्षा के लिए ही उपलब्ध होंगी।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के बिक्री डिपो

3225. श्री कड़िया मुंडा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का बिक्री काउंटर अथवा बिक्री डिपो खोल कर इसके उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) (क) और (ख) मध्य प्रदेश में रायगढ़ में, उस क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड का एक स्टाकिस्ट पहले से ही है। रायगढ़ में बिक्री डिपो अथवा बिक्री केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र/अभ्यावेदन

†3226. **श्री अर्जुन सिंह यादवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री को गत चार महीनों के दौरान संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितनों का निपटान किया गया; और

(ग) शेष पत्रों/अभ्यावेदनों ज्ञापनों के शीघ्र उत्तर देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) (क) 1.7.1991 और 31.10.1991 के दौरान 2245 पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) अधिकांश पत्रों पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये पत्र संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजे गए हैं और उन्हें यह परामर्श दिया गया कि वे इन पर शीघ्रता से कार्रवाई करवाएं और संबंधित संसद सदस्यों को उपयुक्त उत्तर भेजें।

उनमें से कुछ पत्र ऐसे हैं जिन पर प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित है। इन पर ध्यानपूर्वक और शीघ्रता से कार्रवाई की जानी है।

कुछ ऐसे पत्र भी हैं जिन पर कोई विशिष्ट कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, इन सभी मामलों में, प्रधान मंत्री जी द्वारा संबंधित संसद सदस्यों को पावतियां भेजी जाती हैं।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में अधिशासियों की नियुक्ति

†3227. **श्री पाला के॰ एम॰ मैथ्यूः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिये योग्यता के आधार पर अधिशासियों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर चयन बोर्ड स्तर के प्रत्येक पद की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर उन उम्मीदवारों में से किया जाता है जो आयु, अनुभव तथा अपने संबंधित संगठनों में धारण किए गए पदों के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हों। साक्षात्कार के समय लोक उद्यम चयन बोर्ड के उम्मीदवारों के अनुभव, सेवा रिकार्डों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों तथा साक्षात्कार में उनके निष्पादन को भी मद्दे नजर रखता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी

†3228. श्री वी० कृष्ण राव:
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी आती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) जी, हां।

(ख) अनिवार्य वस्तुएं जिनके मामले में थोक मूल्य सूचकांक में विगत चार सप्ताह में 16.11.1991 तक गिरावट आई है;

निम्नलिखित है:—

अरहर	1.1
चना	0.4
जौ	1.2
गोश्त	1.3
काली मिर्च	5.1
हल्दी	4.7
चाय	4.2
काफी	2.7
चीनी	0.2
खांडसारी	3.5
गुड़	8.3
जिंजिली तेल	3.3
मुंगफली का तेल	0.5
राईस ब्राड ऑयल	14.0
सीमेंट	2.8
जी०एल०एस० लैम्प	3.1
नमक	2.0
प्याज	8.3

उचित दरों की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपो के लाइसेंस रद्द करना

†3229. श्री तेज नारायण सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा वितरण विभाग द्वारा रद्द किए गए उचित दर की दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपो के लाइसेंस विभागीय जांच पूरी करने के बाद पुनः बहाल कर दिए

गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मामलों में लगाये गये आरोप सिद्ध हो गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन दुकानों तथा डिपुओं के मामलों से संबंधित न्यायालयों में निर्णयाधीन, मामले वापस भी ले लिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन मामलों को वापस लेने का है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि केवल एक मामले में, जिसमें प्राधिकार को रद्द कर दिया गया था, लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण (रिमांड) कार्रवाई के दौरान मामले की सुनवाई के बाद दंड को घटाकर जमानत की जमा राशि की जब्ती के आदेश दिए गए थे। आरोप साबित हो गए थे।

(ग), (घ) और (ङ): लाइसेंसधारियों के विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक और विभागीय कार्रवाई परस्पर एकान्तिक तथा एक-दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा किसी भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में दायर किए गए मुकदमे को लौटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए दी गई धनराशि

3230. **श्री शिवशरण वर्मा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिये दी गई धनराशि के बारे में 5 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1658 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए मंजूर की गई धनराशि के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में इलेक्ट्रानिकी एकक

3231. **श्री ललित उरांव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान बिहार में इलेक्ट्रानिक एककों की स्थापना के लिये बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) बिहार सरकार से पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में इलेक्ट्रॉनिक इकाई की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आवास विकास वित्त निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋण

†3232. श्री सैयद शाहबुद्दीन: क्या शहरी विकास मंत्री लोगों को आवास उपलब्ध कराने के बारे में 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या-10 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवास विकास वित्त निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋणों में से कुल कितनी धनराशि का 31 मार्च, 1991 तक वितरण किया गया;

(ख) वितरित किये गये ऋण की कुल कितनी धनराशि 31 मार्च, 1991 तक वसूल की गयी;

(ग) मंजूर किये गये ऋण और उसके वितरण का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अल्प आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिहायशी इकाइयों का आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) तथा (ख) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार आवास इस प्रकार है:

संवितरित धनराशि	: 2246.65 करोड़ रुपये
वसूल की गई धनराशि	: 519.70 करोड़ रुपये

(ग) तथा (घ) ऋण का आय वर्गानुसार संवितरण तथा संस्वीकृत रिहायशी यूनिटें इस प्रकार हैं:—

	1000 रुपये से कम की मासिक आय	1000 रुपये से 2000 रुपये तक की मासिक आय
संस्वीकृत ऋण की धनराशि	126.00 करोड़ रुपये	439.00 करोड़ रुपये
संस्वीकृत रिहायशी यूनिटों की संख्या	51,208	1,06,016

[हिन्दी]

सामूहिक आवास समितियों की सूची

3233. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामूहिक आवास समितियों की उस प्राथमिकता सूची को रद्द कर दिया है जिन्हें पप्पन कलां में प्लाट आवंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संयुक्त संघ से ऐसी सामूहिक आवास-समितियों की नई सूची तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) सामूहिक आवास समितियों की नई सूची का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन आवास समितियों को प्लाट कब तक आवंटित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) से (ङ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.5.1991 के आदेश से पंजीयक कार्यालय द्वारा अगस्त, 90 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजी गई 400 सामूहिक आवास समितियों की प्राथमिकता सूची पर रोक लगा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पंजीयक कार्यालय द्वारा 400 समितियों की एक नयी सूची तैयार की गई थी।

(च) सामूहिक आवास समितियों को भूमि के आवंटन का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

3234. श्री भोगेन्द्र झा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1989 के प्रत्येक महीने तथा 1990 के महीनों में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतें क्या थीं तथा उन्हें वर्ष 1989 के स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इन आवश्यक वस्तुओं तथा कृषि उपज की उचित दर की दुकानों पर निर्धारित सस्ती दरों पर बिक्री सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1989 तथा 1990 में प्रतिमाह विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दर्शाये गए हैं। सरकार चालू वर्ष के दौरान मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तथापि, वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी से कुछ मूल्य वृद्धि अपरिहार्य है। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में वित्तीय घाटे में भारी कमी करना, प्रभावी मांग को रोकने के लिए मुद्रा पूर्ति के प्रसार को नियंत्रित करना, आवश्यक/शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति व मांग का अधिक कारगर

प्रबंध करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, अधिक उत्पादन तथा बचतों के लिए प्रोत्साहन देना तथा जमाखोरों व मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करना।

खरीफ के अनाजों की कमी के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अगस्त से अक्तूबर, 1991 के महीनों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटनों में वृद्धि करने का निर्णय किया है। खुले बाजार मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अक्तूबर, 1991 में चावल तथा गेहूं, प्रत्येक की 3 लाख मी० टन मात्रा खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी थी। दिसम्बर, 1991 में और 3 लाख मी० टन गेहूं की मात्रा बेचने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिकल्पना एक अनुपूरक प्रयास के रूप में की गई है, जो आबादी के कमजोर वर्गों की क्रय शक्ति की रक्षा करने में सहायता करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मरुस्थल, पहाड़ी, गंदी बस्तियों आदि में स्थित लगभग 1700 ब्लाकों में सुविधा प्रदान करने के लिए मजबूत किया जा रहा है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा बिक्री केंद्रों के दरवाजे तक सुपुर्दगी तथा उन तक उपभोक्ताओं की कारगर पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

(रु० प्रति कि०ग्रा०)

वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान चुनी आवश्यक वस्तुओं के मास अंत के खुदरा मूल्य

वस्तु/केन्द्र	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	27.1.89	26.1.90	24.2.89	23.2.90	31.3.89	30.3.90	28.4.89	27.4.90	26.5.89	25.5.90	30.6.89	29.6.90
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. चावल												
दिल्ली	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.25
बंबई	5.25	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
कलकत्ता	4.30	2.82	4.30	2.82	4.50	2.82	4.50	उ०न०	4.80	5.00	उ०न०	4.80
मद्रास	4.70	5.00	4.70	5.00	4.60	5.00	4.60	5.00	4.80	उ०न०	4.70	उ०न०
2. गेहूं												
दिल्ली	3.20	3.00	3.25	3.00	3.25	3.00	3.25	3.00	3.25	2.80	3.20	2.80
बंबई	3.80	4.00	3.80	4.00	4.30	4.00	उ०न०	4.00	4.00	4.50	4.00	4.00
मद्रास	3.30	4.00	3.80	4.40	3.50	3.80	3.50	3.80	3.50	4.00	4.60	3.50
3. चना												
दिल्ली	9.50	8.75	10.00	8.75	9.00	8.50	8.50	9.25	8.00	9.00	10.00	9.00
बंबई	12.00	11.00	12.00	12.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.50	11.00
मद्रास	11.00	10.00	11.50	10.00	9.00	10.00	9.00	10.50	9.00	10.25	10.00	10.00
कलकत्ता	उ०न०	10.00	9.50	10.00	5.50	उ०न०	8.50	10.00	8.50	उ०न०	9.50	उ०न०
4. अरहर												
दिल्ली	9.50	9.00	9.00	9.50	9.00	10.00	8.25	11.00	9.00	11.00	12.50	11.50
बंबई	11.30	12.00	10.00	12.00	9.40	11.00	9.40	12.00	10.00	12.00	13.00	13.00
मद्रास	12.00	11.00	11.00	12.00	11.00	12.00	11.00	13.00	11.00	12.50	11.00	12.50
कलकत्ता	10.80	12.00	10.50	12.00	10.00	12.50	10.50	12.50	11.00	12.50	9.80	13.50

वस्तु/केन्द्र	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	28.7.89	27.7.90	25.8.89	24.8.90	29.9.89	28.9.90	27.10.89	26.10.90	24.11.89	30.11.90	29.12.89	28.12.90
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. चावल												
दिल्ली	4.00	4.50	4.00	4.50	4.00	4.50	4.00	4.75	4.00	5.00	4.00	5.00
बंबई	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
मद्रास	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50	5.00	5.50
कलकत्ता	उ०न०	3.31	उ०न०	उ०न०	3.44	3.31	उ०न०	उ०न०	2.82	3.31	2.82	3.31
2. गेहूं												
दिल्ली	3.10	2.80	3.10	2.85	3.10	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.25
बंबई	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00
मद्रास	4.00	3.50	3.80	3.60	3.80	3.60	3.80	3.60	4.00	3.40	4.00	4.00
3. चना												
दिल्ली	8.00	9.50	8.25	10.00	9.50	10.00	10.25	10.00	10.00	10.00	9.50	10.00
बंबई	10.50	11.00	11.00	12.00	11.40	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	उ०न०	12.00
मद्रास	9.00	10.00	10.00	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.00	10.50
कलकत्ता	8.50	10.20	9.50	उ०न०	9.50	10.00	9.70	उ०न०	10.70	11.00	9.00	11.00
4. अरहर												
दिल्ली	10.00	12.50	11.00	13.00	11.10	14.00	11.00	15.25	10.25	15.50	9.50	15.00
बंबई	11.00	14.00	12.00	14.00	12.00	16.00	12.00	17.00	12.00	18.00	12.00	18.00
मद्रास	12.00	13.50	12.50	14.00	12.50	14.50	12.00	14.50	11.00	14.50	10.00	15.00
कलकत्ता	11.50	14.00	11.80	उ०न०	11.80	13.00	12.00	उ०न०	12.00	16.00	12.00	16.00

(रु॰ प्रति कि॰ग्रा॰)

चुने केन्द्रों पर चुनी वस्तुओं के मास अंत के खुदरा मूल्य

वस्तु/केन्द्र	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	27.1.89	26.1.90	24.2.89	23.2.90	31.3.89	30.3.90	28.4.89	27.4.90	26.5.89	25.5.90	30.6.89	29.6.90
5. चीनी												
दिल्ली	7.50	9.00	7.50	9.00	7.75	9.00	7.75	9.50	8.25	8.75	8.50	9.00
बंबई	7.00	उ॰न॰	7.00	8.80	7.20	8.80	7.40	8.50	8.20	8.50	8.00	8.70
मद्रास	6.30	8.00	6.25	8.00	7.00	8.30	7.20	8.10	7.50	8.30	7.50	8.10
कलकत्ता	7.50	9.00	7.30	9.00	7.50	9.00	7.80	9.40	8.50	9.30	8.60	9.00
6. गुड़												
दिल्ली	4.50	6.00	4.75	5.75	5.00	5.50	5.00	6.00	3.50	6.00	6.50	6.00
मद्रास	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.50	5.00	6.60	4.00	6.75	5.50	6.50
कलकत्ता	4.50	5.50	4.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	4.00	6.50	7.00	7.50
7. वनस्पति												
दिल्ली	24.00	25.50	23.00	27.00	23.50	28.50	25.50	31.00	26.00	30.00	25.00	32.00
बंबई	उ॰न॰	28.00	26.00	28.00	25.00	30.00	26.00	32.00	26.00	33.00	26.00	35.00
मद्रास	25.00	28.00	25.00	29.00	24.00	30.00	26.00	32.00	27.00	33.00	27.00	34.00
कलकत्ता	30.85	29.07	30.85	29.07	30.85	29.07	30.85	30.39	29.74	30.39	29.74	33.52
8. मूंगफली का तेल												
दिल्ली	30.00	30.00	29.00	30.00	28.00	30.00	28.00	32.00	28.00	32.00	28.00	35.00
बंबई	उ॰न॰	26.00	उ॰न॰	27.00	20.00	28.00	22.00	29.00	24.00	29.00	23.00	32.00
मद्रास	20.00	25.00	19.00	26.00	19.00	27.00	21.00	26.00	23.00	28.00	23.00	31.00
9. सरसों का तेल												
दिल्ली	20.00	21.00	20.00	21.00	19.00	21.00	18.00	23.00	18.00	23.00	19.00	26.00
बंबई	28.00	26.00	28.00	26.00	उ॰न॰	26.00	उ॰न॰	27.00	उ॰न॰	27.00	26.00	28.00
मद्रास	27.00	26.00	27.00	27.00	26.00	28.00	26.00	28.00	25.00	29.00	25.00	31.00
कलकत्ता	22.00	23.00	22.00	23.00	23.00	24.00	20.00	25.00	30.00	24.00	30.00	27.50
10. चाय												
दिल्ली	36.00	56.00	36.00	58.00	38.00	60.00	40.00	60.00	40.00	60.00	42.00	60.00
बंबई	38.00	उ॰न॰	38.00	65.00	38.00	70.00	38.00	70.00	38.00	70.00	38.00	70.00
कलकत्ता	उ॰न॰	55.00	40.00	55.00	40.00	55.00	40.00	55.00	40.00	55.00	40.00	55.00

उ॰न॰—उपलब्ध नहीं।

विशिष्ट केन्द्रों पर चुनी आवश्यक वस्तुओं के मास अंत में खुदरा मूल्य

(रु॰ प्रति कि॰ग्रा॰)

वस्तु/केन्द्र	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	28.7.89	27.7.90	25.8.89	31.8.90	29.9.89	28.9.90	27.10.89	26.10.90	24.11.89	30.11.90	29.12.89	28.12.90
5. चीनी												
दिल्ली	9.50	9.08	10.50	9.00	10.00	9.00	9.00	9.25	9.00	9.25	8.75	9.25
बम्बई	8.80	8.50	उ॰न॰	9.00	10.00	8.80	9.25	9.80	9.20	8.80	9.00	8.80
मद्रास	8.90	8.10	उ॰न॰	8.50	8.70	8.10	8.70	8.10	8.70	8.10	7.80	8.00
कलकत्ता	9.00	9.08	10.50	9.20	10.00	9.20	10.00	उ॰न॰	10.30	9.50	8.50	9.50
6. गुड़												
दिल्ली	7.00	7.00	3.50	7.00	8.50	7.50	7.25	7.50	उ॰न॰	6.00	5.75	6.00
मद्रास	5.50	6.50	3.80	7.50	6.00	7.50	7.50	7.00	7.00	7.50	6.00	7.00
कलकत्ता	7.00	7.50	3.50	7.50	7.50	7.50	7.00	उ॰न॰	6.00	6.50	5.70	6.08
7. वनस्पति												
दिल्ली	25.00	36.00	27.50	34.00	28.50	37.00	27.50	39.00	27.00	34.50	25.00	35.00
बम्बई	27.00	40.00	28.00	42.00	30.00	39.00	30.00	42.00	29.00	40.20	28.00	40.00
मद्रास	27.00	38.00	30.00	40.00	31.00	37.00	31.00	41.00	29.00	41.00	29.00	40.00
कलकत्ता	29.74	36.00	29.74	उ॰न॰	29.74	उ॰न॰	31.50	उ॰न॰	31.50	41.20	31.50	41.20
8. मूंगफली का तेल												
दिल्ली	38.00	35.00	28.00	26.00	29.00	37.00	30.00	38.00	30.00	42.00	30.00	42.00
बम्बई	24.00	35.00	27.00	35.00	27.00	35.00	28.00	37.00	27.00	35.00	24.00	36.00
मद्रास	24.00	33.00	27.00	34.00	30.00	34.00	29.00	38.00	25.00	33.00	23.00	36.00
9. सरसों का तेल												
दिल्ली	18.00	29.00	22.00	28.00	21.00	28.00	21.00	30.00	22.00	32.00	21.00	33.00
बम्बई	26.00	30.00	26.00	32.00	27.00	33.00	26.00	33.00	26.00	33.00	25.00	34.00
मद्रास	25.00	33.00	27.00	34.00	28.00	30.50	27.00	38.00	26.00	38.00	26.00	39.00
कलकत्ता	20.00	31.00	22.00	30.00	22.00	30.00	22.00	उ॰न॰	22.00	34.00	22.00	33.00
10. चाय												
दिल्ली	42.00	62.00	44.00	62.00	56.00	60.00	56.00	60.00	56.00	60.00	56.00	60.00
बम्बई	38.00	70.00	38.00	68.00	60.00	70.00	60.00	70.00	60.00	70.00	65.00	70.00
कलकत्ता	40.00	50.00	45.00	50.00	55.00	उ॰न॰	55.00	50.00	55.00	50.00	55.00	50.00

वस्तु/केन्द्र	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	27.1.89	26.1.90	24.2.89	23.2.90	31.3.89	30.3.90	28.4.89	27.4.90	26.5.89	25.5.90	30.6.89	29.6.90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11. आलू												
दिल्ली	1.50	1.50	1.50	2.50	1.50	2.50	2.00	3.00	2.00	3.50	3.00	4.00
बम्बई	2.50	3.00	2.50	3.00	2.50	3.00	2.50	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00
कलकत्ता	1.50	1 50	1.80	1.50	2.20	2.00	2.40	2.40	3.00	2.50	3.00	2.40
मद्रास	2.00	2.50	2.00	2.50	2.00	2.50	2.50	2.50	3.50	3.50	3.50	4.50
12. प्याज												
दिल्ली	4.00	2.00	3.00	प्रा०न०	2.00	2.50	2.00	2.50	1.50	2.50	2.50	3.00
बम्बई	2.50	2.50	2.50	1.75	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.50	2.50
मद्रास	2.00	1.50	1.50	1.50	1.80	1.75	2.00	1.75	2.00	1.75	1.50	2.50
कलकत्ता	3.50	2.50	3.50	3.00	2.50	2.00	2.00	3.00	3.00	3.50	3.00	4.00
13. नमक												
दिल्ली	2.00	2.00	2.00	प्रा०न०	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
बम्बई	1.00	1.50	1.0C	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	1.50	1.00	2.00
मद्रास	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	प्रा०न०	0.70	0.70	0.70
कलकत्ता	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

वस्तु/केन्द्र	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	28.7.89	27.7.90	25.8.89	31.8.90	29.9.89	28.9.90	27.10.89	26.10.90	24.11.89	30.11.90	29.12.89	28.12.90
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11. आलू												
दिल्ली	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.50	2.00	3.00
बम्बई	3.50	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50	4.00	3.00	6.00
कलकत्ता	3.00	2.80	3.00	2.50	2.50	2.50	उ०न०	उ०न०	उ०न०	3.00	1.80	4.00
मद्रास	4.00	3.50	2.50	3.50	2.20	2.00	2.50	5.00	2.50	5.00	2.50	6.00
12. प्याज												
दिल्ली	2.00	4.00	3.00	4.00	3.50	6.00	4.00	6.00	4.00	6.00	2.00	8.00
बंबई	2.50	3.00	2.50	3.00	2.00	4.00	4.00	4.50	3.00	7.00	2.50	7.00
मद्रास	1.50	3.00	1.75	3.00	2.00	3.00	3.00	3.50	3.00	उ०न०	1.50	6.00
कलकत्ता	3.00	5.00	3.00	5.00	3.50	5.00	उ०न०	उ०न०	5.00	6.00	3.00	9.00
13. नमक												
दिल्ली	2.00	2.00	2.00	उ०न०	2.00	उ०न०	2.00	उ०न०	2.00	2.00	2.00	2.00
बम्बई	1.00	2.00	1.25	2.00	2.50	2.00	2.50	उ०न०	2.00	2.00	2.00	2.00
मद्रास	0.60	0.70	0.70	1.00	0.60	1.00	0.60	1.00	0.60	1.25	0.60	1.25
कलकत्ता	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	उ०न०	1.00	1.40	1.00	1.40

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि व सहकारिता मंत्रालय।

प्रा०न०-प्राप्त नहीं।

उ०न०-उपलब्ध नहीं।

मूल्य सूचकांक

3235. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1960-61 में परिकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े क्या हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 में परिकलित उक्त आंकड़े क्या हैं;

(ग) 1990-91 के अंत में एक रुपये की क्रय शक्ति कितनी थी और वर्ष 1960-61 की तुलना में इस समय इसकी क्रय शक्ति कितनी है;

(घ) क्या चालू वर्ष में आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति गत वर्ष की तुलना में और कम हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) 1960-61 में औद्योगिक मजदूरों का अखिल-भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1960 = 100) 102 और 1990-91 में 951 था।

(ग) और (घ) औद्योगिक मजदूरों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 1960 = 100) की तुलना में आंकलित रुपए की क्रय-क्षमता 1960-61 में 98 पैसे, 1990-91 में ग्यारह पैसे और सितम्बर, 1991 (नवीनतम उपलब्ध) में 9 पैसे थी। सितम्बर, 1990 के दौरान रुपए की क्रय क्षमता 11 पैसे थी।

(ङ) रुपए की क्रय क्षमता में गिरावट अर्थव्यवस्था में निरन्तर स्फीतिकारी दबावों के परिणामस्वरूप हुई है। ये दबाव भारी वित्तीय घाटे, शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति और मांग के बीच असन्तुलनों तथा अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी संभावनाओं के कारण हुए कहे जा सकते हैं।

(च) मुद्रा-स्फीति की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में वित्तीय घाटे में पर्याप्त कमी करना, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति के विस्तार को नियंत्रित करना, आवश्यक/शीघ्र प्रभावित होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति और मांग का अधिक प्रभावी प्रबंध करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाना, अधिक उत्पादन और बचत के लिए प्रोत्साहन देना और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना शामिल है।

ईश्वरी प्रसाद समिति

3236. **श्री बारे लाल जाटव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों से संबंधित ईश्वरी प्रसाद समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु गठित अन्तर-विभागीय शक्ति संपन्न समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश को खाद्यान्नों की आपूर्ति

3237. **प्रो० प्रेम धूमल:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश की ओर से खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 1991 मास के लिए 20,000 मीटरी टन गेहूं और 7150 मीटरी टन चावल का आबंटन करने की मांग की है। हाल ही में चीनी और खाद्य तेलों की आपूर्तियों में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, मौसमी उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आबंटन किये जाते हैं। ये आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये राज्य/संघ शासित प्रदेश की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए उपयुक्त आबंटन किए जा रहे हैं।

परिवार पेंशनभोगियों को राहत

†3238. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार पेंशनभोगियों को मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए कोई राहत प्रदान की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन पेंशनभोगियों को पर्याप्त राहत देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी हां,।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कुटुम्ब पेंशन पर महंगाई राहत उन्हीं दरों पर अनुज्ञेय होगी जो दरें समय-समय पर पेंशन पर दी जाती है। दिनांक 1.7.91 से पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर दी गई महंगाई राहत की पिछली किश्त निम्न प्रकार से है:

पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की रकम	महंगाई राहत की दर
1750/- रुपये तक	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 60%
1751/- रुपये से 3000/- रुपये	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 45%, कम से कम 1050/- रुपये।
3000/- रुपये से ऊपर	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 39%, कम से कम 1350/- रुपये।

उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्र

3239. **श्री राम पाल सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कितने विकास केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नये बनाये गये जिले सिद्धार्थ नगर में भी विकास केन्द्र खोले जाने की भी कोई योजना है जो एक उद्योग-शून्य जिला है;

(ग) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की केन्द्र की सूची में सिद्धार्थ नगर को शामिल न किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) इस जिले के औद्योगिक विकास के लिये कौन सी योजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (घ) विकास केन्द्र योजना के अधीन उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं जिनकी स्थापना इस प्रकार की जायेगी—बुलंदशहर, इटावा, गोरखपुर, झांसी, जौनपुर, पौड़ी गढ़वाल, मुरादाबाद तथा शाहजहांपुर प्रत्येक जिले में एक-एक। इन विकास केन्द्रों को प्रत्येक के लिए 25 से 30 करोड़ रु॰ की लागत की आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी। इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा।

सिद्धार्थ नगर जिला बस्ती जिले में से बनाया गया है जो केन्द्र द्वारा पिछड़े जिले के रूप में घोषित है। किसी भी जिले/क्षेत्र को जो मौजूदा पिछड़े जिले से बनाया जाता है उसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा ही माना जाता है।

1990-91 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोग

3240. **श्री सुरेशानन्द स्वामी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1990-91 के वर्ष में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): वर्ष 1990-91 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का अनुमान उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1987-88 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गरीबों की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या-1987-88

अनन्तिम (सं॰ लाख में)

क्र॰सं॰	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	195.70
2.	असम	52.89
3.	बिहार	336.54

1	2	3
4.	गुजरात	73.25
5.	हरियाणा	18.15
6.	हिमाचल प्रदेश	4.52
7.	जम्मू और कश्मीर	9.79
8.	कर्नाटक	136.46
9.	केरल	48.98
10.	मध्य प्रदेश	224.97
11.	महाराष्ट्र	214.10
12.	उड़ीसा	135.12
13.	पंजाब	13.88
14.	राजस्थान	99.54
15.	तमिलनाडु	176.85
16.	उत्तर प्रदेश	448.34
17.	पश्चिम बंगाल	173.45
18.	छोटे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	14.2
19.	अखिल भारत	2376.7

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, विशाखापट्टनम को अनुदान

†3241. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग, क्षेत्रीय केन्द्र, विशाखापट्टनम को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 1992-93 के दौरान इन अनुदानों में वृद्धि का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) मुंबई को इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम के विकास के लिए ऋण तथा अनुदानों के रूप में धनराशि प्रदान करती है। के० वी० आई० सी० प्रत्यक्ष रूप से सहायता पाने वाली अपनी संस्थाओं को, राज्य के के० वी० आई० बोर्डों को धनराशि प्रदान करता है तथा कुछ धनराशि अपने विभागीय व्यापारिक कार्यों के लिए प्रदान करता है।

के० वी० आई० सी० अपने क्षेत्रीय कार्यालय विशाखापट्टनम को विगत तीन वर्षों में कोई भी अनुदान जारी नहीं किया है। तथापि, के० वी० आई० सी० ने उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय को विगत तीन वर्षों में खादी परंपरा ऋण के अंतर्गत धनराशि प्रदान की है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	जारी किया गया ऋण (रु० लाखों में)
1988-89	37.46
1989-90	10.44
1990-91	22.55
योग	70.45

त्रिपुरा के विकास की मांग

3242. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के लोगों से इसके विकास के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) से (ग) योजना आयोग को त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद से मुख्य रूप से और अधिक धनराशि एवं एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) कुटीर एवं लघु उद्योग संगठनों के संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय बजट आदि से पूंजीगत निवेश राजसहायता दिए जाने की मांग की गई है। केन्द्रीय निवेश 1988 में समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। इसके स्थान पर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में उपयुक्त आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जोर दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

नागरिक सुविधाओं के लिये उड़ीसा को आवंटित धनराशि

3243. श्री श्रीकान्त जेना: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और इस प्रयोजनार्थ कितना वास्तविक व्यय किया गया; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य में नागरिक सुविधाओं से संबंधित कितनी योजनाएं लम्बित हैं और उन्हें शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) तथा (ख) नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था संबंधित स्थानीय निकायों का दायित्व है। ये स्थानीय निकाय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से अपनी योजनाएं तैयार करते हैं। राज्य सरकारें अपनी ओर से विभिन्न योजनाओं, जिसमें शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना, शहरी मूलभूत सेवा, इत्यादि भी शामिल है, के अंतर्गत तथा वित्तीय संस्थानों जैसे हुडको, जीवन बीमा निगम इत्यादि से ऋण लेकर इन स्थानीय निकायों की सहायता करती हैं। भारत सरकार द्वारा केवल एक नोडल भूमिका निभाई जाती है।

पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन

3244. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन करने के लिए कोई विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां

3245. **श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कार्यरत (i) 40% से कम (ii) 40% से 50% और (iii) 50% या उससे अधिक विदेशी इक्विटी वाली बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियां (फेरा कंपनियों) के नाम क्या-क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक कंपनी में विदेशी इक्विटी सहभागिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक कंपनी में इक्विटी पर नियंत्रण रखने वाली मूल विदेशी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) इन कंपनियों की (i) औषधियों और फार्मास्युटिकल्स के विक्रय और (ii) अन्य मदों से होने वाली कुल आय तथा प्रत्येक श्रेणी से होने वाली बिक्री आय का प्रतिशत क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक कंपनी को कुल तथा निवल लाभ कितना था; और

(ङ) इन वर्षों के दौरान प्रतिधारित लाभ तथा प्रत्यावर्तित लाभ की राशि कितनी है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) इस संबंध में यथासंभव उपलब्ध वांछित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) मांगे गये ब्यौरे अत्यन्त भारी-भरकम हैं तथा तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें एकत्र करने के लिए अपेक्षित समय एवं प्रयास के अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	विदेशी इक्विटी (प्रतिशत)
1	2	3
(क)	**50% या उससे अधिक विदेशी इक्विटी सहभागिता वाली कंपनियां**	
1.	मैसर्स बेयर इंडिया लिमिटेड	51.01
2.	मैसर्स जानसन एंड जानसन लिमिटेड	75
3.	मैसर्स आई॰सी॰आई॰ लिमिटेड	52.94
4.	मैसर्स संडोज (इंडिया) लिमिटेड	50.94 (31.12.88)
5.	मैसर्स वाइथ लैबोरेटीज	74
6.	मैसर्स रीसे प्रोडक्ट्स	74 (31.12.88)
(ख)	**40% से 50% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता वाली कंपनियां**	
7.	मैसर्स ऐग्लो फ्रैंच	40
8.	मैसर्स कार्टर वालेस	40
9.	मैसर्स सी॰ई॰ फुलफोर्ड	40
10.	मैसर्स अबोट लैबस	40
11.	मैसर्स एल्कैफ लिमिटेड	40
12.	मैसर्स जिओफ्रे मैनर्स	40
13.	मैसर्स पार्के डेविस	40
14.	मैसर्स वारनर हिंदुस्तान	40
15.	मैसर्स हिंदुस्तान सीबा गेओी आफ इंडिया लिमिटेड	40
16.	मैसर्स इनफार इंडिया लिमिटेड	40
17.	मैसर्स रहोने पाउलीन इंडिया लिमिटेड	40
18.	मैसर्स गलैक्सो लैबस	40
19.	मैसर्स होचैस्ट फार्मास्यूटिकल्स	40
20.	मैसर्स मैरिड	40
21.	मैसर्स बुरोधस वेलकम	40
22.	मैसर्स प्रोक्टर एंड गैम्बल (इंडिया) लिमिटेड	40
23.	मैसर्स सीईनामिड इंडिया लिमिटेड	40
24.	मैसर्स फाइजर लिमिटेड	40
25.	मैसर्स बूट्स कंपनी इंडिया लिमिटेड	40
26.	मैसर्स इ॰ मर्क (इंडिया) लिमिटेड	40

[हिन्दी]

ट्रेक्टरों का निर्माण

3246. **डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त संख्या में किसानों ने खेती के लिए ट्रेक्टरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों के उतपादन में काफी वृद्धि हुई है परन्तु इनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं;

(ग) क्या ट्रेक्टरों सहित कृषि उपकरणों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): (क) ट्रेक्टरों की बिक्री 1988-89 में 1,06,249 से बढ़कर 1990-91 में 1,39,419 हो जाने के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब ज्यादा किसान खेती के लिए ट्रेक्टरों का इस्तेमाल करने लगे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस समय कृषि उपकरणों और मशीनों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और न ही सरकार इस समय ट्रेक्टरों पर ऐसा कोई मूल्य नियंत्रण लगाने के बारे में विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश में फल प्रसंस्करण संयंत्र

3247. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फल, और सब्जियों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है;

(ख) क्या आंध्र में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कोई फल प्रसंस्करण संयंत्र नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कोई फल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगों): (क) तथा (ख) आंध्र प्रदेश का स्थान फलों के उत्पादन में पहला तथा सब्जियों के उत्पादन में ग्यारहवां है। आंध्र प्रदेश में खाद्य-प्रसंस्करण संगठन के अंतर्गत लाइसेंसीकृत सरकारी क्षेत्र में चार फल तथा सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां हैं।

(ग) तथा (घ) आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने चित्तूर और काकीनाड़ा में मुख्य रूप से आम "कन्सेन्ट्रेट्स तथा टमाटर, अमरूद, पपीता का गूदा/कन्सेन्ट्रेट्स के उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश में फल प्रसंस्करण संयंत्र लगाने का एक प्रस्ताव तैयार किया है।

[हिन्दी]

गन्ने के लिए समर्थन मूल्य

3248. **श्री मोहन सिंह:**
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991-92 के लिए गन्ने के घोषित समर्थन मूल्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष बुवाई मौसम से पूर्व गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की पेशगी घोषणा करती है। यह मूल्य देश भर में एक समान होता है। 1991-92 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी करने पर, लेकिन जिसमें उपर्युक्त स्तर से ऊपर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम की भी व्यवस्था है, गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 24/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई चीनी नीति

3249. **श्री राजवीर सिंह:**
श्री राम टहल चौधरी:
श्री परसराम भारद्वाज:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई चीनी नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी रोजगार कक्ष

3250. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में नौकरियों के अवसर प्रदान करने के लिए राज्यों में विदेशी रोजगार कक्ष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) छः राज्यों अर्थात केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे निगम हैं जो जन-शक्ति निर्यात के विषयों को देखते हैं। ये निगम उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय में पंजीकृत हैं। अन्य राज्यों में विदेशी रोजगार कक्षों की स्थापना अभी आवश्यक नहीं समझी गयी है।

मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

3251. **श्रीमती सुमित्रा महाजनः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है; और

(ख) उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकटस्वामी): (क) और (ख) जैसी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों और उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः-

वर्ष	बनाई गई सड़कें (कि॰मि॰)	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
1989-90	14,507.07	2,169.15
1990-91	5,970.00	1,197.07
1991-92 (सितम्बर, 1991 तक)	2,612.24	355.97

[अनुवाद]

औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रक्रिया का विकास

3252. **डा॰ सी॰ सिलवेराः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने पेय जल को वायरस और जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए किसी प्रक्रिया का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रक्रिया का उपयोग करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा): (क) और (ख) जी हां। औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई०टी०आर०सी०) ने पेय जल को कीटाणुरहित करने के लिए प्रक्रियाओं (युक्तियों) का विकास किया गया है। वे इस प्रकार हैः

अमृत कम्भः फिल्टरिंग मीडिया के रूप में सिल्वर इम्मोबिलाइज़्ड एक्टीवेटेड एल्यूमिना के साथ एक सिम्पल हाउस होल्ड वाटर फिल्ट्रेशन। इस फिल्टर मीडिया का जीवन-काल तीन वर्ष का होता है, इसके बाद इसे उपयोग में लाने के लिए पुनर्योजित किया जा सकता है। यह प्रणाली फिज़िको कैमीकल एक्टीविटि द्वारा कीटाणु मुक्त करने के सिद्धान्त पर आधारित है और किफायती है तथा टिकाऊ है और इसकी क्षमता 100 प्रतिशत पैथाजैनिक जीवाणुओं को समाप्त करने की है। यह प्रक्रिया घरेलू स्तर पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है।

बैक्टोबिलः यह इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रम एनोडिक ऑक्सीडेशन के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसमें अत्यन्त उच्च शक्ति की एनोडिक आॅक्सीजन से जल में जीवाणुओं का अपरिवर्तनीय निर्मूलन (नाश) हो जाता है। यह प्रणाली घरेलू और लघुस्तरीय वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

(ग) और (घ): इन प्रक्रियाओं (युक्तियों) की तकनीकी जानकारी उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा

3253. **श्री शोभनाद्रीशवर राव वाड्डे:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चीनी कारखानों द्वारा गन्ने की अतिरिक्त खरीद किए जाने से राज्य गन्ना उत्पादकों को समर्थन मूल्य के भुगतान के संबंध में उनके हितों की रक्षा की जाती है; और

(2) उक्त लाभांश किस फार्मूले के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसकी निगरानी और कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाता है?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) तथा (ख) अतिरिक्त खरीद के संबंध में "गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 5 क तथा उससे संबंधित द्वितीय अनुसूची के द्वारा गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा की जाती है। अनुसूची में विस्तार से दिए गए फार्मूले के अनुसार अतिरिक्त खरीद को गन्ना उत्पादक और चीनी उत्पादकों में 50 : 50 के अनुपात में बांट लिया जाता है। इन उपबंधों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की क्षेत्रीय एजेंसियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना होता है।

विदेशी निवेश बोर्ड

3254. **श्री गुरूदास कामत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विदेशी निवेश बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोर्ड के पास लम्बित मामले अन्य संस्थाओं के पास भेजे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं के क्या नाम हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (घ) जी, हां। अनुमोदन बोर्डों में विदेशी सहयोग के आवेदनों की बहुतायत को कम करने के लिए सरकार ने 14 अक्तूबर, 1991 से विदेशी निवेश बोर्ड को समाप्त कर दिया है और इसके कार्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड को सौंप दिए गए हैं।

[हिन्दी]

खानों में दुर्घटनाएं

3255. **श्री सूर्य नारायण यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में हुई खान-दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी खान-दुर्घटनाओं के फिर न होने हेतु सरकार ने कौन-कौन से वैज्ञानिक उपाय किये हैं;

(ग) इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में खानों में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(i)	दुर्घटनाएं	-	225
(ii)	ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें गम्भीर शारीरिक चोटें लगीं	-	1247

(ख) और (ग) खानों में नियोजित कर्मकारों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पहलुओं को विनियमित करने वाले उपबन्ध खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में दिए गये हैं। कोयला खान विनियम, 1957 धातुविक खान विनियमन, 1961 और तेल खान विनियम, 1984 के उपबन्धों में खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का वर्णन है। नई प्रौद्योगिकी को लागू करने से उत्पन्न स्थितियों का ध्यान रखने के लिये समय-समय पर सुरक्षा प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद की जांच

3257. **डा॰ परशुराम गंगवार**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए और पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में नारमल स्कूल के भवन और अन्य गोदामों में भंडार किए गए गेहूं की खरीद के बारे में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) भारतीय खाद्य निगम ने जुलाई, 1990 के दूसरे सप्ताह के दौरान अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण पीलीभीत नगर (उत्तर प्रदेश) में मंडी यार्ड और नारमल स्कूल में कवर और प्लिंथ में भंडारित गेहूं के स्टाक को पहुंची क्षति की जांच की थी।

(ख) नानकसागर बांध से अचानक बाढ़ का पानी छोड़ देने से 10.7.90 को पीलीभीत नगर इस पानी की

चपेट में आ गया था, जिसके कारण गेहूं के स्टाक प्रभावित हो गए थे। चट्टों की कुछ निचली सतह प्रभावित हो गई थी और 274.9 मीटरी टन वज़न की 4159 बोरियों को क्षतिग्रस्त पाया गया था। इन कवर और प्लिंथ गोदामों से गेहूं की चोरी हो जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) चूंकि गेहूं के स्टाक बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए थे इसलिए ऐसी दैवी विपदा के लिए भारतीय खाद्य निगम के किसी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी क्षेत्र के एककों की डीलरशिप आरक्षित करना

†3258. **श्री मुकुल वासनिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी क्षेत्र के एककों की डीलरशिप और डिस्ट्रिब्यूटरशिप आरक्षित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ के॰ थुंगन): (क) तथा (ख) अब तक सरकारी क्षेत्र में रसोई गैस सहित उर्वरक और पैट्रोलियम पदार्थों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए 25% डीलरशिप तथा डिस्ट्रिब्यूटरशिप आरक्षित की गई है। भारी उद्योग विभाग आजकल इस बात की जांच-पड़ताल कर रहा है कि इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में क्या कोई अन्य डीलरशिप/डिस्ट्रिब्यूटरशिप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जा सकती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर खर्च

3259. **श्री हरि केवल प्रसाद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष निर्धारित पूरी धनराशि खर्च कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 265.52 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्रमशः 202.76 करोड़ रुपये तथा 95.82 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) राज्य सरकार से वर्ष 1990-91 के दौरान किए गए वास्तविक खर्च की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान के पर्वतीय जिलों का विकास

3260. **श्री अयूब खां:** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान के कुछ जिलों को पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल किया गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राजस्थान के झुनझुनू जिलों के उदय-पुरवती और खेतड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों की श्रेणी में नहीं आते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को प्रदान की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

फिल्म रीलों का आयात

3261. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा वर्ष 1989-90 और 1991 के दौरान अब तक कितनी मात्रा में कलर पोजिटिव फिल्म-रोल आयात किए गए और प्रति वर्ग मीटर इसका कितना मूल्य दिया गया तथा यह किससे आयात किया गया;

(ख) क्या रोमानिया से आयात की जा रही उक्त कलर फिल्म रोलों की लागत जापान की कलर फिल्म की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स जम्बो

रूप में एग्फा गार्वेट, बेल्जियम, कोडक, संयुक्त राज्य अमरीका, फूजी, जापान, और ओरवो, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य से सिने कलर पोजीटिव फिल्म रोल आयात कर रहा है। चूंकि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स सिने कलर पोजिटिव जम्बो फिल्म रोमानिया से आयात नहीं कर रहा है इसलिए यह जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है

(मात्रा लाख वर्ग मीटर में)

	1989		1990		1991 (नवम्बर, 91 तक)	
	मात्रा	कीमत प्रति वर्ग कि॰मी॰	मात्रा	कीमत प्रति वर्ग कि॰मी॰	मात्रा	कीमत प्रति वर्ग कि॰मी॰
एग्फा	27,59	3.88 डालर	29.95	3.92 डालर	21.53	3.91 डालर
कोडक	3.85	4.02 डालर	4.12	4.02 डालर	0.68	4.02 डालर
फूजी	4.91	3.97 डालर	4.00	3.97 डालर	-	-
ओरवो	16.50	28.35 रुपये	7.99	31.50 रुपये	-	-

[हिन्दी]

बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

3262. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो बिहार और बंगाल के बीच हुए 1978 के समझौते के प्रारूप के अनुसार बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को लंबित रखने के क्या कारण हैं और ऐसी लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा यह परियोजनाएं किस-किस क्षेत्रों की हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा बिहार की किसी भी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) दोनों राज्यों के बीच हुए 1978 के करार के अनुसार क्रमशः कोनार और तिलैया में भंडारण स्थान रिलीज करने के लिए दामोदर नदी पर पनचेट एवं तेनुघाट जलाशयों तथा बराकर नदी पर मेथोन जलाशय में अतिरिक्त भंडारण स्थान बनाए जाने की अपेक्षा की गई है। बिहार की दामोदर नदी की सहायक कोनार नदी पर कोनार डाइपरोन परियोजना और बराकर नदी पर तिलैया धाधर परियोजना पर परामर्शदात्री समिति द्वारा क्रमशः मार्च, 1984 और मार्च, 1983 में विचार किया गया था। बिहार तथा पश्चिमी बंगाल के बीच अंतर्राज्यीय मामलों का समाधान न होने के कारण इन पर विचार करना स्थगित कर दिया गया था। चूंकि पनचेट जलाशय में अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण मुख्य कुकिंग कोयला के जलमग्न से अंतग्रस्त है इसलिए कोयला विभाग ने

इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। चूंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अलग से इन दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति पर शंका व्यक्त की है। अतः अंतर्राज्य मतभेद विद्यमान है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों का नवीकरण

3263. डा॰ अमृत लाल कालिदास पटेल:
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1988-89 और 1990-91 के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों के नवीकरण/सुधार पर कितना खर्च किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने इन निवास-स्थानों में कोई वृद्धि/परिवर्तन, साज-सज्जा संबंधी कार्य अथवा सुधार किया है; यदि हां, तो क्या इस बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुमति ले ली गयी थी;

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा इन बंगलों पर कितना धन खर्च किया गया; और

(घ) इस संबंध में जारी किये गये मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों में कुछ परिवर्धन/परिवर्तन, सजावट, सुधार करने के श्रम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इतर एजेन्सियों द्वारा किए गए हैं लेकिन ये कार्य ब्याजधारियों द्वारा स्वयं अथवा किसी एजेन्सी से कराए जा रहे थे, इसके ब्यौरे इस मंत्रालय को ज्ञात नहीं हैं।

(ग) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्री के उपयोग के लिए किसी प्रकार के आवास के निर्माण पर अथवा मंत्रियों के कमरों/आवासों में फर्नीचर/फिटिंग की व्यवस्था पर, किसी भी प्रकार का व्यय करने के लिए इस मंत्रालय ने किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को प्राधिकृत नहीं किया है।

विवरण

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों दखल के बंगलों में केन्द्रीय लोक निर्माण

विभाग द्वारा आरम्भ किये नवीकरण/सुधारों पर सिविल/विद्युत व्यय को दर्शाने वाला विवरण। इस व्यय में परिवर्तन/परिवर्धन, सेवाओं की वृद्धि और सुरक्षा कार्य शामिल है। (इसमें वार्षिक मरम्मत विशेष मरम्मत और साज-सज्जा पर किया गया व्यय शामिल नहीं है।)।

क्र० सं०	बंगला संख्या	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	1-तीन मूर्ति मार्ग	101514	54266	125155
2.	1-त्याग राज मार्ग	342720	182147	9510
3.	1-राजा जी मार्ग	4962	—	—
4.	6-कुशक रोड़	105542	253262	20317
5.	5-सफदरजंग रोड़	116876	—	—
6.	14-तुगलक रोड़	1168	7054	—
7.	7-तीन मूर्ति मार्ग	15583	6699	—
8.	17-तीन मूर्ति मार्ग	101131	78927	—
9.	7-त्याग राज मार्ग	41800	85260	—
10.	4-कुशक रोड़	850477	25875	—
11.	15-तीन मूर्ति लेन	41373	—	—
12.	7-अकबर रोड़	26307	13326	7820
13.	19-तीन मूर्ति मार्ग	3947	—	—
14.	4-कृष्ण मेनन मार्ग	120031	78248	9510
15.	20-तुगलक क्रिसेन्ट	209046	—	—
16.	35-औरंगजेब रोड़	81769	97714	—
17.	17-अकबर रोड़	36756	47304	—
18.	9-अकबर रोड़	17774	30327	18965
19.	7-तुगलक लेन	34379	—	—
20.	3-सफदरजंग रोड़	29316	—	26608
21.	17-सफदरजंग रोड़	42736	15111	—
22.	23-तुलगक रोड़	3626	—	—
23.	3-सफदरजंग लेन	56329	—	—
24.	3-तीस जनवरी मार्ग	15167	—	—
25.	23-सफदरजंग रोड़	493	518161	4950
26.	3-अकबर रोड़	20750	234590	609127
27.	1-अकबर रोड़	26044	19696	—
28.	1-अकबर रोड़	98491	17360	—
29.	15-अशोक रोड़	114130	29232	—
30.	16-अकबर रोड़	104215	140379	24650

1	2	3	4	5
31.	17-विन्डसर प्लेस	22730	—	—
32.	4-जनपथ	52808	24012	—
33.	12-जनपथ	54845	84055	25706
34.	6-जनपथ	22778	92867	—
35.	16-जनपथ	49462	28284	—
36.	34-पृथ्वी राज रोड़	33535	152322	14882
37.	1-केनिंग लेन	158763	31191	—
38.	17-केनिंग लेन	26044	8074	—
39.	30-केनिंग लेन	55078	128751	—
40.	10-रायसीना रोड़	38439	2195	—
41.	3-हरिश चन्द्र माथुर मार्ग	89289	93775	—
42.	2-कृष्ण मेनन मार्ग	738	34981	—
43.	10-कृष्ण मेनन मार्ग	335000	46628	5100
44.	4-कृष्ण मेनन मार्ग	33949	—	—
45.	3-कृष्ण मेनन मार्ग	1020	—	31004
46.	2-जन्तर मन्तर रोड़	33079	—	—
47.	15-ए-बी मथुरा रोड़	22795	—	—
48.	10-डा॰ बी॰डी॰ मार्ग	130041	25622	—
49.	2-ए॰बी॰ पुराना किला रोड़	49533	—	—
50.	171-नार्थ एवेन्यू	26052	—	—
51.	20-कोपरनिक्स लेन	185963	67047	5210
52.	22-अशोक रोड़	973	—	—
53.	23-अशोक रोड़	158577	—	8294
54.	10-जनपथ	97494	37698	—
55.	सी-1/8 पंडारा रोड़	4090	—	—
56.	24-मोती लाल नेहरू मार्ग	209075	73982	—
57.	1-सुनहरी बाग रोड़	10395	—	1129
58.	95-शाहजहां रोड़	2806	—	—
59.	1-रेसकोर्स रोड़	300	—	—
60.	16-तुगलक रोड़	19970	—	13257
61.	1-मोती लाल नेहरू मार्ग	5441	—	—
62.	9-मोती लाल नेहरू मार्ग	19969	38142	8512
63.	10-अशोक रोड़	20131	192453	344329
64.	21-भगवान दास मार्ग	18361	256814	22134
65.	13-तालकटोरा रोड़	3330	98166	—

1	2	3	4	5
66.	34-औरंगजेब रोड़	—	37765	292625
67.	2-तीन मूर्ति लेन	—	8807	—
68.	77-लोदी एस्टेट	—	16600	32147
69.	7-सफदरजंग रोड़	—	7025	8994
70.	4-तीन मूर्ति मार्ग	—	653795	435678
71.	1-सरकुलर रोड़	—	26379	37427
72.	27-सफदरजंग रोड़	—	7250	—
73.	10-तुगलक रोड़	—	26328	—
74.	5-सफदरजंग लेन	—	21334	17680
75.	12-सफदरजंग लेन	—	9861	—
76.	14-अकबर रोड़	—	9000	6434
77.	14ए-बी पंडारा रोड़	—	3200	—
78.	2-मोती लाल नेहरू मार्ग	—	24982	—
79.	1-विलिंगडन क्रिसेन्ट	—	—	885638
80.	सी-11/19 हुमायुं रोड़	—	17618	79374
81.	11-रेस कोर्स रोड़	—	—	720
82.	18-अकबर रोड़	—	—	8994
83.	सी-1/7, पंडारा पार्क	—	44910	—
84.	2-मोती लाल नेहरू प्लेस	—	17707	—
85.	6-भगवान दास मार्ग	—	7269	—
86.	27-अशोक रोड़	—	78639	—
87.	11ए-बी पंडारा रोड़	—	13274	—
88.	31-फिरोजशाह रोड़	—	30705	—
89.	12-सफदरजंग रोड़	—	—	108155
90.	27-लोदी एस्टेट	—	—	8908
91.	19-तीन मूर्ति लेन	—	—	24286
92.	12-तीन मूर्ति लेन	—	—	10100
93.	11-सफदरजंग रोड़	—	—	38106
94.	7-लोदी एस्टेट	—	—	57942
95.	1-तीन मूर्ति लेन	—	—	128283
96.	11-अकबर रोड़	—	—	48989
97.	9-सफदरजंग रोड़	—	—	79845
98.	2-अकबर रोड़	—	—	196875
99.	9-तीन मूर्ति मार्ग	—	—	87829
100.	14-तीन मूर्ति लेन	—	—	59587

1	2	3	4	5
101.	5-तुगलक रोड़	—	—	20591
102.	19-भगवान दास मार्ग	—	—	129850
103.	3-सुनहरी बाग रोड़	—	—	57560
104.	1-मोती लाल नेहरू मार्ग	—	—	39234
105.	10-ए-बी॰ पंडारा रोड़	—	—	50937
106.	7-अशोक रोड़	—	—	183209
107.	4-डुप्ले लेन	—	—	57177
108.	6-जी॰आर॰जी॰ रोड़	—	—	141213
109.	5-जनपथ	—	—	20777
110.	5-अशोक रोड़	—	—	10223
111.	4-जन्तर मन्तर रोड़	—	—	23961
112.	5-डुप्ले रोड़	—	—	176110
113.	8-तालकटोर रोड़	—	—	158491
114.	सी-1/13 पंडारा मार्ग	—	—	9627
115.	83-लोदी एस्टेट	—	—	19550
116.	5-डा॰ भगवान दास मार्ग	—	—	128732
117.	5-बी॰आर॰एम॰ लेन	—	—	51263
118.	सी-1/19 पंडारा पार्क	—	—	51509
119.	57-लोदी एस्टेट	—	—	24819
120.	1-हरीश चन्द्र माथुर लेन	—	—	7025
121.	7-महादेव रोड़	—	—	46561
122.	16-डा॰ राजेन्द्र प्रसाद रोड़	—	—	8203
123.	96ए-बी शाहजहां रोड़	—	—	24326
124.	2-तुगलक रोड़	—	—	29679
125.	4-साउथ एवेन्यू लेन	—	—	53438
126.	9-तुगलक रोड़	—	—	8873

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड से अपशिष्ट पदार्थ का निकास

3264. **श्री पी॰सी॰ थामस:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के केरल में एर्णाकुलम जिले में तिरूवनकुलम पंचायत में चितिराजपूजा नदी में जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन से निकलने वाले

अपशिष्ट पदार्थ और रसायनों के कारण उक्त नदी के दोनों और पड़ी गैर खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस तरह निरंतर नुकसान उठा रहे इस भूमि के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि कंपनी द्वारा कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं फेंके जा रहे हैं और कंपनी ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण यंत्र भी लगा दिए हैं इसलिए भूमि के मालिकों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

बंगलौर शहर के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

3265. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बंगलौर शहर के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह सहायता कब तक दे दी जायेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने 51.7 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से बंगलौर में मलिन बस्तियों के उन्नयन के लिये एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें बंगलौर नगर में 6.86 लाख आबादी को शामिल करते हुये 349 मलिन बस्तियों को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है। वित्तीय सहायता हेतु यह परियोजना नीदरलैंड सरकार को अग्रेषित कर दी गई है। नीदरलैंड सरकार से अभी तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना के लिए आवेदन

3266. **श्री मानवेंद्र शाह:**
श्री चेतन पी॰एस॰ चौहान:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना के कितने आवेदन विचाराधीन हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में स्थित चीनी मिलों की वर्तमान क्षमता राज्य में उत्पादित 30 प्रतिशत गन्ने की खपत की है;

(ग) राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए आवेदनों की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) 30.9.91 को उत्तर प्रदेश राज्य में नई चीनी

मिलें स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु 202 आवेदन पत्र खाद्य मंत्रालय के पास लंबित थे।

(ख) उत्तर प्रदेश में चीनी वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान चीनी उत्पादन के लिए गन्ने की क्षमता इस प्रकार रही है:

गन्ना वर्ष	गन्ने की उपयोगिता का %
1987-88	32.2
1988-89	27.4
1989-90	34.2

(ग) और (घ) चीनी वर्ष 1991-92 और आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93—1996-97) के लिए चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति संबंधी निर्देशों में हाल ही में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त आवेदनों सहित सभी लंबित आवेदनों पर संशोधित नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजनाओं पर किया गया व्यय

3267. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर वर्ष-वार और योजना-वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय पूंजी निवेश योजना

3268. **श्री साईमन मरान्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के ऐसे लघु उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त योजना के अन्तर्गत राजसहायता के लिए आवेदन किया है;

(ग) इनको अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी परियोजनाओं की स्थापना करने में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस मामले में अनेक एककों द्वारा कोई प्रगति न किये जाने के क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰जे॰कुरियन): (क) से (घ) 6 अगस्त, 1991 को छोटे,

लघु और ग्रामीण उद्यमों के संवर्धन और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए घोषित नीतिगत उपायों जिनमें ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास (प्रौद्योगिकी बैक-अप सेवा सहित) की नई योजना शामिल है, को देखते हुए सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु पैमाने के एककों के लिए केन्द्रीय निवेश राजसहायता की एक योजना शुरू की जाए।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3269. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरीः**
श्री बलराज पासीः
डा॰ लालबहादुर रावलः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के नैनीताल, पौड़ी/चमोली और अलीगढ़ जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) उपलब्ध सूचनानुसार, उत्तर प्रदेश में 7634 चावल मिलें तथा 74 लाइसेंस-प्राप्त आटा मिलें हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में फल उत्पाद आदेश, 1995 के अन्तर्गत लाइसेंस-प्राप्त 426 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एकक है। मार्डन फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने डबलरोटी बनाने की एक इकाई कानपुर में तथा दो फ्रैनचाइज्ड इकाइयां आगरा और रुड़की में लगाई हुई हैं। अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग लिमिटेड, अलीगढ़ की ओर से और अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इस प्रयोजनार्थ उनको वर्ष 1990-91 के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी। खुम्बी प्रसंस्करण इकाई को नैनिताल में स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, बीयर तैयार करने संबंधी 22 आवेदन तथा पेय अल्कोहल तैयार करने संबंधी 14 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे संबंधित एकक उत्तर प्रदेश के नैनिताल, पौड़ी/चमोली एवं अलीगढ़ जिलों में स्थापित किये जाने हैं।

डाटा प्रोसेसिंग संबंधी सम्मेलन

3270. **श्रीमती दिल कुमारीः** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेशनल सैम्पल सर्वे का एक अखिल भारतीय डाटा प्रोसेसिंग सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था;

(ग) इस सम्मेलन में चर्चित विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) (क) जी, हां।

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिन्होंने सम्मेलन म भाग लिया, है—आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा पांडिचेरी।

(ग) तथा (घ): सम्मेलन ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 47वें दौर के संबन्ध में आंकड़ा संसाधन की प्रणालियों तथा पद्धतियों, संवीक्षा जांचों और सोफ्टवेयर उपलब्धता जैसे तकनीकी विषयों पर चर्चा की। सर्वेक्षण के इस दौर से आंकड़ों की संसाधन पद्धतियों को अन्तिम रूप दिया गया।

भविष्य निधि धारकों के लिए पेंशन योजना

3271. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए पेंशन योजना आरंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में 58 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति तथा सेवा काल के दौरान स्थायी अंगहानि अथवा मृत्यु के मामले में पेंशन की अदायगी की व्यवस्था है।

घनोआ समिति

3272. **श्री यशवन्त राव पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद फरीदाबाद में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए घनोआ समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी माना है कि राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन-निर्माण सामग्री परिषद् (एन०सी०सी०बी०एम०) ने सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त आधार तैयार कर लिया है। समिति का यह भी मानना है कि जबकि संपर्ण कार्मिक नीति और राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन-निर्माण

सामग्री परिषद् में इसका कार्यान्वयन अच्छी बात है। फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं और कर्मचारियों में कुछ बातों पर असंतोष है और इन्हें दूर किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) एन॰सी॰बी॰के॰ निदेशक मंडल के एक संकल्प के अनुपालन में, सरकार ने घनोआ समिति नियुक्त की थी और इसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल को सौंप दी गई है।

[हिन्दी]

राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

3273. श्री सत्य नारायण जटिया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 के दौरान देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हर महीने उपलब्ध करायी गई वस्तुओं के आवंटन और वितरण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के मासवार तथा राज्यवार आवंटन और उनकी उठाई गई मात्रा के विवरण 1 से 5 पर दिए गए हैं।

विवरण-1

अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक चावल का मासवार तथा राज्यवार आबंटन की उठाई गई मात्रा

वस्तु: चावल　　　　वर्ष: 1991　　　　(आंकड़े मी॰टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल		मई		जून	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
आंध्र प्रदेश	217000	205700	217000	188900	217000	234100
अरुणाचल प्रदेश	12000	9500	12400	9000	8000	7200
असम	35300	31200	40300	33100	35300	36800
बिहार	8000	3400	8000	3900	8000	6500
गोवा	4000	4300	4500	4300	4500	4400
गुजरात	24000	26200	24000	26100	24000	24500
हरियाणा	3000	1300	3000	1600	3000	1300
हिमाचल प्रदेश	6500	4300	6500	5600	6500	5300
जम्मू व कश्मीर	35000	14900	35000	20600	35000	18000
कर्नाटक	48000	39600	48000	44500	48000	43600
केरल	142500	136000	142500	148700	142500	140700
मध्य प्रदेश	21000	18900	21000	19200	21000	18600
महाराष्ट्र	45000	48100	45000	38900	45000	43800

वस्तुः चावल वर्षः 1991 (आंकड़े मी०टन में)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल		मई		जून	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
मणिपुर	7000	6900	7000	2500	7000	3200
मेघालय	10000	9000	10000	13000	10000	5900
मिजोरम	9000	6900	9000	7700	7500	6300
नागालैंड	12250	10000	15250	8800	15250	14800
उड़ीसा	24000	18000	24000	22500	26000	18800
पंजाब	1500	200	1500	300	1500	400
राजस्थान	3200	1000	3200	1600	3200	900
सिक्किम	4500	4000	4500	4000	4500	3300
तमिलनाडु	99480	100700	75000	73800	75000	63400
त्रिपुरा	12850	14700	22850	12700	12850	10900
उत्तर प्रदेश	25000	24000	32500	24100	27500	27900
पश्चिम बंगाल	65000	50100	65000	50900	69000	55400
अंडमान व निकोबार	4500	शून्य	शून्य	200	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	400	400	400	400	400	300
दादर व नगर हवेली	500	शून्य	500	100	500	शून्य
दमन व दीव	450	शून्य	450	100	450	200
दिल्ली	20000	14300	20000	13300	20000	11000
लक्षद्वीप	शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	2000	300	2000	300	2000	300

वस्तुः चावल वर्ष 1991 (आंकड़े मी०टन में)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अगस्त	
	आ०	उ०	आ०	उ०
आंध्र प्रदेश	217000	218900	230000	218800
अरुणाचल प्रदेश	8000	7600	11000	6500
असम	40300	40700	40300	34200
बिहार	8000	5800	15000	6500
गोवा	4500	4100	5500	4900

वस्तुः चावल	वर्ष 1991			(आंकड़े मीट्टन में)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अगस्त	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
गुजरात	28000	27100	31000	28200
हरियाणा	3000	1500	4000	2600
हिमाचल प्रदेश	6500	3500	7150	7500
जम्मू व कश्मीर	40000	16300	43500	24000
कर्नाटक	48000	45200	56000	52800
केरल	142500	145600	162500	191700
मध्य प्रदेश	25000	19300	34000	22400
महाराष्ट्र	45000	52700	45300	52000
मणिपुर	7000	6200	10000	5700
मेघालय	10000	8500	13000	9300
मिजोरम	7500	6900	10500	7500
नागालैंड	11250	15900	12250	7300
उड़ीसा	29000	16900	45500	30300
पंजाब	1500	200	2000	600
राजस्थान	3200	1800	4200	2900
सिक्किम	4500	4900	5500	4500
तमिलनाडु	75000	74000	81000	90200
त्रिपुरा	12850	10800	15850	12800
उत्तर प्रदेश	30000	34700	35000	30900
पश्चिम बंगाल	69000	53900	81000	60900
अंडमान व निकोबार	4500	2700	शून्य	800
चंडीगढ़	400	400	2000	400
दादर व नगर हवेली	500	200	1000	शून्य
दमन व दीव	450	400	1000	शून्य
दिल्ली	20000	15400	27000	11900
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	2000	शून्य	3000	शून्य

वस्तु: चावल (आंकड़े मी०टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर		अक्तूबर	
	आ०	उ०	आ०	उ०
आंध्र प्रदेश	230000	196500	280000	173800
अरूणाचल प्रदेश	11000	6000	7500	6300
असम	40300	38200	42300	40600
बिहार	15000	6800	15000	9900
गोवा	5500	3900	5500	4100
गुजरात	31000	22900	31000	24100
हरियाणा	4000	2600	4000	3000
हिमाचल प्रदेश	7150	7200	7150	6100
जम्मू व कश्मीर	43500	12900	43500	32700
कर्नाटक	56000	54100	56000	53800
केरल	150000	135600	150000	146600
मध्य प्रदेश	34000	22800	34000	23500
महाराष्ट्र	52000	52400	53000	61800
मणिपुर	10000	3400	10500	4700
मेघालय	13000	5400	14000	10100
मिजोरम	10500	6800	10000	6700
नागालैंड	12250	6800	13250	15000
उड़ीसा	40500	31800	40500	28200
पंजाब	2000	700	2000	800
राजस्थान	4200	2700	4200	3100
सिक्किम	5500	4500	5500	5400
तमिलनाडु	81000	65300	81000	94100
त्रिपुरा	15850	14400	16850	10200
उत्तर प्रदेश	35000	31800	35000	37000
पश्चिम बंगाल	87000	60900	83000	72500
अंडमान व निकोबार	शून्य	1700	4500	1200
चंडीगढ़	2000	800	2000	200
दादरा व नगर हवेली	1000	शून्य	1000	शून्य
दमन व दीव	1000	शून्य	1000	शून्य
दिल्ली	27000	16800	27000	22900

वस्तुः चावल (आंकड़े मी०टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर		अक्तूबर	
	आ०	उ०	आ०	उ०
लक्षद्वीप	6300	शून्य	शून्य	1100
पांडिचेरी	3000	100	3000	400

आ०—आवंटन
उ०—उठाई गई मात्रा

विवरण-II

अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक गेहूं का मासवार तथा राज्यवार आवंटन और उसकी उठाई गई मात्रा

वस्तुः गेहूं वर्षः 1991 (आंकड़े मी०टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल		मई		जून	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
आंध्र प्रदेश	40000	12400	40000	6100	20000	9900
अरूणाचल प्रदेश	1000	900	1000	1200	800	400
असम	35000	23800	35000	23000	20000	10700
बिहार	55000	42900	55000	36300	42000	43500
गोवा	5000	3200	5000	2700	3500	3000
गुजरात	100000	61700	125000	84200	65000	69200
हरियाणा	30000	7900	30000	300	10000	600
हिमाचल प्रदेश	12000	10900	12000	12000	10000	9400
जम्मू व कश्मीर	20000	11200	20000	5400	20000	11600
कर्नाटक	45000	34000	45000	37400	40000	34000
केरल	30000	28000	30000	29500	30000	28000
मध्य प्रदेश	60000	26200	60000	23400	30000	20900
महाराष्ट्र	120000	110200	120000	104500	105000	110200
मणिपुर	3000	3200	3000	2400	3000	1300
मेघालय	2500	1600	2500	4100	2500	1500
मिजोरम	1250	1300	1250	900	1250	1300
नागालैंड	7000	11400	8000	5800	10000	3400
उड़ीसा	35000	24400	35000	28700	25000	20100
पंजाब	25000	शून्य	25000	100	5000	100

वस्तुः गेहूं वर्षः 1991 (आंकड़े मी०टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल		मई		जून	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
राजस्थान	105000	72700	100000	66200	70000	55900
सिक्किम	600	400	600	400	600	200
तमिलनाडु	30000	19100	30000	9100	30000	14400
त्रिपुरा	2500	400	2500	800	2500	700
उत्तर प्रदेश	85000	47500	85000	41200	50000	28800
पश्चिम बंगाल	100000	67000	100000	81500	90000	77900
अंडमान व निकोबार	2100	300	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	3000	3000	3000	600	1800	1600
दादरा व नगर हवेली	200	शून्य	200	शून्य	200	शून्य
दमन व दीव	150	शून्य	150	शून्य	150	100
दिल्ली	75000	60700	75000	53800	72000	46800
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	750	शून्य	750	शून्य	750	शून्य

वस्तुः गेहूं वर्ष 1991 (आंकड़े मी०टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अगस्त	
	आ०	उ०	आ०	उ०
आंध्र प्रदेश	20000	12400	20000	11300
अरुणाचल प्रदेश	800	400	800	700
असम	20000	24300	30000	26800
बिहार	42000	42600	42000	41300
गोवा	3500	3200	3500	3500
गुजरात	65000	56300	65000	60300
हरियाणा	10000	600	10000	9100
हिमाचल प्रदेश	10000	6200	10000	8200
जम्मू व कश्मीर	20000	13500	20000	17700
कर्नाटक	40000	36800	40000	36400
केरल	30000	29800	30000	30300
मध्य प्रदेश	30000	26100	30000	31000
महाराष्ट्र	120000	135000	120000	125500
मणिपुर	3000	3000	3000	3200

वस्तुः गेहूं वर्ष 1991 (आंकड़े मी॰टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अगस्त	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
मेघालय	2500	3900	2500	1800
मिजोरम	1250	2000	1250	800
नागालैंड	6000	6300	6000	9100
उड़ीसा	25000	17700	25000	28000
पंजाब	5000	100	5000	1300
राजस्थान	70000	62000	70000	65900
सिक्किम	600	200	600	400
तमिलनाडु	30000	19100	30000	19700
त्रिपुरा	2500	1600	2500	2600
उत्तर प्रदेश	50000	98300	50000	41100
पश्चिम बंगाल	90000	69900	90000	83400
अंडमान व निकोबार	2100	शून्य	शून्य	शून्य
चंडीगढ़	1800	1800	1800	1800
दादरा व नगर हवेली	200	शून्य	200	शून्य
दमन व दीव	150	शून्य	150	शून्य
दिल्ली	72000	69900	72000	43100
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	750	शून्य	750	शून्य

वस्तुः गेहूं वर्ष 1991

(आंकड़े मी॰टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर		अक्तूबर	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
आंध्र प्रदेश	20000	12000	20000	12400
अरुणाचल प्रदेश	800	900	800	300
असम	30000	35100	30000	27100
बिहार	47000	43200	47000	49100
गोवा	3500	2100	3500	3400
गुजरात	65000	70400	67000	51300
हरियाणा	10000	9100	30000	11100
हिमाचल प्रदेश	10000	11400	10000	7500
जम्मू व कश्मीर	20000	12900	20000	8900
कर्नाटक	40000	34200	40000	37900
केरल	30000	29400	30000	30100

वस्तुः गेहूं वर्ष 1991

(आंकड़े मीट्रन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सितम्बर		अक्तूबर	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
मध्य प्रदेश	30000	33900	35000	35400
महाराष्ट्र	120000	121000	121000	127500
मणिपुर	3000	2100	3000	5200
मेघालय	2500	1700	2500	2700
मिजोरम	1250	1000	1250	1400
नागालैंड	6000	7100	6000	4700
उड़ीसा	25000	24500	25000	25700
पंजाब	5000	4900	25000	16800
राजस्थान	75000	72300	75000	73200
सिक्किम	600	400	600	400
तमिलनाडु	30000	19900	30000	23500
त्रिपुरा	2500	2100	2500	1100
उत्तर प्रदेश	50000	46300	55000	51300
पश्चिम बंगाल	90000	83400	90000	69600
अंडमान व निकोबार	शून्य	200	2100	800
चंडीगढ़	1800	1800	1800	1000
दादरा व नगर हवेली	200	शून्य	200	शून्य
दमन व दीव	150	शून्य	150	शून्य
दिल्ली	72000	63200	72000	77000
लक्षद्वीप	200	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	750	शून्य	750	शून्य

आ॰ - आबंटन

उ - उठाई गई मात्रा

विवरण-III

अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक लेवी चीनी का माहवार तथा राज्यवार आवंटन और उसकी उठाई गई मात्रा

वस्तु: लेवी चीनी वर्ष: 1991 (आंकड़े मी॰ टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल	मई	जून	जुलाई
	आवंटन	आवंटन	आवंटन	आवंटन
आंध्र प्रदेश	25281	25281	25281	25281
अरूणाचल प्रदेश	314	314	314	314
असम	9617	9617	9617	9617
बिहार	33459	33459	33459	33459
गोवा	500	500	500	500
गुजरात	16194	16194	16194	16194
हरियाणा	6386	6386	6386	6386
हिमाचल प्रदेश	2019	2019	2019	2019
जम्मू व कश्मीर	3318	2884	2884	2884
कर्नाटक	17769	17769	17769	17769
केरल	11953	11953	11953	11953
मध्य प्रदेश	25031	25031	25031	25031
महाराष्ट्र	29938	29938	29938	29938
मणिपुर	694	694	694	694
मेघालय	662	662	662	662
मिज़ोरम	261	261	261	261
नागालैण्ड	426	426	426	426
उड़ीसा	12393	12393	12393	12393
पंजाब	7945	7945	7945	7945
राजस्थान	16914	16914	16914	16914
सिक्किम	165	165	165	165
तमिलनाडु	22547	22547	22547	22547
त्रिपुरा	1001	1001	1001	1001
उत्तर प्रदेश	52926	52926	52926	52926
पश्चिम बंगाल	25888	25888	25888	25888
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	247	247	247	247
चण्डीगढ़	372	372	372	372
दादरा तथा नगर हवेली	51	51	51	51
दमन व दीव	39	39	39	39
दिल्ली	8721	8721	8721	8721
लक्षद्वीप	62	71	71	82
पांडिचेरी	400	400	400	400

लेवी की चीनी की लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अगस्त आबंटन	सितंबर आबंटन	अक्तूबर आबंटन
आंध्र प्रदेश	25281	27809	30352
अरूणाचल प्रदेश	314	380	360
असम	9617	10579	11994
बिहार	33459	36805	39662
गोवा	500	625	525
गुजरात	16194	20253	19443
हरियाणा	6386	7024	8629
हिमाचल प्रदेश	2019	2221	2424
जम्मू व कश्मीर	2884	3172	3466
कर्नाटक	17769	20895	20657
केरल	13753	14949	12551
मध्य प्रदेश	25031	27535	30051
महाराष्ट्र	34952	32932	35435
मणिपुर	694	764	789
मेघालय	662	728	795
मिजोरम	261	287	313
नागालैण्ड	426	468	447
उड़ीसा	12393	15498	14878
पंजाब	7945	8739	9534
राजस्थान	16914	18606	20306
सिक्किम	165	181	193
तमिलनाडु	22547	24801	27069
त्रिपुरा	1001	1403	1051
उत्तर प्रदेश	52926	58218	63540
पश्चिम बंगाल	25888	28476	31978
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	247	271	289
चण्डीगढ़	372	418	503
दादरा तथा नगर हवेली	51	57	68
दमन व दीव	39	43	53
दिल्ली	8721	9593	11473
लक्षद्वीप	71	79	75
पांडिचेरी	412	440	470

लेवी चीनी की लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

विवरण-IV

अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक आयातित खाद्य तेल का माहवार तथा राज्यवार आवंटन और उसकी उठाई गई मात्रा

आयातित खाद्य तेल (योग) वर्ष: 1991   (आंकड़े मी॰ टन में)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल		मई		जून		जुलाई	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
आंध्र प्रदेश	शून्य	1201	शून्य	285	860	160	100	560
अरूणाचल परदेश	शून्य	24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
असम	शून्य	शून्य	शून्य	30	शून्य	शून्य	शून्य	135
बिहार	शून्य	406	शून्य	365	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गोवा	शून्य	217	शून्य	शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य
गुजरात	शून्य	1421	शून्य	शून्य	शून्य	359	शून्य	636
हरियाणा	शून्य	304	शून्य	171	शून्य	95	शून्य	शून्य
हिमाचल प्रदेश	150	209	शून्य	263	500	63	शून्य	शून्य
जम्मू व कश्मीर	शून्य	193	शून्य	213	शून्य	100	300	शून्य
कर्नाटक	शून्य	222	शून्य	शून्य	560	194	शून्य	359
केरल	शून्य	298	शून्य	16	560	300	शून्य	234
मध्य प्रदेश	शून्य	1692	शून्य	1214	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	शून्य	1773	शून्य	7	600	600	शून्य	1112
मणिपुर	शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मेघालय	शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	शून्य
मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	21	200	शून्य	400	200
नागालैण्ड	400	244	400	20	200	220	शून्य	300
उड़ीसा	शून्य	1335	शून्य	39	220	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब	शून्य	420	शून्य	166	शून्य	46	शून्य	शून्य
राजस्थान	शून्य	260	शून्य	70	शून्य	75	शून्य	शून्य
सिक्किम	शून्य	101	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	400	374	शून्य	353	275	शून्य	शून्य	275
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	188	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	102	शून्य	306	शून्य	357
पश्चिम बंगाल	शून्य	2079	600	282	शून्य	194	शून्य	78
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	200	200	शून्य	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चण्डीगढ़	शून्य	54	शून्य	35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दादरा तथा नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	60	शून्य
दमन व दीव	शून्य	16	शून्य	शून्य	90	शून्य	शून्य	75
दिल्ली	शून्य	906	शून्य	161	500	164	शून्य	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लक्षद्वीप	75	10	शून्य	55	75	20	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	100	शून्य	100	100	शून्य	100

अ-आवंटन
उ-उठाई गई मात्रा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर	
	आ०	उ०	आ०	उ०	आ०	उ०
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	शून्य	240	शून्य	शून्य	1500	शून्य
अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50	शून्य
असम	150	35	शून्य	13	200	शून्य
बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1500	शून्य
गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	300	शून्य
गुजरात	100	शून्य	शून्य	300	1500	शून्य
हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	600	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य	210	शून्य	255	500	शून्य
जम्मू व कश्मीर	शून्य	205	75	95	500	75
कर्नाटक	100	शून्य	शून्य	शून्य	1200	244
केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1000	शून्य
मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1200	शून्य
महाराष्ट्र	100	65	शून्य	शून्य	2000	शून्य
मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	शून्य
मेघालय	शून्य	185	शून्य	शून्य	200	शून्य
मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	शून्य
नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	8	200	शून्य
उड़ीसा	शून्य	134	शून्य	शून्य	1000	शून्य
पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	700	शून्य
राजस्थान	शून्य	193	शून्य	40	700	शून्य
सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	150	शून्य
तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1500	2311
त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	शून्य
उत्तर प्रदेश	शून्य	61	शून्य	शून्य	1500	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1500	शून्य
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100	शून्य
चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100	शून्य
दादरा तथा नगर हवेली	शून्य	15	शून्य	शून्य	50	शून्य
दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50	शून्य
दिल्ली	शून्य	694	शून्य	149	1550	शून्य

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	25	शून्य
पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	200	150

आ-आवंटन
उ-उठाई गई मात्रा

विवरण-V

अप्रैल, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक मिट्टी के तेल का मासवार तथा राज्यवार आवंटन और उसकी उठाई गई मात्रा

वस्तुः मिट्टी का तेलः   वर्षः 1991   (आंकड़े मी॰ टन में)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल		मई		जून	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
आन्ध्र प्रदेश	44737	43446	44737	43186	44737	45300
अरूणाचल प्रदेश	733	706	833	859	733	728
असम	18795	18977	20795	21133	18795	18757
बिहार	37677	37519	37677	37702	37677	37497
गोवा	1947	1941	1947	1947	1947	1945
गुजरात	62081	62269	62081	62196	62081	61948
हरियाणा	11936	11863	11936	11893	11936	11788
हिमाचल प्रदेश	2522	2445	2522	2431	2522	2411
जम्मू व कश्मीर	4344	4340	4344	4600	4344	4331
कर्नाटक	34256	33826	34256	34437	34256	34375
केरल	20229	19666	20229	19880	20229	19961
मध्य प्रदेश	31013	29215	31013	30193	31013	30452
महाराष्ट्र	114458	112386	114458	112685	114458	114471
मणिपुर	1600	1604	1600	1614	1600	1637
मेघालय	1161	1142	1161	1166	1161	1163
मिजोरम	519	556	519	552	519	540
नागालैण्ड	797	799	897	871	797	799
उड़ीसा	11960	12020	11960	11893	11960	11873
पंजाब	25081	24690	25081	24994	25081	24779
राजस्थान	20395	20104	20395	19665	20395	19544
सिक्किम	439	442	539	541	439	438
तमिलनाडु	51028	50262	51028	50839	51028	50376
त्रिपुरा	1455	1473	1955	1882	1455	1474
उत्तर प्रदेश	72040	72316	72040	72411	72040	72109
पश्चिम बंगाल	60412	60494	60412	61656	60412	59636

1	2	3	4	5	6	7
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	257	257	307	307	257	258
चण्डीगढ़	1535	1502	1535	1453	1535	1322
दादरा व नगर हवेली	155	162	155	155	155	155
दमन व दीव	241	253	241	188	241	203
दिल्ली	18137	18350	18137	17864	18137	17772
लक्षद्वीप	80	0	80	0	80	0
पांडिचेरी	1097	1070	1097	1058	1097	1104

आ-आबंटन
उ॰-उठाई गई मात्रा

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर	
	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰	आ॰	उ॰
आंध्र प्रदेश	46440	उ॰न॰	46440	उ॰न॰	46440	उ॰न॰	46440	उ॰न॰
अरुणाचल प्रदेश	679	उ॰न॰	679	उ॰न॰	679	उ॰न॰	679	उ॰न॰
असम	19541	उ॰न॰	19541	उ॰न॰	19541	उ॰न॰	19541	उ॰न॰
बिहार	39397	उ॰न॰	39297	उ॰न॰	39297	उ॰न॰	39297	उ॰न॰
गोवा	2337	उ॰न॰	2337	उ॰न॰	2337	उ॰न॰	2337	उ॰न॰
गुजरात	60887	उ॰न॰	60887	उ॰न॰	60887	उ॰न॰	60887	उ॰न॰
हरियाणा	12397	उ॰न॰	12397	उ॰न॰	12397	उ॰न॰	12397	उ॰न॰
हिमाचल प्रदेश	3071	उ॰न॰	3071	उ॰न॰	3071	उ॰न॰	3071	उ॰न॰
जम्मू व कश्मीर	5061	उ॰न॰	5061	उ॰न॰	5061	उ॰न॰	5061	उ॰न॰
कर्नाटक	35638	उ॰न॰	35638	उ॰न॰	35638	उ॰न॰	35638	उ॰न॰
केरल	21529	उ॰न॰	21529	उ॰न॰	21529	उ॰न॰	21529	उ॰न॰
मध्य प्रदेश	29504	उ॰न॰	29504	उ॰न॰	29504	उ॰न॰	29504	उ॰न॰
महाराष्ट्र	122058	उ॰उ॰	122058	उ॰न॰	122058	उ॰न॰	122058	उ॰न॰
मणिपुर	1508	उ॰न॰	1508	उ॰न॰	1508	उ॰न॰	1508	उ॰न॰
मेघालय	1246	उ॰न॰	1246	उ॰न॰	1246	उ॰न॰	1246	उ॰न॰
मिज़ोरम	345	उ॰न॰	345	उ॰न॰	345	उ॰न॰	345	उ॰न॰
नागालैण्ड	762	उ॰न॰	762	उ॰न॰	762	उ॰न॰	762	उ॰न॰
उड़ीसा	12671	उ॰न॰	12671	उ॰न॰	12671	उ॰न॰	12671	उ॰न॰
पंजाब	27258	उ॰न॰	27258	उ॰न॰	27258	उ॰न॰	27258	उ॰न॰
राजस्थान	21118	उ॰न॰	21118	उ॰न॰	21118	उ॰न॰	21118	उ॰न॰
सिक्किम	384	उ॰न॰	384	उ॰न॰	384	उ॰न॰	384	उ॰न॰
तमिलनाडु	53464	उ॰न॰	53464	उ॰न॰	53464	उ॰न॰	53464	उ॰न॰
त्रिपुरा	1436	उ॰न॰	1436	उ॰न॰	1436	उ॰न॰	1436	उ॰न॰
उत्तर प्रदेश	76441	उ॰न॰	76441	उ॰न॰	76441	उ॰न॰	76441	उ॰न॰
पश्चिम बंगाल	57410	उ॰न॰	57410	उ॰न॰	57410	उ॰न॰	57410	उ॰न॰
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	312	उ॰न॰	312	उ॰न॰	312	उ॰न॰	312	उ॰न॰
चण्डीगढ़	1697	उ॰न॰	1697	उ॰न॰	1697	उ॰न॰	1697	उ॰न॰
दादरा व नगर हवेली	312	उ॰न॰	312	उ॰न॰	312	उ॰न॰	312	उ॰न॰

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दमन व दीव	239	उ॰न॰	239	उ॰न॰	239	उ॰न॰	239	उ॰न॰
दिल्ली	18779	उ॰न॰	18779	उ॰न॰	18779	उ॰न॰	18779	उ॰न॰
लक्षद्वीप	71	उ॰न॰	71	उ॰न॰	71	उ॰न॰	71	उ॰न॰
पांडिचेरी	1068	उ॰न॰	1068	उ॰न॰	1068	उ॰न॰	1068	उ॰न॰

आ॰-आवंटन
उ॰-उठाई गई मात्रा
उ॰न॰-उपलब्ध नहीं

दिल्ली में भवनों के पट्टे रद्द करना

3274. **श्री जनार्दन मिश्रः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में भवनों के पट्टे रद्द कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और उन भवनों की संख्या कितनी है जिनके पट्टे रद्द कर दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और भवनों के पट्टे रद्द करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) (क) जी, हां।

(ख) उन भवनों के ब्यौरे जिनकी लीज दिल्ली विकास प्राधिकरण / दिल्ली नगर निगम तथा भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा रद्द की गई हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं, लीज को रद्द करने के कारणों में, अनधिकृत निर्माण, भू-उपयोग में परिवर्तन, अनधिकृत बिक्री, निश्चित समयावधि के भीतर भवनों का निर्माण न करना, भूमि-किराए की अदायगी न करना तथा लीज डीड के किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन न करना शामिल है।

(ग) तथा (घ): जैसे ही लीज की शर्तों के उल्लंघन करने की कोई बात ध्यान में आती है लीज को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमि की लीज रद्द करने के बारे में दर्शाने वाला विवरण

	मामलों की संख्या
I. आवासीय	
(क) 1. पीतमपुरा	5
2. सफदरजंग	9
3. ईस्ट आफ कैलाश	1
4. मस्जिद मोठ	5
5. मालवीय नगर	1
6. यमुना विहार	17
7. विकास पुरी	2
8. नारायणा	1

	मामलों की संख्या
(ख) ओल्ड रेवन्यू एस्टेट	
1. बस्ती रैगर	71
2. सफदरजंग रिज	12
3. नाईवाला	32
4. जीबी रोड	1
5. बीबी रोड	2
6. चिराग दिल्ली	10
7. करोल बाग	5
8. चिराग सुमाली	1
9. बस्ती रैगर	53
10. पहाड़गंज	9
11. झण्डेवालान	53
12. दरिया गंज	2
(ग) सहकारी समितियां	
1. राज नगर	6
2. जनता	2
3. महारानी बाग	1
4. वर्धमान	1
5. गुलमोहर पार्क	1
6. सुप्रीम कोर्ट	2
7. राजधानी (पीतमपुरा)	19
8. सराय दुलयाना	9
9. ए॰जी॰सी॰आर॰	2
10. पंजतानी	1
11. डी॰आई॰खान॰	3
12. प्रीत विहार	1
13. सदाना	2
14. डी गाजी खान	1
15. मिनिस्ट्रि आफ वर्क्स एंड हाउसिंग निर्माण विहार	4
16. श्रेहा	1
17. डिस्प्लेस्ट जैन	1
18. विवेकानन्द पुरी (डी॰सी॰एम॰)	1
19. पी॰एन॰बी॰	1
20. भटनागर	2
21. भाती	2
22. न्यू फ्रैन्डस	5
23. कोहट	2

	मामलों की संख्या
24. एविएशन इम्पलाईज	7
25. यू०पी० समाज	1
26. पंचशील	1
27. वसंत विहार	11
28. गुजरावाला	2
29. जी०एस०टी० गवर्मेंट स्कूल टीचर्स	1
30. आदर्श भवन	1
(घ) रोहिणी आवासीय योजना	132
II. औद्योगिक	
I. वजीरपुर	17
ओखला (फेस-I)	3
ओखला (फेस-II)	2
लारेंस रोड	2
नारायणा	6
जी०टी० करनाल रोड	3
कीर्ति नगर	4
राजस्थानी को०ओप०	10
III. वाणिज्यिक सम्पदाएं (दुकानें)	
शालीमार बाग ए / एल पाकेट	1
पीतमपुरा सैन्ट्रल मार्किट	1
आर० पी० पीतम पुरा	3
जनकपुरी (सी-4 / एफ)	1
जी-8, एरिया राजौरी गार्डन	1
जनकपुरी सी-4 / डी	1
राजौरी गार्डन	1
वाणिज्यिक भूखंड	
टैगोर गार्डन	1
नेहरु प्लेस	2
वसंत विहार	7
वजीरपुर रेजि० (फेस-I)	5
वजीरपुर रेजि० (फेस-II)	1
वजीरपुर इंड० (फेस-I)	4
वजीरपुर इंड० (फेस-II)	4
जमरूदपुर	3
इस्ट आफ कैलाश	3
नारायणा	2
प्रीत विहार	3

	मामलों की संख्या
कालकाजी	2
पश्चिम विहार	11
अशोक विहार	1
दिलशाद गार्डन	1
युसुफ सराय	1
जनकपुरी	1
झिलमिल	1
मुखर्जी नगर	2
योगः	625

भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा रद्द की गई लीजों को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	क्षेत्र	भवनों की संख्या
1.	निजामुद्दीन	21
2.	जंगपुरा	4
3.	न्यू राजेन्द्र नगर	4
4.	ओल्ड राजेन्द्र नगर	11
5.	रमेश नगर	10
6.	तिलक नगर	22
7.	झिल-खुरंजा	5
8.	लाजपत नगर	3
9.	मोती नगर	3
10.	वैस्ट पटेल नगर	17
11.	ईस्ट पटेल नगर	12
12.	साऊथ पटेल नगर	4
13.	डिफैंस कालोनी	2
14.	मालवीय नगर	9
15.	विजय नगर	2
16.	तिहाड़-1	11
17.	कालका जी	27
	योगः	167

दिल्ली नगर निगम द्वारा रद्द की गई लीजों को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	क्षेत्र / कालोनी	भवनों की संख्या
1.	टैगोर गार्डन	6
2.	विशाल इन्क्लैव	19
3.	पंचवटी कालोनी (भरोला वाला बाग)	3
4.	नावल्टी सिनेमा	1
	योगः	29

[अनुवाद]

तमिलनाडु का औद्योगिकीकरण

†3275. श्री सी॰ के॰ कुप्पुस्वामी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिकीकरण के संबंध में तमिलनाडु के विभिन्न जिलों का वर्गीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्गीकरण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) क्या कोयम्बतूर का एक उन्नत जिले के रूप में वर्गीकृत किया गया है?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) तमिल नाडु के निम्नलिखित जिलों की पहचान औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में की गई है;

1. धर्मापुरी

2. कन्याकुमारी

3. मदुरई

4. उत्तरी अरकॉट

5. रामनाथपुरम

6. दक्षिणी अरकॉट

7. थंजावूर

8. तिरूचरापल्ली

9. पुडुकोट्टाई

(ख) किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड थे।

प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह जिला मुख्य रूप से खाद्यान्नों/नकरी फसलों का उत्पादक है। अन्तर्जिला तुलना के लिए खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन दरों का निर्धारण जहां कहीं आवश्यक हो राज्य द्वारा पूर्व निर्धारित आधार पर निश्चित किया जा सकता है।

2. कृषि मजदूरों का जनसंख्या से अनुपात
3. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन
4. प्रति लाख जनसंख्या पर कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा प्रति लाख जनसंख्या पर वैकल्पिक रूप में गौण तथा तृतीयक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की संख्या।

5. विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत।

6. जनसंख्या को देखते हुए सतही सड़कों की लम्बाई अथवा जनसंख्या को देखते हुए रेलवे लाइन की लंबाई।

(ग) कोयम्बतूर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया है।

खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय संचालन पर विनियंत्रण

†3276. **डा॰ विश्वनाथम कैनिथी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न अधिशेष राज्यों तथा अनधिशेष राज्यों के बीच नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण में परस्पर संबंध है;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय संकट को देखते हुए राज्यों को दी जाने वाली राज सहायता राशि में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिशेष राज्यों से खाद्यान्न के अंतर्राज्यीय संचलन पर से नियंत्रण हटाने का है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य और लेवी के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल के लिए, मुख्य रूप से उन राज्यों से खरीदे गये खाद्यान्न जिन राज्यों में यह आवश्यकता से अधिक होता है, का उपयोग राज्यों / केन्द्र शासित क्षेत्रों (अधिशेष तथा गैर-अधिशेष दोनों) को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आई०टी०डी०पी० इत्यादि की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजा जाता है;

(ख) भारत सरकार राज्यों को खाद्यान्नों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई राजसहायता नहीं देती है;

(ग) भारत सरकार ने खाद्यान्नों जैसे गेहूं, धान, लेवी मुक्त चावल तथा मोटे अनाज के अंतर्राज्यीय परिवहन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों को फ्लैटों का आबंटन

†3277. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदनकर्ताओं के लिये कितने प्रतिशत विशेष कोटा आरक्षित किया गया है;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रार्थियों को दिये गये आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में ऐसी आदिवासी सहकारी आवास समितियां हैं जिन्होंने भूमि के आबंटन हेतु आबंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी समितियों को भूमि का आबंटन कब तक कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) 25 प्रतिशत

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को किए गए आबंटन/नियतन का ब्यौरा इस प्रकार है:—

क्र० सं०	वर्ष	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को किए गए आबंटनों/नियतनों की संख्या
1.	86-87	885
2.	87-88	712
3.	88-89	2657
4.	89-90	4415
5.	90-91	600
	योग	9269

(ग) तथा (घ). ट्राईबल सहकारी समूह आवास समिति के नाम से एक समिति का पंजीकरण 19-3-84 को क्रमांक 1734-ए पर किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजी गई सत्यापित सूची के अनुसार समिति की कुल सदस्य संख्या 180 है।

(ङ) सहकारी समितियों को आबंटन का मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

उर्वरकों का उत्पादन

†3278. श्री अन्ना जोशी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) देश में नाइट्रोजनयुक्त और नाइट्रोजन रहित उर्वरक का वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्या है;

(ख) क्या देश में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है;

(ग) उर्वरकों के उत्पादन के लिए कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) उर्वरकों के उत्पादन के लिए कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध है;

(ङ) क्या निकट भविष्य में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष उपाय करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 (अप्रैल-अक्तूबर, 1991) के दौरान उर्वरकों का लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन (पोषक तत्वों के रूप में) नीचे दिया गया है:-

(लाख टनों में)

उत्पाद	1991-92 के लिए उत्पादन	अप्रैल-अक्तूबर का लक्ष्य	अप्रैल-अक्तूबर, 91 के दौरान वास्तविक उत्पादन	वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तविक उत्पादन
नाइट्रोजन	73.60	41.20	40.42	69.93
फॉस्फेट	26.50	15.75	15.41	20.52

(ख) अभी नहीं महोदय।

(ग) जनवरी 1991 की स्थिति के अनुसार देश में उर्वरकों के उत्पादन के लिए 18 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन प्रयुक्त की जा रही थी।

(घ) अब तक, उर्वरक क्षेत्र के लिए प्रतिदिन 28.40 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया है।

(ङ) तथा (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रतिवर्ष यूरिया की अतिरिक्त क्षमता 21.78 लाख टन देने के लिए विजयपुर, आंवला तथा जगदीशपुर स्थित मौजूदा संयंत्रों की क्षमता को दोगुना करने के प्रस्ताव दिये गये हैं। शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश), बबराला (उत्तर प्रदेश), गाड़ेपान (राजस्थान) तथा काकीनाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) में यूरिया की 26.73 लाख टन कुल वार्षिक क्षमता के साथ चार नये संयंत्र हाल ही में स्थापित किए जा रहे हैं। एक और दूसरा 2.54 लाख टन यूरिया की क्षमता वाला एक संयंत्र कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थापित किए जाने पर विचार चल रहा है। एक नाइट्रेड-फॉस्फेट संयंत्र निजी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। आर० सी० एफ० इफ्को, कृभको इत्यादि द्वारा फास्फैरिक उर्वरकों की क्षमता में वृद्धि करने की संभावनाओं को पता लगाया जा रहा है।

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मद

†3279. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन्हें लघु और कुटीर उद्योगों/एककों के उत्पादन के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) क्या इन मदों का उत्पादन करने के लिए बड़ी कंपनियों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या बड़ी कंपनियां स्वीकृत मात्रा तक ही अपना उत्पादन सीमित नहीं रख रही है और उत्पादन अधिक मात्रा में कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) केवल लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण की जाने वाली आरक्षित मदों की सूची दिनांक 25 जुलाई, 1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो, खंड-3, उपखंड (दो) में प्रकाशित अनुसूची-तीन की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 477(ई) में दी गई है। अभी तक विशेष रूप से लघु क्षेत्र में ही उत्पादित की जाने वाली 836 मदें आरक्षित की गई हैं। मदों की सूची समय-समय पर संवीक्षा की जाती है। कुटीर उद्योगों के लिए कोई अलग परिभाषा नहीं है और इनके लिए कोई निवेश सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) से (घ). जब एक मद लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित कर दी जाती है तब निम्नलिखित शर्तों को छोड़कर किसी मध्यम/बड़े पैमाने के उपक्रम को उस मद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है:

(एक) जब वर्तमान मध्यम/बड़े पैमाने के औद्योगिक उपक्रम आरक्षित मदों का विनिर्माण करते हैं तो उन्हें ऐसी आरक्षित मदों का विनिर्माण जारी रखने के लिए कैरी-ऑन-बिजनेस (सी० ओ० बी०) लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

(दो) जब लघु क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम मध्यम/बड़े उपक्रमों में मिल जाते हैं तब ऐसे उपक्रमों को भी आरक्षित मदों का विनिर्माण जारी रखने के लिये सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

(तीन) यदि बड़े पैमाने के उपक्रम, लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके आवेदन पत्रों पर तभी विचार किया जा सकता है यदि वे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर नए या अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75% निर्यात करने का आश्वासन देते हैं।

आरक्षण नीति के अंतर्गत उपबंधों का उल्लंघन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 (देखिए संशोधनकारी अधिनियम, 1989 की धारा 4) के अंतर्गत दंडनीय है। बड़े एककों द्वारा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का उनकी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करने के जो विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं उनकी जांच की जाती है और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उचित कार्यवाही भी की जाती है।

आरक्षण नीति के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिये सरकार ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में बड़े/मध्यम उद्योगों के प्रवेश और विस्तार पर रोक लगाएगी।

[हिन्दी]

एस० सी० ओ० पी० ई० द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के बारे में सुझाव

3280. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रुग्ण उद्योगों के बारे में एस०सी०ओ०पी०ई० (स्टैंडिंग कान्फरेंस आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज) द्वारा सरकार को दिये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) एस०सी०ओ०पी०ई० द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) रुग्ण उद्योगों के संबंध में सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) से कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

"नाम" विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा भूकम्प संबंधी अध्ययन

†3281. **श्री नवल किशोर राय**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "नाम" विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली ने अपने अध्ययन में बताया है कि लगभग 70 मिलियन मकान भूकम्पों की दृष्टि से असुरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा): (क) "नाम" विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र ने भूकम्पों के कारण मकानों के असुरक्षित होने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार द्वारा खाद्यान्नों का निरीक्षण

3282. **श्री बलराज पासी**:
श्री राजवीर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु केन्द्रीय भंडार को सप्लाई किये जा रहे गेहूं, चावल इत्यादि की गुणवत्ता की समय-समय पर केन्द्रीय भंडार में मौके पर जांच की जाती है;

(खं) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित गुणता के मानकों के अनुरूप गेहूं, चावल और चीनी के भंडार सप्लाई करता है। खाद्यान्न प्राप्त करने वालों को भंडार की गुणता की जांच करने की सुविधाएं दी जाती हैं और उनके संतुष्ट होने पर मात्रा निर्मुक्त की जाती है।

(ख) केन्द्रीय भंडार सहित उचित दर दुकानों को खाद्यान्न, चीनी आदि दिल्ली प्रशासन द्वारा सप्लाई किये जाते हैं। सुपुर्दगी लेते समय उचित दर दुकानों के मालिकों को अनाज के नमूने भी दिये जाते हैं जिन्हें उचित दर दुकान के परिसर में प्रदर्शित करना अपेक्षित है।

दिल्ली प्रशासन के अधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई की जा रही वस्तुओं की गुणता का निरीक्षण करने हेतु उचित दर दुकानों, जिनमें केन्द्रीय भंडार द्वारा चलाई जा रही उचित दर दुकानें शामिल हैं, का नियमित दौरा करते हैं। जब भी आद्यान्न की गुणता के बारे में शिकायतें मिलती हैं, दिल्ली प्रशासन उपचारात्मक कार्रवाई करता है जिसमें शिकायतें सही साबित होने पर भंडार को बदलना शामिल है।

[अनुवाद]

रुपये के अवमूल्यन का औषधों के मूल्यों पर प्रभाव

†3283. श्री रामप्रकाश चौधरी:
डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन से बल्क औषधों तथा उनके इंटरमीडियट औषधों की लागत पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन औषधों तथा इनके इंडरमीडियट औषधों की उपलब्धता पर इसका प्रभाव कहां तक पड़ा है; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (ग) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन किए जाने से ऐसी बल्क औषधियां और उससे संबंधित मध्यवर्ती औषधियां प्रभावित हुई हैं जो या तो आयात की जाती हैं अथवा जिनके निर्माण में आयातित कच्चे माल/मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को ऐसी बल्क औषधियों और उस पर आधारित फार्मुलेशनों की कमी से बचने के लिए सुधारात्मक उपायों के रूप में 54 बल्क औषधियों के मूल्यों में संशोधन करना पड़ा है।

[हिन्दी]

फरीदाबाद के गांवों में पेयजल की कमी

3284. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फरीदाबाद हरियाणा के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारी कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 96 गांवों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 43 गांवों में पेयजल सप्लाई को बढ़ाने की योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है। 53 गांवों के लिए इसी प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही हैं।

सर्व-सुविधा सम्पन्न शहर (मैगनेट सिटीज)

3285. **श्री हरीश रावत जोशी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन शहरों के नाम क्या है जिन्हें सरकार द्वारा पिछले वर्ष सर्व-सुविधा सम्पन्न शहर (मैगनेट सिटीज) घोषित किया गया है;

(ख) इस घोषणा के बाद वहां शुरू किए गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्व-सुविधा सम्पन्न शहरों (मैगनेट सिटीज) की घोषणा के पीछे क्या उद्देश्य है;

(घ) क्या ये उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी नगर को मैगनेट सिटी के रूप में घोषित नहीं किया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रुप "क" की सेवाओं के संवर्ग की समीक्षा

†3286. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रुप "क" की सेवाओं के संवर्ग की प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार समीक्षा करने हेतु कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा संवर्ग की स्थापना के पश्चात इस संवर्ग की कभी कोई समीक्षा की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस संबंध में मुख्य कारण हैं:—

(i) 1986 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुकरण में सेवा के ग्रेड-II में स्वीकृत संख्या से कहीं अधिक व्यक्तियों की भर्ती;

(ii) सेवा के ग्रेड-IV से ग्रेड-III में पदोन्नयन पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का स्थगन आदेश-I (स्थगन आदेश अधिकरण द्वारा 6 नवम्बर 1990 को समाप्त कर दिए गए); तथा

(iii) यह कि दूसरी ग्रुप "क" केन्द्रीय सेवाओं से भिन्न जो मुख्यतः एक विभाग की

आवश्यकताओं को पूरा करती है, भारतीय सांख्यिकीय सेवा में संवर्ग पद बहुत से विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

हाल ही में सरकार ने और पदों को संवर्ग में शामिल करने, उच्च स्तर पर संवर्ग पदों को लाने तथा पदोन्नयन जैसे उपायों से सेवा के संवर्गीय ढांचे तथा अवसरों में सुधार लाने के लिये कदम उठाए है।

बिहार में कपार्ट से सहायता पाने वाली कल्याणकारी संस्थाएं

3287. **श्री महेन्द्र बैठा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कपार्ट द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु बिहार तथा केरल में जिन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान और वित्तीय सहायता दी जा रही है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक संगठन को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि मिली;

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं जो अपने लेखे तथा रिपोर्टें नियमित रूप से प्रस्तुत करते रहे हैं; और

(घ) इन संगठनों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) और (ख) कपार्ट ने गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में 123 स्वयंसेवी संगठनों को तथा केरल में 46 स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

कपार्ट द्वारा इस अवधि के दौरान इन संगठनों को जारी की गई राशि नीचे दर्शाई गई है:

राज्य	वर्ष		
	1988-89	1989-90	1990-91
1. बिहार	149.94	60.26	124.66
2. केरल	67.19	12.14	23.13

(ग) निम्नलिखित संगठनों को छोड़कर अन्य सभी संगठन सामान्य रूप से अपने लेखे प्रस्तुत कर रहे हैं:

I. बिहार समाज कल्याण तथा विकास परिषद, मोकामा, पटना, बिहार।

II. समाज सेवा सदन, पटना, मनोहरपुरा, बिहार।

(घ) संगठन, सामान्यतया, अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

पपनकलां, दिल्ली में आवास समितियों को भूमि का आवंटन

†3288. **डा॰ वसंत पवारः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पपनकलां क्षेत्र, दिल्ली में अनधिकृत हस्तक्षेप हटाकर सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन करने का है; और

(ख) पपनकलां क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिये कितनी सामूहिक आवास समितियों के मामले विचाराधीन है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण का द्वारका फेस-I में 260 सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि के आवंटन का प्रस्ताव है। फिलहाल, यह मामला न्याय निर्णयाधीन है। अनधिकृत कब्जे, यदि कोई हो, समूह आवास समितियों को कब्जा सौंपने से पहले हटा दिए जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए मकानों का पुनर्निर्माण

†3289. **श्री जी॰ एम॰ सी॰ बालयोगीः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1990 के समुद्री तूफान से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के नष्ट मकानों के पुनर्निर्माण के लिए दी गई धनराशि का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का मकानों के निर्माण तथा धनराशि का उपयोग करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) तथा (ख) 1990-91 के दौरान, हुडको ने तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु आन्ध्र प्रदेश को 63.9 करोड़ रुपये का ऋण नियमित किया था। किन्तु राज्य आवास अभिकरण 30.11.91 तक केवल 11.17 करोड़ रुपये ही प्राप्त कर सके हैं।

निधि का उपयोग न कर पाने का मुख्य कारण हुडको को राज्य आवास अभिकरणों द्वारा योजनाएं प्रस्तुत न करना है। राज्य आवास अभिकरणों द्वारा कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है।

(ग) तथा (घ) हुडको ने राष्ट्रीय आवास बैंक, जिन्होंने सूचित किया है कि सम्पूर्ण राशि 31.12.91 से पूर्व निकाली जानी है, से 30 करोड़ रुपये की राशि के ऋण की व्यवस्था भी की है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर

†3290. **श्री रमेश चेन्नित्तलाः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं योजना में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने रोजगार अवसरों का सृजन करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में सृजित किए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार अवसरों की मात्रा अभी तक निर्धारित नहीं की गई, क्योंकि आठवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बाजार मूल्य

3291. श्री सूरजभानु सोलंकीः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अप्रैल, 1991 में सीमेंट, ईंटों, लोहे (इस्पात), छड़ों, उर्वरकों, एंगल आयरनों, खाद्य तेलों, वनस्पति तेलों का थोक और खुदरा बाजार मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अक्तूबर, 1991 के अंत में उक्त मदों के थोक और खुदरा मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने मूल्य नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख) अप्रैल, 1991 और 26.10.91 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विशिष्ट मदों के थोक मूल्य के सूचकांक को दर्शाने वाला विवरण-I और खुदरा/उपभोक्ता मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ) मूल्यों की वृद्धि के लिए बहुत बड़ी पिछली देनदारियां, वित्तीय समायोजनों के हिस्से के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों इत्यादि के प्रशासनिक मूल्यों में अपरिहार्य वृद्धि, भुगतान संतुलन की अस्थिर स्थिति के परिणामस्वरूप आयात से माध्यम से आपूर्ति के प्रबंध में गंभीर रुकावटें, जुलाई के प्रारम्भ में विनिमय दर के समायोजनों से उत्पन्न मुद्रा-स्फीति की उम्मीदें तथा अगस्त, 1991 के अन्त तक मानसून की अनियमित प्रगति जिम्मेदार है। मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ वित्तीय घाटे में पर्याप्त कमी करना, मुद्रा-आपूर्ति के विस्तार पर अंकुश, आवश्यक/अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांग के संबंध में ज्यादा कारगर प्रबन्ध करना, सुपवाही सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाना अधिक उत्पादन प्राप्त करने और बेहतर वितरण के लिए मूलभूत सहायता जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करना तथा जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना शामिल है।

विवरण-I

चुनिंदा मदों के थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन (आधार: 1981-82)

मद	अप्रैल, 1991 के लिए सूचकांक	26.10.91 को समाप्त सप्ताह के सूचकांक (अंतिम)	प्रतिशत प्ररिवर्तन कालम-3 / कालम-2
1	2	3	4
1. सीमेंट	189.8	194.4	+2.4
2. फायर ब्रिक्स	133.2	153.5	+15.2

1	2	3	4
3. लोह तथा इस्पात	206.7	210.5	+1.8
4. बार व रोड	201.8	203.0	+0.6
5. उर्वरक	99.1	136.2	+37.4
6. एंगल्स, चैनल्स व सैक्शन्स	203.5	203.5	—
7. खाद्य तेल	250.3	273.4	+9.2
8. वनस्पति	264.6	235.1	+7.7

स्रोतः आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय।

विवरण-II

चुनिंदा मदों के खुदरा/उपभोक्ता मूल्य

मद	अप्रैल, 1991	अक्तूबर,* 1991
1. सीमेंट (रुपये प्रति बोरी)		
दिल्ली	112-120	112-114
कलकत्ता	112-120	110-127
बम्बई	97-105	100-110
मद्रास	92-97	98-103
2. ईंट (रु॰ प्रति 1000 नग)		
दिल्ली	700.00	750.00
कलकत्ता	1434.00	1667.00
मद्रास	780.00**	740.00***
पुणे	950.00	950.00
पांडिचेरी	530.00	480.00

*उक्त मूल्य अप्रैल, 1991 तथा अक्तूबर, 1991 के बजाय मार्च, 1991 और सितम्बर, 1991 के हैं।

**यह आंकड़े मार्च, 1991 के हैं।

***यह आंकड़े जून, 1991 के हैं।

स्रोतः राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन।

मद	मार्च 1991	सितम्बर, 1991
3. लोहा तथा इस्पात (एम॰ एल॰ राउन्ड हार्स)		
(यूनिट रु॰मी॰ टन)		
कलकत्ता	10350.00	11400.00
दिल्ली	10233.33	11400.00
ऐंगल आयरन		
(औसत आकार)		
कलकत्ता	10400.00	13000.00
दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं
वायर रोड 8 मि॰मी॰		
रु॰/मी॰ टन	मई, 1991	अक्तूबर, 1991
कलकत्ता	10940	10580
नई दिल्ली	एन॰ क्यू॰	एन॰ क्यू॰
मद्रास	12340	एन॰क्यू॰
बम्बई	11470	11200
इस्पात 10 मि॰मी॰ के लिए		
कलकत्ता	10940	10700
नई दिल्ली	11920	11770
मद्रास	12180	11300
बम्बई	12300	11950
एच॰आर॰ कोइल्स 3.15 मि॰मी॰		
कलकत्ता	13310	12450
नई दिल्ली	12010	12800
मद्रास	12970	13500
बम्बई	13580	13700

स्रोत: इस्पात विभाग और राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

4. उर्वरक (रु॰ प्रति मी॰ टन)

	अप्रैल 1991	अक्तूबर, 1991
यूरिया	2350	3060
डि-एमोनियम फास्फेट	3600	4680
एम॰ओ॰पी॰	1300	1700

स्रोत: उर्वरक विभाग

	अप्रैल 1991	अक्तूबर, 1991
5. खाद्य तेल और वनस्पति तेल (रु० प्रति कि० ग्रा०)		
(क) वनस्पति		
दिल्ली	33.00	45.00
बम्बई	37.50	50.00
मद्रास	38.00	46.00
भुवनेश्वर	39.00	48.00
(ख) मूंगफली का तेल		
दिल्ली	38.33	46.00
बम्बई	36.00	42.00
मद्रास	35.00	38.00
भुवनेश्वर	46.00	50.00
(ग) सरसों का तेल		
दिल्ली	27.00	35.00
बम्बई	30.00	40.00
भुवनेश्वर	30.00	39.60

स्रोत: नागरिक आपूर्ति विभाग

बिहार के छोटे और मझोले कस्बों का विकास

3292. **श्री रामलखन सिंह यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार के छोटे और मझोले कस्बों का विकास करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक नगर का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) तथा (ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित तथा छठी योजना के दौरान आरंभ की गई छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना एक चालू योजना है। इस योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के बजट संबंधी नियतनों के आधार पर तथा राज्य सरकारों से प्राप्त प्राथमिकता-प्राप्त कस्बों की सूची के साथ योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर प्रतिवर्ष सहायता हेतु कस्बों का चयन किया जाता है। बिहार के लिये 1991-92 के लिये तीन कस्बों का नियतन किया गया है। चालू वर्ष के लिये सभी कस्बों हेतु प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र में वैकल्पिक प्लाटों का आवंटन

†3293. **श्री मोती लाल सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1973 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जिन लोगों को दक्षिण क्षेत्र में प्लाट देने की सिफारिश की गई थी उन्हें 1989 में उत्तरी क्षेत्र में वैकल्पिक प्लाट दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को उत्तरी क्षेत्र में कब तक प्लाट दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में दोषी लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) वैकल्पिक भूखण्डों के आबंटन की स्कीम के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुशंसित जोन में भूखण्डों का आबंटन किया जाता है। नवम्बर, 1989 में यह निर्णय लिया गया था कि दक्षिण क्षेत्र के लिए अनुशंसित व्यक्तियों को पपनकलां (द्वारका) स्कीम में भूखण्डों का आबंटन किया जाना है तथा चालू विकास कार्य की प्रगति पर आबंटन लगभग एक वर्ष की अवधि में किए जाने की सम्भावना है

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

†3294. **श्री जी॰ माडेगौडा:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार ने कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ग) योजना आयोग ने कितनी राशि मंजूर की है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰आर॰ भारद्वाज): (क) से (ग). कर्नाटक राज्य सरकार ने 7वीं योजना के दौरान हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु 130 करोड़ रुपये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में और 1985-86 के लिए गुलबर्गा मंडल के विकास हेतु तत्काल 20 करोड़ रुपये मंजूर करने का अनुरोध किया था। योजना आयोग ने सितम्बर, 1986 में अपने उत्तर में कहा कि राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता खंड अनुदान के रूप में दी गई थी और उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्य योजना के लिए इस सहायता का विस्तार करे।

जनवरी, 1991 में राज्य सरकार ने योजना आयोग से अनुरोध किया कि हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के समन्वित और बेहतर विकास के लिए 350 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करे। तदुपरान्त जून 1991 में राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि हैदराबाद-कर्नाटक के विकास हेतु 634 करोड़ रुपये की योजना को 50% केन्द्रीय सहायता के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना माना जाए। इस अनुरोध के उत्तर में योजना आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक राज्य के किसी विशेष पिछड़े क्षेत्र की विकास योजना को राज्य योजना के अभिन्न अंग के रूप में ही माना जाएगा।

स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं

†3295. **श्री राम सागर:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के पास लंबित पड़ी उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित करने का विचार है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰आर॰ भारद्वाज): ऐसी कोई परियोजना योजना आयोग के पास लम्बित नहीं है।

आठवीं योजना के लिए हरियाणा से प्राप्त योजनाएं

†3296. श्री नारायण सिंह चौधरी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा सरकार ने आठवीं योजना में शामिल करने के लिए कई परियोजनाएं/योजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने आठवीं योजना में शामिल करने के लिए किन-किन परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) उन परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विश्व बैंक की सहायता से शुरू करने का प्रस्ताव है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰आर॰ भारद्वाज): (क) से (ग). योजना आयोग को हरियाणा सरकार से आठवीं योजना के लिए 5888.99 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन पर कार्यवाही हो रही है तथा ये विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के मुख्य कार्यकारी/कार्यकारी निदेशक

†3297. डा॰ पी॰ वल्लल पेरुमान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में अनुसूची-क, अनुसूची-ख, अनुसूची-ग और अनुसूची-घ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मुख्य कार्यकारी/कार्यकारी निदेशकों की संख्या क्या है; और

(ख) इन उपक्रमों में इनके चयन संबंधी अपनाए जा रहे मानदण्ड क्या है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) सूचना एकत्रित की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। चयन बोर्ड स्तर के प्रत्येक पद के विशिष्ट कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर उन उम्मीदवारों में से किया जाता है जो आयु, अनुभव तथा अपने संबंधित संगठनों में धारण किए गए पदों के संबंध में पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हों। साक्षात्कार के समय लोक उद्यम चयन बोर्ड उम्मीदवारों के अनुभव सेवा रिकार्डों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों तथा साक्षात्कार में उनके कार्य-निष्पादन को भी मद्दे नजर रखता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना के लिए आशय पत्र

3298. **श्री मोरेश्वर सावे:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के एन्थ्यू कालाकंकर गांव में एक चीनी मिल की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो चीनी की स्थापना में क्या प्रगति हुई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना अधिकारियों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति निम्न प्रकार है:—

(1) उन्होंने भवनों आदि के निर्माण के लिए 2.5 एकड़ (लगभग) भूमि खरीद ली है।

(2) उन्होंने चरणबद्ध रूप में 4 करोड़ रुपये तक की वित्तीय व्यवस्था के लिए टेडकों इंडरनेशनल लि०, नई दिल्ली के साथ एक समझौता किया है।

(3) उन्होंने गन्ने के बीज की सप्लाई करके गन्ना बोने के लिए कुछ एकड़ जमीन का विकास किया है।

(4) प्लांट एवं मशीनरी की खरीद के लिए दरें आमन्त्रित की जा रही हैं।

गुजरात में पीने के पानी की समस्या

3299. **श्री चन्दूभाई देशमुख:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है,

(ख) गुजरात में उन गांवों की संख्या क्या है जहां पर अभी तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है,

(ग) राज्य में पीने के पानी की सप्लाई के लिये इस वर्ष दी जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है, और

(घ) गांवों में, विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये राज्य की अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी हां।

(ख) 50 "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों में अभी स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जानी है।

(ग) 1991-92 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 16.33 करोड़ रुपये, मिनी-मिशन परियोजनाओं के अन्तर्गत 2.92 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की 1000 बस्तियों की कवरेज के लिये 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है।

(घ) राज्य सरकार ने भी गांवों पेयजल की सुविधाएं की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान 47.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सीमेंट का मूल्य

†3300. **श्री सी॰ मुदाल गिरियप्पा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट के मूल्यों में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): (क) तथा (ख) उत्तरी क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों तथा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ उपभोक्ता केन्द्रों पर सीमेंट की खुदरा कीमतों में कमी होने के समाचार है। परंतु दक्षिणी क्षेत्र में कीमतें स्थिर बनी हुई है। 1 अक्तूबर, 1991 तथा 3 दिसंबर, 1991 की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों पर सीमेंट की खुदरा कीमतें तथा कीमतों में अंतर दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महत्वपूर्ण उपभोग केन्द्रों पर सीमेन्ट के प्रति बोरी खुदरा मूल्य में अंतर

शहर का नाम	मूल्य 03.12.91 को	मूल्य 01.10.91 को	रुपयों में 01.10.91 तथा 03.12.91 के बीच अंतर
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
दिल्ली	95—110	110—115	-5
करनाल	102—106	115—116	-10
लुधियाना	108—110	113—115	-5
चंडीगढ़	102—106	105—110	-4
जयपुर	106—106	106—106	—
लखनऊ	95—100	114—115	-15
श्रीनगर	—	—	—
शिमला	109—109	109—109	—
मेरठ	100—102	112—112	-10
बरेली	98—102	118—118	-16

1	2	3	4
फैजाबाद	100—102	110—111	-9
भटिण्डा	106—108	113—115	-7
रोहतक	102—108	115—116	-8
पूर्वी क्षेत्र			
कलकत्ता	112—127	115—127	—
पटना	112—124	120—124	—
भुवनेश्वर	108—112	105—115	-3
गुवाहाटी	135—140	140—145	-5
मुजफ्फरपुर	114—126	122—126	—
सिलचर	150—160	155—160	—
पश्चिमी क्षेत्र			
मुम्बई	100—110	110—115	-5
भोपाल	105—110	105—110	—
गोवा	88—94	93—96	-2
अहमदाबाद	105—110	106—110	—
राजकोट	106—110	106—108	2
बड़ौदा	108—109	108—109	—
सूरत	107—108	107—110	-2
नागपुर	98—105	98—105	—
पुणे	96—102	96—102	—
दक्षिणी क्षेत्र			
मद्रास	98—103	98—103	—
त्रिवेन्द्रम	103—107	103—107	—
बंगलौर	96—102	96—102	—
हैदराबाद	84—87	84—87	—
कालीकट	100—105	100—105	—
विशाखापट्टनम	85—88	85—88	—

परमाणु ऊर्जा उत्पादन की कमी

†3301. श्रीमती महेन्द्र कुमारी:
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:
कुमारी दीपिका चिखलिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके उत्पादन के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की है/करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) तथा (ख) चालू वित्त-वर्ष के पहले छः महीनों में कुल 2455 मिलियन यूनिट परमाणु बिजली का उत्पादन किया गया जबकि पिछले वित्त-वर्ष इतनी ही अवधि के दौरान 3189 मिलियन यूनिट परमाणु बिजली उत्पादित की गई ।

(एम यू—मिलियन यूनिटः 1 यूनिट = 1 किलोवाट घंटा)

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु बिजली के उत्पादन कम होने के कारणों में मुख्य कारण यह है कि चालू वित्त-वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान सात यूनिटों में से पांच यूनिटों को रख-रखाव संबंधी कार्यों के लिए योजनाबद्ध और अप्रत्याशित रूप से बन्द करना आवश्यक था। वर्ष की शेष अवधि में इन यूनिटों के कार्य-निष्पादन को संगठित प्रयासों द्वारा बेहतर बनाकर परमाणु बिजली के उत्पादन में आई कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र द्वारा 'धारा'' तेल की मांग

3302. श्री राम नाइक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए "धारा" तेल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है; और

(घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1991 के पहली तीन तिमाहियों के दौरान खाद्य तेलों की कितनी मांग की गई और सरकार द्वारा कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण के जरिए वितरित करने के लिए "धारा तेल" उपलब्ध करने हेतु कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से दिवाली के अवसर पर त्यौहार मौसम की मांग को पूरा करने के लिए धारा की कुछ अतिरिक्त मात्रा

की विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां इस समय धारा नहीं बेचा जा रहा है, आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा नापित किए गए अभिकरणों के जरिए 120 मी॰ टन मात्रा की आपूर्ति का प्रबंध किया था। राज्य सरकार ने दो अभिकरणों के जरिए लगभग 64 मी॰ टन मात्रा उठाई है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने समूचे तेल वर्ष 1990-91 (नवम्बर से अक्तूबर तक) के लिए अपनी 168,000 मी॰ टन मात्रा की मांग रखी है। महाराष्ट्र को जनवरी 91 से नवम्बर, 91 तक किए गए खाद्य तेल का आवंटन इस प्रकार है:—

जनवरी	—	—
फरवरी	—	5000 मी॰ टन
मार्च	—	5000 मी॰ टन
अप्रैल	—	—
मई	—	—
जून	—	600 मी॰ टन
जुलाई	—	—
अगस्त	—	—
सितम्बर	—	—
अक्तूबर	—	2000 मी॰ टन
नवम्बर	—	2000 मी॰ टन

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंध श्रमिकों की सहकारी समितियों को सौंपना

†3303. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंध श्रमिकों की सहकारी समितियों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या तत्संबंधी कार्य-प्रणाली तय कर ली गई है; और

(ग) क्या सरकार की देयताओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, जो इस प्रयोजनार्थ बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) से (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि पुनः चालू करने/पुनर्वास योजनाओं को तैयार करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को औद्योगिक तथा आर्थिक पुनर्निमाण बोर्ड के सुपुर्द किया जाए। इन योजनाओं के सूत्रीकरण के तहत बोर्ड यह निर्णय ले सकता है कि सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम को उस उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा गठित अर्थक्षम्य सहकारी समिति को सौंप-दे।

कर्नाटक में शहरी विकास परियोजनाएं

†3304. **श्री एस॰ बी॰ सिदनाल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ शहरी विकास परियोजना सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में बंद किए गए औद्योगिक एकक

†3305. **श्री एस॰ बी॰ सिदनाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कौन-कौन से औद्योगिक एकक कहां-कहां बंद पड़े हैं;

(ख) ये कब से बंद पड़े हैं और किन कारणों से;

(ग) इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए क्या प्रयास किए गए और उनका क्या परिणाम निकला है;

(घ) इन एककों को कब तक पुनर्जीवित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन एककों के बंद होने से कितने कर्मचारी तथा श्रमिक बेरोजगार हो गए और वे अपना रोजगार कैसे कमाते है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे कुरियन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक केवल लघु उद्योग क्षेत्र तथा गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के आंकड़े और गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में बंद पड़ी रुग्ण/कमजोर इकाईयों के आंकड़े एकत्र करता है।

कर्नाटक राज्य में सितम्बर, 1989 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र में 8,318 इकाईयों और गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 77 इकाईयां रुग्ण थी। सितंबर, 1989 के अंत में कर्नाटक राज्य में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 57 रुग्ण/कमजोर इकाईयां बंद पड़ी थी।

(ख) बहुत से कारण, आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि बैंकों ने बताया है, प्रमुख कारण विपणन, वित्तीय, श्रम, प्रबंधन और उत्पादन समस्याओं तथा बिजली का अभाव, मांग का मंद पड़ जाना और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाह्य तत्वों से संबंधित है।

(ग) लघु क्षेत्र में 8318 रुग्ण इकाईयों में से 548 इकाईयां अर्थक्षम्य पाई गई थी और 7359 इकाईयां अर्थक्षम्य नहीं पाई गई थी। 411 इकाईयों के मामलों में अर्थक्षम्यता अभी निर्धारित की जानी है। लघु क्षेत्रों में 548 अर्थक्षम्य रुग्ण इकाईयों से, 422 इकाईयों को सितंबर 1989 के अंत में देखरेख कार्यक्रमों के अंतर्गत रखा गया था।

गैर लघु क्षेत्र में 77 रुग्ण इकाईयों में से 14 इकाईयों को सितम्बर, 1989 के अंत में देख रेख कार्यक्रमों के अंतर्गत रखा गया था।

(घ) ऐसी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती जिसके अंदर अर्थक्षम्य इकाईयों का पुनरोद्धार किया जा सके।

(ङ) ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते।

कर्नाटक में भांडागार

†3306. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कितने भांडागार कार्यरत हैं;

(ख) या सरकार के पास 1991-92 के दौरान कर्नाटक में और अधिक भांडार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो ये भांडागार कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) दो मुख्य केन्द्रीय अधिकरण अर्थात भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम सामूहिक रूप से कर्नाटक में 74 गोदामों/भण्डागारों का संचालन कर रही है।

(ख) और (ग). वर्ष 1991-92 के दौरान गुलबर्गा एवं गडग में नये गोदाम/भण्डागार स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

इलेक्ट्रोनिक्स विभाग का पुर्नगठन

†3307. श्री बी॰ श्रीनिवास प्रसाद: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और व्यापार संबंधी नीतियों को उदार बनाने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स विभाग का पुर्नगठन किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य-निष्पादन में सुधार करने की प्रक्रिया के दौरान औद्योगिक प्रमुख क्षेत्र से संबंधित विभाग के कुछ अनुभाग निजी क्षेत्र को सौंपे जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, लाइसेंसिंग कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को उपयुक्त रूप से फिर से संवैर्धनात्मक कार्यों में लगाया जाएगा जैसा कि औद्योगिक और व्यापार नीतियों में परिकल्पना की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोक शिकायत और पेंशन संबंधी शिकायतें

†3308. प्रो॰ रासा सिंह रावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष लोक शिकायत और पेंशन संबंधी कितनी शिकायतें मिलीं;

(ख) उनमें से कितनी शिकायतों को निपटाया गया है; और

(ग) बाकी शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (ग): सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अन्य संगठनों से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार दो वर्षों अर्थात् 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रत्येक में 12 लाख से अधिक शिकायतें जिनमें पेंशन से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, प्राप्त हुई थीं। वर्ष 1989-90 के दौरान पांच लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों में से 25 लाख शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। ये शिकायतें सरकार के विभिन्न कार्यों से संबंधित होती हैं जो देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में स्थित एककों द्वारा निष्पादित किया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा लोक शिकायतों के संबंध में संगठनात्मक ढांचे और उनको शीघ्रता से निपटाने हेतु कार्यविधि से संबंधित व्यापक मार्गदर्शी अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं। परन्तु शिकायतों के विशिष्ट स्वरूप को मुद्दे पर नजर रखते हुए उस पर प्रत्येक एकक द्वारा विशिष्ट कार्यवाही की जानी होती है। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के निष्पादन का समग्र रूप से सामयिक प्रबोधन किया जाता है।

कागज बनाने के लिए गन्ने की खोई का इस्तेमाल

†3310. श्री जे॰ चोक्का राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी मिलें गन्ने की खोई का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पदार्थ का ईंधन के रूप में प्रयोग पर रोक लगा कर उसका उपयोग कागज बनाने के काम में लाने का कोई प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार गन्ने की खोई से कम से कम 75% लुगदी एवं अन्य गैर-परंपरागत कच्चे माल के उपयोग पर आधारित इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट प्रदान करके गन्ने की खोई से कागज बनाने में इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

†3311. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 सितम्बर, 1991 को "दी स्टेटसमेन" में "एन॰सी॰आर॰पी॰ हेज नाट एक्सीडिड: सी॰ए॰जी॰" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) तथा (ख). स्टेटसमैन में 13 सितम्बर, 1991 को प्रकाशित टिप्पणियां, मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के वित्तीय लेन-देन के लेखा परीक्षा से उत्पन्न अपनी रिपोर्ट में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की गई थीं।

नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणियां, 1974-75 से 1988-89 तक इसके आरंभ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना (अलवर के लिए एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम) के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लक्ष्यों नामतः दिल्ली से अलवर तक आबादी, उद्योगों, व्यापार, सरकारी कार्यालयों आदि का परिक्षेपण को राज्य सरकार के धीमे कार्यान्वयन के कारण कुल मिलाकर प्राप्त नहीं किया गया है। वाणिज्यिक, भण्डारण, थोक बाजार यार्डों, ट्रक टर्मिनलों आदि जैसी अवसंरचना सुविधाएं (मार्च, 1989) तक विकसित नहीं की गई थी। इस उप क्षेत्र में थोक व्यापार को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने किसी प्रकार के प्रोत्साहनों की कोई घोषणा नहीं की। धन की हानि/धन के दुरुपयोग पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है सिवाय इसके कि उपयोग में न लाए गए ऋण पर ब्याज के रूप में 10.50 लाख रुपए की एक धन राशि का भुगतान, शहरी सुधार न्यास, अलवर द्वारा किया गया।

वर्ष 1988-89 के लिए नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर राजस्थान सरकार की कोई प्रतिक्रिया न तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड को और न ही सरकार को ज्ञात है।

सरकारी आवास का आवंटन

†3312. **श्री जीवन शर्मा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 सितम्बर, 1991 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''मालप्रेक्टिसेज इन अलाटिंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का इस पूरे मामले की जांच कराने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) दिल्ली और उसके बाहर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार कितने सरकारी मकानों का निर्माण किया गया और इससे पहले के तीन वर्षों में सरकारी मकानों के किए गए निर्माण की तुलना में यह संख्या कितनी कम अथवा अधिक है?

शहरी विकास में मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ङ). तक तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

[हिन्दी]

ग्राम भांडागार योजना

3313. **श्री राम बदन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम भांडागार योजना के अंतर्गत अब तक निर्मित किए गए और वर्ष 1991-92 के दौरान निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित भांडागारों का उनकी भंडारण-क्षमता सहित ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तथा मऊ जिलों में कितने भांडागार विद्यमान हैं और उनमें से प्रत्येक की भंडारण क्षमता कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच॰ पटेल): (क) निर्माण हेतु अनुमोदित भांडागारो की राज्य-वार संख्या और उनकी भंडारण क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है। विवरण में अब तक निर्मित किए गए भांडागारों की संख्या भी दी गई है। शेष भांडागारों का निर्माण वर्ष 1991-92 के दौरान तथा बाद के वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तथा मऊ जिलों में निर्माण हेतु अनुमोदित भांडागारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

क्रम संख्या	राज्य	अनुमोदित भांडागारों की संख्या	क्षमता (लाख टनों में)	निर्मित किए गए भांडागारों की संख्या	क्षमता (लाख टन में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	446	2.771	246	1.678
2.	असम	10	0.250	6	0.139
3.	बिहार	172	1.700	133	1.470
4.	गोआ	5	0.820	5	0.820
5.	गुजरात	1033	4.786	727	3.312
6.	हरियाणा	66	0.798	56	0.614
7.	कर्नाटक	449	1.442	382	1.076
8.	केरल	29	0.355	14	0.155
9.	मध्य प्रदेश	468	3.087	288	1.974
10.	महाराष्ट्र	829	4.199	717	3.045
11.	मेघालय	2	0.020	—	—
12.	मिजोरम	20	0.040	—	—
13.	नागालैण्ड	10	0.025	—	—
14.	उड़ीसा	137	0.748	87	0.641
15.	राजस्थान	138	0.722	81	0.397
16.	सिक्किम	25	0.067	12	0.024
17.	तमिलनाडु	111	1.110	106	1.060

1	2	3	4	5	6
18.	त्रिपुरा	91	0.218	41	0.100
19.	उत्तर प्रदेश	528	4.807	425	2.421
20.	पश्चिम बंगाल	59	0.385	28	0.201
	कुल	4628	27.550	3354	18.327

विवरण-2

भांडागारों का स्थान ग्राम	जिला	क्षमता (टनों में)
1. अतरोलिया	आजमगढ़	200
2. डुबोली	-वही-	200
3. गुथा	-वही-	200
4. करमाहा	-वही-	200
5. लालगंज	-वही-	1000
6. फूलपुर	-वही-	1000
7. सागरी	-वही-	1000
8. मऊ	मऊ	1000
9. कसीमाबाद	-वही-	3000
10. कोपागंज	-वही-	3000

[अनुवाद]

चीनी के मूल्य में कमी

†3314. **श्री कड़िया मुंडा:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में चीनी के मूल्य में कमी करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र में और अधिक चीनी मिलें खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) फिलहाल लेवी की चीनी का खुदरा मूल्य घटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) क्योंकि लेवी की चीनी के खुदरा मूल्य की संगणना करने वाले किसी भी घटक में कोई कमी नहीं आई है, अतः इसको कम करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(ग) केन्द्र सरकार देश के किसी भाग में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु विशिष्ट स्थानों का प्रस्ताव नहीं

करती है। परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए उद्यमी अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हैं। सरकार द्वारा इन आवेदन-पत्रों पर उस समय लागू लाइसेंसिंग नीति संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार विचार किया जाता है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र में स्थपित किये जाने वाले कारखानों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से कटक, उड़ीसा में पेयजल की सप्लाई हेतु परियोजना

3315. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा के कटक जिले में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने हेतु विश्व बैंक या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से कोई परियोजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर आने वाला अनुसूचित व्यय कितना है तथा इसके किस वर्ष तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या परियोजना के क्रियान्वयन में देरी की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल): (क) उड़ीसा के कटक जिले में विश्व बैंक अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से पेयजल मुहैया कराने की कोई परियोजना नहीं चल रही है। तथापि, डेनमार्क सरकार की सहायता से कटक, पुरी तथा बालासोर जिलों में एक परियोजना (चरण-2) कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) कटक में चल रही परियोजना के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

क्रमांक	खण्ड का नाम	शामिल किए गए गांवों की संख्या	ट्यूबवैलों की संख्या	
			अपेक्षित	अगस्त, 91 तक उपलब्ध कराये गये
1.	केन्द्रपाड़ा	129	610	155
2.	मरझाघई	105	472	112
3	कुजोंग	160	625	188

(ग) तीन जिलों के लिए 3609.82 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत में से अब तक 1985.25 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर कटक की अलग से सूचना नहीं रखी जाती है। परियोजना के पूरा होने की अनुमानित तारीख 31 दिसम्बर, 1993 है।

(घ) जी हां।

(ङ) चरण-2ए तथा चरण-2बी का 60 प्रतिशत कार्य पूरा होने के पश्चात यह पाया गया था कि पहले लगाए गए कुछेक ट्यूबवेलों से मिलने वाले पेयजल की क्वालिटी स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि इनमें लौह तत्वों

आदि की मात्रा अत्यधिक थी। यह निर्णय लिया गया था कि प्रभावित क्षेत्रों में विस्तृत हाइड्रोजिओलोजी जांच की जाए। जांच तथा पुर्नस्थापना कार्यों के पूरा होने के पश्चात ही चरण-2 में अगले कार्यों को कार्यान्वित किया जाएगा।

शीतागार

3316. **श्रीमती सुमित्रा महाजनः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने शीतागार कार्य कर रहे हैं; और

(ख) शीतागारों की स्थापना के लिये विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) इस समय देश में कार्य कर रहे शीतागारों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सहकारी क्षेत्र में बड़े शीतागारों की स्थापना के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। प्रमुख हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और उत्पादन केन्द्रों पर शीतागार सुविधाओं के विकास के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पास विभिन्न योजना स्कीमें हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	शीतागारों की संख्या
1	2	3
(क)	**शीत भंडार आदेश, 1980 के तहत**	
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	असम	3
3.	बिहार	223
4.	गुजरात	139
5.	गोआ	27
6.	हिमाचल प्रदेश	14
7.	जम्मू और कश्मीर	16
8.	केरल	108
9.	कर्नाटक	77
10.	महाराष्ट्र	233
11.	मध्य प्रदेश	112
12.	नागालैंड	1
13.	उड़ीसा	47
14.	राजस्थान	45

1	2	3
15.	तमिलनाडु	63
16.	त्रिपुरा	3
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
18.	चंडीगढ़ (केन्द्र शासित क्षेत्र)	11
19.	दिल्ली (केन्द्र शासित क्षेत्र)	92
20.	लक्षद्वीप (केन्द्र शासित क्षेत्र)	1
21.	पांडिचेरी (केन्द्र शासित क्षेत्र)	4
(ख)	राज्य अधिनियमों/आदेशों के तहत	
22.	उत्तर प्रदेश	906
23.	पंजाब	309
24.	पश्चिम बंगाल	283
25.	हरियाणा	148
		2942

राज्यों के विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्ट

3318. **श्री काशीराम राणा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज दी है;

(ख) गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को विकास केन्द्रों के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) गुजरात सरकार को इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (घ). अब तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, गोवा, केरल, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उड़ीसा सरकारों से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

गुजरात सरकार ने कच्छ, बनासकांठा तथा भड़ूच जिलों में स्थापित किए जाने वाले तीन विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्ट भेजी है। उक्त परियोजना रिपोर्ट मुख्य एजेंसी को मूल्यांकन के लिए भेजी गयी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को अभी तक कोई राशि नहीं दी गयी है।

[अनुवाद]

केरल में खादी सिल्क इकाइयों की स्थापना

3319. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खादी सिल्क इकाइयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार केरल में नई खादी सिल्क इकाइयों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधीन देश में लगभग 500 खादी सिल्क इकाइयां (लपेटने/कातने/बुनने की) कार्यरत हैं। इन इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1991-92 के दौरान सिल्क खादी कार्यक्रम के अंतर्गत केरल में इसकी सीधे सहायता-प्राप्त संस्थाओं को तीन नई इकाइयां आबंटित की हैं। इन तीन नई इकाइयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	कार्यक्रम का नाम जिसके लिए इकाई आबंटित की गई है	इकाइयों की संख्या	आबंटित की गई धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	शहतूत इकाई	1	1.94
2.	ट्विस्टिंग इकाई	1	1.22
3.	कताई-इकाई	1	3.996

विवरण

क्रम संख्या	राज्यवार	लपेटने/कातने की	बुनाई की	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	9	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	64	35	99
4.	बिहार	40	36	76
5.	गोआ	—	—	—
6.	गुजरात	—	4	4
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1	2
9.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	4	4	8
11.	केरल	1	1	2

क्रम संख्या	राज्यवार	लपेटने/कातने की	बुनाई की	कुल
12.	मध्य प्रदेश	23	16	39
13.	महाराष्ट्र	20	24	44
14.	मणिपुर	2	2	4
15.	मिज़ोरम	1	1	2
16.	नागालैंड	3	3	6
17.	मेघालय	—	—	—
18.	उड़ीसा	5	8	13
19.	पंजाब	—	—	—
20.	राजस्थान	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	23	23
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	5	4	9
25.	पश्चिम बंगाल	75	75	150
26.	अंडमान एवं निकोबार (यू॰ टी॰)	—	—	—
27.	दिल्ली (यू॰ टी॰)	—	—	—
28.	पांडिचेरी (यू॰ टी॰)	—	1	1
	कुल	253	247	500

सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विदेशी सहयोग

3320. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सरकारी क्षेत्र के एककों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के एककों का ब्यौरा क्या है जिसमें केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने विदेशी सहयोग मंजूर किया है/और उन एककों का ब्यौरा क्या है जिनमें विदेशी सहायता मंजूर करने की संभावना है और सहयोग की शर्तें क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): सार्वजनिक क्षेत्र के एककों तथा निजी क्षेत्र के एककों, दोनों ही के लिए मंजूर किये गये विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात, भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोग प्रदानकर्ता का नाम, सहयोग का स्वरूप तथा बनाई जाने वाली वस्तुओं का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मासिक न्यूज लेटर में परिशिष्ट के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां नियमित रूप से संसदीय ग्रंथालय को भेजी जाती हैं।

विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों पर वर्तमान दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है एवं निर्णय लिया जाता है। नई औद्योगिक नीति पैकेज के अंतर्गत जो प्रस्ताव निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं, उनको विदेशी सहयोग की स्वतः मंजूरी दिये जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

उड़ीसा तथा बिहार में विकास केन्द्र

3321. श्री श्रीकान्त जेना:
श्री राम लखन सिंह यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा तथा बिहार में कितने विकास केन्द्रों की स्थापना की है और ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) या इन विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) प्रत्येक विकास केन्द्र में शेष सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ग) नयी विकास केन्द्र योजना के अधीन उड़ीसा और बिहार को क्रमशः चार और छः विकास केन्द्र आबंटित किये गये हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित विकास केन्द्र चुने गये हैं:

विकास केन्द्र का नाम	जिला
उड़ीसा	
सचतरापुर	गंजम
चिपलिम्मा	संबलपुर
चौडवार	कटक
बिहार	
भागलपुर	भागलपुर
हजारीबाग	हजारीबाग
जसोरिया	औरंगाबाद
मुज़फ्फरपुर	मुज़फ्फरपुर
पूर्णिया कस्बा	पूर्णिया

उड़ीसा के चौथे विकास केन्द्र तथा बिहार के छठे विकास केन्द्र के स्थापना स्थल हेतु संबंधित राज्य सरकारों से अभी उनके अंतिम प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।

अनुमोदित विकास केन्द्रों के लिए उड़ीसा सरकार ने अभी हाल में परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं किन्तु बिहार राज्य सरकार से अभी परियोजना रिपोर्टें नहीं मिली है।

[अनुवाद]

गांवों के लोगों का शहरों की ओर पलायन

3322. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांवों के लोगों का शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राय मंत्री (श्री जी॰ वेंकटस्वामी): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का प्रमुख कारण बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का कारण है। ग्रामीण जनसंख्या को शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकने के लिए सरकार ने बेरोजगारी/अल्परोजगार तथा गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी और इसके कारण वहां से लोगों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से निपटने के लिये इन क्षेत्रों में लागू किये जा रहे मुख्य कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना (जे॰आर॰वाई॰) तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई॰आर॰डी॰पी॰) है। जवाहर रोजगार योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा अल्परोजगार प्राप्त लोगों के लिये अनुपूरक मज़दूरी रोजगार सृजित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान इसके लिये किया गया आबंटन, जिसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है, 2623.13 करोड़ रुपये है जिससे 8152.90 लाख श्रम-दिवस के सृजन की उम्मीद की जाती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों को आस्तियां प्रदान करके परिवार की आय में सहयोग देना है। चालू वर्ष के दौरान इसके लिये किया गया आबंटन, जिसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है, 703.60 करोड़ रुपये है जिससे 22,51,519 परिवारों को सहायता प्रदान किये जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास कार्यक्रम की समीक्षा

3323. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम इस समय केवल कुछेक जिलों तक ही सीमित है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र में विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) (क) और (ख) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राज्यों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है तथा मंत्रालय में इसकी समीक्षा की जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों तथा राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए गठित समन्वय समितियों में भी प्रगति की समीक्षा करनी होती है। ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम की पिछली समीक्षा की केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा 11 अक्तूबर, 1991 को की गई थी।

(ग) जी हां। ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम अब 240 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम को शेष जिलों में कार्यान्वित करने के प्रस्तावों को योजना आयोग को प्रस्तुत की गई आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। ब्यौरे विचाराधीन हैं।

प्रश्न-पत्रों का लीक होना

3324. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1990 और 1991 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लीक होने की कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (ग) 10 जून, 1990 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के लीक होने के कथित आरोप के संबंध में 9 दिसम्बर, 1990 को टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। सरकार के अनुरोध पर, संघ लोक सेवा आयोग, जिसने सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया था, ने विस्तृत जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्न-पत्रों के लीक होने के संबंध में आरोप साबित नहीं हुआ।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष दायर अभ्यावेदन भी प्रश्न-पत्रों के लीक होने के आरोप के संबंध में थे जिनमें सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा को चुनौती दी गई थी। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की इलाहाबाद न्यायपीठ ने इसकी जांच की और दिनांक 14 दिसम्बर, 1990 के अपने आदेश में यह माना कि ऐसे प्रथम-दृष्ट्या निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि प्रश्न-पत्र लीक हुए थे।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 10 जून, 1990 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक हुए हैं। इसलिए इस संबंध में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं उठता।

4. 9.6.1991 को आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के कुछ प्रश्न-पत्र लीक हुए थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है तथा इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

सोर्बिटल का निर्माण

3325. **श्री गुरुदास कामत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई में सोर्बिटल निर्माताओं का भविष्य अन्धकारमय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (ग) सोर्बिटल निर्माताओं के समक्ष उत्पन्न किन्हीं कठिनाइयों/क्षीण संभावनाओं के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत इस विभाग की जानकारी में नहीं लायी गयी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन

3326. **श्री लोकनाथ चौधरी:**
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटन के सम्बन्ध में सरकार को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जैसा कि 13 नवम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यकरण में बरती जा रही अनियमितता में सुधार लाने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह एक वरिष्ठ आयुक्त के पर्यवेक्षण में एक कुशल शिकायत निवारण तंत्र का गठन करें ताकि यह सुनिश्चित हो कि मकानों तथा भूखंडों के आवंटन से संबंधित सभी शिकायतों का निपटारा अविलंब हो सके। फ्लैट आवंटन संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने और भुगतान करने में आवंटितियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का निपटान आवास विंग को हाल ही में दिये गये अनुदेशों के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण का सतर्कता विंग कथित भ्रष्टाचार के सभी प्रतिवेदित मामलों की जांच करता है।

आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ तथा एच॰ ए॰ एल॰ के घाटे

3327. **श्री हरिन पाठक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई॰डी॰पी॰एल॰ तथा एच॰ए॰एल॰ नामक संस्थान काफी समय से घाटे में चल रहे हैं;

(ख) ड्रग प्राइस इक्वलाइजेशन अकाउण्ट से उन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या इन कंपनियों को देय से अधिक धनराशि दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनमें से प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी देयताऐं आंकी गई है; और

(च) आज की तिथि में उन पर कितनी धनराशि देय है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) आई॰डी॰पी॰एल॰ विगत कई वर्षों से घाटे में चल रही है। एच॰ए॰एल॰ 1987-88 से सीमांत लाभ अर्जित कर रही है और कंपनी का 1990-91 का शुद्ध लाभ 79.80 लाख रुपये है।

(ख) 1986-91 की अवधि के दौरान, आयध मूल्य समकारी लेखे से आई॰डी॰पी॰एल॰ तथा एच॰ए॰एल॰ को क्रमशः लगभग 5.00 करोड़ तथा 1.32 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया गया।

(ग) तथा (घ) लेखे की जांच की जा रही है और सूचना यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) तथा (च) आज की तिथि तक, मैसर्ज आई॰डी॰पी॰एल॰ तथा एच॰ए॰एल॰ द्वारा देयताएं क्रमशः 396.26 लाख रुपए तथा 36.66 लाख रुपए आंकी गई हैं। दोनों कंपनियों ने सरकार को एक भी पैसा नहीं दिया है और देयताओं की पूरी की पूरी राशि उनसे वसूल की जानी है।

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ठेकेदारों का चयन

3328. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विभिन्न मुख्य निर्माण कार्यों को करने के लिए ठेकेदारों के चयन में किन नियमों का पालन किया गया था;

(ख) सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं को बिछाने के लिए चुने गए ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निविदा की तारीख तथा कार्य को सौंपे जाने सहित इस उद्देश्य हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) ठेकेदारों की सूची तैयार करने का काम आमतौर पर पंजाब लोक निर्माण विभाग, बी॰आर॰/पी॰ एच॰ शाखा के आदेशों के संकलन में विहित मानदण्डों के अनुसार, चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, 1989 से भवनों तथा सड़कों के बारे में निर्माण कार्य के मानदण्डों में उस सीमा तक आशोधन किया गया था कि प्रथम श्रेणी के ठेकेदारों को केवल 50 लाख रुपए तक निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई थी और 50 लाख तथा इससे अधिक की लागत के निर्माण कार्य तथा विशेष कोटि के निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को पूर्व-योग्यता प्राप्त होना अपेक्षित था।

(ख) 1989 से बड़े सिविल निर्माण कार्यों के लिए चयनित/पूर्व-योग्यता प्राप्त ठेकेदारों की सूची विवरण (I) में दी गई है।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठेकेदारों की सूची तैयार करने के लिए पंजाब लोक निर्माण विभाग/बी एण्ड आर/पी एच शाखा के आदेशों के संकलन में विहित प्रक्रिया अपनाई जाती है। 50 लाख तथा इससे अधिक की लागत के भवनों तथा सड़कों के निर्माण कार्य तथा विशेष कोटि के निर्माण कार्य समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद तथा ऐजेंसियों की पूर्व योग्यता की जांच-पड़ताल करने के बाद सौंपे गए थे। 1989 से प्रदान किए गए बड़े सिविल निर्माण कार्यों का ब्यौरा विवरण (II) में संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण-I

1989 से बड़े सिविल निर्माण कार्यों हेतु चयनित/पूर्व-अर्हता-प्राप्त ठेकेदारों के विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	पूर्व-अर्हता-प्राप्त एजेंसियों के नाम
1. (क)	न्यू जनरल हॉस्पीटल सैक्टर 32, चंडीगढ़ में ब्लाक "ए" का निर्माण (केवल बिल्डिंग भाग) चरण-I	1. मै॰ साई प्रॉजेक्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा॰ लि॰, चंडीगढ़। 2. मै॰ आर॰ के॰ ब्रदर्स, पटियाला। 3. मै॰ पवानी कंस्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली। 4. मै॰ पंजाब केमी प्लांटस लि॰ चंडीगढ़। 5. मै॰ चत्तर सिंह एंड कम्पनी, चंडीगढ़। 6. मै॰ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कम्पनी, भटिंडा। 7. मै॰ राज किशन एंड कम्पनी, चंडीगढ़। 8. मै॰ प्रेम कंस्ट्रक्शन, चंडीगढ़। 9. मै॰ सकर कांट्रेक्टस इंडिया (प्रा॰) लि॰, नई दिल्ली। 10. मै॰ भुर्जी एसोसिएटस प्रा॰ लि॰, चंडीगढ़। 11. मै॰ जीवन बिल्डर्स, नई दिल्ली। 12. मै॰ सिकन्द कंस्ट्रक्शन (प्रा॰) कम्पनी, नई दिल्ली। 13. मै॰ फ्रन्टियर कांट्रेक्टस कंस्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰, चंडीगढ़। 14. मैसर्ज सुरिन्द्रा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, चंडीगढ़। 15. मै॰ ए॰सी॰ बिल्डर्स (प्रा॰) लि॰, चंडीगढ़। 16. मै॰ कलसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, एस॰ए॰एस॰ नगर, मोहाली। 17. मै॰ गजिन्द्र सिंह एंड कम्पनी, अमृतसर। 18. मै॰ अस्ट्रा कंस्ट्रक्शन प्रा॰ लि॰, नई दिल्ली। 19. मै॰ तेसेरा इंडो कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा॰ लि॰, चंडीगढ़। 20. मै॰ डी॰एस॰एस॰ पन्नू एंड एसोशिएटस प्रा॰ लि॰, चंडीगढ़। 21. मै॰ राजा राम एंड संस प्रा॰ लि॰, चंडीगढ़।
1. (ख)	न्यू जनरल हॉस्पीटल सैक्टर 32, चंडीगढ़ में ब्लाक "ए" का निर्माण (केवल भवन भाग) चरण-II	-वही-

क्रमांक	कार्य का नाम	पूर्व-अर्हता-प्राप्त एजेंसियों के नाम
1. (ग)	न्यू जनरल हॉस्पीटल सैक्टर 32, चंडीगढ़ में ब्लाक "ए" का निर्माण (केवल भवन भाग) चरण-III	21. मै० राजा राम एंड संस प्रा० लि०, चण्डीगढ़।
1. (घ)	न्यू जनरल हॉस्पीटल सैक्टर 32, चंडीगढ़ में ब्लाक "ए" का निर्माण (केवल भवन भाग) चरण-IV	-वही-
2.	राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण ब्लाक-बी, चरण-IV (द्वितीय और तृतीय तल) सैक्टर-42, चंडीगढ़	यथोक्त के अतिरिक्त मै० लेख राज एंड ब्रदर्स, चंडीगढ़।
3.	सैक्टर 19-बी, चंडीगढ़ में सरकारी कर्म-चारियों हेतु टाइप V (कलस्टर टाइप) चार मंजिला, 32 मकानों का निर्माण	उपर्युक्त क्रम संख्या 5 के सदृश।
4. (क)	सैक्टर 33-बी, चंडीगढ़ में सरकारी कर्म-चारियों के लिए टाइप II (कलस्टर टाइप) चार मंजिला, 96 मकानों का निर्माण	1. मै० तसेरा इंडो कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि०, चंडीगढ़। 2. मै० क्लसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि० 3. मै० साई प्रॉजेक्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा० लि० 4. मै० डी०एस० पन्नु एंड एसोशिएटस प्रा० लि० 5. मै० आर० के० ब्रदर्स 6. मै० पवानी सिविल कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० 7. मै० पंजाब केमी प्लांटस लि० 8. मै० चत्तर सिंह एंड कम्पनी 9. मै० मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कम्पनी, भटिंडा। 10. मै० राज किशन एंड कम्पनी।
4. (ख)	न्यू मिनी सैक्रेटेरियट में बेसमेंट से द्वितीय तल तक (फ्रेम स्ट्रक्चर)) बहुमंजिला ब्लाक का निर्माण, सैक्टर 17 चंडीगढ़।	—वही—
4. (ग)	न्यू मिनी सैक्रेटेरियट बिल्डिंग में बेसमेंट सहित अग्रभाग (फ्रंट) और पृष्ठभाग (बैक) एक मंजिला ब्लाक का निर्माण, सैक्टर 17, चंडीगढ़	—वही—
5.	क्रीड़ा परिसर, सैक्टर 42, चंड़ीगढ़ में ब्लाक "बी" हॉकी स्टेडियम का निर्माण।	1. मै० अमर नाथ अग्रवाल कंन्ट्रक्शन प्रा० लि० 2. मै० दीपक बिल्डर्स 3. मै० संधु बिल्डर्स

क्रमांक	कार्य का नाम	पूर्व-अर्हता-प्राप्त एजेंसियों के नाम
6.	क्रीड़ा परसिर सैक्टर 42, चंडीगढ़ में 4 टी०वी० टावरों सहित ब्लाक "सी" और "डी" में हॉकी स्टेडियम का निर्माण	1. मै० भारत ओवरसीज कंस्ट्रक्शन प्रापर्टीज लि० 2. मै० गजिन्द्र सिंह एंड कम्पनी 3. मै० पंजाब पॉवर जेनरेशन मशीन्स लि० 4. मै० राजा राम एंड सन्स
7.	गवर्नमेंट कॉलिज फॉर ब्वायज का निर्माण-46, चंडीगढ़ (तृतीय चरण) प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल	1. मैसर्ज पंजाब पॉवर जेनरेशन मशीन्स लि० 2. मै० वी० आर० कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स 3. मै० गजिन्द्र सिंह एंड कम्पनी 4. मै० सन्धु कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० 5. मै० सकर कांट्रेक्ट्स इंडिया प्रा० लि० 6. मै० केबल्स (इंडिया) प्रा० लि० 7. मै० भुल्लर कंस्ट्रक्शन कम्पनी
8.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के परिसरों में न्यायिक रिकार्ड कक्ष (महाधिवक्ता-ब्लाक)	खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।
9.	वॉटर वर्क्स कजौली (पंजाब) में बिजली मशीनों को डिजाइन करना, सप्लाई करना, संस्थापित करना, टेस्टिंग और चालू करना। जलापूर्ति संवर्धन स्कीम चरण-III	1. मै० सुभाष प्रॉजेक्टस एंड मार्कीटिंग लि० 2. मै० इंटरनेशनल पम्पस एंड प्राजेक्टस (I) इंडिया लि० 3. मै० ट्रेडिंग इंजीनियर्स 4. मै० ए०सी०सी० लि० 5. मै० बैस्ट एंड क्रॉम्पटन, नई दिल्ली
10.	वॉटर वर्क्स कंजौली (पंजाब) में डीजल पम्पिंग मशीनरी को डिजाइन करना, सप्लाई करना संस्थापित करना और चालू करना। जलापूर्ति संवर्धन स्कीम, चरण-III	—वही—
11.	सैक्टर 39, चंडीगढ़ वॉटर वर्क्स में इलैक्ट्रिक पम्पिंग मशीनरी डिजाइन करना, सप्लाई करना, संस्थापित करना और चालू करना	—वही—
12.	सैक्टर 39, चंडीगढ़ वॉटर वर्क्स में डीजल पम्पिंग मशीनरी डिजाइन करना, सप्लाई करना, संस्थापित करना और चालू करना।	—वही—

विवरण-II

1989 से बड़े सिविल निर्माण कार्यों की निविदा तथा आबंटन तिथि दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	निविदा की प्राप्ति	आबंटन की तिथि तथा उस ऐजेंसी का नाम जिसे आबंटित की गई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1(क)	चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में नये जनरल होस्पीटल के ब्लाक "क" का निर्माण केवल भवन का हिस्सा (फेज-I 86 लाख रुपये)	6.8.90	29.8.90 मैसर्स सकार कोंट्रक्स (इंडिया) प्रा० लि० नई दिल्ली	ऐजेंसियों की पूर्व योग्यता के बाद निर्माण कार्य सौंपा गया।
(ख)	सैक्टर 32 के नये जनरल होस्पीटल में ब्लाक "ए" का निर्माण (केवल भवन का हिस्सा) (फेज-II) 83 लाख रुपये	6.8.90	29.8.90 मैसर्स उपर्युक्त	—वही—
(ग)	चंडीगढ़ के सैक्टर 32 में नये जनरल होस्पीटल के ब्लाक "क" का निर्माण (केवल भवन का हिस्सा) (फेज-III, 84 लाख रुपये)	6.8.90	29.8.90 मैसर्स काल्सी कंसट्रक्शन क० मोहाली	—वही—
(घ)	चंडीगढ़ के सैक्टर 42 में नये जनरल होस्पीटल के ब्लाक "ए" का निर्माण (केवल भवन का हिस्सा) (फेज-IV, 85 लाख रुपये)	6.8.90	29.8.90 —वही—	—वही—
2	चंडीगढ़ के सैक्टर 42 में नये जनरल ब्लाक "बी" (फेज-II/, में लड़कियों के लिए सरकारी कालेज का निर्माण (द्वितीय और तृतीय तल) 70 लाख रुपये	15.3.91	24.6.91 मैसर्स लेखराज एण्ड ब्रा० चंडीगढ़	—वही—

1	2	3	4	5
3.	सैक्टर-19बी, चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप-5 के चार मंजिले 32 मकानों (कलस्टर टाइप) का निर्माण 70 लाख रुपये	6.6.91	चूंकि पूर्व-अर्हता प्राप्त अभिकरणों से कोई तर्कसंगत प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था अतः खुली निविदा मांगी गई।	टेंडर मामला प्रक्रियाधीन है।
4क	सैक्टर-33बी, चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप 2 और 3 (कलस्टर टाइप) के चार मंजिले 96 मकानों का निर्माण 62 लाख रुपये	19.10.91	21.2.91 मै० डी० एस० पानु एण्ड एसोसिएट प्रा० लि०	अभिकरण की पूर्व अर्हता के पश्चात् कार्य आबंटित किया गया।
4ख	न्यू मिश्री सैक्ट० सैक्टर-17, चंडीगढ़ में बेसमेंट से द्वितीय तल तक बहुमंजिले ब्लाक (फेम स्ट्रक्चर) का निर्माण 120 लाख रुपये	4.4.91	6.6.90 मै० डी० एस० पानु एण्ड एसोसिएट प्रा० लि०	—वही—
4ग	न्यू मिश्री सैक्ट०,बिल्डिंग सैक्टर-17, चंडीगढ़ में बेसमेंट सहित अग्र और पृष्ठ एक मंजिले ब्लाक का निर्माण 65 लाख रुपये	19.1.90	14.3.90 मै० डी० एस० पानु एण्ड एसोसिएट प्रा० लि०	—वही—
5.	सैक्टर-42, चंडीगढ़ में हाकी स्टेडियम ब्लाक बी स्पोर्टस कम्पलैक्स का निर्माण 116 लाख रुपये	24.5.90	27.9.90 मै० अमरनाथ अग्रवाल कन्स० प्रा० लि०	कार्य पूर्व अर्हता के बाद दिया गया था।
6.	सैक्टर-42, चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स कम्पलैक्स में चार टी० वी० टावर्स सहित हाकी स्टेडियम ब्लाक बी और डी का निर्माण 92 लाख रुपये	22.6.90	18.9.90 मै० पंजाब पावर जनरेशन मशीन्स लि०	—वही—

1	2	3	4	5
7	सैक्टर-46, फेज-III चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कालेज फार ब्वायज (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल) का निर्माण 90 लाख रुपये	20.3.91	31.5.91 मै० ठकुराल कन्स०	पूर्व-अर्हता प्राप्त ऐजेंसियों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये खुली निविदाएं मांगी गई थीं।
8.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में जूडिशियल रिकार्ड रूम (एडवोकेट जनरल ब्लाक) का निर्माण 62 लाख रुपये	19.7.91	18.11.91 मै० कुन्दन लाल हरी राम एण्ड ब्रदर्स	बेहतर प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने हेतु खुली निविदाएं मांगी गई थीं।
9.	वाटर वर्क्स, कजौली में इलैक्ट्रिक मशीनों का अभिकल्पन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण तथा प्रारम्भण—जल आपूर्ति योजना फेज़-III एन आई टी का संवर्द्धन राशि 48 लाख रुपये, टेण्डर्ड राशि 125 लाख रुपये	5.11.90 मूल्य बोली 28.12.90 को खोली गई	7.6.90 मै० सुभाग प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्कि-टिंग लिमिटेड	अभिकरणों की पूर्व-अर्हता के पश्चात दिया गया।
10.	वाटर वर्क्स काजौली में डीजल पम्पिंग मशीनरी का अभिकल्पन, आपूर्ति स्थापना परीक्षण तथा प्रारम्भण—जल आपूर्ति योजना फेज़-III एन आई टी, का संवर्द्धन राशि 48 लाख रुपये, टेण्डर्ड राशि 67 लाख रुपये	5.11.90 मूल्य बोली 28.12.90 को खोली गई	7.6.91 मै० इन्टर-नेशनल पम्पस एण्ड प्रोजेक्ट्स	—वही—
11.	वाटर वर्क्स, सैक्टर-39, चंडीगढ़ में इलैक्ट्रिक पम्पिंग मशीनरी का अभिकल्पन आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और प्रारम्भण व एन आई टी राशि 22 लाख रुपये, टैण्डर्ड राशि 56 लाख रुपये	6.11.90 मूल्य बोली 28.12.90 को खोली गई	28.7.91 मै० ट्रेडिंग इंजीनियर्स	—वही—
12.	वाटर वर्क्स सैक्टर-39, चंडीगढ़ में डीजल पम्पिंग मशीनरी का अभिकल्पन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और प्रारम्भण। एन आई टी राशि 28 लाख रुपये, टैण्डर्ड राशि 53 लाख रुपये	12.11.90 मूल्य बोली 28.12.90 को खोली गई	28.6.91 मै० ए ई सी न्यू दिल्ली।	—वही—

ls2952

मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा कारों की खेप को रोक लेना

†3329. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी:**
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:
कुमारी दीपिका चिखलिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड ने यूरोप भेजी जाने वाली कारों की खेप को उनकी बॉडी से पेन्ट के उतर जाने के कारण वापस रोक लिया है;

(ख) क्या सरकार ने कारों की बॉडी से पेन्ट के उतर जाने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) से (घ) मारूति उद्योग लिमिटेड ने यूरोप को निर्यात करने के लिए तैयार की गई 673 कारों में पेंट की गुणवत्ता में किसी कमी का पता लगा लिया था और कारों के बेड़े को रोक लिया था। यह कमी पेंट के अंतिम कोट में आसंजन के न होने के कारण थी क्योंकि बीच के पेंट के कोट के परिणाम संतोषजनक नहीं थे। मारूति उद्योग लिमिटेड इस प्रकार हुई हानि के बारे में पेंट की सप्लाई करने वाले से बात-चीत करेगा। मारूति उद्योग लिमिटेड ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†3330. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी:**
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों ने 1989-90 के दौरान मुनाफा कमाया है;

(ख) प्रत्येक एकक ने अनुमानतः कितना मुनाफा कमाया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इन उपक्रमों द्वारा उत्पादित उत्पादों के मूल्यों में भी वृद्धि की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में इस वृद्धि से कितना मुनाफा कमाया गया?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम तथा उनके द्वारा अर्जित लाभ की राशि का ब्यौरा सरकारी उद्यम सर्वेक्षण के खंड I में पृष्ठ एस-18 से एस-51 पर दिया गया है जिसे 27.2.1991 को संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है यह सूचना सरकारी उद्यम सर्वेक्षण के खंड I में पृष्ठ 106 से 109 पर उपलब्ध है।

(घ) कीमतों में वृद्धि होने वाली लाभ वृद्धि के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आदान लागतों में भी तदनुसार वृद्धि हुई है।

कार्ड धारकों को राशन की वस्तुओं की पूरी आपूर्ति

†3331. श्री पी० एम० सईद:
प्रो० प्रेम धूमल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानों के डीलर राशन कार्डधारकों को पूरी मात्रा में राशन की वस्तुएं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक मद की कितनी मात्रा दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो डीलरों के इस कदाचार को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग): दिल्ली में उचित दर की दुकानों द्वारा कार्डधारियों को राशन दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जा रहा है। राशन में दी जाने वाली मात्रा औसत रूप से 7 कि०ग्रा० गेहूं, 2 कि०ग्रा० चावल और 800 ग्राम चीनी प्रति माह बनती है। तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि झुग्गी-झौपड़ी समूहों/पुनर्वास कालोनियों के निवासियों को कम से कम 8 कि०ग्रा० गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाए। यह देखने के लिए कि राशन की वस्तुएं अनधिकृत माध्यमों को न पहुंचे नियमित निरीक्षण किए जाते हैं तथा अचानक छापे मारे जाते हैं। कदाचारों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

इंडियन रेअर अर्थ्स द्वारा गवेषण

†3332. श्री एन० डेनिस: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने मानवलाकुरूचि के अलावा तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर गवेषण कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने तमिलनाडु के चिदंबरनार जिले के एक गांव में कुदिरायमोझी टेरी नामक स्थान पर अन्वेषण कार्य किया है। इस अन्वेषण कार्य के आधार पर, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा संभाव्यता संबंधी अध्ययन किए गए हैं।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य से यह प्रमाणित हुआ है कि तमिलनाडु के चिदंबरनार जिले के एक गांव में कुदिरायमोझी टेरी नामक स्थान पर लगभग 22.6 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में रेत में भारी खनिज उपलब्ध है। लगभग 160 मिलियन टन रेत के निक्षेप में भारी खनिज का अंश लगभग 13 मिलियन टन है। इसमें प्रमुख भारी खनिज, इल्मेनाइट, लगभग 9 (नौ) मिलियन टन है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

†3333. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुकम्पा के आधार पर ग्रुप "ग" पदों में नियुक्ति के लिए जारी किए गए अनुदेशों के अन्तर्गत विभाग प्रमुखों को इन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में छूट देने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों में ग्रुप "ग" पदों में अनुकम्पा के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करते समय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में छूट दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) तथा (ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के विद्यमान अनुदेशों के अधीन विभाग, आपवादिक परिस्थितियों में जहां परिवार की स्थिति बहुत कठिन है, निम्नतम स्तर अर्थात् समूह "घ" अथवा अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्ति के मामले में शैक्षिक योग्यता में अस्थायी छूट देने में सक्षम हैं। किन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए उम्मीदवार को नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करनी होती है ऐसा न करने पर उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(ग) तथा (घ): प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रम प्रधान उद्योग

3334. श्री काशीराम राणा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आरक्षित श्रम प्रधान उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) श्रम प्रधान उद्योगों में बड़े उद्योगों के प्रवेश को रोकने और बड़े उद्योगों द्वारा ऐसे उत्पादों के उत्पादन को सीमित करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) लघु क्षेत्र में मदों के आरक्षण के लिये अपनाया गया मापदण्ड इस प्रकार है:-

(1) वस्तुएं जो लघु क्षेत्र अथवा सहायक औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किफायत से उत्पादित की जा सकती हैं।

(2) अधिक रोजगार सृजन;

(3) उद्योग में उद्यमियता का विस्तार करना;

(4) सामान्य हानि के लिये आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण पर रोक, इत्यादि।

आज तक की स्थिति के अनुसार 836 मदें लघु क्षेत्र में अलग से निर्माण के लिये आरक्षित की गई हैं।

(ख) जब कोई मद लघु क्षेत्र में ही विकास के लिये एक बार आरक्षित कर दी जाती है तो किसी

मझौले/बड़े उपक्रमों को निम्नलिखित शर्तों को छोड़कर अन्य परिस्थिति में उक्त मद के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती:-

(1) जहां विद्यमान मझौले/बड़े औद्योगिक उपक्रम आरक्षित मदों को निर्माण करते हैं वहां उन्हें ऐसी आरक्षित मदों का निर्माण जारी रखने के लिये कार्य जारी रखने का लाइसेंस (सी ओ बी) लेना पड़ता है।

(2) जब लघु औद्योगिक उपक्रम मझौले/बड़े उपक्रमों में बदल जाते हैं तो ऐसे उपक्रमों को भी सी॰ओ॰बी॰ लाइसेंस लेना होता है ताकि वे आरक्षित मदों का उत्पादन जारी रख सके।

(3) यदि बड़े उपक्रम लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों का उत्पादन करना चाहते हैं तो उनके आवेदन पर विचार किया जा सकता है यदि वे 3 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिये प्राप्त किए जाने वाले नये अथवा अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75% निर्यात दायित्व लेते हैं। आरक्षण नीति के उपबंधों का उल्लंघन करना 1984 के संशोधित अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 24 के अधीन दण्डनीय है। लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों का बड़े एककों द्वारा अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने के जो विशिष्ट उदाहरण सरकार की जानकारी में लाये जाते हैं उन पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार किया जाता है और उचित कार्यवाही की जाती है।

अतिक्रमण के संबंध में आरक्षण नीति के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिये सरकार ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में बड़े/मझौले एककों के प्रवेश/विस्तार पर अंकुश रखेगी।

(ग) 6.8.1991 को संसद में रखे गये लघु, अत्यन्त छोटे और ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये नीति संबंधी उपायों का प्रमुख उद्देश्य लघु क्षेत्र को ओर ज्यादा स्थायित्व तथा विकास प्रोत्साहन देना है ताकि वे अपनी पूरी शक्ति अर्थ-व्यवस्था विशेषकर उत्पादन, रोज़गार और निर्यात की वृद्धि में लगा सकें।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योग लागना

†3335. श्री जे॰ चौक्का राव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उदार औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद अनिवासी भारतीयों ने भारत में नए उद्योग लगाने में रुचि दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो जिन उद्योगों को लगाने हेतु अनिवासी भारतीय आगे आए हैं उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन) : (क) और (ख) 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद, विशेष अनुमोदन समिति ने मुद्रण, रसायन, कम्प्युटर सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए 30 अनुमोदन प्रदान किये हैं।

चीनी कारखानों का विस्तार

†3336. **श्री काशीराम राणा:**
डा॰ लक्ष्मी नारायण पाणडेय:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी कारखानों की ओर से उनके विस्तार के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कारखानों के पेरने की क्षमता का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही की जाएगी?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) दिनांक 30.11.1991 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान इकाइयों की क्षमता में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु 55 आवेदन-पत्र खाद्य मंत्रालय में लम्बित थे, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 8.11.1991 को प्रेस टिप्पणी के माध्यम से चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 - 1996-97) के लिए लाइसेंस नीति संबंधी दिशा निर्देशों की घोषणा की है। वर्तमान चीनी कारखानों के विस्तार के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु सभी लम्बित आवेदनों पर अब इस संशोधित नीति के आधार पर विचार किया जाएगा।

विवरण

वर्तमान क्षमता में भारी वृद्धि के लिए दिए गए लंबित आवेदन पत्रों का राज्यवार विवरण

क्रम सं॰	फैक्टरी का नाम	आई॰एल॰आवेदन की तिथि	दिनांक 30.11.1994 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र	विद्यमान	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6
	उत्तर प्रदेश				
1.	मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ	1240/90/आई एल (एम॰आर॰टी॰पी॰) दिनांक 3.8.90	निजी	5000	10,000
2.	आर॰बी॰ नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड, लक्सर, जिला हरिद्वार	1203/90/आई एल दिनांक 31.3.90	निजी	3500	5000
3.	दि सिम्भावली शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सिम्भावली, जिला गाजियाबाद	986/90/आई एल दिनांक 21.6.90	निजी	5000	10,000
4.	स्वरूप वैजीटेबल्स प्रोडक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मनसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर	1021/90/आई एल दिनांक 27.6.90	निजी	2500	5000
5.	दौराला शुगर वर्क्स, दौराला, जिला मेरठ	1047/90/आई एल (एम॰आर॰टी॰पी॰) दिनांक 2.7.90	निजी	4500	8000
6.	दि सेकसरिया बिसवान शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, बिसवान, जिला सीतापुर	1011/90/आई एल दिनांक 27.6.90	निजी	2500	50,000
7.	दि धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, धामपुर, जिला बिजनौर	978/90/आई एल दिनांक 21.6.90	निजी	5000	10,000
8.	दि महालक्ष्मी शुगर मिल्स लिमिटेड, इकबालपुर, जिला सहारनपुर	1144/90/आई एल दिनांक 24.7.90	निजी	3000	10,000

9.	हिंदुस्तान शुगर मिल्स, लिमिटेड गोलागोकरनाथ, जिला खीरी	1145/90/आई एल (एमआरटीपी) दिनांक 24.7.90	निजी	4800	10,000
10.	गंगेश्वर लिमिटेड, डियोबैंड, जिला सहारनपुर	1141/90/आई एल दिनांक 24.7.90	निजी	5000	10,000
11.	बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड बलरामपुर, जिला गौंडा	1136/90/आई एल दिनांक 24.7.90	निजी	3500	5000
12.	एल० एच० शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, पीलीभीत, जिला पीलीभीत	637/90/आई एल दिनांक 20.4.90	निजी	2500	3500
13.	केसर इंटरप्राइसेस लिमिटेड, बहेरी जिला बरेली	944/90/आई एल दिनांक 19.6.90	निजी	3500	5000
14.	मैसर्स के० एम० शुगर मिल्स, मोतीनगर, जिला फैजाबाद	1655/90/आई एल दिनांक 19.9.90	निजी	2500	5000
15.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, बुढाउन, जिला बुढाउन	549/91/आई एल दिनांक 28.2.91	सहकारी	1250	2500
16.	मैसर्स अपर गेंजिस शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिहोरा, जिला बिजनौर	1230/91/आई एल दिनांक 30.5.91	निजी	4500	10,000
हरियाणा					
17.	मैसर्स दि करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, करनाल, जिला करनाल	2121/90/आई एल दिनांक 18.12.90	सहकारी	1250	2500
18.	मैसर्स शाहबाद कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड शाहबाद (मारकंडा), तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र	510/92/आई एल दिनांक 22.2.91	सहकारी	1250	3500
19.	मैसर्स दि पानीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड पानीपत, तह० और जिला पानीपत।	550/91/आई एल दिनांक 28.2.91	सहकारी	1800	2500
20.	दि सोनीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, सोनीपत, जिला सोनीपत।	699/91/आई एल दिनांक 15.3.91	सहकारी	1250	2500
21.	मैसर्स दि सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, यमुनानगर, जिला यमुनानगर	1400/90/आई एल/एमआरटीपी दिनांक 22.8.90	निजी	8000	9500

1	2	3	4	5	6	
कर्नाटक						
22.	मैसर्स दावनगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड, कुक्कवाड़ा तह॰ दावनगेरे, जिला चित्रदुर्ग	1447/90/आई एल दिनांक 30.8.90		संयुक्त क्षेत्र	1250	2500
23.	मैसर्स गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड, समीरवाड़ी, जिला बीजापुर	1260/90/आई एल दिनांक 7.8.90		निजी	5000	10,000
24.	मैसस दि मैसूर पेपरमिल्स, लिमिटेड, पेपर टाउन भद्रावती, जिला शिमोगा	1313/91/आई एल दिनांक 4.6.91		निजी	2500	3500
25.	मैसर्स रायबेग, सहकारी शक्कर कारखाना, नियामित टाउन रायबाग, तह॰ रायबाग, जिला बेलगाम	1350/91/आई एल दिनांक 13.8.90		सहकारी	1250	3500
26.	मैसर्स श्री दूधगंगा कृष्ण, एसएसके नियमित, चिक्कोड़ी जिला बेलगाम	1313/90/आई एल दिनांक 13.8.90		सहकारी	2000	3700
आन्ध्र प्रदेश						
27.	मैसर्स दि अमादालाउआलसा कोऑप्रेटिव शुगर्स लिमिटेड अमादालाउआलसा, जिला श्रीकाकूलम	2084/90/आई एल दिनांक 12.12.90		सहकारी	1000	2500
28.	मैसर्स श्री वेंटेश्वर कोऑप्रेटिव फैक्ट्री लिमिटेड, तिरुपती रेनीगुंटा, जिला चित्तूर	1852/90/आई एल दिनांक 6.11.90		सहकारी	1250	2500
29.	मैसर्स के॰सी॰पी॰ लिमिटेड, व्यूरू, जिला कृष्णा	1488/90/आई एल (एम आर टी पी) दिनांक 3.9.90		निजी	6000	8500

30.	मैसर्स सरवरया शुगरज लिमिटेड, पोस्ट आफिस चैलूरो, तह० रामचन्द्रपुरम, जिला उत्तरी गोदावरी	364/आई एल दिनांक 5.3.90	निजी	2500	4000
	गुजरात				
31.	मैसर्स श्री चलथान विभाग खंड उद्योग सहकारी मंडली लिमिटेड, चलथन, जिला सूरत	1578/90/आई एल दिनांक 11.9.90	सहकारी	5000	8500
32.	मैसर्स श्री मरोली विभाग खंड उद्योग, सहकारी मंडली लिमिटेड, मरोली बाजार, तालुका नौसरी, जिला बलसार	2014/90/आई एल दिनांक 26.11.90	सहकारी	2500	3500
	तमिलनाडु				
33.	मैसर्स अरुणा शुगर एंड इंटरप्राइजिस लिमिटेड, पैनाडाम तह० विलतागुडी, जिला साउथ आरकोट	1452/90/आई एल दिनांक 30.8.90	निजी	5000	7500
34.	मसर्स नदी पिसाई पुलावर, के०आर० रामास्वामी, कोआप्रेटिव शुगर मिल्स, लिमिटेड, बलाइनाम्बार, तह० तालुका मेइलादुरई, जिला तंजावुर	1427/91/आई एल दिनांक 2.7.91	सहकारी	1250	3500
	मध्य प्रदेश				
35.	मैसर्स जाओरा शुगर मिल्स, जाओरा, जिला रतलाम	1971/90/आई एल दिनांक 19.11.90	निजी	1000	2500

1	2	3	4	5	6	
	महाराष्ट्र					
36.	मैसर्स गोदावरी दुधना एस एस के लिमिटेड, दिओनैद्रा तह० पथरी, जिला परभणी	1654/90/आई एल दिनांक 19.9.90		सहकारी	1250	2500
37.	मैसर्स वसंत एस एस के लिमिटेड, कसोदा, तह० ईरंडोल जिला जलगांव	1641/90/आई एल दिनांक 18.9.90		सहकारी	1250	2500
38.	मैसर्स कड़ा एस एस के लिमिटेड, तह० और जिला बीड	1241/90/आई एल दिनांक 7.8.90		सहकारी	1250	2500
39.	मैसर्स वसंतदादा शेतकरी एस एस के लिमिटेड, सांगली, तालुका, मिरज, जिला सांगली	150/91/आई एल दिनांक 14.1.91		सहकारी	5000	7500
40.	मैसर्स ज्ञानेश्वर एस एस के लिमिटेड, जिला अहमदनगर	1653/90/आई एल दिनांक 19.9.90		सहकारी	3000	5000
41.	मैसर्स इंदापुर एस एस के लिमिटेड, जिला पुणे	1703/90/आई एल दिनांक 4.10.90		सहकारी	1750	2500
42.	मैसर्स विनायक एस एस के लिमिटेड, पारसोडा, तह० वैजापुर जिला औरंगाबाद	222/91/आई एल दिनांक 24.1.91		सहकारी	1250	2500
43.	मैसर्स कादवा एस एस के लिमिटेड, मातेरवाडी, तह० डिंडोरी, जिला नासिक	348/91/आई एल दिनांक 7.8.90		सहकारी	1250	2500
44.	मैसर्स जालना एस एस के लिमिटेड, रामनगर तह० और जिला जालना	486/91/आई एल दिनांक 20.2.91		सहकारी	1250	2500
45.	मैसर्स विघ्नहर एस एस के लिमिटेड, धोलेवाडी पोस्ट सिरोली, तह० जुन्नर, जिला पूणे	480/91/आई एल दिनांक 19.2.91		सहकारी	1200	2500

46.	सिद्धेश्वर एस एस के लिमिटेड, मणिकनगर, सिलौड, जिला औरंगाबाद	746/91/आई एल	सहकारी	2000	3500
47.	जय जवान जय किसान एस एस के लिमिटेड, नीलगांव, जिला लातूर	1006/91/आई एल	सहकारी	1250	2500
48.	मूला एस एस के सोनाय, जिला अहमदनगर	1071/91/आई एल दिनांक 1.5.91	सहकारी	2000	3500
49.	दि कोपरगांव एस एस के लिमिटेड, गौतमनगर, पोस्ट कोलेपीवाडी, जिला अहमदनगर	1223/91/आई एल दिनांक 30.5.91	सहकारी	2000	3500
50.	दि श्रीगौंडा एस एस के लिमिटेड, श्री गौंडा, जिला अहमदनगर	1214/91/आई एल दिनांक 30.5.91	सहकारी	2000	3500
51.	मैसर्स तरना शेतकरी एस एस के लिमिटेड, ढोकी (तरना नगर), तह॰ और जिला औसमानाबाद	1496/91/आई एल दिनांक 22.7.91	सहकारी	3500	5000
52.	श्री वारना एस एस के लिमिटेड, वारना नगर, तह॰ पनहाला, जिला कोहलापुर	1614/91/आई एल दिनांक 14.10.91	सहकारी	4000	5000
53.	मैसर्स कालमनार विभाग एस एस के लिमिटेड, कालमनार तह॰ खाडहर, जिला नांदेड़	1664/91/आई एल दिनांक 12.11.91	सहकारी	1250	2500
	बिहार				
54.	मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, पैलेस/टाउन-गोपालगंज, तह॰ गोपालगंज, जिला गोपालगंज	1419/91/आई एल	निजी	2000	2500
55.	मैसर्स सासा मुसा शुगर वर्क्स लिमिटेड, सासा मुसा, तह॰ गोपालगंज, जिला गोपालगंज	1315/90/आई एल दिनांक 13.8.90	निजी	1016	1750

[हिन्दी]

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा टरबाइनों की सप्लाई

3337. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने मध्य प्रदेश के टोन्स और पैंच पन बिजली परियोजनाओं के लिए टरबाइन सप्लाई किये थे;

(ख) क्या टोन्स परियोजना में लगाये गये तीन टरबाइन में कार्य शुरू नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन टरबाइनों को कार्य करने के योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या पैंच परियोजना में लगाया गया टरबाइन भी खराब पड़ा है; यदि हां, तो कब से;

(ङ) अभी तक इसको न सुधारने के क्या कारण हैं और इसे कब तक सुधार दिए जाने की सम्भावना है; और

(च) इस मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) बी०एच०ई०एल० भोपाल ने पैन्च और टोन्स परियोजना के लिए टर्बाईनों की आपूर्ति क्रमशः 1979 और 1988 में पूरी कर ली थी।

(ख) और (ग). बी०एच०ई०एल० के कार्य क्षेत्र में न आने वाली कुछ परियोजना अर्न्तवस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण टोन्स परियोजना में एकक संख्या 2 और 3 का अभी समकालीकरण किया जाना है।

(घ) से (च). पैन्च के एककों को क्रमशः सितम्बर, 1986 और नवम्बर 1987 में ग्राहक को प्रचालन के लिए सौंप दिया गया था और तब से ये एकक संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे थे। एकक-I में मई, 1991 में जनरेटर में खराबियां आ गईं। बी०एच०ई०एल० के इंजीनियरों ने जनरेटर की जांच की और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया तथा यह कार्य समयानुसार प्रगति पर है। एम०पी०ई०बी० से सम्मत कार्यक्रम के अनुसार सेट के जून, 1992 से पुनः कार्य शुरू करने की संभावना है।

बाढ़ तथा सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता

3338. **डा० महादीपक सिंह शाक्यः** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाढ़ तथा सूखा प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान कितने राज्यों ने सहायता की मांग की;

(ग) क्या उनकी मांगों को निगम ने पूरा किया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम सूखे और बाढ़ों से प्रभावित राज्यों को कोई अतिरिक्त सहायता प्रदान नहीं करता है।

उत्तर प्रदेश में चीनी का गुणवत्ता नियंत्रण

3339. **डा० महादीपक सिंह शाक्य:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों की कार्य-कुशलता की जांच करने के लिए कोई निरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) से (ग). उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों सहित देश की सभी चीनी मिलों का उनके द्वारा उत्पादित चीनी की गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित निरीक्षण आवधिक रूप से किया जाता है। 1990-91 मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों के पास उपलब्ध स्टॉक से चीन के 1529 नमूने लिए गए थे। चीनी के 1529 नमूनों में से 61 चीनी फैक्ट्रियों के 157 नमूने कलर सिरीज में ओवर ग्रेडिड पाए गए थे तथा 7 चीनी फैक्ट्रियों के दस नमूने ग्रेन साइज/रंग में ओवर ग्रेडिड पाए गए। तदनुसार, 61 चूक कर्ता चीनी फैक्ट्रियों को चेतावनी दी गई थी तथा 6 चीनी फैक्ट्रियों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से रंग/ग्रेन साइज में ओवर ग्रेडिंग किए जाने के कारण चीनी फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियोजन कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। शेष 1 मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

कारों का निर्माण

†3340. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सलेम के उद्यमियों ने छोटे और मध्यम दर्जे के परिवारों के लिए डीजल से चलने वाली 350 सी०सी० क्षमता की कारों का निर्माण करने के प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) जी हां, मई 1990 में मैसर्स एक्वामेरिन (प्राइवेट) लिमिटेड, सलेम (तमिलनाडु) के डा० सी० नाचिअप्पन, प्रबन्ध निदेशक ने डीजल से चलने वाले 350 सी०सी० क्षमता के चौपहिया वाहन के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था।

(ख) घरेलू-बाजार में यात्री कारों की सम्भावित मांग तथा पहले से स्थापित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था। पार्टी ने इस बारे में एक प्रतिवेदन दिया है। इस पर नीति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

वर्ष 1990-91 के लिए हरियाणा का योजना गत परिव्यय

3341. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के लिए हरियाणा के वार्षिक योजनागत परिव्यय हेतु कितनी धन-राशि मंजूर की गई;

(ख) राज्य सरकार ने इसमें कितना योगदान किया है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान विभिन्न योजनाओं पर कितनी धन-राशि खर्च की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) योजना आयोग द्वारा हरियाणा की वार्षिक योजना 1990-91 के लिए 700 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था।

(ख) अनुमोदित परिव्यय में बाजार ऋण तथा बातचीत द्वारा तय किए गए ऋण सहित राज्यों के 601.91 करोड़ रुपए के अंशदान को भी सम्मिलित दिया गया है।

(ग) हरियाणा सरकार ने अपने, आठवीं पंचवर्षीय योजना मसौदे (1992—97) तथा वार्षिक योजना 1992-93 के दस्तावेज में वार्षिक योजना 1990-91 के लिए 615.02 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी है।

राज्यों तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

3342. **प्रो० रासा सिंह रावत:**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् देश के प्रत्येक राज्य एवं पिछड़े क्षेत्रों में कितने नये उद्योग स्थापित किए गए; और

(ख) ये उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए तथा इनमें कितनी पूंजी का निवेश किया गया?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख). नयी औद्योगिक नीति के अनुसार, सुरक्षा तथा सामारिक प्रतिष्ठानों आदि से संबंधित उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर शेष सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। किसी भी औद्योगिक परियोजना की औसत परिपक्वता अवधि 3 से 5 वर्ष की होती है, इसलिए इतनी जल्दी यह बताना संभव नहीं है कि नयी नीति की घोषणा के बाद किन-किन स्थानों पर नये उद्योग स्थापित किए गए हैं।

पूर्वी दिल्ली के विकास कार्यों के लिए सलाहकार समिति का गठन

3343. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में विकास कार्यों के देखभाल के लिए किसी विशेष सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इस समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

3344. श्री बी॰ एल॰ शर्मा प्रेमः क्या शहरी विकास मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1977 और 1984 के बीच बनी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र की कालोनियों सहित उन कालोनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें नियमित किये जाने की सम्भावना है और इस संबंध में घोषणा कब तक किये जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महानगरों के लिए केन्द्रीय सहायता

†3345. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली महानगर के लिए कुल कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी गयी है;

(ख) कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास महानगरों के लिए कुल कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है;

(ग) क्या चार्ल्स कोरिया आयोग ने सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में उक्त भाग (ख) में उल्लिखित शहरों के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) तथा (ख). शहरी विकास मुख्यतः राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन का उत्तरदायित्व है। शहरी विकास के प्रयोजन के लिए निधियों का आवंटन, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने वार्षिक बजटों में योजना आयोग के परामर्श से किया जाता है। भारत सरकार मुख्यतः एक नोडल की भूमिका निभाती है।

बम्बई शहर के लिए मलिन बस्तियों के उन्नयन तथा आवास के लिए वर्ष 1985 में 100 करोड़ रुपए का एक विशेष अनुदान संस्वीकृत किया गया था।

नवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में कलकत्ता तथा बम्बई नगरों में मलिन बस्तियों के सुधार और आवास की भयंकर समस्या से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार को समान आधार पर 50 करोड़ रुपए आवंटित करने का सुझाव दिया था।

(ग) तथा (घ). इन चार नगरों के लिए अधिक धन राशि की व्यवस्था करने की राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

---

†मूलतः उड़ीसा में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास केन्द्र

3346. **श्री मुकुल वासनिकः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों का विकास केन्द्र द्वारा प्रयोजित औद्योगिक विकास केन्द्र के रूप में आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इस चयन प्रक्रिया में किन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया?

उद्योग मंत्रालय में राय मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ग). औद्योगिक विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के अकोला, चंद्रपुर, धुले, नान्देड़ तथा रत्नागिरि जिलों में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत विकास केन्द्रों का चयन करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंडों में स्थान विशेष की शहरों से दूरी, जिला/उपमंडल मुख्यालय से निकटता, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, रेल मार्गों, विद्युत, जल आपूर्ति, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक संस्थाओं जैसी मौलिक ढांचागत सुविधाओं तक पहुंच शामिल है।

प्रशासनिक सुधारों के लिए सिफारिशें तैयार करने संबंधी समिति

†3347. **श्री मुकुल वासनिकः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास प्रशासनिक सुधारों के लिए सिफारिशें तैयार करने संबंधी समिति के गठन की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) **कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण का आकलन

†3348. **श्री मुकुल वासनिकः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण के आकलन का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूलतः उड़ीसा में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

उड़ीसा में स्थापित उद्योग

3349. **श्री श्रीकान्त जेना:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में 1980 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत स्थापित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान उड़ीसा में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए 36 आशय पत्र तथा 9 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं।

राज्यों में जिला स्तर के योजना बोर्ड

3350. **श्री राम शरण यादव:**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला स्तर योजना बोर्ड और जिला स्तर के योजना केन्द्र स्थापित दिए जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने इन बोर्डों का गठन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) से (ग). क्षेत्रों के विकास के लिए आयोजना तथा निधियों के आवंटन की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि योजना आयोग समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के जरिए राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता रहा है कि आयोजना प्रक्रिया जिला तथा निम्न स्तर तक होनी चाहिए। आयोजना में स्थानीय पहल को सरल बनाने के लिए अप्रतिबद्ध निधियों के आवंटन को प्रोत्साहित किया जाता है। जिला तथा राज्य दोनों स्तरों पर आयोजना मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

अधिकांश राज्यों में पहले ही जिला स्तर पर आयोजना तथा निगरानी संस्थाएं हैं। ये जिला आयोजना बोर्ड, जिला विकास परिषद्, जिला आयोजना तथा विकास परिषद् आदि विभिन्न नामों से जानी जाती है। कुछ मामलों में इनका कार्य जिला परिषदों को सौंप दिया गया है। इन संस्थाओं का गठन तथा उत्तरदायित्व राज्य दर राज्य भिन्न है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1992—97 में जो निर्माणाधीन है, इस क्षेत्र पर उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

उत्तर प्रदेश में स्थापित उद्योग

3351. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर और बदायूं जिलों में कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और उद्योग स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) विगत तीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर तथा बदायूं जिलों में पंजीकृत कार्यालय सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई नया उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रशन ही नहीं उठता।

आर्डनेन्स ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, विकासपुरी के सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन

2. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्डनेंस ग्रुप हाउसिंग सोसायटी द्वारा विकासपुरी, नई दिल्ली में बनाये गये फ्लैटों को इसके सदस्यों को आवंटित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितनी सदस्यों को फ्लैट नहीं दिये गये हैं; और

(घ) इन्हें फ्लैट आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) से (ख). सोसायटी द्वारा निर्मित 140 फ्लैटों में से 119 सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन करने के लिए निकाले गए ड्रा की दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुष्टि कर दी है।

(ग) तथा (घ). पंजीयक के कार्यालय द्वारा उनके नामों की मंजूरी न दिए जाने के कारण शेष 21 फ्लैट सोसाइटी के सदस्यों को आवंटित नहीं कि जा सके।

[अनुवाद]

मारूति उद्योग लिमिटेड के विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मामला

†3353. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मारूति उद्योग लिमिटेड से संबंधित कुछ अनियमितताओं के बारे में अपने निष्कर्षों के आधार पर मामले दर्ज करने के लिए उद्योग मंत्रालय से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) (क) जी, हां।

(ख) ये अनियमितताएं एक परिवहन-संविदा दिये जाने एवं एयर-कंडीशनरों की खरीद से संबंधित हैं तथा मंत्रालय के विचाराधीन है।

†मूलतः अंग्रेजी में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

शहरीकरण पर नियंत्रण

3354. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्व की तेजी से फैल रही राजधानियों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो शहरीकरण पर नियंत्रण करने तथा शहर में आवास और परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं की देखभाल हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिये एक विस्तृत आयोजना तैयार की है । दिल्ली संदर्श 2001 के लिये वृहद योजना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय योजना-2001 क्रमशः 1.8.1990 तथा 23.1.1989 से लागू हो गई है।

गंदी बस्तियों और अनधिकृत कालोनियों में सीवर की सुविधा

†3355. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी की आधी से ज्यादा जनसंख्या गंदी बस्तियों और अनधिकृत कालोनियों में रहती है जहां सीवर की सुविधा का नितांत अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) तथा (ख). मलिन बस्तियों तथा अनधिकृत कालोनियों में सीवर सुविधाओं से सम्बन्धित स्थिति निम्नानुसार है:—

अनधिकृत/नियमित कालोनियां

ऐसी 553 कालोनियों में से मल-निर्यात सुविधायें 201 कालोनियों में विद्यमान हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शेष सभी 352 कालोनियों में मल-निर्यात सुविधायें प्रदान करने की योजना की गई है।

पुनर्वास कालोनियां

44 पुनर्वास कालोनियों में से 17 कालोनियों में मल-निर्यात पद्धति कार्यात्मक है। 10 कालोनियों में कार्य चल रहा है जो 1991-92 के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा। 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष 17 कालोनियों को उत्तरोत्तर रूप से लाभान्वित कर लिया आयेगा।

शहरी गांव

108 गांवों में से 80 गांवों में मल-निर्यात पद्धति कार्यात्मक है। शेष 28 गांवों को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभान्वित किया आयेगा।

अनधिकृत/अनियमित कालोनियां तथा झुग्गी-झोंपड़ी समूह

वर्तमान नीति के अनुसार 500 अनियमित कालोनियों और 652 झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में मल-निर्यात पद्धति प्रदान करने का कोई इरादा नहीं है।

देहाती गांव

ऐसे 212 देहात के गांव हैं जहां पीने के पानी की उपलब्धता लगभग 12 से 15 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति-दिन है। जब तक इस आपूर्ति को कम से कम 30 गैलन तक प्रतिदिन नहीं बढ़ाया जाता है तब तक मल-निर्यात सुविधायें स्थापित करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है।

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देहात के गांवों में जल आपूर्ति को बढ़ाने की योजना है।

मल-निर्यात शोधन की क्षमता का विस्तार/अतिरिक्त सृजन

इस समय दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के पास मल के शोधन के लिए 280 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एम० जी० डी०) की क्षमता है जिसे 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 499 मिलियन गैलन प्रति दिन (एम जी डी) बढ़ाया जायेगा।

कलर पोजिटिव फिल्म रोलों का मूल्य

†3356. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान फिल्म उद्योग के लिए कलर पाजिटिव फिल्म रोलों की कटाई और छंटाई पर कितना मूल्य लिया गया है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां यही कार्य बहुत कम दरों पर करने के लिए तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान फिल्म उद्योग के लिए रंगीन पॉजिटिव फिल्म रोलों की कटाई और छंटाई के लिए वसूल किया गया मूल्य इस प्रकार है:—

	(रुपये/प्रति वर्ग मीटर)
1988-89	6.06
1989-90	7.05
1991-92	7.20

(ख) और (ग). उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत आयात किये गये जम्बों रोलों से तैयार किये गये फोटोसैन्सेटाइज्ड माल की छंटाई और मिश्रण बनाने के लिए अब औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां

†3357. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की वर्ष 1990-91 के दौरान की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुये शोध-पत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पेटेंटों की संख्या कितनी थी;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित की गई और उद्योगों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं की संख्या कितनी है; और

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वेतन चिट्ठे में अनुसंधान सहायकों से लेकर वरिष्ठ वैज्ञानिकों की ग्रेडवार अनुसंधान कर्मियों की कुल संख्या कितनी थी?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) वर्ष 1990-91 के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के साथ निम्नांकित सम्मिलित हैं:—

(i) इथाएलबैंजीन के उत्पादन के लिए एकल चरण (सिंगल स्टैप) प्रक्रम हेतु एक नवीन उत्प्रेरक का विकास।

(ii) एक बाईमैटलिक रिफोर्मिंग केटालिस्ट (उत्प्रेरक) का विकास, अब वाणिज्यिक प्रयोग में है।

(iii) साईनाक्राईलेट एडहिसिवों और सोडियम एज़ाईड के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण।

(iv) नॉन-स्टीरियॉडल फीमेल कन्ट्रासेप्टिव (हारमोन रहित महिला गर्भ निरोधक) सेन्टक्रोमेन का विपणन।

(v) वायुयान निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले एल्युमीनियम एलोय रीवेट्स के उत्पादन के लिए ओप्टीमम प्रोसेस पैरामीटर्स का विकास।

(vi) तरल नीम्रोजन स्क्विड।

(vii) लाईट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर विस्तृत संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करना।

(viii) सुपरकंडक्टिंग मैटिरियल, फोटोकेमिस्ट्री, प्लांट वायरस, सैल्यूलर और मोलेक्यूलर जैविकी और न्यूरोवायलौजी पर मौलिक अनुसंधान फाइंडिंग्स।

इन उपलब्धियों की एक विशेष उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इनमें से कुछ प्रक्रमों का अन्य देशों को लाईसेंस दिया गया है जैसे — फ्रांस को गुगलीपिड, हौलैंड को पैंटासिल ज़ियोलाईट कैटालिस्ट और चीन को पोलीमर अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए परामर्श।

(ख) लगभग 1968।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान फाईल किए गए पेटेंटों की संख्या 201 है।

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 50 नए प्रक्रमों का सीएसआइआर द्वारा विकास किया गया और इस वर्ष की अवधि में करीब 130 उद्योगों द्वारा सीएसआइआर के लगभग 90 प्रक्रमों को अपनाया गया।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रेड III (1) में वेतनमान रु॰ 1400—2300 से लेकर ग्रेड IV (7) रु॰ 5900—7300 के वेतनमान तक वेतन चिट्ठे के अनुसार अनुसंधान कर्मियों की कुल संख्या अनुमानतः 9900 है। इसमें तकनीकी कर्मचारियों की संख्या भी शामिल है जो अनुसंधान और विकास गतिविधियों में वैज्ञानिकों की सहायता कर रहे हैं।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा

†3358. श्री सैय्यद शहाबुद्दीन:
कुमारी विमला वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस त्रासदी में कितने लोगों की मौतें हुई, कितने लोग पूरी तरह से विकलांग हुए और कितने लोग आंशिक रूप से विकलांग हुए;

(ख) उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अंतर्गत श्रेणीवार कितना मुआवजा देय है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मुआवजा दिया गया है और उन मामलों के संगत आंकड़े क्या हैं जिनमें मुआवजा आंशिक रूप से दिया गया है अथवा यह मुआवजा आजीवन दिया जाएगा;

(घ) यूनियन कारबाइड के विरुद्ध कितने मुआवजे की डिक्री की गई थी; और

(ङ) क्या राज्य सरकार यूनियन कारबाइड से प्राप्त मुआवजे के कुछ भाग का उपयोग आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कर रही है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के कारण 30.11.1991 को 4037 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा दस्तावेजों के अनुसार घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता 44, अस्थायी रूप से घायल होने के कारण अस्थायी विकलांगता 7177, स्थायी रूप से घायल होने से अस्थायी विकलांगता 1314 और स्थायी आंशिक विकलांगता 2681।

(ख) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने 470 मिलियन अमरीकी डॉलर की क्षतिपूर्ति देने के लिए कहा था। क्षतिपूर्ति की सारी राशि उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के नाम से भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर दी गई है। दावों का निपटान और क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का पंजीकरण और प्रक्रिया) योजना, 1985 के अंतर्गत किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार, क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया 3 फरवरी, 1992 तक प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए।

लघु और कुटीर उद्योगों के उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय में अंश

†3359. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान लघु और कुटीर उद्योगों, मझोले उद्योगों और बड़े उद्योगों के उत्पादन का निरपेक्ष रूप में सकल घरेलू उत्पाद में कितना अंश रहा और राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत अंश रहा; और

(ख) 31 मार्च, 91 को इनमें से प्रत्येक श्रेणी के उद्योगों में कितने व्यक्ति थे और कितनी पूंजी लगी हुई थी?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) तथा (ख). वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में उत्पादन तथा रोजगार के अनुमान नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रु॰ में)	रोजगार@ (लाख व्यक्ति)
1988-89	129272	383
1989-90	160789	391
1990-91*	190606	441

*प्रत्याशित

@अंशकालिक तथा पूर्णकालिक दोनों

31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार मध्यम उद्योगों तथा बड़े उद्योगों के संबंध में इसी प्रकार की सूचना तथा उद्योगों की इन श्रेणियों में से प्रत्येक में लगी पूंजी तथा अपेक्षित श्रेणियों में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों पर सूचना उपलब्ध नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश और आय

3360. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या योजना और कार्यक्रम क्रार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश दर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर क्या है;

(ख) क्या यह दर राष्ट्रीय औसत से कम थी; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश में तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। राज्य स्तर पर निवेश के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार अपने राज्य में विकास के स्तर को बढ़ाने के लिये विकासात्मक योजनाएं लागू करती आ रही हैं। इनमें आधारभूत संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के विकास के लिये निवेश/परिव्यय शामिल हैं। वे गरीब लोगों की आय में वृद्धि करने के लिये प्रत्यक्ष रोजगार सृजन कार्यक्रमों को भी लागू कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य अब आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहे हैं ताकि आन्ध्र प्रदेश के लोगों की आय और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये ये विकासात्मक प्रयास जारी रखे जा सकें।

विवरण

स्थिर (1980-81) कीमतों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

क्रमांक	मद	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (अ)	सातवीं योजना मिश्रित विकास %
1.	आन्ध्र प्रदेश का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन॰एस॰डी॰पी॰) (रुपयों में)	1505	1552	1461	1567	1791	1826	—
2.	तात्विक लागत पर अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एन॰एन॰पी॰) (रुपयों में)	1811	1842	1866	1903	2078	2142	—
3.	आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दरें	—	3.1	-5.9	7.3	14.3	2.0	3.9
4.	निवल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की दर	—	1.7	1.3	2.0	9.2	3.1	3.4

(अ):अस्थाई

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

†3361. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने यह बताया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के स्थान पर सरकारी क्षेत्र के एककों को पुनः चालू करना अधिक सरल होगा;

(ख) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने-कितने रुग्ण एकक हैं;

(ग) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन) (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कम्प्यूटर सोसायटी आफ इंडिया का प्रस्ताव

†3362. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर सोसायटी आफ इंडिया ने यह प्रस्ताव किया है कि भारत के साफ्टवेयर विशेषज्ञों को जापान में साफ्टवेयर कार्मिकों की वर्तमान कमी का लाभ उठाना चाहिए और मेन बाजार में अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए जैसा कि दिनांक 3 अक्तूबर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया (सी०एस०आई०) ने अभी तक केवल प्राथमिक प्रस्ताव ही प्रस्तुत किए हैं। उन्हें अभी इसका विस्तृत ब्यौरा तैयार करना है। वर्तमान प्रस्ताव में सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए संसाधन केनदर स्थापित करने की बात कही गई है जिसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जापानी भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें कुल 331 रुपये की लागत आएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्थानान्तरण

†3363. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को दिल्ली से हटाने के बारे में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें हटाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इनको कब तक हटाया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण में दी गई सूचना के अनुसार।

(ग) मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है।

विवरण

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालय की स्थिति
1.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	मुख्यालय
2.	स्टेट फार्मस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	मुख्यालय
3.	सैंट्रल वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन	क्षेत्रीय कार्यालय और निर्माण कक्ष
4.	भारतीय खाद्य निगम	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और जोनल कार्यालय (उत्तरी)
5.	हास्पीटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	मुख्यालय
6.	वायुदूत	-वही-
7.	हेलिकाप्टर कार्पोरेशन आफ इंडिया	-वही-
8.	एयर लाइन्स अलाइड सर्विसेस लि०	-वही-

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालय की स्थिति
9.	भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	मुख्यालय
10.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	क्षेत्रीय कार्यालय
11.	राष्ट्रीय खाद निगम लि०	मुख्यालय
12.	भारतीय खाद निगम	-वही-
13.	हिन्दुस्तान खाद निगम लि०	-वही-
14.	पाइराइटस, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	-वही-
15.	पारादीप फास्फेट्स लि०	-वही-
16.	इंडो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि०	-वही-
17.	नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक्स पावर कार्पोरेशन	-वही-
18.	राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दिल्ली, पंजाब और राजस्थान) लिमिटेड	क्षेत्रीय कार्यालय
19.	खनिज और धातु व्यापार निगम लि०	मुख्यालय
20.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	-वही-
21.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लि०	-वही-
22.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०	क्षेत्रीय कार्यालय
23.	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि०	-वही-
24.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	-वही-
25.	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया	-वही-

जर्मनी का व्यापार शिष्टमंडल

†3364. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जर्मनी के व्यापार शिष्टमंडल से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके विकास के लिए जर्मन उद्योग समूह को सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में चालू केन्द्रीय परियोजना को पूरा करना

3365. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपये से कम लागत की उन वर्तमान केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण कार्य समयानुसार चल रहा है;

(ख) उन केन्द्रीय परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने का परियोजनावार ब्यौरा क्या है जिनका कार्य समय के अनुसार पूरे होने की संभावना नहीं है; और

(ग) इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य : महाराष्ट्र
निर्माण : परियोजना
(लागत रु॰ 100 करोड़ रु॰ से कम और
20 करोड़ रु॰ और अधिक)

वर्ष 1991-92
त्रैमासिक : अपरैल—जून
एकक : (लागत/व्यय रुपए करोड़ में)

क्रम सं॰	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकार द्वारा अनुमोदित दिनांक मूल (परि-शोधित)	आरम्भ करने की तिथि: मूल सं॰-शोधित	आरम्भ करने की तिथि: प्रत्या-शित	समयोपरि (महीने): कुल (मूल %)	समयोपरि (महीने): अति-रिक्त मूल पर गत	लागत: मूल के प्रत्या॰ (संशो-धित)	लागत: प्रत्या-शित	% लागत अतिरिक्त मूल से अधिक	3/90 तक व्यय	1991-92 बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	समयोपरि वार्षिक व्यय समयोपरि तक	संचयी व्यय
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	क्षेत्रक (आई एंड ई)													
1.	टी॰वी॰ एक्स॰ बम्बई		89/03	94/03	94/03	0 (0)	0	20.18	20.18	0	7.92	8.47	0.11	8.03
2.	बी-131 विकास बम्बई, महाराष्ट्र		88/10	90/10	91/12	14 (58)	0	54.12	59.80	14 —	58.80	3.00	2.29	61.09
3.	बी-57 विकास बम्बई, महाराष्ट्र		88/10	90/08	91/12	16 (72)	0	76.03	69.31	-8 —	67.73	3.00	3.01	70.74
4.	बीएच-22 विकास बम्बई, महाराष्ट्र		88/10	90/09	92/05	20 (86)	0	76.49	72.19	-5 —	65.03	6.02	4.54	69.57

5.	बीएच-23 विकास बम्बई, महाराष्ट्र		88/10	90/10	92/05	19 (79)	0	74.96	79.31	5 —	66.43	6.02	—	66.43
	क्षेत्रक: रेलवे													
6.	नारखेर मेटपंजार दोहरी रेलवे लाइन	34 कि॰मी॰	90/04	00/00	00/00	उ॰न॰ (-)	0	35.97	35.97	0 —	—	3.72	—	0.00
	मध्य रेलवे, महाराष्ट्र													
7.	मनमाड-पार्लि व्यालीनार्थ-दक्षिण-मध्य रेलवे	354 कि॰मी॰	74/03 (88.04)	91/12	92/03	3 (1)	0	28.00 (99.00)	99.95	256 (0)	44.95	10.53	0.62	45.57
8.	अतिरिक्त लाइनें आंधा-बांद्रा बम्बई, महाराष्ट्र	7.20 कि॰मी॰	84/03	92/03	92/03	0 (0)	0	46.61 (62.05)	75.00	60 (20)	13.51	20.00	0.45	13.96
9.	बसाईकर्क पश्चिम रेलवे बम्बई महाराष्ट्र पर न्यू ब्रिज		82/03	91/03	91/06	3 (2)	0	43.11	43.11	0	34.90	7.71	2.10	37.00
	क्षेत्रक: जल-भूतल परिवहन													
10.	नवासेवा-लिंक (एनएच4बी) नवा-सेवा, महाराष्ट्र	26.6 कि॰मी॰	87/01	90/05	92/12	31 (77)	0	30.66	30.66	0 —	11.98	11.15	2.45	14.43

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11.	3 बड़ी केरियर की प्राप्ति, एससीआई बम्बई, महाराष्ट्र	डीडब्ल्यू टी 42750 प्रत्येक	85/03	90/03	93/12	45 (75)	16	46.57	52.06	11 —	23.28	22.02	—	23.28
12.	3 बड़ी केरियर की प्राप्ति, एससीआई बम्बई, महाराष्ट्र	डीडब्ल्यू टी 26450 प्रत्येक	81/02	85/03	91/09	78 (159)	6	22.51	24.56	9	22.37	6.67	—	22.37
	क्षेत्रक: दूर-संचार													
13.	6 जीएचजेडएम/डब्ल्यू लिंक धुलिया-अकोला नागपुर, महाराष्ट्र	एमबी/एस 140	87/07	90/03	90/12	9 (28)	0	22.77	22.76	0 —	10.23	0.10	0.11	10.34
14.	बम्बई-पुणे (ओएफसी) बम्बई, महाराष्ट्र	6 जीएच जेड 140	87/08	90/03	91/03	12 (39)	0	33.08	33.08	0 —	3.22	5.97	3.98	7.20
15.	मालाबारहिल लिंक्स-3 बम्बई-महाराष्ट्र	एमबी/एस 15000 लाइनें	89/09	91/03	91/06	3 (16)	1	33.50	33.50	0 —	10.31	1.66	1.43	11.74

महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय परियोजनाएं

पश्चिमी कोयला क्षेत्र मर्यादित

(0)	परियोजना (1)	स्वीकृति की तारीख (2)	अंतिम क्षमता (मि॰ टन) (3)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु॰) (4)	सितम्बर, 91 या पूर्ण होने तक व्यय (5)	पूर्ण होने की तारीख: संशोधित परियोजना अनुसूची (6)	पूर्ण होने की तारीख: प्रत्याशित (7)	विलंब के कारण (8)	की गई/की जाने की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई (9)	पूर्ण हो जाने पर प्रत्याशित लागत (10)	(11)
चालू परियोजनाओं की अनुसूची											
1.	बेलोरा-ओ॰सी॰	जनवरी, 87	0.45	19.30	15.28	मार्च, 92	मार्च, 92				
2.	वागांव-ओ॰सी॰	नवम्बर, 89	0.38	19.21	7.09	मार्च, 93	मार्च, 93				
3.	(आर॰सी॰ई॰) गुगुआ ओ॰सी॰	फरवरी, 91	1.50	98.07	70.89	मार्च, 92	मार्च, 92				
4.	जूनाड़-ओ॰सी॰	मई, 91	0.32	19.14	7.45	मार्च, 96	मार्च, 96				
5.	ससती-(ओ॰सी॰) (आरसीई)	सितम्बर, 89	1.00	66.71	52.59	मार्च, 91	मार्च, 91				
6.	न्यू धूपतला-ओ॰सी॰ (आरपीआर)	फरवरी, 90	0.30	17.37	7.42	मार्च, 92	मार्च, 92				
7.	पदमपुर-ओ॰सी॰	मार्च, 84	1.25	50.74	55.97	मार्च, 92	मार्च, 92				
8.	भाटडी-ओ॰सी॰	दिसम्बर, 88	0.25	17.02	7.45	मार्च, 95	मार्च, 95		(68.88 करोड़ रु॰ की आरसीई सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत)		
9.	पीपलगांव-ओ॰सी॰	मार्च, 91	0.60	41.51	9.63	मार्च, 97	मार्च, 97				
10.	उत्परेरअति-उत्पाद स्कीम-ओ॰सी॰	दिसम्बर, 89	0.50	15.60	9.11	मार्च, 93	मार्च, 93				

.)\la2952

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.	नेगांव-ओ॰सी॰	जनवरी, 91	0.35	19.60	1.44	मार्च, 96	मार्च, 96				
12.	नैलवे-ओ॰सी॰	अप्रैल, 87	1.90	96.86	59.49	मार्च, 96	मार्च, 96				
13.	गौरी-11-ओ॰सी॰	दिसम्बर, 88	0.35	19.32	7.51	मार्च, 93	मार्च, 93				
14.	सिरना-ओ॰सी॰	अप्रैल, 91	0.24	12.07	0.00	मार्च, 95	मार्च, 95				
15.	भूमिगत परियोजना										
	1. चीनचोली-यू॰जी॰	जनवरी, 88	0.40	16.92	0.06	मार्च, 94	मार्च, 94				
	2. बिवर-यूजी	जुलाई, 87	0.32	14.39	0.04	मार्च, 95	मार्च, 95				
	3. रजुर-(आरओ)-यूजी	जून, 90	0.09	3.14	0.00	मार्च, 93	मार्च, 93				
	4. साओनेर-यू॰जी॰	अगस्त, 83	1.50	46.96	29.93	मार्च, 93	मार्च, 93				
	5. सस्ती सीमांत स्कीम-यूजी	जून, 89	0.06	2.62	0.86	मार्च, 92	मार्च, 92				
	6. सुबे-यू॰जी॰	जनवरी, 88	0.32	13.67	0.06	मार्च, 94	मार्च, 94				
	7, मोरपार-यू॰जी॰	जून, 89	0.28	18.14	0.00	मार्च, 86	मार्च, 96				
	8. पटनसांगी व्यय-यू॰जी॰	नवम्बर, 89	0.25	12.40	3.61	मार्च, 93	मार्च, 93				
	9. बल्लारपुर आर/ओ-यू॰जी॰	जनवरी, 88	0.60	15.72	14.34	मार्च, 93	मार्च, 93.				
	10. मकरदहोकरा-यू॰जी॰	अप्रैल, 91	0.33	19.35	0.00	मार्च, 98	मार्च, 98				

चालू परियोजनाओं पर विलंब

1.	गौरी-I-ओसी (आरसीई)	जुलाई, 87	0.50	19.75	17.34	मार्च, 92	मार्च, 93	1	भूमि अधिग्रहण में विलंब	365.09 हे० के एवार्ड की स्वीकृति, दिसम्बर, 1991 तक वास्तविक कब्जा	अभी अनुमान लगाया जाना है
2.	कवाड़ी-ओसी	जुलाई, 87	0.40	18.28	16.52	मार्च, 94	मार्च, 93	2	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब	खाने शुरू कर दी गई, राज्य सरकार से शेष भूमि एवार्ड के प्रतीक्षित	अभी अनुमान लगाया जाना है

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	दुर्गापुर-रायत (आरपीआर) -यूजी	जून, 82	0.60	10.08	11.31	मार्च, 86	मार्च, 94	8	जीओ-खान	• आरपीआर को सीआईएल द्वारा स्वीकृति दी जा रही है प्रतिकूल जीओ-खनन के कारण खनन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है	21.45 करोड़ रु० (आरपीआर अनुमान)
4.	सिलेवाड़ा-II विस्तार-यूजी	मार्च, 85	1.00	38.06	41.68	मार्च, 92	मार्च, 93	1	खान-प्रवेश	सेफ्ट सिंकिंग संविदात्मक कार्य और इंकलाई ड्रेनेज का कार्य शीघ्र किया जा रहा है।	57.45 करोड़ रु० आरसीई अनुमान का स्वीकृति दी जा रही है

राज्य: महाराष्ट्र
अन्य परियोजनाएं

एकक: लागत/व्यय: करोड़ रु॰ में

क्रम सं॰	परियोजना	सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख	आरम्भ करने की तारीख		लागत	
			मूल	संशोधित	मूल अनुमोदन	संशोधित
	क्षेत्रक : रसायन एवं पैट्रोरसायन (हिंदुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लि॰)					
1.	कॉस्टिक सोडा/क्लोरीन	—	93/12	94/09	66.00	66.00
2.	नाइट्रोक्लोरोबेन्जीनस्यय	—	93/03	93/03	20.00	20.00
	क्षेत्रक: वीएसएसआई					
3.	इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद	91/05	93/07	93/07	24.52	31.09

महाराष्ट्र में कार्यान्वयन के लिए डीबीटी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे

	अनुदानग्राही संस्थाओं का नाम	परियोजना का नाम	माह जिसमें स्वीकृत हुआ	स्वीकृत निर्माण कार्य के लिए अनुदान राशि	अभ्युक्तियां
				(लाख रु० में)	
1.	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूणे	ट्री बायोगैस के क्षेत्र में टिसू कल्चर प्लांट	मार्च, 89	75.48	निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य जारी
2.	एनिमल सेल तथा टिसू कल्चर के लिए राष्ट्रीय सुविधा पूणे	कार्यालय तथा प्रयोगशाला भवन आदि का निर्माण	सितम्बर, 90	638.00	(क) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पूरे होने में विलंब के कारण निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 6 महीने के विलंब की संभावना। (ख) निर्माण लागत में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा नहीं है। (ग) निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्रगति की निकटता से निगरानी की जा रही है।
3.	पूणे विश्वविद्यालय	स्नातकोत्तर जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को आयोजित करने के लिए भवन निर्माण	1984-85	6.00	निर्माण में किसी विलंब की सूचना नहीं
4.	आईआईटी बम्बई	-वही-	1984-85 से 1990-91	17.75	-वही-
5.	पूना विश्वविद्यालय	डीआईसी का निर्माण (बायोइनफोरमेटिक्स)	जून/सितम्बर, 1987	5.00	-वही-

परियोजना निष्पादन के निपटान के लिये सरकार द्वारा उठाए गये ८ :

परियोजनाओं को पूरा किये जाने तथा निष्पादन के निपटान के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाएं हैं, अन्य बातों के साथ इसमें ये भी शामिल हैः—

(1) मासिक/त्रैमासिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (डी०पी०आई०) द्वारा परियोजनाओं का गहन प्रबोधन/परियोजनाओं के बारे में त्रैमासिक परियोजना कार्यान्वयन स्थिति प्रतिवेदन, जिनमें प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपये तथा इससे ऊपर हैं, इन्हें डी०पी०आई० द्वारा तैयार किया गया है और इनकी आवश्यक कार्रवाई के लिये विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालते हुये सभी सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है। संबंधित मंत्रालय/विभाग समस्या के समाधान के लिये उनके द्वारा किये गये उपाय और परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिये फीड बैक डी०पी०आई० को देते हैं।

(2) संबद्ध मंत्रालयों द्वारा तथा डी०पी०आई० में विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति का समय-समय पर गहन पुनिरिक्षण।

(3) सम्बद्ध मंत्रालयों, डी०पी०आई० और परियोजना प्राधिकारियों के द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर आपूतिकर्ताओं, संविदाकारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के सहयोग से विलम्ब को कम करने के लिये अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(4) डी०पी०आई० तथा अन्य द्वारा मंत्रालयों में पारस्परिक समन्वय तथा पारस्परिक कार्रवाई।

(5) वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमों की तैयारी पर बल देना।

(6) सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों तथा डी०पी०आई० के अधिकारियों द्वारा निर्माण-स्थल का निरीक्षण।

(7) परियोजना उद्यमों के लाभार्थ परियोजना कार्यान्वयन मार्ग-निर्देशन का विकास करना।

(8) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुये डी०पी०आई० द्वारा प्रबंधकों को अभिकलित्र पर आधारित परियोजना प्रबंधन प्रशिक्षण, कार्यक्रम आयोजित किया जाना।

(9) एम०ओ०यू० के उद्यमों को अंतिम रूप देते समय परियोजना कार्यान्वयन पर अधिक महत्व देना।

शराब बनाने के कारखाने

3366. श्री साईमन मरान्डीः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शराब बनाने के राज्यवार कितने शराब कारखाने कार्य कर रहे हैं और उनमें किन-किन किस्मों की शराब का उत्पादन किया जाता है तथा उनके ब्रांड नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शराब बनाने के कारखाने खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी मुख्य शर्तें क्या हैं और विश्लेषण तथा उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार देश में 184 आसवनियां हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इनके अलावा अनेक ऐसे एकक हैं जो आईएमएफएल और देशी शराब को बोतलों में भरने और शराब संमिश्रण (ब्लेंडिंग) में लगे हुए हैं। औद्योगिक अल्कोहल के अलावा उत्पादित शराब की मुख्य किस्में हैं— ह्विस्की, रम, जिन, ब्रांडी, वाइन और देशी शराब ब्रॉड नामों जिनके अंतर्गत इन्हें बेचा जाता है, संबंधी जानकारी सरकार द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(ख) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों को छोड़कर शीरा फीड स्टाक पर आधारित अल्कोहलीय पेयों के आसवन या किण्वासवन के लिए अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने या विद्यमान क्षमता का विस्तार करने पर नवम्बर, 1975 से रोक लगी हुई है। फिर भी उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना जारी है। नवीनतम मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के उपयोग के लिए डाउनस्ट्रीम एककों जैसे औद्योगिक अल्कोहल आदि के संबंध में औद्योगिक लाइसेंस आसानी से दिए जाएंगे। अल्कोहल पर आधारित रसायनों का उत्पादन करने में केप्टिव खपत के लिए औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने के प्रस्तावों का भी समर्थन किया जाता है।

आसवनियों के उत्पादों की गुणवत्ता पर नियंत्रण आदि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	आसवनियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	17
2.	आसाम	1
3.	बिहार	11
4.	दमन और दीव	3
5.	गुजरात	8
6.	हरियाणा	4
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू और कश्मीर	5
9.	कर्नाटक	13
10.	केरल	2
11.	मध्य प्रदेश	16
12.	महाराष्ट्र	38
13.	नागालैण्ड	1
14.	उड़ीसा	4
15.	पाण्डीचेरी	2
16.	पंजाब	4
17.	राजस्थान	4
18.	तमिलनाडु	8

क्र॰सं॰	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	आसवनियों की संख्या
19.	सिक्किम	1
20.	उत्तर प्रदेश	34
21.	पश्चिम बंगाल	7
	योगः	184

[हिन्दी]

दिल्ली प्रशासन द्वारा पप्पनकलां में भूमि अर्जन

3367. **श्री मदन लाल खुरानाः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा पप्पनकलां में किसानों से भूमि अर्जित किये जाने के बाद कुल कितनी भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के सपुर्द की गई;

(ख) इस भूमि को आवास निर्माण के लिये सहकारी आवास समितियों और अन्य को कब तक अन्तरित करने का विचार था;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बिजली, जैसे जल-मल-व्यय आदि जैसी प्राथमिक नागरिक सुविधायें प्रदान करने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है; और

(घ) यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा पप्पनकलां/द्वारका में अर्जित 4775.44 एकड़ भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण पप्पनकलां/द्वारका फैस-1 में 260 सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की स्थिति में है। प्रस्तावित आवंटन एस॰एल॰पी॰ संख्या 10857/91 में निहित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन है जिसमें दिनांक 18.11.91 के अंतरिम आदेश निम्नलिखित प्रकार से हैः—

> "उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आदेशों के कार्यान्वयन की तारीख 12.11.91 निर्धारित की गई है, जिसे अगले आदेशों तक बढ़ाया जाता है। इस बीच, दिल्ली विकास प्राधिकरण सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकता है किन्तु आवंटन संबंधी कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। मामला 17.12.1991 को सूचीबद्ध किया जाये।"

(ग) तथा (घ) सड़कें बनाना, डिस्ट्रिक्ट पार्क, निकटवर्ती पार्कों में बाड़ लगाना जिसमें पेड़ लगाना भी शामिल है इत्यादि जैसे कार्य प्रगति पर हैं। बिजली, पानी की सप्लाई, सीवरेज, इत्यादि के संबंध में, आयोजन तथा अभिकल्पना कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य 92-93 के दौरान आरम्भ करने की संभावना है तथा तत्पश्चात् 4-5 वर्ष के अंदर चरणों में पूरा होने की आशा है बशर्ते कि दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा ट्रंक सेवाओं का कार्य भी साथ-साथ आरम्भ किया जाये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बन्द होना

3368. **श्री मदन लाल खुरानाः**
श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डाः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ऐट पी०एस०यू० आइडेन्टिफाइड फार क्लोजर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय ने बन्द होने वाले सरकारी क्षेत्र के उन आठ उपक्रमों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच ऐसे रुग्ण उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र की किसी भी इकाई का, विशेष रूप से बंद करने के लिए, पता नहीं लगाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झुग्गी झोपड़ी कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

†3369. **श्री मदनलाल खुराना:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे 13 लाख लोगों के पुर्नवास और पर्यावरण सुधार के लिए कई करोड़ के किसी वृहत्त पांच वर्षीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है क्या इसमें भूमि के अवैध कब्जे को ध्यान में रखे बिना झुग्गी झोपड़ियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम का समयबद्ध ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) जी, हां। झुग्गी झोपड़ी निवासियों के पुनर्स्थापना की योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन 18 वर्गमीटर के "स्थल और सेवाएं" 7 वर्गमीटर भाग खुले कोर्टयार्ड में सहित, आवंटित करके 1990-91 से 1995-96 तक के दौरान 80,000 परिवारों के पुनर्स्थापन का इरादा रखता है।

झुग्गी झोंपड़ी समूहों में पर्यावरणीय सुधार करना एक सतत योजना है जिसके अन्तर्गत स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पात्र समूहों में एक चरणबद्ध रूप में पेयजल, पथ प्रकाश, नालियों, खंडजायुक्त मार्ग और कूड़ेदान/डलाव जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है अतः सभी झुग्गी झोपड़ियों के समूहों को लाभान्वित करने की कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मामलों का निपटारा

†3370. **श्री मदन लाल खुराना:**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल डाइलेटरी टैक्टिक्स बाई गवर्नमेंट टारपेडी फास्टर डिस्पोजल आफ केसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी वकील किसी न किसी आधार पर अनावश्यक स्थगन की मांग करते रहते हैं और यदि हां तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त न्यायाधिकरणों में अभी तक लंबित पड़े ऐसे मामलों को अलग करने का कोई प्रस्ताव है जिन्हें अन्य मामलों में दी गई विगत व्यवस्था के आधार पर निपटाया जा सकता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन न्यायाधिकरणों की कुछ और खंडपीठों की स्थापना की जानी थी और पद-रिक्तियां भरी जानी थी;

(च) यदि हां, तो उक्त खंडपीठों की स्थापना किए जाने और पद-रिक्तियों को भरे जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1991 में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की विभिन्न खंडपीठों में कितने मामले दायर किए गए?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) कुछ मामलों में संचार के नियमों में निर्दिष्ट समय में दलीलें पूरी नहीं होतीं और दोनों पक्षों के वकील स्थगन मांगते हैं। संबंधित पीठ मामले पर सुनवाई करते हुए अपने न्यायिक विवेकाधिकार के अन्तर्गत स्थगन मांग रहे पक्ष को और अधिक समय देता है और कभी-कभी दूसरे पक्ष के खर्चे की अदायगी करने की शर्त पर ऐसा करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कुछ मामलों में दोनों पक्ष इस बारे में सहमत हो सकते हैं कि मामले का निपटारा अन्य मामलों में दिए गए पूर्व निर्णयों के आधार पर किया जा सकता है लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता। अगर इस बारे में दोनों पक्ष सहमत न हों तो यह तय करने के लिए कि इस मामले पर पहले से निर्णय दिया जा चुका है या नहीं, मामले के तथ्यों के बारे में उन्हें सुना जाएगा।

(ङ) और (च) केन्द्रीय प्रशासनिक संचार की अतिरिक्त पीठ आवश्यकतानुसार स्थापित की जाती है। यह प्रस्ताव है कि विभिन्न स्थानों पर इस संचार की चार अतिरिक्त पीठें स्थापित की जाएं। पीठ स्थापित करने और रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा 1991 में 31.10.91 तक केन्द्रीय प्रशासनिक संचार की विभिन्न पीठों में दायर मामलों की वर्षवार संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	दायर मामलों की संख्या
1988	19457
1989	18602
1990	19264
1991	17900 (31.10.91 तक)

औषधों के उत्पादन के लिए लाइसेंस

†3371. **श्री कड़िया मुंडा:** क्या प्रधान मंत्री औषधों के उत्पादन के लिए लाइसेंस के बारे में 4 सितंबर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5634 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फार्मास्यूटिकल और औषध मदों के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी कंपनियों को लाइसेंस देते समय ध्यान में रखे जाने वाले नीतिगत मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश के लिए औषधों का उत्पादन करने के लिए किन कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है;

(ग) क्या इन कंपनियों को सौंपे गए कार्य के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) औषध नीति के उपबंधों के अनुसार, औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदनों की जांच करते समय फार्मूलेशनों के लिए बल्क दवाओं की आरंभिक स्थिति तथा अनुपात मानदंडों (उत्पादन-मूल्यों तथा उपभोग-मूल्यों) को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) से (घ) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश के लिए दवाओं के निर्माण हेतु किसी कंपनी को लाइसेंस जारी नहीं किए गए है।

[हिन्दी]

कालीन उद्योग में बाल श्रमिक

3372. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीन उद्योग को "खतरनाक उद्योगों की मान्य सूची" में शामिल किये जाने के बावजूद उसमें अनेक बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस उद्योग में बाल श्रमिकों को नियुक्त किये जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (अनुसूची के भाग ख) के अंतर्गत पारिवारिक कार्यशालाओं को

छोड़कर कालीन बुनाई प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया गया है। तथापि, सरकार को यह जानकारी है कि कालीन उद्योग में बालकों का नियोजन जारी है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमित निरीक्षण करने तथा दोषियों पर अभियोजन के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र समुचित सरकारें हैं। बाल श्रमिकों से संबंधित कानूनों के उपबंधों का कड़ाई से प्रवर्तन करने के लिए समय समय पर उनको लिखा जाता है।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 में अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के लाभ के लिए विकास कार्यक्रम चलाने तथा बाल श्रम की बहुतायत वाले क्षेत्रों में विशेष परियोजना चलाने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत हस्त निर्मित कालीन उद्योग में से बाल श्रमिकों को हटाने के लिए मिर्जापुर-भदोई क्षेत्र उ० प्र० में एक परियोजना शुरू की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय जलवायु प्रवृत्तियों में बदलाव

†3373. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन विश्लेषण "गत शताब्दी के दौरान भारतीय जलवायु प्रवृत्तियां", में बताया है कि विगत 90 वर्षों के दौरान भारत के कुछ भाग किंचित गर्म हो गये हैं किन्तु बरसातों में कोई बदलाव नहीं आया है;

(ख) क्या पूर्व और पश्चिम में मानसून हाल ही में अनियमित हो गया है जिससे कई बार बुवाई और कटाई के मौसमों में गड़बड़ हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान मौसम प्रवृत्तियों में आने पर तथ्यात्मक तबदीलियों की जांच करना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

यह मानसून की स्वाभाविक विशेषता है कि वर्षा वर्ष दर वर्ष और सब जगह भिन्न होती है परंतु ये भिन्नताएं दीर्घावधि औसत के आधार पर सामान्य सीमाओं के बिल्कुल भीतर हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश के मौसम और जलवायु का एक नियमित कार्यकलाप के रूप में मानीय किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संयुक्त क्षेत्र में अंतरण

†3374. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को विशेष रूप से रूग्ण एककों को संयुक्त क्षेत्र में अन्तरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) केन्द्रीय संयुक्त क्षेत्र के एकक की क्या अवधारणा है;

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भांति एक अलग निकाय स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित ढांचे कृत्यों और संभावित सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा क्या इसे अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होंगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित परिव्यय

†3375. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी:** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री 4 सितंबर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5584 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत शीर्षवार कितना-कितना परिव्यय निर्धारित किया था;

(ख) क्या योजना आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि इस धनराशि/परिव्यय का उचित उपयोग हो यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰आर॰ भारद्वाज): (क) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। राज्य योजनागत योजनाओं की निगरानी स्वयं राज्यों द्वारा ही की जा रही है। तथापि, वार्षिक योजनाओं के अनुसार त्रैमासिक आधार पर संपूर्ण-व्यय में हुई प्रगति की संवीक्षा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

शीर्षवार अनुमोदित परिव्यय उत्तरप्रदेश

(रुपये लाखों में)

विकास के प्रमुख शीर्ष	वार्षिक योजनाएं		
	1989-90	1990-91	1991-1992
कृषि तथा संबंधित कार्यकलाप	25234	31868	38230
ग्रामीण विकास	21978	24944	26552
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1050	2016	4950
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	42165	47847	42571
ऊर्जा	87287	95090	126390

(रुपये लाखों में)

विकास के प्रमुख शीर्ष	वार्षिक योजनाएं		
	1989-90	1990-91	1991-1992
उद्योग और खनिज	11415	11490	11127
परिवहन	21102	31082	35029
संचार	—	—	—
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	465	372	400
सामान्य आर्थिक सेवाएं	4947	3558	13686
सामाजिक सेवाएं	61842	69870	70847
सामान्य सेवाएं	2515	1863	1218
कुल	28,0000	32,0000	371000

गढ़वाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3376. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी:** क्या खाद्य मंत्री गढ़वाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के बारे में 4 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरावाला में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम कब तक बन जाने की सम्भावना है और वहां पर कब से कार्य शुरू हो जाएगा; और

(ख) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने भण्डारण क्षमता के लिए गढ़वाल क्षेत्र में कोई प्रमुख केन्द्र बनाया है, यदि हां, तो उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है और इससे कितने क्षेत्र को लाभ मिलेगा?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) भारतीय खाद्य निगम यह उम्मीद करता है कि हरावाला में गोदाम आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बन जाएगा।

(ख) केन्द्रीय भंडागार निगम की खाद्यान्नों के भंडारण के लिए एकमात्र निगम भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए, श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल में 5000 एम० टी० क्षमता का एक भाण्डागार निर्माण किए जाने की योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित उद्योग

3377. **श्री भुवन चन्द्र खंडूरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी तथा चमौली जिलों में केन्द्र द्वारा प्रयोजित उद्योगों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या उपर्युक्त जिलों में कृषि पर आधारित किसी बड़े या मझोले उद्योग की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) उत्तर प्रदेश राज्य के पौड़ी और चमोली जिले में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का पंजीकृत कार्यालय नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) किसी राज्य के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम में पूंजीनिवेश, तकनीकी-आर्थिक पहलुओं तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित धनराशि

†3378. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न मदों/क्षेत्रों के अंतर्गत कितनी धनराशि वास्तव में जारी की है;

(ख) राज्य के पहाड़ी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि दी गई थी और उससे कौन-कौन सी प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गई हैं/पूरी की गई हैं; और

(ग) सामान्यतया राज्य के तथा विशेष रूप से पहाड़ी जिलों के ग्रामीण लोगों के उत्थान हेतु प्रस्तावित भावी योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमबाई एच॰ पटेल): (क) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने अंश के रूप में 1576.65 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी इसके मुकाबले राज्य सरकार ने 3129.59 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की है जिसमें राज्य सरकार का अंश शामिल है।

(ख) उत्तर प्रदेश ने पहाड़ी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी प्रमुख परियोजना शुरू करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है।

(ग) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की मूल विशेषताओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया, पहाड़ी जिलों की ग्रामीण जनता के लिए भविष्य में शुरू की जाने वाली योजनाओं/परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

केरल में औद्योगिक परियोजनाएं

†3379. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से नई औद्योगिक परियोजनाएं मंजूर करने हेतु प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ग) एक औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र प्रदान करने संबंधी केरल सरकार का कोई प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय के पास लंबित नहीं पड़ा है।

केरल को हुडको से सहायता

†3380. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार को केरल में ग्रामीण आवास को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "हुडको" से कोई सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) तथा (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31.10.91 की स्थिति के अनुसार) हुडको ने केरल में दो ग्रामीण आवास योजनाएं स्वीकृत की हैं। इन दो योजनाओं की परियोजना लागत 256.96 लाख रुपये है जिसके लिये हुडको ने 214.96 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। पूर्ण होने पर, इन योजनाओं से 2800 आवासीय इकाईयों की व्यवस्था होगी। चालू वर्ष (30.11.91 तक) के दौरान ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये हुडको द्वारा केरल को दी गई कुल राशि 189.96 लाख रुपये है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु व्यापक नीति

†3381. **श्री अर्जुन चरण सेठी:**
श्री गोपीनाथ गजपति:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु एक व्यापक नीति शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) राज्यों के प्रयासों के समन्वय हेतु गहन समुद्र मत्स्यन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना के लिए तैयार की गई सूची में शामिल किए गए तटीय राज्यों के नाम क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र में एक नई नीति की पहल करने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इसमें विदेशी मछली पकड़ने के जलयानों को पट्टे पर देना, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी संयुक्त उद्यम सहयोगों स्थापित करना तथा मछली पकड़ने के परीक्षण की नीतियां शामिल हैं। इन नीतियों से संबंधित प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने तटीय राज्यों सहित सभी राज्य सरकारों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आदर्श अभिकरणों को नियुक्त करने को कहा है जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग शामिल हैं।

विवरण

विदेशी मत्स्य जलयानों का पट्टे पर दिया जाना:

सरकार ने भारत के सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 में दी गई शर्तों के अनुसार भारतीय ई॰ई॰जेड॰ में चलाए जाने के लिए विदेशी मत्स्य जलयानों को पट्टे पर दिया जाने के बारे में नई नीति की घोषणा की है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

1. विदेशी मतसय जलयानों को भारतीय ई॰ई॰जेड॰ में चलाने के लिए पट्टे पर देने की अनुमति भारत के सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 नियम 1982 तथा वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में दी गई शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

2. पट्टे की अवधि 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. पट्टे पर दिये जाने वाला जलयान मुख्यतः नया होना चाहिए। उपयोग में लाए गए जलयानों को केवल तभी पट्टे पर लिया जा सकता है जबकि उचित अधिकारी से उस जलयान के समुद्र में चलाए जाने के योग्य होने तथा भविष्य में उस जलयान के सेवा-काल के आशय का संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाए।

4. नए जलयानों के मामले में पट्टेदार सरकार की पूर्व अनुमति से पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टे पर लिए गए जलयान को ले सकता है।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन मामला गत आधार पर पट्टे पर लिए गए जलयान पर विदेशी कर्मीदल रखने की अनुमति दी जा सकती है।

6. पट्टे पर लिए गए जलयान भारतीय ई॰ई॰जेड में चलाए जाने की अवधि के दौरान विदेशी ध्वज धारण कर सकते हैं।

परीक्षण मत्स्यनः

सरकार ने वर्ष 1991 में परीक्षण मत्स्यन पर पहली बार एक नई नीति की घोषणा की थी और इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

1. भारतीय ई॰ई॰जेड॰ में निम्नलिखित किस्म के मत्स्यन कार्यों में परीक्षण मत्स्यन की अनुमति दी जाएगी।

(क) गहरे समुद्र में झींगा मछली तथा गहरे समुद्र में श्रिम्प पकड़ने के लिए समुद्री सीमा से परे दो आनायनों के अतिरिक्त आनायन करना (ट्रालिंग)

(ख) लंबी लाइनिंग

(ग) तूना खर्कीजाल (पर्स सीनिंग) से समूह बनाकर मछली पकड़ना।

(घ) स्क्विड जिगिंग हैंड लाइनिंग जैसे अन्य तरीके।

2. परीक्षण मत्स्यन करने वाली विदेशी कंपनी, विदेशी मत्स्यन कंपनी के रूप में प्रतिष्ठित होनी चाहिए जिसके पास गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए जलयानों का अपना एक बेड़ा हो।

3. परीक्षण मत्स्यन भारत का 91 अधिनियम 1958 सामुरिक क्षेत्र अधिनियम 1981 नियम 1982 तथा वाणिज्यिक पोत परिवहन नियम, 1958 के उपबंधों के अधीन होगा।

4. परीक्षण मत्स्य के दौरान किए जाने वाले कार्य का समस्त ब्यौरा सहित समस्त आंकड़े समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण (एम॰पी॰ई॰डी॰ए॰) तथा भारतीय मत्स्यन सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. परीक्षण मत्स्यन करने वाली कंपनी को परीक्षण मत्स्यन के लिए तैनात किए गए प्रत्येक जलयान के लिए एम॰ पी॰ ई॰ डी॰ ए॰ को 2/- लाख रुपये शुल्क के रूप में अदा करने होंगे।

6. परीक्षण मत्स्यन की अनुमति छः माह की अवधि से अधिक समय के लिए नहीं दी जाएगी।

संयुक्त उद्यम नीतिः

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और प्रसंस्करण कार्य के क्षेत्र संयुक्त उद्यम के बारे में वर्ष 1991 में एक नीति की घोषणा की गई थी। नई संयुक्त उद्यम नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(1) निम्नलिखित तरीके में से किसी एक तरीके से देश के अंदर और ई॰ई॰जेड॰ से बाहर गहरे समुद्रीय संसाधनों का दोहन करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहभागिता वाले संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहितकिया जाएगा:—

(क) गहरे समुद्र में झींगा मछली तथा गहरे समुद्र में श्रिम्प पकड़ने के लिए समुद्री सीमा से परे (दो आनायनों के अतिरिक्त) आनायनकरना

(ख) लंबी लाइनिंग

(ग) तूना खर्कीजाल (पर्ससीनिंग) से समूह बनाकर मछली पकड़ना

(घ) स्क्विड् जिगिंग हैंड लाइनिंग जैसे अन्य तरीके।

(2) संयुक्त उद्यम विदेशी पंजीकरण, विदेशी स्वामित्व वाले जलयानों को पट्टे पर ले सकते हैं।

(3) सामान्यतः विदेशी सहभागिता के अंतर्गत प्रदत्त शेयर पूंजी का 40% अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। अब नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इसमें 51% तक की छूट दे दी गई है।

(4) विदेशी कर्मीदल की मामलागत आधार पर ऐसी शर्तों पर अनुमति दी जा सकती है जिन पर सहमति हो जाए विदेशी कर्मीदल को निकालने और भारतीय कर्मीदल को लगाने की तालिका आवेदन करते समय प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(5) विदेशी कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले जलयान की लागत कंपनी में उसकी प्रदत्त शेयर पूंजी समझी जानी चाहिए।

(6) संयुक्त उद्यम में भारतीय नागरिकों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(7) संयुक्त उद्यम परियोजना को परियोजना के लिए निर्धारित किया जाने वाला न्यूनतम विदेशी विनिमय मूल्य संवर्धन प्राप्त करना चाहिए।

श्रमिक न्यायालय और न्यायाधिकरण

†3382. **श्री सुधीर सावंतः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या श्रमिक न्यायालयों और न्यायाधिकरणों ने उन उद्देश्यों को पूरा किया है जिनके लिए उन्हें गठित किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों में संशोधन करके श्रमिक न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में आधारभूत परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत उन औद्योगिक विवादों के मामले में निर्णय देने के लिए की जाती है जो कि संबंधित सरकार द्वारा उन्हें भेजे जाते हैं। जबकि ये अपने सांविधिक कर्तव्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा कर रहे हैं, कुछ समस्याएं जैसे उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में मुकदमेंबाजी औद्योगिक के साथ-साथ लंबित विवादों तथा आवेदनों की संख्या में वृद्धि देखने में आई है।

(ख) और (ग) औद्योगिक संबंध तंत्र के पुनर्गठन के प्रश्न पर हाल में श्री जी० रामानुजम ेअध्यक्षता में गठित द्विपक्षी समिति द्वारा विचार किया गया है।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के परामर्श से समिति के प्रतिवेदन की श्रम मंत्रालय में जाँच की जा रही है। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रतिवेदन को भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी सत्र में उसके समक्ष रखा जाना चाहिए और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले उसके विचार जान लिए जाने चाहिए।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

†3383. **श्री के० वी० तंग्का बालू:** क्या खाद्य परसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बलपूर्वक खाली रखने के कारण कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन एककों को पुनः चालू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करके इनका अधिकतम उपयोग किया जाए?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) गत कुछ वर्षों के दौरान कम मछली पकड़ने, बाजार में झींगा के मूल्य में कमी होने और जहाजों के कर्मियों के एक वर्ग द्वारा आन्दोलन करने से जहाजों का उपयोग न होने के कारण गहरे समुद्र में मत्स्य पकड़ने में लगे उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार जहाज खाली रहने से हुए नुकसान का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस उद्योग को मजबूत करने के लिए एक पुनर्वास योजना बनाई गई है जिसकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(क) वे सभी कम्पनियां जिनके मामले में ब्याज का भुगतान करने अथवा ऋण की वास्तविक राशि की अदायगी करने की जिम्मेदारी 30 जून, 1987 से पहले आरम्भ हो गयी थी, ब्याज तथा वास्तविक राशि की अदायगी के तमाम अतिदेय 30 जून, 1987 तक पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व अदा करेगी। कुल अतिदेय राशि में से अतिदेय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि योजना आरम्भ होने के एक माह में और शेष 90 प्रतिशत राशि 6 महीनों के अंदर अदा करनी होगी।

(ख) जहां तक ऐसी कम्पनियों का संबंध है जिनके मामले में ब्याज का भुगतान अथवा ऋण की वास्तविक राशि का भुगतान 30 जून, 1987 तक आरम्भ नहीं हुआ था, ऐसी संबंधित कम्पनी अतिदेय राशि के 25 प्रतिशत भाग का 30 जून, 1990 तक इसी तरीके से भुगतान करेगी जैसा कि उपरोक्त पैरा (क) में कहा गया है।

(ग) पुनर्वास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में दण्ड ब्याज माफ कर दिया जाएगा और जुलाई, 1987 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के लिये दस्तावेज में दी गई दर पर ब्याज की गणना की जाएगी। 30 जून, 1991 को समाप्त होने वाली अवधि तक इस प्रकार गणना की गई ब्याज की राशि को पूंजी मानकर ऋण की वास्तवकि राशि में जोड़ दिया जाएगा।

(घ) आयात किये गये ऐसे जलयानों के संबंध में जिनके मामले में यार्डों को भुगतान किया जाना बाकी है अथवा जलयानों की सुपुर्दगी अभी बाकी है, भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि विनिमय में उतार

चढ़ाव आने के कारण जलयानों की कीमतों में होने वाली वृद्धि के लिये अतिरिक्त ऋण दिया जाये।

(ङ) भारत सरकार/एस० सी० आई० सी० आई० इस बात पर विचार करेगी कि ऐसे स्वदेशी जलयानों के मामले में, जिनके बारे में यार्डों को भुगतान किया जाना अभी बाकी है, कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उसके लिये अतिरिक्त ऋण दिया जाये।

(च) भारत सरकार/एस० सी० आई० सी० आई० इस बात पर विचार करेगी कि इस पुर्नवास कार्यक्रम का लाभ उठाने वाली जिन कंपनियों के पास जलयान हैं, उन जलयानों की मरम्मत पर आने वाली लागत से निपटने के लिये अतिरिक्त ऋण दिया जाये।

(छ) एस० सी० आई० सी० आई० इस बात पर विचार करेगी मौजूदा मत्स्य नौकाओं द्वारा बहुविध मत्स्यन करने के लिये उनमें परिवर्तन करने/फिशिंग गिअर लगाने के लिये अतिरिक्त ऋण दिया जाये।

[हिन्दी]

उड़ीसा के फुलबनी और कालाहांडी जिलों में आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन

3384. श्री मृत्युंजय नायक: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के फुलबनी और कालाहांडी जिलों में आर्थिक पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग के अधीन एक उपसमिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में स्थानीय जनता के लिये रोजगार के अवसर जुटाने और व्याप्त आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रोजगार उत्पन्न करना आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य होगा। रोजगार के अवसर जुटाने के लिये इन दो जिलों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) जवाहर रोजगार योजना तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नामक क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में चल रही केन्द्रीय परियोजनाएं

3385. श्री मृत्युंजय नायक: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में निर्माणधीन 20 करोड़ से अधिक लागत की केन्द्रीय परियोजनाओं के जिलावार नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत में मूल अनुमानित लागत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इन परियोजनाओं के पूरा होने तक इनकी लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि हो जायेगी;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन परियोजनाओं के शुरू होने की सम्भावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार का विचार किन परियोजनाओं के लिए धन देने का है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) और (ख) उड़ीसा में निर्माणाधीन 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत की प्रत्येक केन्द्रीय परियोजनाओं के जिला-वार नाम, मूल अनुमानित लागत की तुलना में उनकी लागत में प्रतिशत वृद्धि और पूरा होने तक लागत में उनकी अनुमानित वृद्धि संलग्न विवरण में दी गयी है। आंकड़े 1 जुलाई 1991 की स्थिति तक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की तिमाही परियोजना प्रबोधन प्रणाली पर आधारित है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है अतः ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

विवरण

उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन 20 करोड़ से अधिक लागत की केन्द्रीय परियोजनाएं

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	स्थान (जिला)	मूल लागत (करोड़ रुपये)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	% लागत वृद्धि
1.	बेलपहाड़ ओ॰सी॰ (एस ई सी एल)	सम्बलपुर	57.38	126.27	120
2.	लिंगराज ओ॰सी॰ (एस ई सी एल)	ढेनकेनाल	229.84	229.84	0
3.	कैप्टीव पावर परियोजना-6 नेल्को, अंगुल	ढेनकेनाल	223.98	233.98	0
4.	तलचर एस टी पी पी-I (एन टी पी सी)	ढेनकेनाल	1404.04	1721.19	22
5.	राऊरकेला इस्पात संयंत्र (आधुनिकीकरण), (सेल)	शर्कर गढ़	2461.00	2461.00	0
6.	पाराद्वीप उर्वरक परियोजना (चरण-II) (पी पी एल)	कटक	183.64	630.82	243
7.	तलचर संचरण लाइन (एन टी पी सी)	अन्तर-जिला	76.81	76.81	0

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थान (जिला)	मूल लागत (करोड़ रुपये)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये)	% लागत वृद्धि
8.	जोरांडा रोड़-हिन्डोल रोड रेलवे लाइन डब्लीगं (रेलवे)	-वही-	24.29	24.29	0
9.	कोरापुट-रायगड़ा न्यू रेलवे लाइन (रेलवे)	-वही-	112.10	322.00	187
10.	तलचर-सम्बलपुर न्यू रेलवे लाइन (रेलवे)	-वही-	46.39	160.00	245

टिप्पणी:— सूची में अन्तर-राज्य परियोजनाएं जैसे संचरण लाइन, रेलवे लाइन इत्यादि यदि कोई हो जो उड़ीसा राज्य में से गुजरती हो शामिल नहीं है।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग

3386. **श्री मृत्युंजय नायक**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का पता लगाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं और ऐसे लोगों की कुल संख्या कितनी है, जिनकी आय गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए निर्धारित मानदंडों से भी कम है;

(ख) क्या देश के 75 प्रतिशत आदिवासी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और यदि हां तो उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰आर॰ भारद्वाज): (क) गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त मानदंड "न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी खपत मांग" से संबंधित टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित है, जिसने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 तथा शहरी क्षेत्रों, में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता के अनुरूप 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 56.54 रु० मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है। गरीबी रेखा के समीप के व्यक्तियों की खपत टोकरी में मूल्य वृद्धि के लिए प्राक्सी के रूप में अन्तर्निहित केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निजी खपत डिफलेटर का प्रयोग करके गरीबी रेखा को नवीनतम बनाया जाता है। वर्ष 1983-84 और 1987-88 के दौरान नवीनतम गरीबी रेखा तथा लोगों का अनुमान जिनका खपत व्यय गरीबी रेखा से नीचे है संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत देश में 75 प्रतिशत से नीचे है।

आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए आदिवासी उप योजना (टी एस पी) को कार्यान्वित किया जा रहा है। आदिवासी उप योजना में, व्यक्तिगत लाभप्राहियों को उनकी विशिष्ट

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके जीवन स्तर को उठाने तथा उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आय सृजन करने वाली स्कीमें बनाकर सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करने पर बल दिया जाता है।

विवरण

		ग्रामीण		शहरी	
		1983-84	1987-88	1983-84	1987-88
	(1)				
गरीबी रेखा (रुपए)		101.80	131.80	117.50	152.13
गरीबी रेखा के नीचे के लोग (लाख)		2215	1960	495	417

टिप्पणी : (1) वर्तमान कीमतों पर मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3387. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या प्रधान मंत्री 14 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3120 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यावेदन के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

14.8.1991 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3120 में मांगी गई विस्तृत सूचना संकलित कर ली गई है और इस विवरण के साथ संलग्न अनुबंध I, II, IIक तथा III पर दी गई है।

बकाया रिक्तियों को भरने के संबंध में यह उल्लेख है कि भारत सरकार ने पहले इस वर्ष भी एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान आरंभ कर दिया है। इस मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन सभी संगठनों को बकाया रिक्तियों का पता लगाने और 30.4.1992 तक उन्हें भरने के लिए पहले ही आवश्यक निदेश जारी कर दिए हैं।

जहां तक रिक्तियों को अनारक्षित करने और उन्हें व्यपगत होने से रोकने हेतु किए जाने वाले उपायों का संबंध है, यह उल्लेख है कि भारत सरकार ने सीधी भर्ती में अनारक्षण पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। प्रोन्नति के मामले में अनारक्षण से बचने के सभी प्रयास किए जाते हैं। बकाया रिक्तियों को भरने के लिए भी सभी प्रयास किए जाते हैं ताकि ये व्यपगत न हो जाएं।

अनुबंध-I

कार्यालय का नामः खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय और इस मंत्रालय के तहत संगठन* (अब खाद्य मंत्रालय तथा नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)

14.8.1991 के अतारांकित प्रश्न 3120 के भाग (क) के संबंध में सूचना

क्र० सं०	श्रेणी	कर्मचारियों की सं०	अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व	अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व
1.	क	1953	236	48
2.	ख	5583	655	75
3.	ग	42100	6986	1138
4.	घ	27162	7922	1143
		केन्द्रीय भाण्डागार निगम		
		9903	2278	254
		सुपर बाजार		
		2308		199 (अनु०जाति/अनु० जनजाति)

*टिप्पणीः उपर्युक्त आंकड़े: (1) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा इसके संगठनों से तथा
(2) खाद्य मंत्रालय और इसके संगठनों जिसमें भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम शामिल है, से संबंधित है।

अनुबंध-II

कार्यालय का नाम: खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा इस मंत्रालय के तहत संगठन* (अब खाद्य मंत्रालय तथा नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)

दिनांक 14.8.1991 के अतारांकित प्रश्न 3120 के भाग (ख) के संबंध में सूचना

1988, 1989 और 1990 के दौरान स्थिति (31.12.1988, 31.12.1989 और 31.12.1990 को समाप्त वर्ष)

सीधी भर्ती

श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या		भरे गए पदों की कुल सं०		अनारक्षित की गई रिक्तियों की सं०		आगे ले जाई गई रिक्तियों की सं०		व्यपगत रिक्तियों की संख्या	
	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०
					वर्ष 1988					
क	34	20	21	1	—	—	22	12	0	2
ख	6	4	3	1	3	1	7	3	—	1
ग	70	51	62	26	2	2	93	266	2	1
घ	30	9	108	15	—	—	28	208	—	—
					वर्ष 1989					
क	52	23	36	5	—	—	4	14	—	—
ख	8	2	10	2	2	—	16	6	—	—
ग	119	73	187	66	—	—	87	314	—	3
घ	26	17	61	16	—	—	61	219	—	—

	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰
					वर्ष 1990					
क	16	9	10	8	—	—	6	7	—	—
ख	4	2	4	—	—	—	12	7	—	—
ग	61	34	54	18	—	—	45	31	—	2
घ	45	30	99	25	—	—	59	235	—	2

*टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े (1) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा इसके संगठनों और
(2) खाद्य मंत्रालय तथा इसके संगठनों, जिसमें भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भाण्डागार निगम शामिल हैं, से संबंधित हैं।

अनुबंध-IIक

कार्यालय का नामः　खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा इस मंत्रालय के तहत संगठन*　(अब खाद्य मंत्रालय तथा नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)

दिनांक 14.8.1991 के अतारांकित प्रश्न 3120 के भाग (ग) के संबंध में सूचना

1988, 1989 और 1990 के दौरान स्थिति (31.12.1988, 31.12.1989 और 31.12.1990 को समाप्त वर्ष)

प्रोन्नति

श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या		भरे गए पदों की कुल सं॰		अनारक्षित की गई रिक्तियों की सं॰		आगे ले जाई गई रिक्तियों की सं॰		व्यपगत रिक्तियों की संख्या	
	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰	अनु॰जा॰	अनु॰जन॰जा॰
					वर्ष 1988					
क	17	8	20	—	—	—	—	—	1	1
ख	79	31	141	16	3	2	4	3	—	1
ग	191	88	523	106	1	—	100	122	5	39
घ	144	72	515	113	—	—	4	13	—	—
					वर्ष 1989					
क	16	10	18	3	—	—	1	1	1	1
ख	64	31	78	20	4	2	11	4	3	5
ग	136	117	291	64	1	2	72	104	3	1
घ	211	107	283	71	—	—	27	30	—	—

श्रेणी	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०	अनु०जा०	अनु०जन०जा०
					वर्ष 1990					
क	5	1	13	1	—	—	1	1	—	—
ख	52	19	55	8	2	2	9	5	9	3
ग	177	90	177	63	2	3	56	58	—	7
घ	40	12	28	9	—	—	—	4	—	—

*टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े (1) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा इसके संगठनों और
(2) खाद्य मंत्रालय तथा इसके संगठनों, जिसमें भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भाण्डागार निगम शामिल है, से संबंधित है।

अनुबंध-III

कार्यालय का नाम: खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा इस मंत्रालय के तहत संगठन*
(अब खाद्य मंत्रालय तथा नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)

दिनांक 14.8.1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 3120 के भाग (ख) के संबंध में सूचना

बकाया की वर्तमान स्थिति

अनु०जा०	अनु०जन०जा०
680	1500

*टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े (1) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा इसके संगठनों और
(2) खाद्य मंत्रालय तथा इसके संगठनों, जिसमें भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भाण्डागार निगम शामिल है, से संबंधित है।

[अनुवाद]

बोनस के लिए पात्रता सीमा

†3388. **श्रीमती सुशीला गोपालनः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बोनस के लिए 2500 रुपये की पात्रता सीमा को बढ़ाकर 3500 रुपये करने तथा बोनस की राशि 1600 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिए जाने और इसे कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि वर्तमान सीमा 1985 में ही निर्धारित की गई थी जिस समय बोनस अधिनियम 1965 में संशोधन किया गया था, इसलिए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटा नागपुर क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था

†3389. **श्री कड़िया मुण्डाः** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में छोटा नागपुर के प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु छोटा नागपुर के विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज): (क) और (ख) जी नहीं, महोदय। ग्रामीण जल आपूर्ति (आर॰डब्ल्यू॰एस॰) राज्य क्षेत्रीय अल्पतन आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है। राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए॰आर॰डब्ल्यू॰एस॰पी॰) जिसमें राष्ट्रीय पेयजल मिशन भी शामिल है लागू है। ये योजनाएं पूरे देश में लागू हैं जिसमें बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा छोटा नागपुर में लागू किए जाने के लिए किसी विशेष योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

†3390. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामीः** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के अपने कितने निजी गोदाम हैं और कितने गोदाम किराये पर हैं;

(ख) 1990-91 के दौरान तमिलनाडु में कितने नए गोदाम खोले गए हैं;

(ग) राज्य में कुल भण्डारण-क्षमता कितनी है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान और अधिक गोदाम बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई): (क) निजी गोदामः 22 (दो ढके हुए-तथा कुर्सी एककों समेत) किराये पर लिये गये गोदामः 9

(ख) शून्य

(ग) 30.9.91 की स्थिति अनुसार 6.67 लाख टन

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट का उत्पादन

†3391. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामीः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिजली की कमी के कारण देश में सीमेंट के उत्पादन-लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए सीमेंट निर्माता एककों को बिजली की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) से (घ) कुछ सीमेंट संयंत्रों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विद्युत की कमी के कारण सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया है। तथापि, इसके कारण सीमेंट उत्पादन पर मामूली-सा असर पड़ा है क्योंकि अनेक सीमेंट संयंत्रों ने अपनी विद्युत आवश्यकताओं के एक हिस्से की पूर्ति हेतु कैप्टिव विद्युत-संयंत्र स्थापित कर लिये हैं। नवम्बर, 1991 तक, 36.67 मिलियन टन यथानुपात निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 34.5 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है।

-ls2952

तमिलनाडु में केन्द्रीय निवेश

†3392. **श्री सी॰ के॰ कुप्पुस्वामी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलानाडु के औद्योगिक क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान, तमिलनाडु राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के नए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्रीय निवेश में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाता है।

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार

†3393. **श्री सी॰ के॰ कुप्पुस्वामी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलानाडु में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

3394. **श्री जीवन शर्मा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर निर्माण हेतु चालू वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) रानीखेत तथा अल्मोड़ा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) इन जिलों में चालू वर्ष में साधारण पूल क्वार्टरों के निर्माणार्थ कोई नियतन नहीं किया गया है।

(ख) साधारण पूल में शून्य।

†मूलतः उड़ीसा में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

jls2952

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों को उद्योग विहीन जिले घोषित करना

3395. **श्री जीवन शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में उद्योगों की कमी को देखते हुए इन्हें उद्योग विहीन जिले घोषित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख) अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिले केन्द्र सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "क" में पहले से शामिल हैं।

गेहूं का मूल्य

3396. **श्री जीवन शर्मा:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में किसानों द्वारा की गई गेहूं की जमाखोरी के कारण खुले बाजार में गेहूं की कीमत में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में गेहूं के मूल्य गत तीन वर्षों के मूल्यों से कितने कम या अधिक हैं;

(ग) सरकार 1991 के उत्तरार्ध में खुले बाजार के लिए जारी किए गए गेहूं के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या कीमत को कम करने के लिए गेहूं का आयात करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई): (क) और (ख) एक विवरण (उपाबंध) संलग्न है जिसमें 1988 से 1991 के वर्षों के दौरान गेहूं के थोक मूल्यों के सूचकांक दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने गेहूं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) पंजाब और हरियाणा के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं के आवंटनों को अक्तूबर, 1991 से बढ़ा दिया गया है ताकि खुले बाजार पर बने दबाव को कम किया जा सके।

(2) भारतीय खाद्य निगम को अक्तूबर-नवम्बर, 1991 के दौरान खुले बाजार में 3 लाख मीटरी टन बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है। दिसम्बर, 1991 में 3 लाख मीटरी टन और गेहूं बेचने के लिए भी उन्हें प्राधिकृत किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) गेहूं के वर्तमान स्टाक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच / मुकदमा

3397. **श्री शिवशरण वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री 4 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5688 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकारियों पर भ्रष्टचार के आरोपों/मुकदमों के बारे में अब जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से सूचना मांगी गई है। कुछ राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों तथा विभागों से सूचना ..नी प्राप्त होनी है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

3398. **श्री शिवशरण वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में अनियमितताओं के बारे में कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा लगाये आरोपों की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में अनियमितताओं के बारे में प्राप्त कुछ शिकायतों की सरकार जांच कर रही है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा औषध एककों की स्थापना

†3399. **श्री अन्ना जोशी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत में नए औषध एकक स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ठेका दिए जाने में कथित अनियमितताएं

†3400. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मारूति उद्योग लिमिटेड द्वारा एयर-कंडीशनरों की सप्लाई हेतु एस०डी०के० तथा सी०के०डी० संघटकों को कांडला पत्तन से गुड़गांव ले जाने के लिए ठेका दिए जाने में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त ठेकों के संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (घ) सरकार को परिवहन संविदा तथा एयर कंडीशनरों की खरीद के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, जो अभी विचाराधीन हैं।

मारूति कारों की बिक्री

†3401. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में मारूति 800 सी०सी० कारों तथा ओमनी वैनों की बिक्री में अचानक भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जुलाई और अगस्त, 1991 में बेची गई कारों की संख्या क्या है तथा अक्तूबर और नवम्बर, 1991 में इनकी बिक्री की माहवार तुलनात्मक संख्या क्या है;

(घ) मारूति वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) क्या इनके निर्यात संबंधी आंकड़े भी धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) मांग तथा बिक्री में कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

(1) रुपए के अवमूल्यन से निविष्टियों की लागत बढ़ी और मुद्रा बाजार में साख घट गई जिसके परिणामस्वरूप ऋण की ब्याज दरों में भारी वृद्धि हुई।

(2) मुख्यतः उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण मारूति वाहनों की कीमतों में भारी वृद्धि होना।

(ग) जुलाई से नवंबर 91 तक बेची गई मारूति 800 सी०सी० कारों और ओमनीज की संख्या इस प्रकार है:

महीने	मारूति 800	ओमनी
जुलाई, 91	5179	2487
अगस्त, 91	4037	2244

सितंबर, 91	4346	2426
अक्तूबर, 91	4785	1562
नवंबर, 91	3324	1257

(घ) मारूति वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैः

(एक) अक्तूबर, तथा नवंबर 1991 में ओमनी की बिक्री के लिए डीलर प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई थी।

(दो) दिसंबर, 91 में घटी हुई कीमतों पर 500 ओमनीज की बिक्री के लिए एक विशेष पेशकश की गई है।

(तीन) डीलरों के बिक्री कार्मिकों के माध्यम से एक व्यापक क्षेत्रीय बिक्री कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसे डीलरों द्वारा स्थानीय विज्ञापन अभियानों के माध्यम से आगे पूरा किया जाता है।

(चार) इस समय एक व्यापक ओमनी विज्ञापन अभियान तैयार किया जा रहा है जिसे जनवरी, 1992 के बीच शुरू किया जाना है।

(ङ) जी नहीं।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण

3402. **श्री अर्जुन सिंह यादवः**
श्री राम लखन सिंह यादव:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में 30 बिलियन मूल्य के फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) कितने प्रतिशत फल और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जाता है; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के एककों की क्षमता बढ़ाने एवं इनका आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) यद्यपि कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी यह अनुमान है कि अपर्याप्त फसलोत्तर संचालन, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और ताजे फल एवं सब्जी बाजारों के साथ सम्पर्क न होने के कारण प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपये मूल्य के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती है।

(ख) यह अनुमान है कि फलों और सब्जियों के लगभग 1% हिस्से का प्रसंस्करण किया जाता है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और इन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों, सरकारी सेक्टर के उपक्रमों और सहकारिताओं आदि को वित्तीय सहायता देने की अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर यह सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

उचित दर दुकानों से बेची जाने वाली वस्तुओं को खुले बाजार में बेचा जाना

†3403. **श्री अर्जुन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मिट्टी के तेल के व्यापारी तथा उचित दर मूल्य दुकानों के मालिक अपने भण्डारों को कालाबाजार में बेच रहे हैं जैसाकि मोतीनगर में गेहूं से भरे एक ट्रक तथा हाल ही में निजामुद्दीन क्षेत्र में मिट्टी के तेल का एक टैंकर के पकड़े जाने से सिद्ध होता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा इन व्यापारियों पर कड़ी निगरानी न रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) खाद्य और आपूर्ति विभाग के कामकाज तथा कार्यकरण को सुचारू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) मिट्टी का तेल तथा गेहूं के कालाबाजार में बेचने के लिए कितने जमाखोरों तथा राशन की दुकानों पर छापे मारे गये तथा उनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली प्रशासन विभाग द्वारा पिछले बारह महीनों के दौरान कितने लाइसेंस रद्द / स्थगित किये गये तथा उसके पीछे कारण क्या-क्या थे?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं एवं मिट्टी के तेल की कालाबाजारी के बारे में कुछ मामलों का पता लगाया गया है। दिल्ली प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की खुले बाजार में काला बाजारी को रोकने के लिए उचित दर की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपुओं का नियमित रूप से निरीक्षण करता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी तथा जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर आकस्मिक निरीक्षण एवं छापे मारे जाते हैं।

(घ) 1.1.1991 से 30.11.1991 तक, दिल्ली प्रशासन ने 929 उचित दर की दुकानों तथा 493 मिट्टी के तेल के डिपुओं की जांच की। 40 उचित दर की दुकानों के मालिकों तथा 15 मिट्टी के तेल लाइसेंसधारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 80 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 349 उचित दर की दुकानों तथा 92 मिट्टी तेल के डिपुओं के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरु की गई है।

(ङ) स्टॉक, लेखाओं के रख-रखाव से संबंधित अनियमितताओं तथा राशन की वस्तुओं की अनधिकृत व्यक्तियों को कालाबाजारी करने के कारण 91 उचित दर की दुकानों के प्राधिकार / मिट्टी तेल के लाइसेंस निलम्बित तथा 23 प्राधिकार / लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

3404. श्री अर्जुन सिंह यादवः
श्री श्रीकान्त जेनाः
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके मूल्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक नियंत्रित कर रही है और उनका प्रतिशत क्या है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 23.11.1991 तक "समग्र वस्तु" थोक मूल्य सूचकांक में तथा चावल, खाद्य तेल और चीनी के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। गेहूं के मामले में थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव (—)0.5% रहा, जबकि पिछले वर्ष का तदनुरूपी अवधि के दौरान +26.0% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी।

वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कई कारणों से हुई कही जा सकती है, जैसे मांग और आपूर्ति में अंतर होना, अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में बढ़ोतरी होना, कृषि सम्बन्धी निवेशों के मूल्यों तथा परिवहन मूल्यों में वृद्धि होना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुपूरक स्वरूप का प्रयास है, जिसका उद्देश्य पूर्व-निर्धारित तथा उचित मूल्यों पर मुख्य आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने की नीति का एक घटक है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगस्त से अक्तूबर, 1991 के दौरान गेहूं और चावल का आवंटन बढ़ा दिया गया है। उपलभ्यता में और बढ़ोतरी करने के प्रयास में अक्तूबर-दिसम्बर, 1991 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति दे दी गई हैं। खाद्य तेलों का आयात अक्तूबर, 1991 से शुरू कर दिया गया है। अगस्त से दिसम्बर, 1991 की अवधि के लिए लेवी चीनी का आवंटन तदर्थ आधार पर 5% बढ़ा दिया गया है।

[अनुवाद]

पामोलीन तेल का आयात

[11]3405. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डीः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मलयेशिया तथा अन्य देशों के पामोलीन तेल के आयात पर भारी धन-राशि खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने पामोलीन तेल का उत्पादन करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किन्हीं उपायों पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) केरल तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ताड़ तेल के उत्पादन के लिए एक-एक परियोजना स्थापित की गई है। देश मे लगभग 5.75 लाख हेक्टेयर भूमि को ताड़ को खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है। ज्ञात क्षेत्रों में ताड़ की खेतों की सम्भावनाओं का पता लगाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। आठवीं योजनावधि के दौरान तेल ताड़ को खेती शुरू करने के लिए अनेक योजनाएं मंजूर की गई थीं, जैसे कर्नाटक में पौध शालाएं स्थापित करना तथा फ्रंटलाइन प्रदर्शन व संसाधन की व्यवस्था.करना, आंध्र प्रदेश में तेल-ताड़ (ऑयल पाम) बीज का बगीचा स्थापित करना, सी॰पी॰सी॰आर॰आई॰ पालोड़ में बीच अंकुरण की क्षमता का विस्तार करना।

पैराफीन मोम बनाने वाले लघु उद्योग

†3406. **कुमारी दीपिका चिखलिया:**
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1991 के "इकॉनामिक्स टाइम्स" में "पैराफीन वेक्स एस॰ एस॰ आई॰ लाइकली-टु टर्न सिक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) स्लिक मोम से पैराफीन मोम बनाने वाले लघु उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जाएगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ जी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सलीमपुर ऑटोमैटिक संयंत्र

†3407. **कुमारी दीपिका चिखलिया:**
श्रीमती महेन्द्र कुमारी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सलीमपुर आॅटोमैटिक संयंत्र के संबंध में विदेशी निवेश बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण है; और

(घ) इसे कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

पीतमपुरा के वेस्ट इंक्लेव तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत

3408. **श्री भगवान शंकर रावतः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान बाहरी रिंग रोड पर स्थित पीतमपुरा के वेस्ट इंक्लेव में गृह निर्माण समितियों द्वारा निर्मित नये फ्लैटों तक जाने वाली सड़कों की दयनीय स्थिति की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों की मरम्मत और उन्हें कब तक चौड़ा किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मकानों का निर्माण कर रहे व्यक्तियों द्वारा मल्बे का ढ़ेर लगाने तथा ऐसे मल्बे के अवरोधन के कारण सड़कों की हालत बदतर हो गई है। उभरे हुए गड्ढ़ों को पहले ही ठीक कर दिया गया है तथा अनुवर्ती मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके जनवरी, 1992 के मध्य तक पूरा होने की आशा है। सड़क को और चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रोहिणी में प्लाटों का आवंटन

†3409. **श्री भगवान शंकर रावतः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में रोहिणी-49 योजना में वर्ष 1981 में 48 मीटर प्लाटों के लिए पंजीकरण की जगह मार्च, 1991 में 32 मीटर प्लाट आवंटित करने के क्या कारण थे; और

(ख) उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने 48 मीटर पलाटों के लिए पंजीकरण कराया था, किन्तु केवल 32 मीटर के प्लाटों के लिए आवंटन व मांग पत्र दिये गये है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचालम): (क) चूंकि मार्च, 1991 में आयोजित ड्रा में नए आवंटन हेतु मात्र 32 वर्ग मीटर के भूखण्ड उपलब्ध थे, अतः 48 वर्ग मीटर के भूखण्डों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को 32 वर्ग मीटर के भूखण्डों के निमित्त आवेदन करने का विकल्प दिया गया था तथा इस प्रकार आवंटन किए गए थे।

(ख) उन पंजीकृत व्यक्तियों के मामलों को, जिनसे 32 वर्ग मीटर के भूखण्डों के लिए विकल्प लिये बिना आवंटन एवं मांग पत्र दिये गये थे, उनके द्वारा प्रारंभ में अधिमत आकार वाले भूखण्ड जब तक उपलब्ध नहीं हो जाते है तब तक उन्हें लंबित रखा जाएगा।

उत्प्रवास संबंधी पूर्वानुमति प्राप्त करने से छूट

†3410. **श्री वी॰ एस॰ विजयराघवनः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उत्प्रवास संबंधी पूर्वानुमति से छूट देने के लिए उत्प्रवासियों की और अधिक श्रेणियों को सम्मिलित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलौर शहर में गन्दी बस्तियों का सुधार

†3411. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्सः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ब्रिटेन की विदेशी विकास एजेंसी ने बंगलौर शहर में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए 48 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने भी मैसूर शहर में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु ब्रिटेन की विदेशी विकास एजेंसी से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी सहायता की मांग की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार को सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुओं की मात्रा

3412. **श्री ललित उरांवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 1991 से बिहार को कितनी मात्रा में आवश्यक वस्तुएं और खाद्य तेल सप्लाई किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में इन वस्तुओं की सप्लाई की गई है?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) जनवरी से अक्तूबर, 1991 तक और 1988, 1989 और 1990 की तदनुरूपी अवधि में बिहार सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आबंटित की गई और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1991 से अक्तूबर, 1991 तक और वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 में तद्नुरूपी अवधि में बिहार सरकार को आवश्यक वस्तुओं को आबंटित की गई और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा।

(हजार मी॰टन में)

वस्तु	1991 जनवरी से अक्तूबर		1988 जनवरी से अक्तूबर		1989 जनवरी से अक्तूबर		1990 जनवरी से अक्तूबर	
	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा	आबंटन	उठाई गई मात्रा
चावल	101.00	50.40	170.00	45.50	123.00	53.80	101.00	23.60
गेहूं	472.00	437.30	734.00	574.90	550.00	507.60	428.00	339.40
लेवी चीनी	345.14	*	339.64	*	344.68	*	344.68	*
आयातित खाद्य तेल	4.00	2.26	8.40	8.08	3.86	1.42	9.80	6.22
मिट्टी का तेल**	387.99	231.17	382.07	391.89	371.21	369.57	390.06	383.69

*लेवी चीनी का लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

**मिट्टी के तेल के संबंध में, आबंटन के आंकड़े जनवरी-अक्तूबर, 1991 की अवधि से संबंधित है, जबकि उठाई गई मात्रा संबंधी आंकड़े जनवरी-जून, 1991 से संबंधित है।

बिहार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3413. **श्री ललित उरांव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने बिहार के सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का पता लगाया है जो गत तीन वर्षों से संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इन उपक्रमों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुंगन): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन 15 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय बिहार में हैं उनमें से 3 उद्यमों ने विगत तीन वर्ष अर्थात् 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90, केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, के दौरान घाटा उठाया है। इन उद्यमों के नाम हैं—भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा प्रोजेक्ट्स एण्ड डिवेलपमेंट इण्डिया लि० काम में प्रयुक्त सामग्री की कीमतों में वृद्धि, अतिरिक्त श्रमशक्ति, विद्युत की कमी, क्षमता का कम उपयोग आदि घाटे के प्रमुख कारण हैं।

(ग) इन उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार एवं संबद्ध उद्यम द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार उपचारी कदम उठाए जाते हैं। इस उद्देश्य से किए जाने वाले कुछ उपायों में आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापित योजनाएं; वित्तीय, प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन; उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

बिहार में पेय जल आपूर्ति

3414. **श्री ललित उरांव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र में विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से पेयजल की सप्लाई के लिये एक विशेष योजना शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी लागत आयेगी तथा यह योजना सम्भवतः कब तक पूरी हो जायेगी;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य में विलम्ब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार की पेयजल संबंधी लंबित परियोजनाएं

3415. **श्री ललित उरांवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार सरकार द्वारा पेयजल की समस्या के संबंध में केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिये 1989-90 1990-91 और 1991-92 में भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में आज तक अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि मंजूर की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) राज्य सरकार ने 1989-90 में तकनीकी अनुमोदन के लिए निम्नलिखित योजनाएं भेजी थीं:—

योजना का नाम	जिले का नाम	गांवों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम			
1. खोदे गए, नलकूप, स्वच्छ कुएं	धनबाद हजारीबाग रांची देवघर गया नवादा औरंगाबाद मुंगेर भागलपुर भोजपुर जहानाबाद	3199 आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त	1615.00
2. पाइपों द्वारा जल सप्लाई की एक योजना	पटना नालन्दा मुंगेर	480 आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त	52.352
3. लौह दूर करने के संयंत्रों सहित 1808 ट्यूबवैल	सहरसा पूर्णिया कटिहार		211.93
4. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा निर्मित अन्वेषणात्मक नलकूपों के उपयोग की चार योजनायें	मुंगेर	4 गांव पेयजल सुविधा के तहत आंशिक रूप से लेकर पूर्ण कवरेज	34.93

5. स्वच्छ कुओं, खोदे गये नलकूपों आदि के निर्माण के लिये तीन जल सप्लाई योजनायें	साहेबगंज	444 आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त	178.972
प्रौद्योगिकी मिशन			
6. हैण्डपम्प लगाना तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम	सिंहभूम	—	317.172

जहां तक 1990-91 तथा 1991-92 की योजनाओं का सम्बन्ध है, बिहार सरकार सहित राज्य सरकारों को योजनाओं के तकनीकी अनुमोदन की शक्तियां सौंपी गई थीं। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाने वाली योजनओं को अब राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तथापि, द्विपक्षीय सहायता हेतु बिहार राज्य सरकार से निम्नलिखित परियोजनायें 28.1.91 को प्राप्त हुई थीं:

— 7.279 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से धनबाद जिले के निरसा तथा आसपास के गांवों के लिये जल सप्लाई योजना

— उत्तरी बिहार के लौह से प्रभावित सात जिलों के लिये 109.5 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना

(ख) बिहार सरकार से प्राप्त उपरोक्त सभी परियोजनाओं को तकनीकी अनुमोदन दे दिया गया था। द्विपक्षीय सहायता वाली परियोजनाओं को योजना आयोग को टिप्पणियों हेतु भेजा गया है। तत्पश्चात इन परियोजनाओं को द्विपक्षीय सहायता के लिए प्रस्तुत करने हेतु वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को भेजा जायेगा।

(ग) केन्द्रीय सहायता परियोजना / योजनावार आधार पर स्वीकृत नहीं की जाती है। तथापि, वर्ष 1989-90 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बिहार राज्य सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा मिनी मिशन परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है:—

वर्ष	रिलीजें (करोड़ रुपये में)
1989-90	28.63
1990-91	24.42
1991-92	20.59

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक की स्थिति

†3416. श्री सैयद शहाबुद्दीनः
श्री ए॰ चार्ल्सः

क्या खाद्य मंत्री 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1 अप्रैल, 1989, 1 अप्रैल, 1990, 1 अप्रैल, 1991 और 1 अक्तूबर, 1991 को भारतीय खाद्य निगम के पास प्रमुख खाद्यान्नों के स्टॉक की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान (30 सितम्बर, 1991 तक) कितनी मात्रा में इन खाद्यान्नों की खरीद की गई; और

(ग) 1 अप्रैल, 1989, 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 और 30 सितम्बर, 1991 को भारतीय खाद्य निगम के पास कुल कितने मूल्य का स्टॉक विद्यमान था?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार हैः—

भारतीय खाद्य निगम के पास पहले से जमा स्टॉक

दिनांक	गेंहू	चावल	(मिलियन टनों में) धान के रूप में चावल
1 अप्रैल, 89	2.07	3.93	0.04
1 अप्रैल, 90	2.70	6.68	0.36
1 अप्रैल, 91	3.87	9.79	0.70
1 अक्तूबर, 91 (अंन्तिम)	4.52	6.21	0.26

कुल खरीद

विपणन मौसम	चावल (धान के रूप में चावल सहित अक्तूबर-सितम्बर	गेहूं (अप्रैल-मार्च)	(मिलियन टनों में)
1989-90	11.86	9.00	
1990-91	12.66	11.07	
1991-92	0.45	7.75	

भारतीय खाद्य निगम के पास जमा गेहूं, चावल व धान का मूल्य

(करोड़ रुपयों में)

दिनांक को	गेहूं	चावल	धान के रूप से चावल
1 अप्रैल, 89	458.96	1146.09	10.29
1 अप्रैल, 90	617.62	2253.64	124.50
1 अप्रैल, 91	1033.57	3621.61	266.07
30 सितमबर, 91 (अन्तिम)	1298.28	2513.25	106.47

छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की समेकित विकास योजना के अधीन नगरों का चयन

†3417. **श्री सैयद शहाबुद्दीनः** क्या शहरी विकास मंत्री शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग के बारे में 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की समेकित विकास योजना के अधीन सहायता के लिए राज्य-वार चयन किये गये नगरों के नाम क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत 1990-91 के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा 1991-92 में कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ग) किन-किन राज्य सरकारों ने राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को संसाधन अंतरित करने के लिए वित्त आयोग गठित किये हैं;

(घ) किन राज्यों ने आयोग के सिफारिशें के अनुरूप किराया नियंत्रण अधिनियम में अब तक संशोधन कर लिया है; और

(ङ) किन राज्यों में नगरपालिका निकायों तथा अधिसूचित क्षेत्रों और समितियों को भंग कर दिया गया है या फिलहाल नये चुनाव नहीं कराये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसरों को वरीयता देना

†3418. **श्री के॰ बी॰ तंग्का बालूः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार / सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसरों को उनकी नियुक्ति के समय वरीयता निर्धारित करने के सम्बन्ध में अगस्त, 1971 में कोई अनुदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के बैंक इन अनुदेशों का पालन कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशन्ड आॅफिसरों को वरीयता देने के संबंध में नियमों की व्याख्या करने के बारे में इनके कुछ संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) भूतपूर्व-इमरजेंसी कमीशंड आफिसरों / शार्ट सर्विस कमीशंड आॅफिसरों की केन्द्रीय सरकार में नियुति हो जाने पर उनकी वरिष्ठता आदि निर्धारित करने के संबंध में नियुक्त इमरजेंसी कमीशंड आॅफिसरों / शार्ट सर्विस कमीशंड आॅफिसरों (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 के अंतर्गत हिदायतें जारी की गई थीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बारे में हिदायतें वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र संख्या 2/18/77-एस॰ सी॰टी॰) (बी॰) दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 द्वारा अंगीकार किया गया है, जिन्हें दिनांक 6 मई, 1980 तथा 10 नवम्बर, 1986 के पत्रों द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्रालय के बैंकिंग-प्रभाग ने यह महसूस किया है कि चूंकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों, विशेष तौर पर भारतीय स्टेट में भर्ती केन्द्रीय भर्ती बोर्ड, जोकि संघ लोक सेवा आयोग के सदृश है, के माध्यम से की जाती है, अतः इमरजेंसी कमीशंड ऑफिसरों / शॉर्ट सर्विस कमीशंड ऑफिसरों की वरिष्ठता 1971 के नियमों के नियम 6(क) के उपबंधों के तहत नियत की जा सकती है। तथापि, भूतपूर्व इमरजेंसी कमीशंड ऑफिसरों/शार्ट सर्विस कमीशंड ऑफिसरों के कुछ संगठनों ने अभ्यावेदन दिया है कि इन अधिकारियों की वरिष्ठता 1971 के नियमों के नियम 6(ख) के अनुरूप नियत की जानी चाहिए। बैंकिंग प्रभाग ने यह मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा है। सरकार द्वारा इस मामले की जांच का कार्य अंतिम चरण पर है।

प्रवासी कर्मचारियों को सरकारी आवास

†3419. **श्री बी॰ कृष्ण राव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अलग पूल बनाने का है, जो देश के दूर—दराज के क्षेत्रों से आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

शहरी विकास मंत्रालय में (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव जांचाधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग). ऐसी नीति भेदभाव पूर्ण होगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

3420. श्री भगवान शंकर रावत:
श्री संतोष कुमार गंगवार:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को सरकार द्वारा कितने नये औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किये गये;

(ख) सरकार के विचाराधीन कितने आवेदन-पत्र पड़े हैं; और

(ग) इनका निपटान कब तक किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए 1 अप्रैल से 31 अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान 49 आशय पत्र तथा 10 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए हैं।

(ख) 30.11.1991 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए 653 आवेदन पत्र आशय पत्रों की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हुए थे।

(ग) औद्योगिक अनुमोदन देने संबंधी आवेदन पत्रों के निपटान के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमाएं हैं। यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं कि उक्त आवेदन पत्रों को इस समय सीमा के भीतर निपटा दिया जाए।

आगरा में इलेक्ट्रॉनिक परिसर

3421. श्री भगवान शंकर रावत: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगरा के ताज ट्रैपीसियम क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिसर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) (क) से (ग). भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के एक भाग के रूप में जिसमें इलेक्ट्रोनिकी शामिल है, के विकास के लिए ताजट्रेपीजियम क्षेत्र के भीतर लगभग 500 एकड़ भूमि फिरोज़ाबाद में अधिग्रहित की है।

[अनुवाद]

ग्रामीण लोगों को रोजगार

†3422. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दीर्घकाल से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों को धन-राशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए वर्ष-वार कितनी धन-राशि आबंटित की गई; और

(ग) इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान को कितनी धनराशि आबंटित की गई है अथवा करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) और (ख) उत्तर संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिये राजस्थान राज्य को 12805.28 लाख रुपये (सहित राज्य हिस्सा) आबंटित किये गये हैं।

विवरण - I

जवाहर रोजगार योजना जिसे वर्ष 1989-90 में आरम्भ किया गया था के अन्तर्गत छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह को पिछले आंकड़ों के आधार पर धनराशि आबंटित की गई है जोकि वर्ष 1988-89 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन॰ आर॰ ई॰ पी॰) के लिये आबंटित धनराशि से दोगुनी अथवा एन॰आर॰ई॰पी॰। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर॰एल॰ई॰जी॰पी॰) दोनों के लिये आबंटित की गई धनराशि जो भी अधिक थी, के बराबर है।

2. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शेष राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की जाती है जोकि देश के कुल ग्रामीण निर्धन लोगों में से संबंधित राज्य में रहने वाले ग्रामीण निर्धन लोगों के अनुपात के आधार पर वितरित की जाती है।

3. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों के लिये आबंटित धनराशि को पिछड़ापन के सूचकांक के आधार पर जिलों में वितरित किया जाता है जोकि कुल ग्रामीण आबादी में से ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी के प्रतिशत मुख्य कामगारों में से कृषि मजदूरों की संख्या तथा जिले में पैदा किये गये कृषि उत्पादों के राशिगत मूल्य के विपरीत 6 : 20 : 20 के आधार पर तैयार किया जाता है।

4. जिलों को धनराशि आबंटित किये जाने के उपरोक्त मानदण्ड में, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों तथा गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के मामले में संशोधन किया गया था। उनके मामले में पर्वतीय/मरुस्थलीय जिलों के लिये प्रति व्यक्ति उतनी धनराशि आबंटित की गई जितनी कि उस राज्य के किसी ऐसे जिले को की गई हो जहां पर सार्वाधिक आबंटन किया गया हो जोकि उस विशेष जिले के लिये वार्षिक आबंटन न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपये और अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये तक सीमित हो। ऐसे जिलों के लिए बढ़े हुए आबंटन को शेष जिलों के लिए किए जाने वाले आबंटन में उसी अनुपात में कमी करके समायोजित किया गया है।

5. राजस्थान को छोड़ कर, राज्यों/जिलों को धनराशि आबंटित किये जाने के लिये वही मानदण्ड अपनाया जाता रहा है जैसाकि पूर्व पैरा में दिया गया है। वर्ष 1990-91 में राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार को केवल जवाहर रोजगार योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित तथा पैरा 3 में दिये गये पिछड़ापन सूचकांक के मानदण्डों के आधार पर ही अन्तर-जिला धनराशि आबंटित करनी चाहिए। तद्नुसार, भारत सरकार ने राजस्थान के मामले में जिला आबंटन में संशोधन किया है।

6. वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान, जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिये आबंटित संसाधनों का राज्य-वार, ब्यौरा (राज्य का हिस्सा सहित) विवरण - II में दिया गया है।

विवरण - II

वर्ष 1989 से 1992 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत संसाधनों का आवंटन

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य	आवंटन (सहित राज्य हिस्सा)		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	19319.51	19166.20	19166.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	307.15	330.68	330.67
3.	असम	5278.90	5114.59	5114.59
4.	बिहार	38711.91	38466.78	38466.78
5.	गोवा	378.75	357.28	357.27
6.	गुजरात	7954.79	8090.71	8090.71
7.	हरियाणा	2068.19	1926.88	1926.82
8.	हिमाचल प्रदेश	1153.50	1135.28	1135.29
9.	जम्मू-कश्मीर	1682.74	2000.00	1611.51
10.	कर्नाटक	12093.58	12059.70	12059.70
11.	केरल	6569.99	6396.19	6396.19
12.	मध्य प्रदेश	25618.79	26402.50	26402.50
13.	महाराष्ट्र	20993.90	20424.84	20424.85
14.	मणिपुर	441.73	423.83	423.83
15.	मेघालय	458.13	495.91	495.91
16.	मिज़ोरम	187.41	208.90	208.90
17.	नागालैंड	504.99	610.00	531.58
18.	उड़ीसा	12655.81	13094.93	13094.93
19.	पंजाब	1608.66	1675.65	1675.65
20.	राजस्थान	12594.24	12805.28	12805.28
21.	सिक्किम	197.83	193.54	193.54
22.	तमिलनाडु	17659.64	17223.66	17223.66
23.	त्रिपुरा	541.43	550.49	550.49
24.	उत्तर प्रदेश	51706.13	51093.28	51093.28
25.	पश्चिम बंगाल	21610.16	21786.94	21786.94
26.	अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	164.80	156.56	156.56

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य	आबंटन (सहित राज्य हिस्सा)		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
27.	चंडीगढ़	40.77	38.81	38.81
28.	दादरा और नागर हवेली	83.80	84.99	84.99
29.	दमन और दीव	52.40	50.07	50.07
30.	दिल्ली	187.42	184.18	184.18
31.	लक्षद्वीप	81.75	78.49	78.49
32.	पांडिचेरी	157.80	153.25	153.25
	योग	263066.60	262780.27	262313.37

पामोलीन का आयात

†3423. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पामोलीन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इसका आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में पामोलीन का आयात किया जायेगा; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 1.5 लाख मी॰ टन पामोलीन का आयात करने हेतु मंजूरी दी है।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने 66,000 मी॰ टन पामोलीन के आयात का अनुबंध किया है। इसमें से 2 दिसम्बर, 1991 तक 54,000 मी॰ टन मात्रा आ चुकी है और शेष मात्रा रास्ते में है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अब तक राज्यों को 48,000 मी॰ टन पामोलीन का सीधे आयात करने की अनुमति दी है।

वर्ष 1991-92 के लिए केरल को आबंटन

†3424. श्री थाइल जान अंजलोज: क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान केरल को दी गयी सहायता और अनुदान का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने आबंटित धनराशि को उन्हीं मदों पर खर्च किया है, और जिनके लिए यह आबंटन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान ऋण तथा अनुदान के रूप में केरल को आबंटित की गयी सहायता-राशि का मद-वार ब्यौरा संगम्र विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन मदों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 1991-92 के समापन पर ही उपलब्ध हो सकेगा।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	मद	आबंटन	अब तक जारी की गई
1	2	3	4
1.	(क) सामान्य केन्द्रीय सहायता	28506.00	21330.000
	(क) ऋण	19954.20	14940.000
	(ख) अनुदान	8551.80	6390.000
	(ख) आदर्श गांवों के लिये अतिरिक्त सामान्य केन्द्रीय सहायता	1.100.00	—
	क) ऋण	770.00	—
	ख) अनुदान	330.00	—
2.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	13300.00	2151.530
	(क) ऋण	9310.00	1506.071
	(ख) अनुदान	3990.00	645.459
3.	केन्द्रीय करों में हिस्सा	52285.00	32828.000
4.	अल्प बचत ऋण	18843.00	9196.000
5.	योजना घाटा अनुदान	6601.00	4950.750
6.	आपदा राहत के लिए केन्द्रीय अंशदान	2325.00	1743.750
7.	पर्वतीय क्षेत्रों का त्वरित विकास	605.220	+
	(क) ऋण	60.522	+
	(ख) अनुदान	544.698	+
8.	जन-जातीय उप-योजना	128.04	+
9.	अनुसूचित जाति (संघटक)	510.18	+
	योग	124203.44	73200.030

†अभी जारी किया जाना बाकी है।

केरल में शहरी मूलभूत सेवा योजना का कार्यान्वयन

3425. श्री थाइल जान अंजलोज: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान शहरी मूलभूत सेवा योजना के अन्तर्गत किन-किन शहरों का विकास किया गया है; और

(ख) केरल में वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किन-किन शहरों का चयन किया गया है और इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) शहरी मूलभूत सेवा योजना देश में केरल सहित 1986-87 से 1989-91 तक प्रचालन में थी। इस योजना को संशोधित किया गया और वर्ष 90-91 से इसे "निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं" के रूप में पुनः नाम दिया गया। केरल में पुरानी योजना (शहरी मूलभूत सेवा योजना) के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए लिये गए शहर और संशोधित योजना (निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं) के लिए चुने गये शहरों के नाम, संलग्न विवरण - I और II में दिये गए हैं।

(ख) संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के लिए चुने गये उन्हीं शहरों को 1991-92 के दौरान भी योजना में लिया जायेगा। 1991-92 में इस प्रयोजन के लिए 73 लाख रुपये की राशि को अंतरिम तौर पर केन्द्रीय सहायता के रूप में नियत किया गया है।

विवरण - I

वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान पुरानी शहरी मूलभूत सेवा योजना में सम्मिलित किये गये केरल के शहरों के नाम

1.	इर्नाकुलम	(i) कोचीन
		(ii) कोथेपंगलम
		(iii) मूवट्टूपुशी
		(iv) अल्वाई
		(v) पेरम्बूरूर
		(vi) त्रिपुनीथरा
		(vii) अम्गामली
		(viii) पारूर
2.	अलप्पी	(i×) अलप्पी
		(×) कयामकुलम
		(×i) शेरथल्ली
		(×ii) मवेलिकरा
		(×iii) चेन्यनूर

विवरण - II

1990-91 के दौरान नई योजना निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं के कार्यान्वयन के लिए चुने गए केरल के शहरों की सूची

1. त्रिवेन्द्रम
2. नेय्पाथिंकारा
3. अट्टिगंल
4. नेडुमंगद
5. वरकला
6. क्विलोंन
7. पुन्नूर
8. पराछुई
9. तिरूवल्ला
10. पतिनम्तिट्टा
11. अडूर
12. पण्डलम
13. कोट्टायम
14. छेगनाचेरी
15. वैकुम
16. पलाई
17. इराथुपेट्टा
18. थोडुपुझा
19. पिरावम
20. कलामसेरी
21. इलूर
22. त्रिचूर
23. इरजलाकुडा
24. कुन्नमकुलम
25. छलाकुड्डी
26. कोडंगलूर

केरल के छोटे एवं मझोले शहरों का विकास

†3426. श्री थाइल जान अंजलोजः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केरल में छोटे एवं मझोले शहरों के विकास संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) तथा (ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित तथा छठी योजना के दौरान आरंभ की गई छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना एक चालू योजना है। इस योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के बजट संबंधी नियतनों के आधार पर तथा राज्य सरकारों से प्राप्त प्राथमिकता-प्राप्त कस्बों की सूची के साथ योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर प्रतिवर्ष सहायता हेतु कस्बों का चयन किया जाता है। चालू वर्ष के लिये केरल सरकार से दो कस्बों की परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। चालू वर्ष के लिये छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना की स्वीकृति के संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल के लिए पैराफिन् मोम का कोटा

†3427. श्री थाइल जान अंजलोज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार के लिए पैराफिन मोम का कोटा बढ़ाए जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) सरकार को समय समय पर केरल सहित विभिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पैराफिन वैक्स के आवंटन में वृद्धि किए जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। देश में इसकी उपलब्धता तथा आयात को ध्यान में रखकर इसका आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर पैराफिन वैक्स के सामान्य तिमाही आवंटन के अलावा इस वर्ष तिमाही अक्तूबर दिसंबर, 1991 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पैराफिन वैक्स टाईप-III का एक बार अतिरिक्त आवंटन किया है। पैराफिन वैक्स टाईप III के अतिरिक्त आवंटन में केरल राज्य का हिस्सा 157 मीट्रिक टन है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आयु सीमा में वृद्धि

3428. श्री सुरेशानन्द स्वामी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये आयु-सीमा में वृद्धि करने और इस परीक्षा में बैठने के प्रयासों की संख्या पर लगे हुए प्रतिबन्ध को हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है और इस परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम 4 अवसर मिलते हैं। तथापि वर्ष 1992 की परीक्षा के लिए विशेष मामले के रूप में अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित करने तथा अधिकतम 5 अवसर देने का प्रस्ताव है। यह उदारीकरण केवल वर्ष 1992 की परीक्षा के लिए अनुज्ञेय होगा।

[अनुवाद]

हिन्द महासागर से खनिजों का उत्खनन

†3429. **श्री राम शरण यादव:**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्द महासागर की तह में स्थित विभिन्न खनिजों का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन खनिजों के बारे में कोई सर्वेक्षण करने और इनका उत्खनन करने का कोई प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 150,000 वर्ग कि०मी० का भारत का अग्रणी क्षेत्र, हिन्द महासागर में केप कोमरिन से 1,600 कि०मी० पर स्थित है। इसका आधा अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंप देना पड़ेगा। शेष आधे 75,000 वर्ग कि०मी० में 3800 लाख टन अनुमानित बहुधात्विक पिण्डों के होने की संभाव्यता है। इन पिण्डिकाओं में 35 लाख टन निकल, 32 लाख टन कापर, 5 लाख टन कोबाल्ट एवं 720 लाख टन मैंगनीज होने का अनुमान है।

(ग) बहुधात्विक पिण्डकाओं के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पहले से ही चल रहा है। गहन समुद्र संस्तर खनन परीक्षण प्रणाली विकसित करने का कार्यक्रम है जिसका कार्यान्वयन केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर द्वारा नोड ऐजेन्सी के रूप में किया जा रहा है। इस प्रणाली का पूर्णतः संक्रियात्मक गहन समुद्र संस्तर खनन प्रणाली में उत्तरोत्तर विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (जमशेदपुर), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (भुवनेश्वर) एवं हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (उदयपुर) में भी निष्कर्षण धातुकर्म पर अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा प्रदूषण

3430. **श्री शिव शरण वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र से पर्यावरण प्रदूषण का गंभीर खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पुनरीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा एक बहुस्तरीय पुनरीक्षा प्रणाली के माध्यम से निरन्तर की जाती है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर से पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली विकिरण सक्रियता की मात्रा बहुत थोड़ी है और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं से काफी कम है। पर्यावरणात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयंत्र के आस-पास के क्षेत्र में विकिरण संबंधी सर्वेक्षण का कार्य तथा जल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों, वायु और अन्य खाद्य पदार्थों के एकत्रित किए गए नमूनों का विश्लेषण नियमित रूप से किया जाता है।

अभ्रक उद्योग के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

3431. श्री छेदी पासवानः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में अभ्रक के उत्पादन और निर्यात में कार्यरत श्रमिकों (सरकारी और निजी) के लिए कितने न्यूनतम मजदूरी और सुविधाएं निर्धारित की गयी हैं;

(ख) क्या ये सुविधाएं और मजदूरी बिहार के श्रमिकों को प्रदान की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर): (क) अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों में 25.10.1988 को संशोधन किया गया था। प्रत्येक छमाही के अन्तराल पर अर्थात 1 अक्तूबर तथा 1 अप्रैल से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सहबद्ध विशेष भत्ता समायोजित किया जाता है। अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के लिए निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों और 1.10.1991 से देय विशेष भत्ते को दर्शाने वाला विवरण सलंग्न है।

अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनमें चिकित्सा, आवास, पेय जल, शैक्षिक, मनोरंजन तथा परिवार कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।

(ख) केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार के रूप में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम उपबंध इस उद्देश्य से लागू करती है कि बिहार सहित पूरे देश में मजदूरी की न्यूनतम दरों की अदायगी सुनिश्चित की जा सके। पटना उच्च न्यायालय की रांची पीठ (बेंच) ने सुरेश कुमार बनाम भारत सरकार तथा अन्य (सी०डब्ल्यू जे० 164, 1987 (आर) के मामले में यह निर्णय दिया कि अभ्रक कार्यों के अनुसूचित नियोजनों में अभ्रक खानें शामिल नहीं हैं अतः मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने/संशोधित करने से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना अभ्रक खानों में नियोजित श्रमिकों पर लागू नहीं होती। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंध तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम मजदूरी बिहार राज्य की अभ्रक खानों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं की जा सकती।

(ग) सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 की मद 10 पर उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में संशोधन करने के लिए विचार कर रही जिससे अभ्रक खानों को भी अभ्रक कार्यों के नियोजन की अनुसूची में शामिल किया जा सके।

विवरण

मजदूरी की निर्धारित की गयी न्यूनतम दरें तथा अभ्रक खानों में कार्यरत श्रमिकों को 1.10.1991 से देय विशेष भत्ता

(रुपयों में)

कर्मकार वर्ग	भूमि पर कार्य करने के लिए			भूमिगत कार्य के लिए		
	मूल मजदूरी	विशेष भत्ता	कुल	मूल मजदूरी	विशेष भत्ता	कुल
कुशल	15.30	5.00	20.30	18.45	6.27	24.72
अर्धकुशल / अकुशल / पर्यवेक्षी	19.05	6.27	25.32	22.85	7.50	30.35
कुल	23.75	7.50	31.25	28.15	9.37	37.52

उत्तर काशी, उत्तर प्रदेश में भूकम्प

3432. **श्री यशवंत राव पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरकाशी और हिन्दूकुश में भूकम्प आने के बाद से आज तक और कितने भूकम्पीय झटके अनुभव किए गए तथा उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां यह झटके अनुभव किए गए और इसकी प्रचंडता का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) थोड़े-थोड़े समय बाद ऐसे झटके आने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) अत्तरकाशी में 20 अक्तूबर, 1991 को आए भूकम्प के बाद आए झटकों अर्थात् कंपनों की भारत मौसम विज्ञान विभाग की दिल्ली स्थित भूकम्प वैज्ञानिक वेधशाला द्वारा नवम्बर, 1991 के अंत तक रिकार्ड की गई संख्या 58 थी। 20 अक्तूबर, 1991 को आए मुख्य भूकम्प वाले दिन ही बाद में आया एक अन्य झटका ही एकमात्र ऐसा था जो साधारण परिमाण का था। शेष सभी मामूली परिमाण के थे। सभी बाद के झटकों का उदगम स्थान एक ही सामान्य क्षेत्र था और उनको उत्तरकाशी के आसपास के गढ़वाल क्षेत्र के लोगों ने महसूस किया। दिल्ली में रिकार्ड किए गए बाद में झटकों की सूची संबंधी विवरण-I संलग्न है।

हिन्दुकुश क्षेत्र में, 20 अक्तूबर से नवम्बर, 1991 के अंत तक 6 भूकम्प आए। इनमें से तीन साधारण परिमाण के थे। एक सूची विवरण-II में संलग्न है।

(ख) मुख्य भूकम्प के बाद अनेक झटके आना एक आम प्रक्रिया है। यद्यपि मुख्य भूकम्प में पर्याप्त मात्रा में संचित ऊर्जा निकलती है, तथापि बाकी ऊर्जा बाद के झटकों के रूप में रुक-रुक कर निकलती रहती है।

विवरण-I

20.10.91 से 30.11.91 तक गढ़वाल भूकम्प के बाद आए झटकों की सूची

क्रम सं०	तारीख	उद्भव काल घंटा	(घं०मि०स०) मिनट	अधिकेन्द्र की अक्षांश (उ०)	स्थिति (देशान्तर (पू०)	परिणाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	20.10.91	03	36	30.6	78.6	2.4
2.	20.10.91	03	59	30.6	78.7	4.0
3.	20.10.91	03	34	30.8	78.7	3.4
4.	20.10.91	04	11	30.7	78.7	4.7
5.	20.10.91	04	26	30.7	78.7	4.0
6.	20.10.91	04	43	अनिश्चय	अनिश्चय	2.6
7.	20.10.91	04	40	30.7	78.7	2.4
8.	20.10.91	05	10	30.7	78.7	3.5
9.	20.10.91	06	34	30.7	78.6	2.3
10.	20.10.91	06	43	30.8	78.8	2.4
11.	20.10.91	06	51	30.7	78.6	2.3
12.	20.10.91	06	55	30.7	78.8	4.2
13.	20.10.91	09	04	30.8	78.9	2.9
14.	20.10.91	09	50	30.7	78.6	3.0
15.	20.10.91	09	02	30.7	78.7	3.5
16.	20.10.91	10	02	30.7	78.6	5.2
17.	20.10.91	11	25	30.9	78.8	2.5
18.	20.10.91	11	28	30.9	78.7	2.6
19.	20.10.91	12	18	30.8	78.5	3.1
20.	20.10.91	12	56	30.6	78.6	2.9
21.	20.10.91	13	27	30.7	78.8	3.5
22.	20.10.91	13	45	अनिश्चय	अनिश्चय	2.7
23.	20.10.91	14	31	30.5	78.6	2.7
24.	20.10.91	15	15	30.8	78.6	2.7
25.	20.10.91	15	48	30.7	78.5	2.7
26.	20.10.91	16	09	30.7	78.5	2.6
27.	20.10.91	16	40	30.7	78.6	2.7
28.	20.10.91	17	28	30.9	78.9	2.9
29.	21.10.91	03	19	30.7	78.7	2.4
30.	21.10.91	05	29	30.8	78.6	2.7

1	2	3	4	5	6	7
31.	21.10.91	08	54	अनिश्चय	अनिश्चय	2.7
32.	21.10.91	19	33	30.8	78.8	3.6
33.	21.10.91	19	58	30.8	78.6	2.6
34.	21.10.91	20	06	30.8	78.5	2.6
35.	22.10.91	00	14	30.8	78.6	2.5
36.	22.10.91	12	09	30.8	78.6	2.7
37.	22.10.91	16	46	30.8	78.6	3.4
38.	23.10.91	09	41	अनिश्चय	अनिश्चय	2.6
39.	24.10.91	05	35	30.8	78.7	2.5
40.	25.10.91	00	51	30.7	78.6	2.5
41.	25.10.91	10	22	अनिश्चय	अनिश्चय	2.8
42.	25.10.91	20	53	30.8	78.6	2.7
43.	26.10.91	00	39	30.8	78.6	4.1
44.	27.10.91	06	10	30.7	78.8	4.1
45.	27.10.91	18	50	30.7	78.7	4.0
46.	28.10.91	01	00	30.8	78.8	2.7
47.	01.11.91	03	17	अनिश्चय	अनिश्चय	2.8
48.	05.11.91	01	11	30.8	78.8	2.4
49.	07.11.91	04	00	30.6	78.1	2.4
50.	08.11.91	00	27	30.8	79.1	2.7
51.	08.11.91	06	37	अनिश्चय	अनिश्चय	2.6
52.	09.11.91	08	11	अनिश्चय	अनिश्चय	2.8
53.	10.11.91	09	13	अनिश्चय	अनिश्चय	2.8
54.	11.11.91	23	39	अनिश्चय	अनिश्चय	3.2
55.	13.11.91	17	34	अनिश्चय	अनिश्चय	2.8
56.	17.11.91	03	45	30.8	78.3	3.1
57.	25.11.91	20	00	30.5	78.1	2.8
58.	26.11.91	00	30	30.6	78.9	2.8

विवरण-II

20.10.1991 से 30.11.1991 तक हिन्दुकुश क्षेत्र में भूकम्प

क्रम सं॰	तारीख	उद्भव काल घंटा	(भा॰मा॰स॰) मिनट	अधिकेन्द्र की अक्षांश (उ॰)	स्थिति देशान्तर (पू॰)	परिमाण
1.	28.10.91	21	07	36.3	70,96	4.4
2.	30.10.91	21	32	36.5	71.7	5.0
3.	02.11.91	19	26	35.8	72.1	4.4

क्रम सं॰	तारीख	उदभ्व काल घंटा	(भा॰मा॰स॰) मिनट	अधिकेन्द्र की अक्षांश (उ॰)	स्थिति देशान्तर (पू॰)	परिणाम
4.	04.11.91	04	36	35.5	70.0	5.2
5.	11.11.91	05	34	36.6	71.9	5.4
6.	13.11.91	05	23	35.5	70.1	4.6

चीनी का आयात

3433. **श्री राजवीर सिंह:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में, किन-किन दरों पर तथा किन-किन देशों से चीनी का आयात किया गया; और

(ख) ऐसा प्रत्येक समझौता कितनी अवधि तक के लिए वैध है?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान 1989-90 मौसम में चीन, मलेशिया तथा थाइलैंड से 8805.49 रुपये से 8848.37 रुपये प्रति टन कीमत रेंज में 22,41,750 टन चीनी आयात की गई थी।

(ख) सप्लायरों के साथ किए गए करार 20.10.89 तक मान्य थे।

सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए दक्षिणी क्षेत्र को उपग्रह संपर्क उपलब्ध कराना

*3434. **श्री सी॰ के॰ कुप्पुस्वामी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संरकार का विचार साफ्टवेयर निर्यात के लिए दक्षिणी क्षेत्र को उपग्रह संपर्क उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब से उपलब्ध करा दी जाएगी?

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के 100% निर्यात के लिए बंगलौर, हैदराबाद और तिरुवनन्तपुरम में स्थित साफ्टवेयर पार्कों के माध्यम से दक्षिणी क्षेत्र में डाटा संचार सुविधा उपलब्ध कर रहा है। इन पार्कों को 9.6 के॰बी॰ प्रति सैकेंड तक को डाटा संचार सुविधाएं विदेश संचार विभाग निगम लिमिटेड उपलब्ध करा रहा है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि बंगलौर और हैदराबाद से उपग्रह के माध्यम से 64 के॰बी॰ प्रति सैकेंड गति से उच्च गति डाटा संचार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आशा है कि यह वर्ष 1992 के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी।

उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में संशोधन

3435. श्री बलराज पासी:
डा० लाल बहादुर रावल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहायकों तथा आशुलिपिकों का वेतनमान रु० 1400-2600 से बढ़ाकर 1640-2900 कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिक ग्रेड "ग" के पदों तथा कतिपय अन्य तुलनीय ग्रेडों के लिए जो दिनांक 1.1.86 से पूर्व 425-800 रुपये के वेतनमान में थे, चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहले मंजूर किए गए 1400-2600 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 1640-2900 रुपये के संशोधित वेतनमान की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन कारणों की वजह से सहायकों/आशुलिपिक ग्रेड "ग" के वेतनमान के संबंध में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को संशोधित किया गया था, वे कारण उच्च श्रेणी लिपिकों के मामलों में संगत नहीं हैं अतः इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया। उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दुर्गापार्क दिल्ली में भूमि के अनधिकृत कब्जे के बारे में 29.7.91 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में

"दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दुर्गापार्क एक अधिकृत बस्ती है"

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाये:—

"दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दुर्गापार्क एक अनधिकृत बस्ती है।"

2. टंकण में गलती के कारण यह गलती हुई है और नजर चूक जाने के कारण इसे पहले नहीं देखा जा सका।

3. सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कावेरी जल विवाद

मध्यान्ह 12.00 बजे

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): कावेरी जल विवाद अधिकरण द्वारा 25.6.1991 को अंतरिम आदेश दिये जाने के बाद सरकार को इस प्रश्न पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए क्या सरकार को इसे अधिसूचित करते हुए सरकारी गजट में प्रकाशित करना चाहिए अथवा नहीं। इस मुद्दे पर संसद में उठाये गये प्रश्नों के जवाब में सरकार ने राज्य सभा में 26.7.1991 को स्पष्ट किया था कि यह आदेश अधिकरण द्वारा घोषित किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और यह कि इसे प्रभावी बनाने के लिए गजट में इसको प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है।

इसी बीच कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में कावेरी के जल के उपयोग के संबंध में 25.7.1991 को एक अध्यादेश लागू कर दिया। चूंकि उक्त अध्यादेश और अधिकरण के अंतरिम आदेश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विधिक स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, अतः भारत के राष्ट्रपति की ओर से यह मामला संविधान के अनुच्छेद 143 के खण्ड (1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को उनकी राय जानने के लिए भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 22.11.1991 को निम्नलिखित प्रकार से अपनी राय दी है:—

"कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई, 1991 को पारित कर्नाटक कावेरी बेसिन सिंचाई सुरक्षा अधिनियम, 1991 राज्य की विधायी शक्ति के परे है और इस प्रकार संविधान के विरुद्ध है।"

"तारीख 25 जून, 1991 का अधिकरण का आदेश अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अर्थान्तर्गत एक रिपोर्ट और विनिश्चय का गठन करता है।"

"अतः उक्त आदेश को प्रभावी बनाने के लिए उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है।"

"इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित जल विवाद अधिकरण विवाद से संबंधित पक्षों को कोई अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए सक्षम है, जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी राहत के लिए अनुरोध किया जाता है।"

"क्या अधिकरण को अन्तरिम राहत प्रदान करने का अधिकार है, जबकि ऐसी राहत के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है। यह प्रश्न वर्तमान तथ्यों ओर परिस्थितियों में, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है, आवश्यक नहीं है। अतः हम इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते।"

मैंने 25.11.91 को संसद में यह वक्तव्य दिया था कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी राय स्वीकार कर ली है और ऐसी कार्रवाई, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, प्रारम्भ करने का निर्णय किया है।

इस मामले की, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अभिकथन के परिप्रेक्ष्य में, और जांच की गई है कि अधिकरण के अन्तरिम आदेश को बाध्यकारी और प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है।

अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा 5(3) में मामले को अधिकरण को इसके मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण के लिए तीन माह की अवधि के भीतर भेजने का प्रावधान है। यह अवधि 24.9.91 को समाप्त हो गयी थी। किसी भी उस राज्य ने, जो अधिकरण के समक्ष विवाद के पक्षकार हैं, 24.9.91 से पहले इस अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत मार्गदर्शन अथवा स्पष्टीकरण मांगने के लिए अधिकरण को कोई और पत्र नहीं लिखा है।

सरकार ने इस वर्ष के दौरान कावेरी नदी में जल की उपलब्धता के संबंध में स्थिति की पुनरीक्षा भी की है। पिछले अनेक वर्षों के दौरान जल की उपलब्धता की तुलना में, इस वर्ष की स्थिति काफी अच्छी है और कावेरी जल विवाद अधिकरण के अन्तरिम आदेश में किए गए प्रावधान के अनुसार इस वर्ष के दौरान जल उपलब्ध कराने में किन्हीं कठिनाइयों का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है।

सरकार ने अब कावेरी जल विवाद अधिकरण के अन्तरिम आदेश को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना कल जारी की गई थी।

कर्नाटक सरकार ने उन कठिनाइयों, जो किसी विशेष वर्ष में नदी में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने पर उत्पन्न हो सकती हैं, के संदर्भ में 25.11.91 को कावेरी जल विवाद अधिकरण को एक आवेदन दिया है। तमिलनाडु सरकार ने भी अपना प्रतिवक्तव्य प्रस्तुत किया है। इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने हेतु सरकार द्वारा अधिकरण का आदेश भी ध्यान में रखा जाएगा।।

सभी संबंधितों के हित में कार्य करने तथा विधिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने हेतु सरकार पूरा प्रयास करेगी। मैं सदन को यह भी आवश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार कावेरी जल का सबसे अधिक लाभप्रद उपयोग करने तथा सभी संबंधितों के बीच इसका उचित बंटवारा करने के लिए प्रयत्न करेगी।

...(व्यवधान)...

श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोविचेट्टिपालयम): महोदय, मैं कावेरी जब विवाद अधिकरण के अन्तरिम आदेश को अधिसूचित करने के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए सरकार का, विशेषरूप से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।... **(व्यवधान)**...

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर): अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि प्रधान मंत्री ने...

* *

...**(व्यवधान)**... अब यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। उन्होंने बंगरप्पा को हटा दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे कर्नाटक में बंगरप्पा के नेतृत्ववाली सरकार को बर्खास्त करेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को सरकार का नेतृत्व करने की अनुमति देंगे। ...**(व्यवधान)**... मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह बंगरप्पा को अपने पद से त्याग-पत्र देने के लिए कहेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर सरकार का नेतृत्व करने के लिए ...**(व्यवधान)**... यह एक राजनीतिक मुद्दे के अलावा और कुछ नहीं है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कर्नाटक के लोग इस बात को कभी नहीं भूलेंगे और इस बात के लिए भारत सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: यह बात ठीक नहीं है। जब और लोग बैठ गए तो आपको भी बैठ जाना चाहिए।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

कृपया मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके बाद कोई राय कायम कीजिए। एक दम निष्कर्ष मत निकालिए।

...(व्यवधान)...

श्री वी॰ धनंजय कुमार: महोदय, रावी-व्यास के इसी तरह के मामले में सन् 1987 में अंतिम फैसला दे दिया गया है लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। इस मामले में अधिसूचना जारी करने की इतनी जल्दी क्या थी? ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: हम सभा में केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं है, बल्कि हमें राजनेताओं की तरह भी व्यवहार करना चाहिए। कृपया अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: कृपया क्या आप अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)...

श्री के॰ वी॰ तंग्का बालू (धर्मपुरी): महोदय, व्यवस्था के एक प्रश्न पर ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैडम विभू कुमारी देवी आप अपना निवेदन कर सकती हैं।

...(व्यवधान)...

श्री के॰ वी॰ तंग्का बालू: महोदय, मेरा आप से अनुरोध है कि श्री धनंजय कुमार द्वारा की गई टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाए। उन्होंने ... का नाम लिया है। *...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: मैं उन बातों का ध्यान रखूंगा। आप यह मुझ पर छोड़ दीजिए। उन सब बातों के बारे में चिन्तित मत होइए। कृपया बैठ जाइए।

श्री के॰ वी॰ तंग्का बालू: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: अब आपको किसी मिनट की जरूरत नहीं है। अब महिला सदस्य को बोलने दीजिए। उनके प्रति उदार बनिए।

12.09 बजे म॰प॰

श्रीमती विभू कुमारी देवी (त्रिपुरा पूर्व): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने त्रिपुरा में भुखमरी के कारण बहुत से लोगों के मरने का समाचार छापा है। मैं कुपोषण और उससे संबंधित अन्य बीमारियों के कारण बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों की मृत्यु पर विशेष रूप से ज्यादा दुखी हूँ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आवश्यकता की इस घड़ी में राज्य की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

दूसरी बात यह है कि दुखी लोगों को भोजन के लिए जितने शिविर लगाए गए हैं उनकी जांच की जानी

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं जानना चाहती हूं कि बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए तत्काल सहायता देने हेतु क्या कोई केन्द्रीय दल दवाइयों सहित प्रभावित क्षेत्रों विशेषरूप से सुदूर क्षेत्रों में भेजा गया है।......(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदयः आप वक्तव्य को सावधानी से पढ़िए।

........(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदयः यही तो मैं कह रहा हूं। इसे पढ़िए।

........(**व्यवधान**)....

श्रीमती बिभू कुमारी देवीः 1971 में राज्य ने लगभग 20 लाख बांगलादेशी शरणार्थियों को प्रतिदिन खाना खिलाया।......(**व्यवधान**)....

श्री एम॰ वी॰ चरशेखर मूर्ति (कनकपुरा): महोदय कृपया उन्हें बैठने के लिए कहिए। क्या त्रिपुरा में कुछ लोगों के मरने से यह बात इतनी अधिक गंभीर है?......(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदयः कृपया इसको ध्यान से पढ़िए।

........(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदयः अब आप क्या चाहते हैं? मैं आपको अनुमति दूंगा। आप जो चाहते हैं क्या वह आपके मन में स्पष्ट है?

........(**व्यवधान**)....

श्री वी॰ कृष्णाराव (चिम्बल्लापुर): यह एक ज्वलंट समस्या है। हम इस सरकार से कुछ आश्वासन चाहते हैं। इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाना चाहिए। ......(**व्यवधान**)....

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद (चामराजनगर): महोदय, हम कुछ आश्वासन चाहते हैं। ......(**व्यवधान**)....

श्रीमती बिभू कुमारी देवीः महोदय, मुझे इस बात से दुःख पहुंचा है कि माननीय सदस्य ने त्रिपुरा की समस्या को कावेरी की तुलना में बहुत तुच्छ समझा है। महिलाओं और बच्चों सहित गरीब लोग मर रहे हैं और माननीय सदस्य को इतने हल्के-फुल्के ढंग से बात नहीं करनी चाहिए।

आदिवासी लोग मर रहे हैं। सभा को पिछड़े और गरीब लोगों के बारे में चिन्तित होना चाहिए। इन आदिवासी लोगों को हमेशा यातनाएं दी गई हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता करे। मैं समझती हूं कि सभा को उन गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो मर रहे हैं। उनकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है।

1971 में युद्ध के दौरान हम हर रोज बीस लाख लोगों को खाना खिलाते रहे हैं। 1977 से हम कैम्पों में बंग्लादेशी शरणार्थियों को खिला रहे हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता करती रही है। हमारे पास कोई शिविर नहीं है।

साहूकार आदिवासियों के राशन कार्ड उनसे लेकर विकट आर्थिक स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। ये साहूकार इस भुखमरी और लगभग अकाल की दशाओं जिनसे गरीब आदिवासियों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है के कारण आदिवासियों की भूमि का अपवर्तन कर रहे हैं।

अतः मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार जरूरत की इस घड़ी में त्रिपुरा के नागरिकों को सभी संभव सहायता प्रदान करेगी। सभा को भी इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः जी हां, आपने अपनी बात कह दी है।

........(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए। आपने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है।

... (**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदयः आप स्वयं अपनी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया आप बैठ जाइए और उन्हें बोलने दीजिए।

.... (**व्यवधान**) ...

श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्तिः महोदय, हमने यह बात प्रश्नकाल के आरंभ में भी बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। हम इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से और बातचीत के जरिए हल करने के इच्छुक हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री वी॰ धनन्जय कुमारः श्री बंगारप्पा को त्यागपत्र देने के लिए कहिये। (**व्यवधान**)

श्री वी॰ कृष्ण रावः आप राजनीतिक पहलू की बात क्यूं कर रहे हैं? कृपया वे सब बातें मत बताइये। (**व्यवधान**)

श्री एम॰ वी चन्द्रशेखर मूर्तिः पड़ोसी राज्यों के बीच किसी भी प्रकार के आपसी विवाद को विधि न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिये। जैसाकि मैनें पहले ही बताया है, कर्नाटक के सांसद तथा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी प्रधान मंत्री महोदय से मिला है और उनसे निवेदन किया है कि उनका प्रधान मंत्री में पूर्ण विश्वास है तथा वे चाहते हैं कि वे दोनों राज्यों के हितों का ध्यान रखें।

लेकिन माननीय जल संसाधन मंत्री के वक्तव्य को देखते हुए हमें लगता है कि उन्हें इस समय यहां उपस्थित रहना चाहिये था। (**व्यवधान**) इसमें चार करोड़ कन्नड़ जनता का हित शामिल है। यह उनके लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। सरकार के मन में कर्नाटक के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मंत्री तो यहां उपस्थित होने के लिए भी तैयार नहीं है। (**व्यवधान**) अब भी, विषय की गंभीरता को देखते हुए, सरकार को इसे इतने हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये। हम सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि वह दोनों संबंधित राज्यों को बुलाने तथा इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए तैयार है। इसमें चार करोड़ कन्नड़ भाषी लोग शामिल हैं और यह उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री आस्कर फर्नान्डीज़ (उदीपी)ः महोदय, माननीय जल संसाधन मंत्री ने कावेरी मसले पर एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। मैं सरकार तथा प्रधान मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे दोनों राज्यों को समझौता-वार्ता के लिए राज़ी करने तथा इस मसले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदयः फर्नान्डीज जी, अगर आप वक्तव्य को विशेष रूप से अंतिम दो पैराग्राफों को, ध्यानपूर्वक पढ़े, तो आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल जायेगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदयः मैं प्रशंसा नहीं चाहता, यह केवल ताली बजाने तथा प्रशंसा करने का प्रश्न नहीं है; इस मामले को हम सभी को समझदारी से निपटाना चाहिये और इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिये जैसाकि उत्तरी राज्यों में है। अतः हमें सावधान रहना होगा। मैं कर्नाटक के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे पहले बाहर जाकर वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढें, और फिर अगर वे वक्तव्य देना चाहें तो दें।

(**व्यवधान**)

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर): महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके लिए तिथि ि ेत की जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में आप सभी इस विवाद को टालने में नहीं अपितु उसे सुलझाने के इच्छुक हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री उन्नीकृष्णन जी बोलेंगे।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज से इस सभा के प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष ने एक यात्रा आरंभ की है जिसे उन्होंने भारत एकता यात्रा कहा है। **(व्यवधान)** मैं उसी बात का उल्लेख कर रहा हूं जो मैंने उस दिन केरल में आपके प्रवक्ताओं में से किसी के भाषण में सुनी थी। मैं यह आप पर छोड़ता हूं। **(व्यवधान)**

महोदय, प्रधान मंत्री ने कल सभी पार्टी-नेताओं को बुलाया है लेकिन विपक्ष के नेता को बाहर जाना था, किस वजह से, यह तो वही अच्छी तरह जानते हैं, शायद किसी उचित कारण से। लेकिन महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि इस यात्रा के कुछ आयोजकों ने यह दावा किया है कि उनके पास 40,000 सशस्त्र गार्ड होंगे अथवा जितने भी हों तथा वे उन्हें प्रशिक्षण देंगे। अगर वे सशस्त्र नहीं हैं, तो वे उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण देने जा रहे हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन: जोर-जोर से बोलकर आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते. **(व्यवधान)** यह चिंता का विषय है कि यह पार्टी और इससे संबंधित समूह जानबूझकर देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जहां राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार असुरक्षित हों। जैसा कि मैंने कहा यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि वे संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना चाहते हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य को शेष संघ के साथ जोड़ता है। अलगाववादी आंदोलन पहले ही पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भाग में खतरा बने हुए हैं। इस संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र, अपने आपको राष्ट्रवादी दर्शाकर इस यात्रा के द्वारा राष्ट्रीय विघटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में वे सांप्रदायिक लहर उत्पन्न करने और उसे उकसाने तथा हमारे लोकतंत्र के धर्म निरपेक्ष आधार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। **(व्यवधान)** हम सभी अलगाववाद के खतरे से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अलगाववाद का एक दूसरा रूप बहुसंख्यक समाज के नाम पर आ रहा है...... **(व्यवधान)**

महोदय, यह एक राष्ट्रीय बुराई है और अगर इसे इसी प्रकार चलने दिया गया तथा इन तत्वों को सांप्रदायिक ज़हर फैलाते रहने की अनुमति दी गई, तो इसका हमारे देश की एकता और अखंडता पर सीधा असर होगा।

अतः महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा उनसे यात्रा के बारे में ही नहीं बल्कि वह सारी जानकारी, जो सशस्त्र गार्ड के बारे में है, देने का अनुरोध करता हूं। **(व्यवधान)** यह मत सोचिये कि मैं आपसे भयभीत हो जाऊंगा।

अतः महोदय, इसका जवाब सभा को देना है, गृह मंत्री महोदय को देना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): महोदय, मैंने भी आपको इस बारे में लिखा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब श्री वाजपेयी जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा॰ जोशी की एकता यात्रा को लेकर जो बावेला खड़ा किया जा रहा है, क्षमा कीजिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा होता अगर सम्माननीय मित्र यहां बयान देने से पहले तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्र कर लेते। कोई हथियारबन्द, कोई बख्तरबंद लोग तैयार नहीं किये जा रहे हैं, न किये जा सकते हैं और न किये जाने चाहिए। सुनी सुनाई बात पर भरोसा करना, उसको सदन में दोहराना, आरोप के रूप में उसे प्रस्तुत करना और उस पर बात करने के लिए सरकार को निमंत्रण देना ठीक नहीं है। अगर एकता यात्रा की चर्चा करनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन एक यात्रा से सभी दलों में इतनी खलबली क्यों मच गई है ..... **(व्यवधान)**

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर): आवश्यकता क्या है यात्रा की?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अपने अपने कार्यक्रम सभी दल बनाते हैं। अगर राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम कर रही है तो इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है?

श्री विलास मुत्तेमवार: यह विभाजन यात्रा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा देश एक है क्या यह कहना गलत है? क्या वन्दे मातरम् को दोहराना गलत है? क्या इस संकल्प को दोहराना गलत है कि हम किसी भी कीमत पर अब भारत का और विभाजन नहीं होने देंगे? हमारी यात्रा किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। किसी क्षेत्र में तनाव पैदा हो, इसका मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता।

अयोध्या का उल्लेख किया जाता है, मगर सम्माननीय मित्रों को यह समझना चाहिए कि यह यात्रा एकता के लिए हो रही है किसी विवाद ....**(व्यवधान)**....... अब यह मुझे नहीं बोलने देते।

आडवाणी जी की यात्रा के दौरान भी कोई दंगा नहीं हुआ था। ......**(व्यवधान)**

लेकिन जोशी जी की यात्रा गुणात्मक रूप से अलग है, क्योंकि अयोध्या का मसला विवाद का मसला है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उस विवाद ने देश को धर्म या मजहब के आधार पर बांटा है। लेकिन कश्मीर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। देश की एकता और अखण्डता का मामला यह कोई सम्प्रदाय का मामला नहीं है। यह कहना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है क्या यह आपत्ति की बात है, अध्यक्ष महोदय, इनको किसने रोका है यात्रा करने से, ये भी सद्भावना यात्रायें करते थे। आप करें तो सद्भावना और हम करें तो दुर्भावना। यह नहीं हो सकता।

श्री पी॰ एम॰ सईद (लक्षद्वीप): हमने हथियार साथ नहीं लिये थे, आपने लियें हैं। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कल की बैठक में मैं जाना चाहता था। आडवाणी जी को मदुरै जाना था इसलिए उनको जल्दी थी। मैं पूरा समय भाग लेता, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं मिला .....**(व्यवधान)**..... बाद में पता लगा कि निमंत्रण प्रधान मंत्री जी के यहां से चला था, मगर मेरे पास तक नहीं पहुंचा।.....**(व्यवधान)**.....

निमन्त्रण मुझे भेजा जाना चाहिए था। मैं बैठक में जाता, पार्टी का दृष्टिकोण रखता लेकिन ऐन वक्त पर आखिरी दिन बैठक बुलाकर किसी पार्टी से यह आशा करना कि वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को रद्द कर देगी..... गलत था।

[अनुवाद]

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन: डॉ० जोशी ने 6 दिसंबर को प्रधान मंत्री महोदय को लिखा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: डा० जोशी ने प्रधानमंत्री को निमन्त्रण दिया है कि आप गणतन्त्र दिवस पर दिल्ली में भाग लेने के बाद श्रीनगर आईये वहां राष्ट्रीय झण्डा फहराईये, इसमें और दलों के सदस्य भी 26 जनवरी को चले, इसमें आपत्ति की क्या बात है? प्रधानमंत्री ने भाजपा को अलग-थलग करने के लिए ...... **(व्यवधान)** अब अगर और पार्टियों का विचार है कि वे सारी पार्टियां एक तरफ और भाजपा एक तरफ तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम देश की एकता और अखण्डता के सवाल का यह मामला पार्टी का मामला नहीं बनाना चाहते हैं। आप हमारे नारे देखिये ....

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक): क्या आप इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नारे ऐसे लगाये गये हैं जो तोड़ने वाले नहीं हैं, जोड़ने वाले हैं। मुझे पूरी चर्चा में कोई आपत्ति नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें। मैं जो कह रहा हूं, वह तो सुन लीजिये। लोकनाथ जी आप उठकर क्यों खड़े हो गये हैं। मैं देख रहा हूं कि अलग अलग जगहों पर बैठकर लोग प्रश्न करते जा रहे हैं और उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप सब लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है और देश का भी हुआ है। एक सम्माननीय सदस्य ने जो कहना है, वह कह दिया है और श्री वाजपेयी जी कह रहे हैं लेकिन दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मैं आप सब को चांस दूंगा लेकिन एक पार्टी के बाद दूसरी को दूंगा मगर आप उठकर मत बोलिये। आप में से जो कोई बोलना चाहे, वह मुझे बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे मौका देना चाहते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि आप माननीय सदस्यों को मौका पहले दें क्योंकि हमें निशाना बनाया जायेगा, तो मैं बाद में बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं इतना ही कहूंगा कि अगर उसमें कोई आक्षेप है, और आपका बोलना जरूरी है और मुझे ऐसा लगा तो मैं चांस दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सारी चर्चा हमको निशाना बनाकर होगी और वह सब गलतफहमी के कारण होगी और उसका राजनैतिक लाभ उठाने के लिए होगा। या तो मुझे बोलने दें या मेरे किसी सहयोगी को बाद में बोलने दें...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको, जरूरत होगी तो चांस दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस पर आप बाकायदा चर्चा करायें जीरो ऑवर में....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठ जाय। विस्तृत चर्चा भी होगी तो वही होगा जो अब हो रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव: विस्तृत चर्चा कैसे होगी?

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रजीत जी, आप बैठ जायें। जो भी हो रहा है, वह आपको मत प्रदर्शन के लिए समय

दिया जा रहा है। आप अपना मत प्रदर्शन कीजिये या उसके लिए सवाल जबाब तो नहीं हो रहे हैं। अगर उसकी भी विस्तृत चर्चा होगी तो कोई चर्चा शुरू करेगा, उसका उत्तर भी देगा। इस प्रकार एक तरफ से ही बोलेगा तो आप जो बोलना चाहें, बोलियेगा लेकिन तब, जब लगेगा कि प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: यहां, यही हो रहा है। हम केवल इसका प्रचार कर रहे है। हम इस एकता यात्रा का पूर्ण विवरण दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप चर्चा करना नहीं चाहते?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, आप ऐसे नहीं बोलिए। आप सब लोग पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बोलने के बाद चर्चा को समाप्त कर सकता हूं। क्या आप अपने स्थान पर बैठना नहीं चाहते?

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना: मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय: व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। शून्य काल में व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं होता। कृपया यह समझिए। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री श्रीकान्त जेना: मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी। या तो आप चर्चा कर लें अथवा चर्चा न करें। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। इस प्रकार न करें। भाजपा या कांग्रेस पार्टी ने यह चर्चा शुरू नहीं की है। एक सदस्य ने यह चर्चा शुरू की और आप कुछ कहना चाहते थे और इसके साथ ही आप कहते हैं कि इसे यह प्रचार दिया गया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी।

श्री श्रीकान्त जेना: भाजपा अपने पार्टी कार्यों के लिए सभा का पूरा समय लेना चाहती है। यह एक विशेष राजनैतिक पार्टी के लाभ के लिए है।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि लाभ के लिए क्या है और लाभ के लिए क्या नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना: मुझे व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय: शून्य काल के दौरान व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं होता।

श्री श्रीकान्त जेना: प्रधान मंत्री सभी पार्टियों की बैठक बुला रहे हैं। **(व्यवधान)** आप एकता यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। वे एकता यात्रा से जुड़े हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने
(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह मिलीभगत है बीजेपी

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी, आप बोलें। जैना

(व्यवधान

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं बोलना चाहते तो

(व्यवधा

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप चुप कर बैठ जाइए।

(व्यवध

श्री नीतीश कुमार: ये कश्मीर में झंडा फहरायेंगे....
मागेंगे कश्मीर पहुंच कर। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप पहले बैठ जाएं। आपको

(व्यव

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: क्या यह प्रथम बार है कि प्र
भारत का एक अंग नहीं है? हम यहां पर इस एकता य
कोई तरीका नहीं है। वे पार्टी के लाभ हेतु सभा

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, जब मैं खड़ा

(व

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, ये लोग

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: हम भुखमरी के कारण हुई मं
जो कि वे करते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर): जब ह
श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं। **(व्यवधान**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आप पहले

[अनुवाद]

आप, कृपया बैठ जाइए। इस प्रकार मत चिल्ल
आप निर्णय करें कि क्या करना है। अब कृपया मुझे

श्री श्रीकान्त जेना: आप भुखमरी के कारण हु
के कार्यक्रमों पर चर्चा करने के इच्छुक नहीं

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एकता यात्रा के प्रचार का मसला नहीं उठाया है। (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, यह मिलीभगत है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी, आप बोलें। जैना जी, आप नहीं बोलना चाहते तो चुप रहें।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं बोलना चाहते तो मैं आपको बोलने के लिए बाध्य नहीं करुंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप चुप कर बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार: ये कश्मीर में झंडा फहरायेंगे....(**व्यवधान**) ऐसा लगता है ये तो फौज का संरक्षण मागेंगे कश्मीर पहुंच कर। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप पहले बैठ जाएं। आपको भी चांस दिया जाएगा।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: क्या यह प्रथम बार है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे हैं? क्या कश्मीर भारत का एक अंग नहीं है? हम यहां पर इस एकता यात्रा पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? यह क्या मजाक है? यह कोई तरीका नहीं है। वे पार्टी के लाभ हेतु सभा का सम्पूर्ण समय लेना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, ये लोग सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: हम भुखमरी के कारण हुई मौत के बारे में बोलना चाहते हैं। हम वह सब नहीं चाहते जो कि वे करते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर): जब हम कोई मामला उठाते हैं तो सरकार को उत्तर देना है श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, आप पहले बैठ जाइए।

[अनुवाद]

आप, कृपया बैठ जाइए। इस प्रकार मत चिल्लाए। श्री श्रीकान्त जेना, आप अपनी पार्टी के सचेतक हैं। आप निर्णय करें कि क्या करना है। अब कृपया मुझे बताएं कि क्या आपकी पार्टी भाग लेना चाहती है या नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना: आप भुखमरी के कारण हुई मौत पर चर्चा चाहते हैं। हम इस सभा में एक विशेष पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा करने के इच्छुक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह समझता हूं कि आप बोलना नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सामने किसानों का सवाल है। हम उस पर बात करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: यह पार्टी कार्यालय नहीं है। यह सभा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पुनीत सभा में किसी पार्टी के कार्यक्रम पर चर्चा की अनुमति कभी भी न दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री श्रीकान्त जेना मैं बाहर चला ज़ाऊंगा, फिर आपको बोलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस प्रकार न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। लोढ़ा जी, आप भी बैठ जाइए। आप सब ऐसे नहीं बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना: मैं इस चर्चा का इच्छुक नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप इच्छुक न हों लेकिन सभा इच्छुक है। हां, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष जी, आप इस पर चर्चा करा रहे हैं या नही, मैं आपसे जानना चाहता हूं। **(व्यवधान)** अगर सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नही है।

अध्यक्ष महोदय: मैं अभी बात कर लेता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): जहां तक इस विषय का संबंध है, हम कोई चर्चा नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद: जहां तक इस विषय का संबंध है, हम कोई चर्चा नहीं चाहते। हम नहीं जानते कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोल रहे हैं। मैं केवल चर्चा के बारे में कह रहा हूं। हम कोई चर्चा नहीं चाहते।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, आप इस पर डिस्कशन करवाईये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): महोदय, मैं समझता हूं कि यह शून्य काल है। हमें स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। इस समय कोई चर्चा नहीं हो रही। यह शून्य काल है। जब माननीय सदस्य के० पी० उननीकृपणन ने मामला उठाया तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर दिया और इस प्रक्रिया के तहत चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने कहा कि सरकार के समक्ष निर्देश हेतु कुछ मुद्दे है जिनको हम स्पष्ट कराना चाहते हैं और उत्तर देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने यह विशेप रूप से कहा कि उन्हें कोई आमंत्रण नहीं मिला था। पार्टियों के नेतागण आमंत्रित किए गए थे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी को संसद में भाजपा विधाई पार्टी के नेता के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्हें बैठक में आने में कठिनाई लगी। कल प्रधान मंत्री ने उन्हें कहा था कि यदि उन्हें पता था कि वह बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे तो उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में भाग लेने के लिए कहना चाहिए था। प्रधान मंत्री ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी को आने के लिए कह सकते थे। जो सदस्य उपस्थित नहीं थे उन्होंने अन्य पार्टी नेताओं को बैठक में आने के लिए कहा था। यदि वह आना चाहते तो आ सकते थे। लेकिन अब उनके द्वारा यह कहना एक दम अनुचित है कि वह तो आमंत्रण का इन्तजार कर रहे थे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा): अध्यक्ष जी, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आपकी पार्टी यह नहीं चाहती।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव: मैंने एक अलग विपय पर आपको लिखा है। **(व्यवधान)**

पहले आप मेरी बात को सुन लीजिये, मैंने भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं मामला स्पष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यदि सदन इस विपय पर चर्चा चाहता है तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यदि इस पर चर्चा नहीं होनी है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव: अध्यक्ष जी, मैंने भी इसी विपय पर दूसरी चीज के लिए लिखा है। आप मेरी बात सुन लीजिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: बैठिये, आप पहले बैठिये।

[अनुवाद]

श्री लोक नाथ चौधरी: मैं काफी समय से खड़ा हूं। मैं आपकी मदद के लिए एक अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः मेरे बैठने के बाद आप बोल सकते हैं। मैं आपको अनुरोध करने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। देखिए आप सब लोग बोल रहे हैं और सब के साथ मुझे अकेले को बोलना पड़ता है। आपको पीठासीन अधिकारी के प्रति कुछ तो सहानुभूति रखनी चाहिए। आप बहुत ही सशक्त वक्ता हैं। मैं आपके भाषणों से बहुत प्रभावित हूं। पहले मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इस मुद्दे पर वैचारिक मतभेद हैं। मैं नेताओं को बुला कर उनसे विचार-विमर्श करूंगा। अगर आप चर्चा करवाना चाहते हैं तो मैं उसकी अनुमति दे दूंगा। अगर आप चर्चा करवाना नहीं चाहते हैं तो मैं चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादवः महोदय, यह बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः मेरा एक सुझाव है कि उन्नीकृष्णन ने एक पाइंट रखा।...**(व्यवधान)** मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एकता यात्रा पर या तो आप पूरी प्रोसीडिंग को एक्सपंज कर दें नहीं तो फिर हमारे भी विचार सुनिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए॰ चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः दो लाइन में हमारी पार्टी का भी व्यू सुनिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप केवल प्रक्रिया का पालन कीजिए। आपको खड़े हो कर यह नहीं कहना चाहिए कि यह गलत है, यह ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपसे बात करूंगा। आप केक खाना भी चाहते हैं और उसे अपने पास रखना भी चाहते हैं जो कि नहीं हो सकता। श्री जेना चर्चा नहीं चाहते हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री राम विलास पासवानः महोदय, आपने दो नेताओं को बुलाया है।

अध्यक्ष महोदयः आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या आप केवल दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। चर्चा करना नहीं चाहते?

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, क्योंकि यह मुद्दा शून्य काल में उठाया जा चुका है। इसलिए इस पर हम भी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अगर आप केवल अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तथा चर्चा करवाना नहीं चाहते हैं तो मैं दूसरे सदस्यों को भी अपना मत व्यक्त करने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

राम विलास पासवान : इस मामले में हमें दो बातें कहनी हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी: महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय: उनके बाद मैं श्री लोकनाथ को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री विजय एन॰ पाटील(इरनदोल): महोदय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: शून्य काल में व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सब कुछ व्यवस्था नियमों से बाहर होता है।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप अपने सदस्यों को क्यों नहीं समझाते?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकता यात्रा का काल दिया गया था। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को, प्रधान मंत्री को या तो इसे पहले सीरियसली लेना चाहिए था या सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने सारी पार्टियों के लीडर्स को बुलाकर जान-बूझकर हमारे साथियों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देने का काम किया और फिर आपने उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। यह हमारा सरकार पर चार्ज है।...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद: यह बात आपके दल के अध्यक्ष के विचारों के बिल्कुल विपरीत है। कल आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री के इस कदम की प्रशंसा की थी; परन्तु आज आप ऐसी बात कह रहे हैं। यह बात आपकी पार्टी के अध्यक्ष के विचारों के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने यह कहा था कि प्रधान मंत्री महोदय ने अच्छा प्रयास किया है।...व्यवधान...

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम): अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां क्या करने आये हैं?

श्री राम विलास पासवान: मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जो मकसद है, यात्रा का...(व्यवधान)...यात्रा का क्या मकसद है, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीयत पर हमको शंका नहीं रहती है, लेकिन इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, मैं नहीं जानता हूं लेकिन इस यात्रा ने जो लोगों के मन में एक भय उत्पन्न किया है...

श्री गुमान मल लोढा (पाली): वह दूर हो जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: और जिस तरीके से सरकार और यह दोनों मिलकर मिलीभगत कर रहे हैं, मेरा

चार्ज है, भारत सरकार के उपर में मेरा चार्ज है कि भारत सरकार जान बूझकर इस देश में कम्युनल वातावरण को फैलाने में मदद कर रही है, यह मेरा चार्ज है...**(व्यवधान)**... जिस तरीके से अयोध्या विवाद से लेकर ...**(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना): अगर आपका इसी तरह से कहना है तो आपके पार्टी प्रेसीडैण्ट ने मीटिंग को क्यों अटैण्ड किया?

अध्यक्ष महोदय: वही बात आप अपने भाषण में कह देना।

श्री राम विलास पासवान: मुझे एक ही बात कहनी है...**(व्यवधान)**... सर, इन लोगों को बैठा दीजिए न। मुझे एक ही बात कहनी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई ताकत नहीं है जो कश्मीर को भारत से अलग कर सकती है इसलिए प्रधान मंत्री और किसी के झण्डा फहराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। हम कांग्रेस पार्टी से और भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह की जो भी कम्युनल कार्रवाई हो, हमने भी 6 दिसम्बर से न्याय यात्रा शुरू की है...**(व्यवधान)**... हिम्मत है तो सब लोग उसको जोइन करें...**(व्यवधान)**... मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मेरा आपसे आग्रह है कि यह कांग्रेस पार्टी है, जिसने अयोध्या में मन्दिर खुलवाया, उसका ताला खुलवाया, आपने शिलान्यास करवाया और फिर इन्होंने...**(व्यवधान)**... इसलिए यह जो मामला है, इस मामले में देश को बचाइये और इस मामले में या तो प्रधान मंत्री इनीशिएटिव लें और प्रधान मंत्री इनीशिएटिव ले तो फिर प्रधान मंत्री को भारत सरकार की हैसियत से...**(व्यवधान)**... दृढ़ रहना चाहिए, यह मेरा चार्ज है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी: यह मामला शून्य काल के दौरान उठाया गया है। इसलिए इस पर प्रत्येक को अपना दृष्टिकोण रखने का प्रश्न नहीं उठता। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर चर्चा की अनुमति देते हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: पहले आप अपने सदस्यों को समझाइए।

श्री लोकनाथ चौधरी: जहां तक इस विषय का संबंध है, मेरे विचार में इससे भारत में एकता पैदा नहीं होगी बल्कि इससे देश का विभाजन होगा। इसलिए यह देश की अखंडता के पक्ष में नहीं है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जो नारा लगाया गया है, यह निश्चित रूप से भावनाओं, इतिहास तथा देश की विरासत के विरुद्ध है। यद्यपि प्रधान मंत्री महोदय ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, फिर भी इस वास्तविकता को समक्ष रखते हुए सरकार को एक प्रस्ताव लाना चाहिए ताकि सारा सदन इस 'एकता यात्रा' की निंदा कर सके जो सारे देश को विभाजित कर देगी। मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाना चाहिए। अगर सरकार इस एकता यात्रा के विरुद्ध है तो इसे सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मेरे विचार में इस मुद्दे पर सारा सदन सरकार के साथ होगा ताकि देश की अखण्डता को बनाये रखा जा सके।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये न। जोशी साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

श्री चन्द्रजीत यादव: अध्यक्ष जी, मैंने आपको एक पत्र आज सवेरे लिखा था...**(व्यवधान)**...

श्री नीतिश कुमार: इतना बढ़िया प्रचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय यह इनका प्रचार करवा रहे हैं। ..**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे शुरू नहीं किया। आपने ही इसे शुरू किया है। यह बहुत गलत है...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार: आपने तो माना लेकिन भावना दिल की है...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कई बार आदमी गलतियां करता है।

[हिन्दी]

श्री श्रीकान्त जैना: आप टेलीविजन में और पब्लिसिटी करवाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने सदस्यों को नियन्त्रित क्यों नहीं करते?

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव: अध्यक्ष जी, मैंने आज सवेरे आपको एक पत्र लिख कर अनुरोध किया था...(व्यवधान)...आप सुन तो लीजिए। अगर आप लोग ये परम्परा चलाएंगे कि जीरो आवर पर एक-एक पार्टी से 8-8 लोग बोलें और कल ही चीन के प्रधानमंत्री के संबंध में जो गिरफ्तारी हुई या जो भी बात हुई, ऐसी परम्परा आप लोग इस सदन में मत चलाइए। आखिर में इस सदन के भी कुछ नियम हैं उन नियमों को मानकर चलें आज इसी प्रश्न पर इस देश में ऐसे बहुत से सवाल आ सकते हैं जिस पर मतभेद हो सकता है, क्योंकि आज बहुत संकट और चुनौतियों की घड़ी से यह देश गुजर रहा है और इस दशक में मेरी अपनी राय में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, उन परिवर्तनों पर ईमानदारी से दो दृष्टिकोण हो सकता है।

श्रीमान्, मैंने आपको पत्र लिखा था कि प्रधानमत्री जी ने कल सारे दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी और उस एकता यात्रा के संबंध में...व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: हम लोग इस बारे में चेम्बर में बैठ कर बात करेंगे। मुझे जो नोटिस आता है उसके बारे में हाउस में चर्चा करना ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव: यह तो ठीक है, मैंने तो जीरो आवर में बात करने के लिए कहा था। मैंने उसमें यह लिखा था कि जो समाचार-पत्रों में हमने पढ़ा उससे यह स्पष्ट था कि सारे दलों की, बी जे पी को छोड़ कर एक राय थी कि इस एकता यात्रा से देश में साम्प्रदायिकता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा और सारे दल इस राय के थे कि इस यात्रा को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश में टेंशन बढ़ेगा। लेकिन बावजूद इसके बी जे पी ने इस यात्रा को शुरू किया और मैं यह समझता हूं कि यह यात्रा एक साम्प्रदायिकता फैलाने वाली यात्रा है, इससे देश में साम्प्रदायिकता बढ़ेगी और देश कमजोर होगा। जो हमारा पिछला अनुभव है वह यही है कि जो बी जे पी ने रथ यात्रा शुरू की थी उससे देश में साम्प्रदायिकता बढ़ी, उससे देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ और यह यात्रा जानबूझ कर करके, एक राजनीतिक यात्रा, साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए की जा रही है। ऐसे संकट के समय में जब हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, पंजाब में खतरा है, जम्मू-कश्मीर में खतरा है, आसाम में खतरा है। धर्मनिरपेक्षता हमारी राष्ट्रीय एकता की बुनिवाद है, यह एक आधारशिला है, बी जे पी संगठित रूप से एक साम्प्रदायिक पार्टी के रूप में इस देश में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है।

मैं इस सदन के माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहता हूं और फिर मैं अपील करना चाहता हूं कि बी जे पी

.)ls2952

को इस यात्रा को खत्म करना चाहिए ताकि इस संकट की घड़ी में जब राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा हो, तो इस तरह की यात्रा से और ज्यादा देश में तनाव पैदा होगा इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अगली सीट पर बैठे श्री पासवान बोल चुके हैं। अब मैं पिछली सीट पर बैठे श्री पासवान को बोलने का अवसर दे रहा हूं। आईए देखें वे क्या करते हैं।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवानः अध्यक्ष महोदय, जिस घटिया किस्म की बात पर आप इस सदन में चर्चा करा रहे हैं ...(व्यवधान)...आप पहले मेरी बात को तो सुनिए...(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदयः आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं इस बात का आप ध्यान रखें।...(व्यवधान)...

*** छेदी पासवानः** आप पहले मेरी बात को तो सुनिए। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि ...(व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः जो व्यक्ति यहां जवाब देने के लिए नहीं है, उस पर इस तरह के अनरगल आरोप लगाए जा रहे हैं। यह अंश कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुरानाः अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कार्यवाही में नहीं जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः अगर सभी कुछ कार्यवाही से निकालने के लिए कहेंगे तो यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

श्री मदनलाल खुरानाः यह सदन की गरिमा के खिलाफ बातें हैं।

अध्यक्ष महोदयः जो शब्द सदन की गरिमा के खिलाफ होंगे, वे निकाल दिए जाएँगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर): महोदय, भा०ज०पा० की यह 'यात्रा' देश की एकता के विरुद्ध है। देश की एकता से इसका कोई सम्बंध नहीं, यह इसके विरुद्ध है। अन्यथा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 'यात्रा' निकालने का कोई प्रयोजन नहीं था। यह 14 राज्यों से हो कर गुजरेगी। वे साम्प्रदायिक आधार पर इन राज्यों को बांटना चाहते हैं।

मुझे श्री वाजपेयी की यह बात सुन कर बड़ी हैरानी हुई कि श्री आडवाणी की पहली यात्रा से कोई साम्प्रदायिक तनाव पैदा नहीं हुआ था। परन्तु वास्तव में उनकी यात्रा से देश में उथल-पुथल मच गई थी। (व्यवधान)। अब इस यात्रा का उद्देश्य देश को साम्प्रदायिक आधार पर बांटना है। इसलिए सरकार से मेरी अपील है कि वह केवल राजनैतिक कदम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कदम भी उठाये।

पिछली 'यात्रा' से उन्हें कुछ लाभ मिला। वे यह सोचते हैं कि इस 'यात्रा' से उनको 'राज्य' मिल जायेगा। वह देश की एकता में रुचि नहीं रखते। (व्यवधान)। उनकी रुचि केवल 'राज्य' प्राप्त करने में है चाहे इसके लिए साम्प्रदायिक तनाव या खून खराबा ही क्यों न हो।

उनके इस कदम के विरुद्ध सरकार को प्रशासनिक तथा राजनैतिक उपाय करने चाहिए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष जी, मैं अंतरयामी बनने का दावा नहीं करता कि किसकी नीयत क्या है, लेकिन मैं इस बात को लेकर बढ़ता हूं......।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अच्छे प्लाइंट उठाते हैं, लेकिन थोड़े में बोलिए।

श्री भोगेन्द्र झा: मैं यह कहना चाहता हूं कि भाजपा अध्यक्ष जोशी जी ने प्रधान मंत्री को निमंत्रण दिया है और अभी बाजपेयी जी ने भी सभी दलों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि वाजपेयी जी ने सभी दलों से आग्रह किया है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज की अपनी अलग से प्रस्तावित यात्रा को वे स्थगित कर दें और सारे दल मिल कर विचार करें कि राष्ट्रीय एकता के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। मैं यह मानता हूं कि आपने यह काम ईमानदारी से किया है, लेकिन आप इसको स्थगित कर दीजिए और हम सब को मिलकर, बैठ कर यह विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्या करना है, नहीं तो देश में एक आग लगाने का यह यात्रा काम करेगी। आपकी नीयत जो भी हो, परिणाम इसका उल्टा होगा। यह सेम साइड गोल के लिए काम होगा। हम सब को बैठ कर विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्या करना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आप में से कौन बोलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया श्री मनोरंजन भक्त को बोलने दें।

1.00 बजे म०प०

[हिंदी]

श्री मनोरंजन भक्त: अध्यक्ष जी अभी अभी उन्नीकृष्णन जी ने जो बात सदन में उठायी, मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं। क्योंकि आज जो देश की स्थिति है अलगाववादी ताकतों से लेकर इस देश में तोड़-फोड़ करने वाली ताकतें जिस तरीके से सामने उभर कर आयी हैं और एक-एक जगह पर इस देश को, देश के लोगों को जाति, भाषा और धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश की गयी है। इस समय एकता यात्रा से देश की एकता को खतरा पहुंचेगा। मैं जानता हूं कि आदरणीय वाजपेयी जी ने जो बात इस सदन के सामने रखी है, वे भी बहुत बड़े देशप्रेमी हैं, यह उनके मन की बात नहीं है, उनकी पार्टी का प्रोग्राम है और मजबूर हो कर उन्होंने इस बात को रखा है। मैं सदन में सबके समक्ष करना चाहता हूं, आज देश की बात को सोचते हुए हम गरीब लोगों की बात करते हैं, आम जनता की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, मेहरबानी कर के आईये हम सब मिल कर लोक सभा में आवेदन प्रस्तुत करें जिससे यह यात्रा इस वक्त बन्द हो। यह देश की एकता के लिए बड़ा काम हो

जाएगा। इसमें पार्टी की इज्जत का सवाल नहीं है, पार्टी को नीचे गिराने का सवाल नहीं है, सभी पार्टियां अपना राजनीतिक कार्य कर सकती हैं, लेकिन देश में एकता बना कर रखने के लिए हम सब को मिल कर यह काम करना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एकता यात्रा से बहुत भारी नुकसान देश का होगा, एकता को खतरा पहुंचेगा। इसलिए में वाजपेयी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देशभक्त हैं, आप इस बात को सोचें, जो एकता यात्रा शुरू कर दी है, इसको वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स: महोदय, आपने अपने विवेकानुसार यह विनिर्णय दिया कि आप सभी दलों के नेताओं को बुलाकर विचार-विमर्श करेंगे। यह एक उचित विनिर्णय है जिससे हम सब सहमत हैं। परन्तु किसी कारण से आपने कुछ सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी। मैं अपने सहयोगी श्री मनोरंजन भक्त की भावनाओं से स[illegible]।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने दल के नेता हैं या नहीं? मैं आपको आपकी पार्टी का नेता मानता हूं।

श्री ए० चार्ल्स: मैंने भा०ज०पा० के सदस्यों से यह बात जोर दे कर कही थी कि बड़ी संख्या में लोग यह चाहते हैं कि भा०ज०पा० को यह यात्रा जारी नहीं रखनी चाहिए तथा अगर उन्होंने यात्रा जारी रखने का निर्णय ले लिया है तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, क्या वे संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत संविधान का पालन कर रहे हैं। वे इस अनुच्छेद को निरस्त करवाना चाहते हैं। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले, उन्हें बिना शर्त यह वक्तव्य देना चाहिए कि वे भारत के संविधान का आदर करते हैं तथा वे संविधान के अनुच्छेद 370 को मानते हैं। अगर वे इस अनुच्छेद को निरस्त करवाने की मांग को ले कर कश्मीर जाते हैं; तब वे इस देश को नष्ट और विभाजित कर देंगे?

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी): महोदय, जिन लोगों अर्थात् देश के अल्पसंख्यकों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनके विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिस 'एकता यात्रा' की शुरुआत आज सुबह भा०ज०पा० ने की है, उसके विरुद्ध गहरा आक्रोश और असन्तोष व्यक्त करने की मैं अनुमति चाहता हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हं कि यह ''एकता यात्रा'' नहीं बल्कि 'टूटना यात्रा' है। यह देश की एकता के लिए नहीं बल्कि विघटन के लिए आरम्भ की गई है। अल्पसंख्यकों के मन में शंका, भय और आतंक है तथा जीवन, सम्मान और सम्पत्ति के प्रति असुरक्षा की भावना बनी हुई है। श्री आडवानी ने 'अयोध्या यात्रा' द्वारा जो दृश्य देश के समक्ष प्रस्तुत किया; उसका हमें कड़वा अनुभव है। हम जानते हैं इसका क्या हुआ है?

महोदय; इस यात्रा का अप्रत्यक्ष रूप से यह उद्देश्य है कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को देशद्रोही तथा राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों के रूप में वर्णित करके उनके विरुद्ध असंतोष की तीव्र भावना उत्पन्न की जाए। मैं यह बात विनम्रता से कहता हूं कि राष्ट्रीयता और देश भक्ति पर किसी एक पार्टी का या देश के किसी एक वर्ग के लोगों का एकाधिकार नहीं है। पहले राष्ट्रीय झंडा कश्मीर में कई बार लहराया गया था। इन लोगों को केरल से होते हुए क्यों जाना चाहिये? यदि यह केवल झंडा फहराने के लिए था, तो वे अपनी यात्रा जम्मू से श्रीनगर तक कर सकते थे। वे कन्याकुमारी क्यों गये और वे केरल जैसे राज्य से होकर क्यों गये जहां विगत में गत कई दशकों से साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहा है? इसलिए अल्पसंख्यकों की ओर से, मैं वेदना की गहन भावना व्यक्त करता हूं और सरकार को धर्मनिरपेक्ष प्रत्यय-पत्र दिखाने का और इस यात्रा को तुरन्त रोकने का अनुरोध करता हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, श्री उन्नीकृष्णन ने यह मामला इसलिए उठाया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित इस एकता यात्रा के बारे में उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके बारे में उन्होंने कतिपय शंकाए व्यक्त की थीं। उन्होंने सुना था कि कतिपय व्यक्तियों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। श्री वाजपेयी ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और प्रतिक्रिया व्यक्त करते समय उन्होंने स्पष्टतया बताया था कि ऐसी कोई योजना नहीं थी। वह एक अलग प्रश्न है।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि किन कारणों से लोग इस यात्रा से थोड़े अशान्त और उद्विग्न हैं। यह एक साधारण एकता यात्रा नहीं है जिसमें सभी पार्टियां और सभी तरह के लोग शामिल हुए हों। यदि ऐसी बात होती तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। साक्षात्कारों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भी कहा है कि उनके विचार से राष्ट्रवाद, हिन्दुवाद का पर्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान हिन्दू है क्योंकि वे हिन्दुस्तान में रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि वे भारत को तुष्टीकरण से मुक्त बनाना चाहेंगे, एक ऐसा भारत जिसकी राजव्यवस्था राम पर आधारित हो। अतः यह एकता यात्रा पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष नहीं है। ऐसा महसूस किया जा रहा है। हो सकता है यह गलत रिपोर्टिंग हो जिसको मैंने उस साक्षात्कार उस में पढ़ा था जो 8 दिसम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा था। यह एक विस्तृत साक्षात्कार था जो कि एक पूरे पृष्ठ का था जिसमें उन्होंने स्पष्टतया बताया था कि इसमें उनका किस तरह का अभियान रहेगा। यदि यह अभियान पूर्णतया राष्ट्रीयता और एकता के लिए होता है तो इसमें हरेक व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति देने और आमंत्रित करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत, कल श्री आडवाणी ने यह स्पष्ट किया था कि जहां तक वे यह समझते हैं कि यह राष्ट्र की एकता और राष्ट्र हित में है तो उनकी नीतियां तथा विचार हमारे से तथा अन्य सभी पार्टियों से भिन्न है। अतः यह स्पष्ट है कि वे एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। इस बात को कोई भी समझ सकता है कि क्या कोई राजनीतिक अभियान देश की एकता के हित में हो सकता है। सभा द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे लोगों में मतभेद तथा साम्प्रदायिक भावनाएं भड़केंगी। इसलिए इस ओर बैठे मेरे मित्रों की तरफ से एक अपील की गई है। उन्हें इस बात को समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए। हमने श्री अहमद जो मुस्लिम लीग के माननीय सदस्य है, को भी सुना है। निश्चय ही वे क्षुब्ध थे और वे व्यथा में बोले थे। मेरा श्री वाजपेयी से अनुरोध है कि उन्हें यह महसूस करना चाहिए यदि यात्रा वास्तव में देश के हित में है, तो अल्पसंख्यकों और उन लोगों द्वारा जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, हीन दृष्टि से नहीं देखी जानी चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में देश की एकता चाहती है, तो उसे यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए और राजनीतिक भेदभाव को भूलकर सब के साथ मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। हमें यह बात स्पष्ट होनी चाहिए जब हम राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीयता के बारे में बात करते हैं, तो हमें पार्टी से ऊपर उठकर देश की एकता के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः महोदय मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जरूरी है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। मैं दो-तीन बातें कह रहा हूं....

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन : क्या आप सभी सदस्यों के साथ इसी प्रकार का सभ्य व्यवहार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये आरोप निराधार है कि भाजपा और कांग्रेस की कोई मिलीभगत है। मैं प्रमुख विरोधी दल के नाते अपने दायित्व का पालन कर रहा हू। यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मन्दिर इनकी मिलीभगत के कारण खोला गया था। मन्दिर का ताला खोलने का फैसला अदालत ने किया था। किसी सरकार ने नहीं। यह कहा गया कि धारा 370 को खत्म करने की मांग करना—यह देशभक्ति नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं। अब धारा 370 का यात्रा से क्या मामला है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, इन्होंने बोला है....

अध्यक्ष महोदय: अब वह डिटेल्स में डिस्कशन नहीं है।...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, जब पं० जवाहर लाल नेहरू जीवित थे और हमारे प्रधानमंत्री थे, इसी सदन में मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिये। उसपर सारे सदन में चर्चा हुई और कम्युनिस्ट मैम्बर्स ने उस समय उसका समर्थन किया था। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स: महोदय, उनके मन में भारतीय संविधान के लिए सम्मान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरु ने कहा कि धारा 370 घिस तो रही है, घिसते-घिसते घिस जायेगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि धारा 370 अमर रहेगी और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि धारा 370 के आधार पर कश्मीर भारत का भाग है। आज इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई मतभेद रख सकता है। इस सवाल पर प्रमाणिक मतभेद हो सकते हैं। कि इस समय धारा 370 समाप्त करने की बात कही जाये या न कही जाये। यह आपकी राय हो सकती है। हमारा कहना यह है कि धारा 370 रखकर इतने वर्षों तक हमने कश्मीर और शेष देश में एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर दी थी, उसका नतीजा हमने देख लिया है। आप इस सवाल की प्रमाणिकता पर आरोप मत लगाइये। धारा 370 पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। अब यह कहा गया कि सारी यात्रा रोक दो। अध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान न्याय यात्रा कर सकते हैं....

अध्यक्ष महोदय: हम लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा कर रहे हैं, उसपर भी चर्चा कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मगर मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करना है। हमारे मित्र श्री रंगराजन ने कहा.....

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: (पंसकुरा): महोदय, उन्होंने साम्यवादी सदस्यों का हवाला दिया है। अतः मुझे उत्तर देने का अधिकार है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा करके सब एक दूसरे को परमिशन देंगे तो हाऊस कैसे चलेगा?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, मैं कल की बैठक के लिए किसी निमन्त्रण की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था लेकिन मेरे पास फोन आया..... और आज़ाद साहब यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपको निमंत्रण भेजा गया है आप आ रहे हैं या नहीं? मैंने कहा कि मुझे निमन्त्रण नहीं मिला है और मैं उप-राष्ट्रपति जी से मिलने चला गया क्योंकि वह समय पहले से तय था..... तो मैं निमन्त्रण की प्रतीक्षा में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि 26 जनवरी को सब लोग ध्वज फहराने के लिए श्रीनगर चलें। यहां दिल्ली में 26 जनवरी का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद राजनैतिक दलों के नेता श्रीनगर चल सकते हैं। यह कार्यक्रम सरकार बना सकती है। हम तो जाने वाले हैं, अगर आप आने वाले हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

1.14 बजे म०प०

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 918 / 91]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड; नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 919/91]

भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 920/91]

(2) (एक) जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 921/93]

(3) (एक) वाडिया हिमालयीय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालयीय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 922/93]

(4) (एक) भारतीय उष्णकटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय उष्णकटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय उष्णकटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 923/91]

(5) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 924/91]

(6) (एक) रणम अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रणम अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 925/91]

(7) (एक) महाराटर एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 926/91]

(8) (एक) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 927/91]

(9) (एक) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 928/91]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 929/91]

(11) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 930/91]

(12) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 का धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिदी तथा अंरेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) दूसरा संशोधन नियम, 1991, जो 4 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 557(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (श्रेणी "क" के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991, जो 7 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि 494 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 931/91]

(13) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1991, जो 28 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 704(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 932/91]

राष्ट्रीय परिकल्पना संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1)

(एक) राष्ट्रीय परिकल्पना संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परिकल्पना संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 933 / 91]

गोवा, दमन, द्वीप संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखा इत्यादि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): श्री दलबीर सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1 अप्रैल, 1987 से 29 मई, 1987 तक के प्रतिवेदन—गोवा, दमण और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 934 / 91]

(2) गोवा, दमण और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के 1 अप्रैल, 1987 से 29 मई, 1987 तक के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 935 / 91]

(3) गोवा, दमण और द्वीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के 1 अप्रैल, 1987 से 29 मई, 1987 तक के वित्तीय लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰टी॰ 936 / 91]

भारत ऑफथलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): मैं, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारत ऑफथलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत ऑफथलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 937/91]

(2) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 938/91]

(1) (एक) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) साम्भर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 939/91]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशन संख्या 167 के बारे में की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही से संबंधित विवरण

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं जून, 1988 में अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के 75वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कनवेंशन संख्या 167 और सिफारिश संख्या 175 के बारे में की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही से संबंधित एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 940/91]

राज्य सभा से संदेश

1.15½ बजे मध्यान्ह पश्चात्

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना सभा को देनी है:—

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुक्रमण में मुझे पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 जिससे लोक सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और जिसे राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा ने उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

1.16 बजे मध्याह्न पश्चात्

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) मैं संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)—दूरसंचार-संबंधी प्राक्कलंन समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.16½ बजे मध्याह्न पश्चात्

लोक लेखा समिति

(पहला प्रतिवेदन)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): अध्यक्ष महोदय, मैं कर-संग्रहण एवं कर वसूली तथा मांगों के बकाया संबंधी लोक लेखा समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

1.17 बजे मध्याह्न पश्चात्

(एक) जलगांव से भेजे जाने वाले केलों को ले जाने वाली माल गाड़ियों का दिल्ली समय पर पहुंचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री विजय एन॰ पाटील (इरनदोल): जलगांव जिले के केला उत्पादकों को बागान संबंधी विशेष रेलों के देर से चलने के कारण भारी नुकसान हो रहा है। इससे पहले, माल गाड़िया 58 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती थीं। परन्तु आजकल रेल गाड़ियों को बीच रास्ते में, विशेषकर झांसी मण्डल पर बेवजह रोका जा

[श्री विजय एन॰ पाटील]

रहा है। यद्यपि तुगलकाबाद से एन॰ डी॰ ए॰ जेड॰ के बीच की दूरी लगभग 32 कि॰मी॰ है, परन्तु आम तौर पर इस दूरी को तय करने में 4 से 7 घण्टे लग जाते हैं। इस अवधि को अवश्य ही घटाया जा सकता है।

गाड़ियों के देरी से पहुंचने के कारण किसानों को केलों का, जो कि एक सड़नेवाली वस्तु है उचित दाम नहीं मिलता है। यद्यपि गत वर्ष, कई बी॰सी॰एन॰ माल डिब्बों की आपूर्ति की गई थी, लेकिन इस वर्ष उन माल डिब्बों की आपूर्ति नहीं की गई है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दे तथा यह सुनिश्चित करें कि केलों को ले जाने वाली माल गाड़िया 58 घण्टे के अन्दर दिल्ली पहुंचे तथा वह पर्याप्त संख्या में बी॰सी॰एन॰ माल डिब्बे उपलब्ध कराए।

(दो) छोटे और सीमान्त किसानों पर विद्युत शुल्क लगाने संबंधी सरकार के प्रस्ताव की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री के॰वी॰ तंग्का बालू (धर्मपुरी): हाल ही में विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री मद्रास आये थे और यह बयान दिया कि उन्होंने तमिल नाडु सरकार के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि छोटे और सीमान्त किसानों पर विद्युत शुल्क लगाया जाए जो कि वर्तमान में उन्हें कृषि संबंधी कार्यों हेतु निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि तमिलनाडु में कुल विद्युत उत्पादन में से कृषि क्षेत्र द्वारा 21 प्रतिशत, उद्योग द्वारा 42 प्रतिशत और घरेलू उपयोग हेतु 20 प्रतिशत उपयोग होता है और शेष पारेषण एवं चोरी आदि के कारण समाप्त हो जाता है। अतः मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि विद्युत उपयोग के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से अधिक शुल्क दर वसूल करें और राजस्व के अन्तर की भरपाई को पारेशण तथा चोरी से होने वाली विद्युत की हानि में बड़े पैमाने पर कमी करके की जाये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में छोटे और सीमान्त किसानों पर विद्युत शुल्क लगाने संबंधी सरकार के प्रस्ताव की समीक्षा करें।

(तीन) महाराष्ट्र सरकार द्वारा तारापुर में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि का कब्जा पुनर्वास योजना को अन्तिम रूप देने से पहले न लिए जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): 500 मे॰वा॰ क्षमता वाले दो परमाणु ऊर्जा एकक संख्या 3 एवं 4 को तारापुर, जिला थाने में, जो कि उत्तर मुम्बई संसदीय क्षेत्र का एक भाग है, स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अक्करपट्टी एवं पोफ़रान नामक दो गांवों को पूरी तरह से दूसरी जगह बसाना होगा। इसके परिणामस्वरूप 2000 से भी अधिक परिवार अपने घर, खेत/फार्म, दुकान आदि से निराश्रित हो जाएंगे। फिर भी उन लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए अभी तक किसी विशिष्ट योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अभी तक भूमि की कीमत भी निश्चित नहीं की गई हैं। उनके पुनर्वास हेतु स्थान के बारे में निर्णय किया जाना है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को इस वर्ष की समाप्ति से पहले उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए अन्तिम नोटिसें भेज दी हैं।

ग्रामवासी सरकार को सहयोग देने के इच्छुक हैं क्योंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र का अपना राष्ट्रीय महत्व है। तथापि, पुनर्वास संबंधी योजना को अन्तिम रूप दिये बगैर बलपूर्वक भूमि तथा मकानों का कब्जा लेना वांछनीय नहीं है। यह आन्दोलन को जन्म देगा।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अधिकारियों को ये निर्देश दे कि बलपूर्वक भूमि और मकानों का कब्जा न ले और आगे बगैर विलम्ब किये पुनर्वास योजना को अन्तिम रूप भी दें।

(चार) आयातित जीवन रक्षक चिकित्सा और शल्य उपकरणों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने की आवश्यकता

डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेडा): भारत सरकार ने अपने हाल के बजट में कतिपय आवश्यक वस्तुओं के संबंध में आयात नीति को उदार बनाया है। उत्पाद-शुल्क को कम किया गया है अथवा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। भारत में कई प्राइवेट डाक्टरों से संबंधित संस्थाएं शल्य एवं चिकित्सा उपकरणों का आयात करती हैं। ये सब जीवन-रक्षक उपकरण है जो कि चिकित्सा क्षेत्र के अद्यतन अनुसन्धानों पर आधारित है। इससे रोगियों को विशेष चिकित्सा के लिए विदेश जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी और सम्पूर्ण राष्ट्र लाभान्वित होगा।

फाइबर ऑपटिक एन्डोस्कोप्स वास्तव में जीवन-रक्षक उपकरण हैं जिनका आयात कई संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। रुपये के मूल्य में कमी किये जाने से आयातित उपकरणों की कीमतें पहले से ही बढ़ गई हैं। इससे भी अधिक चिन्ता का विषय यह है कि मौजूदा उत्पाद-शुल्क के कारण उपकरण और भी मंहगे हो जाते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन जीवन-रक्षक चिकित्सा और शल्य उपकरणों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त किया जाए ताकि जरूरतमंद रोगियों के लिए ऐसे आधुनिक उपकरणों का अत्यधिक उपयोग हो सके।

(पांच) बिहार में सहरसा को हवाई नक्शे पर लाने की आवश्यकता

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र सहरसा उत्तरी बिहार का एक बहुत ही पिछड़ा जिला है। यहां पर सरकारी कार्यालय काफी संख्या में हैं और इसका कारण है कि यह एक कमिश्नरी क्षेत्र है। परन्तु बहुत ही दुर्भाग्य है कि यह जिला वर्ष में कम से कम 5-6 माह तक देश के अन्य हिस्सों से बाढ़ के कारण कटा रहता है। उत्तरी बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है जिसके कारण वर्षा ऋतु के दौरान आने-जाने में यहां की जनता को काफी परेशानियां होती हैं, साथ ही सरकारी कार्य में भी काफी बाधा उत्पन्न होती है। यह क्षेत्र अभी भी देश के वायुमार्ग से नहीं जुड़ पाया है। इस क्षेत्र में कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे भी चल रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सहरसा को कम से कम नई दिल्ली, पटना और कलकत्ता से जोड़ा जाये। यदि इस क्षेत्र को वायुदूत सेवा से जोड़ दिया जाता है तो इस क्षेत्र के विकास में इसका बहुत योगदान होगा, क्योंकि यह क्षेत्र एक सीमावर्ती क्षेत्र है।

(छः) मऊ से गाजीपुर घाट, उत्तर प्रदेश तक रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए जिले गाजीपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये मऊ से गाजीपुर घाट तक नई रेल लाइन बिछाई जाये।

(सात) मध्य प्रदेश को सूखा प्रभावित राज्य घोषित करने की आवश्यकता

श्री भीम सिंह पटेल (रीवा): अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष लगभग पूरे देश में अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल एवं सूखे की हालत पैदा हो गयी है। मध्य प्रदेश जो पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र है, में भी इस साल भुखमरी जैसी हालत पैदा हो गयी है। रीवा संभाग और रीवा जिला, जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, पूर्णतः सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। वर्षा न होने, विद्युत अनापूर्ति तथा उपयुक्त सिंचाई की सुविधा न होने के कारण लगभग तीन-चौथाई खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। रबी की फसल के ठीक होने की भी कोई आशा अब नहीं रह गयी है। रीवा जिला में टोंस एक बड़ी नदी है। पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। छोटी नदियां सूख गयी हैं। पूर्णतः

[श्री भीम सिंह पटेल]

दुर्भिक्ष एवं भुखमरी की हालत पैदा हो गयी है। मजदूर गांवों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। किसान पूर्णतः निराश हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाये और बड़े पैमाने पर राहत कार्य केन्द्र खोले जायें।

[अनुवाद]

(आठ) महाराष्ट्र में नासिक को विमान सेवाओं से जोड़ने और इस प्रयोजन के लिए ''हाल'' की हवाई पट्टी को इंडियन एयर लाइंस के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता

डा॰ वसंत पवार (नासिक): नासिक से विमान सेवाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि वहां से अंगूर, चीनी एवं प्याज का अविलम्ब व सुगमता से निर्यात हो सके। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि॰ (हाल) की हवाई पट्टी आम जनता के उपयोग के लिए तथा नौभार सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा लोहगांव-पुणे में उपलब्ध कराई गई है। यदि हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि॰ की हवाई पट्टी को इंडियन एयर लाइंस के लिए उपलब्ध कराई जाती है तो इसमें अधिक धन खर्च नहीं होगा। इसके अलावा, इससे नासिक जिले में और इसके आस पास शिरडी, त्रैम्बक आदि तीर्थ स्थानों को जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा मिलेगी और यह इस औद्योगिक रूप से विकसित हो रहे क्षेत्र को देश के शेष भागों से जोड़ देगी। मैं माननीय रक्षा मंत्री एवं नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नासिक को विमान सेवा से जोड़ा जाए और इस उद्देश्य हेतु ''हाल'' की हवाई पट्टी उपलब्ध कराई जाए।

1.25 बजे मध्याह्न पश्चात्

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 बजे म॰प॰ तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

2.30 बजे म॰ प॰

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.30 बजे म॰प॰ पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 193 के अधीन चर्चा

आंतकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में हुई बढ़ोतरी के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में—जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम आतंकवाद, अलगाववाद, और अपहरण की घटनाओं में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में 10 दिसम्बर, 1991 को श्री इन्द्रजीत गुप्त और पवन कुमार बंसल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आगे चर्चा आरंभ करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ): भारत ने विश्व को शांति और अंहिसा का संदेश दिया है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम पूरे विश्व में अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। दुर्भाग्यवश, कुछ और महात्मा गांधी की यह भूमि आज निरन्तर अराजकता और हिंसा की शिकार होती जा रही है। बहुत छोटे और आधारहीन कारणों से हिंसा भड़कती है और देश के विभिन्न भागों को अपनी चपेट में ले लेती है।

साम्प्रदायिक हिंसा से निरन्तर जान-माल की बहुत अधिक हानि होती रही है। यह भारत के गौरवपूर्ण नाम पर

एक कलंक है। जहां युगों तक धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया गया है। महोदय, यदि हम किसी साम्प्रदायिक उपद्रव के कारणों और उसके नतीजों पर गौर करें तो हम देखते हैं कि गरीब और बेकसूर लोगों को धूर्त और षड़यंत्रकारियों जो साम्प्रदायिक हिंसा और आवेश की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं के हाथों अकथनीय विपत्ति, विनाश और दुःख सहना पड़ा है। यह देख कर दुख होता है कि इस प्रकार के घृणित नाटक में कई बार सरकारी तंत्र भी अहम् भूमिका निभाता है।

महोदय, भारत जैसे विशाल और बहुआयामी देश, जिसमें अत्याधिक विविधता और बहुत बड़ी समस्याएं हैं, में एकता और क्षेत्रीय अखंडता केवल तभी बनाए रखी जा सकती है जब सभी लोगों को उनके धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की परवाह किए बगैर समानता के परिवेश की गारन्टी हो। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है लेकिन सरकारी कार्यवाही से ही केवल अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस दिशा में कार्य करना हर एक राजनीतिक दल और जन नेताओं का परम कर्तव्य बन जाता है।

महोदय मैं महसूस करता हूं कि जो क्षेत्र साम्प्रदायिक हिंसा प्रवण हैं उनका पता लगाया जाये और देश में जहां कहीं भी इस तरह शांति भंग होने की आशंका हो वहां स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को इसे उठने से पहले ही दबाने के लिए शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक हिंसा और उन्माद से कड़ाई से निपटने के लिए धर्म-निर्पेक्ष और पूर्ण रूप से समर्पित कर्मियों का एक कार्य बल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

साम्प्रदायवाद की महाविपत्ति का सामना करने के लिए, जिससे हिंसा का प्रादुर्भाव होता है, शिक्षा के क्षेत्र सहित बहुत से मोर्चों पर एक कृतसंकल्प युद्ध शुरू करना होगा। यही समय है जब हमें पाठ्य पुस्तकें संशोधित करनी चाहिए और इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में फिर से लिखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में सौहार्द और सद्भाव को प्रोत्साहित किया जा सके।

महोदय, राजनीतिक गतिविधि को भी नैतिक रूप से न्यायसंगत सीमाओं तक सीमित होना होगा। हम कभी-कभी क्षणिक लाभों के लिए इन सीमाओं को पार कर जाते हैं। आज सुबह हमने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रस्तावित एकता यात्रा के बारे में बहुत अधिक उग्रता देखी।

मैं वास्तव में इसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि यह श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा कल उचित रूप से उठाए गए विषय से संबंधित एकदम प्रासंगिक प्रश्न है। मुझे किसी भी राजनीतिक दल की किसी भी गतिविधि पर कोई फैसला देने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि मैंने अभी-अभी निवेदन किया है कि मैं महसूस करता हूं कि अपनी न्यायसंगत राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे कार्यों से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जो चिन्ता का कारण बने जैसा कि एक माननीय सदस्य ने आज सुबह अन्य लोगों के मन में तीव्र व्यथा उत्पन्न कर दी थी। लोगों में सदभाव और सौहार्द का संदेश फैलाने के लिए यात्रा सहित कोई कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए इस देश के किसी भी नागरिक को दोषी नहीं ठहरा सकता है। यदि आप जानबूझकर एक ऐसे रास्ते का चुनाव करते हैं जिससे दूसरे लोगों के मन में आशंका उत्पन्न होती है, तो मुझे विश्वास है कि इससे कभी भी अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। आप एक कार्यक्रम शुरू करते हैं और प्रायः यह उन बहुत से दूसरे लोगों के हाथों में पड़ जाता है जो आपको बीच में मिलते हैं और भड़काऊ नारे लगाने लग जाते हैं जिससे अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है इस तरह की स्थिति से बचना चाहिये।

आज जबकि देश में अधिकांश लोगों ने और इसका आयोजन करने वाले दल के अलावा विपक्षी दलों ने भी इसके नतीजों के बारे में भय प्रकट किया है, मैं समझता हूं मुझे उस पर कोई सलाह देने का अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा यह विनम्र विचार है कि यदि वह दल इसको फिलहाल छोड़ देता और वह इस मामले के समाधान के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता तो यह उसके हित में होता।

अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीस वर्ष पहले जो कुछ कहा था

[श्री पवन कुमार बंसल]

उसका भी उल्लेख किया गया था। वह उस समय के विशेष वातावरण में कहा गया था। पंडित नेहरू ने ठीक ही कहा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे हमारा देश एक ऐसी स्थिति की तरफ जा सकता है जिसमें कश्मीर के लोग भी यह कह सकते हैं कि "अब हम भी इस देश का एक हिस्सा हैं; हमें किसी भी समय भेदभाव की भावना महसूस नहीं होती है" चूंकि आज उन्हें यह अनुभूति नहीं होती है, मेरा विनम्र निवेदन है कि अनुच्छेद 370 के निरसन की अपील करने से लोगों के मन में केवल आशंका ही उत्पन्न होगी।

विचारों का प्रसार होता है। हम 1947 में विभाजन के रूप में उसकी कीमत अदा कर चुके हैं हमें यह सुनिश्चित करना है कि कुछ लोगों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों से उस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो और इसी भावना से मैं समझता हूं कि मै भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई यात्रा का उल्लेख करूं। यह कहना एक स्वागत-योग्य कदम है कि हम राष्ट्रीय ध्वज फहराऐंगे। हम सभी यह करते हैं हम सभी को ऐसा करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद क्या होगा। मैंने तो केवल सभा में आज उपस्थित माननीय सदस्यों की भावनाएं अभिव्यक्त की हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से यह अपील करने में उनके साथ हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उस तरह की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।

महोदय, जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और बहुत अधिक आर्थिक असमानताओं के कारण भी ऐसा हुआ है ऐसे उदाहरणों की आज भी कमी नहीं है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनी लोग भूतकाल के सामान्तवादी अहंकार को महिमामण्डित करते हुए समाज के कमजोर वर्ग में गरीब लोगों में आतंक फैलाए रहते हैं।

दूसरी ओर हमारे देश में युवकों की अधिकांश संख्या जोकि अपने आपको आज की आर्थिक प्रगति तक पहुंच से वंचित महसूस करती है परन्तु जिसे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का ज्ञान है—को हिंसा के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। इससे कुछ हद तक आज हमारे देश के विभिन्न भागों में व्याप्त हिंसा की पुष्टि होती है। पंजाब में उग्रवाद का एक मात्र यही कारण न हो, लेकिन निस्संदेह यह उग्रवाद को बढ़ावा देने वाला एक घटक अवश्य है।

गत कुछ वर्षों के दौरान बेरोजगार युवकों ने उन उग्रवादियों एवं पृथकतावादी ताकतों को एक सम्पुष्ट भर्ती आधार प्रदान किया है जिन्हें सीमा पार से सहायता एवं प्रेरणा मिल रही है। नशीली दवाओं एवं अवैध हथियारों का अनैतिक व्यापार करने वाले व्यक्तियों द्वारा आसानी से धन उपलब्ध कराने की पेशकश अनेक बेकसूर युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। मुझे पता चला है कि उग्रवाद में शामिल हो जाने के बाद कोई व्यक्ति औसतन लगभग दो वर्ष का जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उनके साथ जाने वाले लोगों में कभी कोई कमी नहीं रही है।

महोदय, जब हम हिंसा एवं उग्रवाद का पृथक्तावादी आंदोलनों के संदर्भ में उल्लेख करते हैं, तो चाहे हम पंजाब से हों अथवा जम्मू-कश्मीर में, हमें राजनीतिज्ञ एवं पूर्णरुपेण अपराधी की पहचान और इनमें अन्तर स्पष्ट करने के लिये सच्चे प्रयास करने ही चाहिए। व्यक्तिगत इच्छापूर्ति के लिये हिंसा फैलाने एवं अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए भय और अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें राजनीतिज्ञों के विचार एवं बातचीत को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। उसके सभी प्रकार से विरोध प्रकट किये जाने के बावजूद भी, हमें उन्हें बातचीत के लिए राजी करना होगा।

बारह वर्ष पहले, पंजाब में सर्वप्रथम हिंसा भड़की थी और तभी से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आप किसी भी सुबह का समाचार-पत्र उठाकर देखिये, आपको हत्याओं के बारे में विवरण अथवा जिन लोगों की बुद्धिहीन-हिंसा द्वारा हत्या कर दी गई है, उनके चित्र आपको मुंह चिढ़ाते हुए दिखाई देंगे। हमने इस बारे में अनेक कठोर कानून पारित करने के प्रयास किये हैं, लेकिन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि हम उग्रवाद के विरुद्ध

अपने संघर्ष में कामयाब नहीं हुए हैं। हमें इस तथ्य की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में उग्रवाद को सीमा पार से हमारे विरोधी पड़ौसी देशों द्वारा सहायता और प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कहते रहने से एक प्रकार का आत्म संतोष ही मिलेगा। यही उचित समय है जबकि हमें इस समस्या के मूल कारण का पता लगाने और यह देखने की कोशिश करनी है कि इसमें राजनैतिक तत्व क्या है और इसके बाद हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना है कि हम उन लोगों के जोकि आज मात्र इसलिए हिंसा उगलते हैं क्योंकि उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार आ गये हैं—आपूर्ति के साधनों को कैसे काटें।

मैं इस बात से सहमत हूं कि आप जमीन के हर इन्च पर पुलिस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपको यह देखने का प्रयास करना है कि लोगों का देश के कानून एवं व्यवस्था-तंत्र के कार्यकरण में विश्वास पुनः लौट आये।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय, बोलने की समय-अवधि के बारे में सचेत किये जाने के कारण, मैं अत्यंत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा तथा अपनी बात समाप्त करने से पहले मात्र एक अथवा दो ही मुद्दों का उल्लेख करूंगा।

हिंसा चाहे यह पंजाब में हो, जम्मू-कश्मीर, असम, तमिलनाडु में हो अथवा देश के उत्तर-पूर्वी भागों में और इस विषय में चाहे देश में कहीं भी हिंसा क्यों न हो, उससे अब गम्भीरता से निपटना पड़ेगा। जनता के किसी भी वर्ग में इस भावना का अविर्भाव—कि वे बेदाग बच सकते हैं तथा वे दण्डमुक्ति के कारण राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं—से इस देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को उन तरीकों को अपनाये जाने का प्रोत्साहन मिलता है। मैं महसूस करता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में, यह परम आवश्यक है कि अपने निधि एवं व्यवस्था से सम्बद्ध तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ यह एक प्रकार का युद्ध है जोकि हम अनेक मोर्चों पर लड़ रहे हैं पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों को सुसज्जित करने की दिशा में अधिक संसाधन जुटाने बेहत्तर होंगे। मेरा अनुमान है कि अंतत्तोगत्वा हमें इसका बहुत लाभ होगा।

दूसरे, देश में खुफिया-एजेंसियों को भी मजबूत किये जाने की जरूरत है। अनेक अवसरों पर हम यह पाते हैं कि उग्रवादियों का खुफिया नेटवर्क देश के खुफिया नेटवर्क से बहुत ज्यादा उत्तम है। हमें इस बारे में कुछ करना है।

समयाभाव के प्रति सजग होने के कारण, मैं हिंसा के एक और कारण एवं स्वरूप के बारे में ही उल्लेख करूंगा। मैंने इससे पहले भी इसका संक्षेप में जिक्र किया है। राजनैतिक दल तथा राजनैतिक लोग व्यक्तिगत लाभ हेतु या तो हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं अथवा स्वयं हिंसा फैलाते हैं। हमने चुनाव संबंधी कानूनों में समय-समय पर संशोधन किये हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन-प्रक्रिया पूर्णरूप से हिंसा मुक्त हो, चुनाव संबंधी कानूनों पर पुनर्विचार करना होगा। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग जोकि निर्वाचन-प्रक्रिया एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम हैं—प्रायः हिंसा का सहारा ले लेते हैं, जोकि किसी समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के कार्यकरण के विरुद्ध हैं।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मेरा इतना ही कहना है कि आज कानून केवल कानून का पालन करने वालों के लिए ही रह गया है। कानून की उल्लंघना करने वाले किसी व्यक्ति को वास्तव में कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाता है। उसके विरुद्ध कोई भी निवारक कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसे ही परिवेश में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अन्य व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है।

इसी विषय पर हमें चर्चा करनी है और इसी विषय पर दलगत विचार धारा से हटकर, हम चर्चा करते रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार विचार-विमर्श किये जाने की जरूरत है तथा मुझे विश्वास है कि

[श्री पवन कुमार बंसल]

सम्भवतः इस बहस से—संसद में और इसके बाहर आगामी बहस के लिए हमें देश की सभी लोकतांत्रिक ताकतों सहित देश में व्याप्त उग्रवाद को समाप्त करने तथा पृथकतावादी ताकतों द्वारा पैदा किये गये खतरे का सामना करने हेतु कार्रवाई करने हेतु एक कार्यसूची तैयार करने में सहायता मिलेगी ताकि अंततः हम वास्तव में ही अपने पूर्वजों के सपनों के भारत का निर्माण कर सकें।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर): महोदय, यह हमारे लिये खुशी की बात है कि हिंसा, हत्या, कत्ल, फिरौती लेने, बन्धक बनाये जाने एवं अपहरण किये जाने की घटनाओं—जोकि आज भी देश में प्रचण्ड रूप से घटित हो रहीं हैं—के लम्बे समय के पश्चात्, अंततः संसद इस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ समय निकाल पाई है, जैसे कि यह एक नयी घटना हो, जोकि अकस्मात् हमारे सामने आकर खड़ी हुई हो।

आज हम जो कुछ देख रहे हैं वह भारत में राज्य की भारत की लम्बे समय तक उपेक्षा का परिणाम है और इसके लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों ही जिम्मेदार हैं। वे शासन-तंत्र, पुलिस तंत्र एवं न्यायपालिका की उपेक्षा किये जाने के सांझे रूप से जिम्मेदार हैं। आज भारत में एक अत्यंत हास्यास्पद स्थिति है जहां कि चालीस वर्ष पूर्व की ब्रिटिश शासन काल के दौरान की एक अत्यंत छोटी-सी सरकार से हमने अचानक सरकार के कार्यकलापों को, उस समय देश में रह रहे लोगों अथवा जो व्यक्ति उस समय यह सोचा करते थे कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद क्या होने वाला है, के स्वप्नों एवं कल्पनाओं से भी कहीं अधिक विस्तृत कर दिया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन दिनों बालिग नहीं था। लेकिन मुझे विश्वास है कि 1947 के उन दिनों अथवा उससे भी पूर्व जो व्यक्ति युवा थे, उन्होंने सोचा था कि सरकार एक ऐसा विराट आयाम धारण कर लेगी जैसा कि आज भारत में है।

इसका क्या परिणाम निकला? महोदय, हम यह भूल गये हैं कि सरकार के मूल कार्य क्या हैं? मुझे यकीन है कि अगर आप लोगों से यह प्रश्न पूछेंगे तो उनका यह कहना होगा कि शिक्षा का प्रबन्धन करना, स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाना अथवा बैंकों या बीमा कम्पनियों का प्रबन्धन अथवा इस्पात मिलें, कोयला खानें स्थापित करना इत्यादि। मैं नहीं जानता कि अभी भी पाठ्यपुस्तकों में यह बात दोहराई जाती है या नहीं परन्तु, महोदय, जब पांचवें दशक के मध्य में हमने भी उनके द्वारा लिखा गया राजनीतिशास्त्र पढ़ा था जिनकी विचारधारा चौथे दशक अथवा उस से भी पुरानी थी, तो उसमें भी यह कहा जाता था कि सरकार का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था स्थापित करना तथा प्रशासन चलाना और ऐसी न्यायिक प्रक्रिया स्थापित करना है जिसमें सभी को सुलभ, मुफ्त और निष्पक्ष न्याय मिल सके तथा विधानमंडल का चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से हो सके। इन्हें सरकार के मूल प्राथमिक कार्य माना जाता था जिनका निष्पादन उचित तथा संतोषजनक ढंग से होना चाहिए तथा इन कार्यों के पश्चात् ही सरकार अन्य कार्यों को हाथ में ले सकती है। जी हां, स्वतंत्रता से पहले भी सरकार अन्य कार्य करती थी, तब भी स्कूल और कालेज थे, अस्पताल थे, सरकार द्वारा रेलें भी चलाई जाती थीं तथा ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी कुछ उद्योग सरकार द्वारा चलाये जाते थे; परन्तु वे उद्योग आज के जैसे बड़े उद्योग नहीं थे—आज यह सब कार्य पूरी तरह से इतने नियन्त्रण से बाहर हो गये हैं कि सरकार के मूल तथा प्राथमिक कार्यों की उपेक्षा की जा रही है तथा यह उपेक्षा पिछले 40 वर्षों से की जा रही है।

एक माननीय सदस्य: पश्चिम बंगाल सहित। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता: मैंने अपनी बात यह कह कर आरम्भ की थी कि केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों ही सरकारें इसमें शामिल हैं। अगर आप शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और हम शिक्षा सुविधाएं अथवा किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें, उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वे लोग कहेंगे कि आप हमारे विरोधी हैं। वे हमें ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं आप क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते? हमें यह कार्य करना पड़ेगा। यह एक प्रतियोगिता है।

महोदय, वास्तव में ऐसा हुआ है। पुलिस प्रणाली के संबंध में हमें जो विरासत में मिला हमने कुछ हद तक

इसकी संख्या में वृद्धि की। परन्तु पिछले 40 वर्षों में इस देश की जनसंख्या दुगनी हो गई है। लोगों में और अधिक शहरीकरण हुआ है तथा शहरी क्षेत्रों में ही पुलिस की ज्यादा आवश्यकता होती है ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की इतनी आवश्यकता नहीं होती तथा वर्ष 1977 तक पुलिस प्रशासन की गुणवत्ता तथा संख्या के आधार पर सुधार लाने के लिए कोई जांच नहीं की गई और राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय स्तर पर इस प्रयोजन के लिए कोई निकाय नहीं था। 1977 में एक पुलिस आयोग नियुक्त किया गया तथा इसने 1979 और 1981 के दौरान अपनी रिपोर्टें दी परन्तु इन रिपोर्टों का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लागू किया गया है। अब हमारी स्थिति क्या है? भारत में आज हमारा पुलिस बल उस स्तर का है जो कि केवल ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है जिन के साथ ब्रिटिश सरकार को तीसरे दशक में निपटना पड़ता था। उनके पास उपकरणों का अभाव है। आप संसद भवन के बाहर खड़े पुलिस वालों के हथियारों को ही देखिए। क्या वे ऐसे किसी आदमी का मुकाबला कर सकते हैं जिसके पास ए० के० 47 रायफल अथवा स्वचालित रिवॉल्वर अथवा ऐसा कोई आधुनिक हथियार हो? मेरे विचार में मूल कठिनाई यह है कि भारतीय प्रशासन समय के साथ कदम मिलाकर नहीं चल रहा है। जहां तक समस्या के इस पहलू का प्रश्न है, कानून-व्यवस्था स्थापित करने और हथियारों का संबंध है, शुरु से ही हम प्रतिदिन समाचार-पत्रों में यह पढ़ते आ रहे हैं कि आतंकवादी ए० के० 47 रायफल के साथ पकड़े गये। भारतीय पुलिस के पास क्या है? उनके पास वे रायफलें हैं जो 1920 में प्रयोग किये जाते थे और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कानून-व्यवस्था चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान नहीं करते है। लोगों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता; अगर कोई व्यक्ति अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा भी जाता है, तो भी उसे न्यायालय में दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता अगर उसे कानून के घेरे में ले भी लिया जाता है तो पांच साल तो मुकदमें में लग जाते हैं; उसके पश्चात् पांच साल पहली अपील के लिए लग जाते हैं; उसके पश्चात पांच साल उच्च न्यायालय में अपील के लिए लग जाते हैं और उसके बाद पांच वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए लग जाते हैं। एक ऐसे मुकदमें में स्वयं मुझे सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा था जिसमें 20 वर्ष पहले तक व्यक्ति द्वारा किए गये अपराध के लिए मुकदमा चल रहा था जो कि उस समय 24 वर्ष का था। अब वह व्यक्ति 44 वर्ष का है तथा मुख्य दलील यह है कि अब वह विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं। अपराध 20 वर्ष पहले किया गया और सजा 20 वर्ष बाद दी जा रही है। महोदय, वर्ष 1987 अथवा 1988 की विधि आयोग की रिपोर्ट से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। उस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के अत्यन्त विख्यात न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी० ए० देसाई थे। अब इससे यह पता चलता है कि भारतीय न्यायपालिका में आनुपातिक जन शक्ति 7 व्यक्ति प्रति मिलियन है जब कि यह अनुपात आस्ट्रेलिया में 44, ब्रिटेन में 51, अमरीका में 107 प्रति मिलियन है और इन सब देशों में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। हमें कम व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। उनका यह सुझाव है कि सन 2000 तक यह आनुपातिक व्यक्ति 7 से बढ़ कर 50 हो जाना चाहिए मैं नहीं जानता कि गृह मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है या नहीं। मैं नहीं समझता कि उन्हें इसकी जानकारी हैं। एक के बाद एक गृह मंत्री तथा विधि मंत्री आये हैं और मैं नहीं समझता कि इनमें किसी ने भी विधि आयोग की इन रिपोर्टों का अध्ययन करने के बारे में सोचा हो। संसद तथा देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए, हम दुख झेल रहे हैं; सारा देश दुख झेल रहा है क्योंकि इसके प्रति कोई समझबूझ अथवा जागरूकता नहीं है कि प्रशासन, पुलिस न्यायपालिका इत्यादि के लिए कितने संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। इसी कारण संसद के लिए भी पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान नहीं किया है। दो साल तक मैं संसद के बजट समिति का सदस्य रहा तथा उस समय लोक सभा के लिए केवल 15 करोड़ रुपए आबंटित किए जाते थे तथा हमने रक्षा विभाग में कुछ हथियारों को खरीदने में बहुत सा धन व्यर्थ में ही गंवा दिया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हमें 1500 करोड़ की लागत के जगुआर हवाई जहाज खरीदने पड़े जो कि इस सम्बंध में किए गये समझौते के समय बिलकुल पुराने हो गये थे। आप 1500 करोड़

[श्री अमल दत्ता]

रुपया व्यर्थ में गंवा देते हो परन्तु संसद के लिए 5 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान नहीं करते ताकि सदस्यों को कार्यप्रणाली को समझने तथा प्रशासनिक ढंग पर नजर रखने में सहायता के लिए एक अच्छा सचिवालय हो। हर जगह हमने उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया है। अब हम यह चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यो हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ये भाग घटनाओं का वर्णन है और समाचार-पत्र हम से अच्छा घटनाओं का वर्णन करते हैं। आज की चर्चा के बाद हम संतुष्ट हो कर घर चले जायेंगे कि हमने मुद्दे पर चर्चा और विचार-विमर्श कर लिया है तथा गृहमंत्री महोदय, इस बात से संतुष्ट होंगे कि अब इन लोगों ने अपनी बात कह दी है और अब वे कुछ समय तक चुप रहेंगे जब तक कि कोई और गंभीर घटना नहीं होती।

3.00 बजे म॰ प॰

समूचे राज्य का नाश हो रहा है। मैं इसका नाश होते हुए देख रहा हूं। मैं नहीं जानता कि बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी है अथवा नहीं इस बारे में कोई जागरूकता नहीं है। यही दुःख की बात है। चूंकि कोई जागरूकता नहीं है; इसलिए इसे अखण्ड बनाए रखने के लिए, तन्त्र में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है जिसके कारण भारत के टुकड़े हो जाएंगे। समस्त बातें हमारे सामने हैं। कल ही समाचार-पत्रों में यह खबर आई थी कि किस तरह से सोवियत रूस के तीन राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तीन छोटे राज्य पहले ही अपने-आपको स्वतंत्र घोषित कर चुके हैं और बड़े राज्य इनका अनुसरण कर रहे हैं। क्या वे नहीं देख रहे हैं क्या होने जा रहा है हम विदेशी शासन के विरुद्ध एकत्रित हुए थे। राष्ट्र का निर्माण किया जाना था। मैं नहीं सोचता कि राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने यह सोचा था कि उन्हें बना बनाया राष्ट्र मिल गया है। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अलग-अलग शासक विद्यमान थे। अंग्रेजों ने विदेशी ताकत के सहारे सभी भारतीयों को एक शासन के अधीन एकत्र किया। हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आये और हम एक साथ मिल कर लड़े। हम सबने मिलकर एक ऐतिहासिक लम्बी लड़ाई लड़ी। किन्तु, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम एक बने रहेंगे जब तक कि कोई सक्रिय प्रयास न किया जाए। संविधान के निर्माताओं ने अपने विवेक से राष्ट्रीय एकता परिषद बनाई थी। विपक्ष के नेता राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने के लिए कई बार कहते रहे हैं कि पंजाब तथा अन्य स्थानों पर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन केवल आज से ही ऐसा नहीं हो रहा है। असम में आज जो कुछ हो रहा है वह आठवें दशक में जो कुछ हुआ था उसी की पुनरावृत्ति है। उस समय ए॰ ए॰ एस॰ यू॰ ने आन्दोलन किया था अब यह अलग तरीके से हो रहा है, अलग स्थान पर हो रहा है इसका उद्देश्य भी अलग हैं। लेकिन कुल मिलाकर उसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उस समय वहां की जनता ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाये थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था; उस बीच कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रशासन में पुलिस में या न्यायपालिका में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है।

खुफिया तन्त्र कहां है? क्या वे नहीं जानते कि बिना खुफिया तन्त्र के आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते? आप अलगाववाद से नहीं लड़ सकते। लेकिन उसके लिए कोई उचित मशीनरी नहीं है। काश्मीर में, जहां पर खुफिया तन्त्र था, उन लोगों ने उसका पर्दाफाश किया तथा अन्ततः उनको खत्म कर दिया। उनका पर्दाफाश इसलिए किया गया क्योंकि वे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे और पंगु शासन को बनाये रखना चाहते थे। आज यहां कोई खुफिया तन्त्र नहीं है।

खुफियातन्त्र में सुधार करने के बहुत से रास्ते हैं। उनमें से कुछ का पुलिस आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। लेकिन उससे कुछ नहीं सीखा गया । उन शासकों ने, जो कुछ महीनों को छोड़कर, पूरा समय शासक रहे हैं उन्होंने इससे कुछ नहीं सीखा। चर्चा करने का क्या फायदा जब तक कि संसद को इस कार्य का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाती। क्या गृह मंत्री इसकी अनुमति देंगे? क्या गृह मंत्री सांसदों की एक समिति बनाने की अनुमति देंगे जो दिन रात इस मामले की छानबीन करेगी और उन लोगों की जांच करेगी जो कानून व व्यवस्था को बनाये रखने में लापरवाही बरतने के लिए सामर्थ्य की कमी के लिए कर्तव्य के प्रति

लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे विश्वास है कि सत्ता पक्ष के लोगों के मन में ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वे संसद को ऐसा करने की अनुमति देंगे; लेकिन ऐसा विश्व में बहुत से लोकतांत्रिक देशों में किया जा रहा है। ऐसा ब्रिटिश संसद में पिछले दस वर्षों से किया जा रहा है। अमरीका में पुलिस के कार्यों के निरीक्षण का क्षेत्राधिकार संसद को पिछले 100 वर्षों से रहा है। ऐसा किया जा रहा है। लेकिन वे लोग, जो सत्ता में हैं, किसी को इसका निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देंगे और वे वही करेगें जो वे करना चाहते हैं। यह सत्ता का दुरुपयोग है क्योंकि जो कुछ वे कर रहे हैं उनका निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है। लोगों के इसी व्यवहार के कारण आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे राज्य के सभी सामाजिक व आर्थिक कार्यों में पूर्णतया लापरवाही; अक्षमता; अकुशलता की वृद्धि हुई है।

उन्हें बेरोजगारी बढ़ने से कोई चिन्ता नहीं है और वे नई औद्योगिक नीति तथा नई आर्थिक नीति लाये हैं। इससे यह आशंका है कि इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। इस स्थिति से निपटने के लिए कृपया सुझाव दीजिए। इस संबंध में सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वह विश्व बैंक के पास भिखारी की तरह 500 मिलियन डालर के भीख मांगेगी ताकि वह इस स्थिति से निपट सके और फिर सब को कुछ न कुछ भिक्षा देगी।

राज्य को कानून व व्यवस्था की स्थिति लागू करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा दूसरी तरफ, राज्य को मानवोचित, गम्य और प्रतिक्रियात्मक होना होगा। अब राज्य अपराधियों से अलग तरह से स्पष्टीकरण मांग रही है उनके साथ आम लोगों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति राज्य में नहीं जा सकता तथा कुछ नहीं करवा सकता किसी न किसी के प्रभाव से कुछ किया जाना चाहिए। आज भ्रष्टाचार समाज के सभी स्तरों पर व्याप्त है और इससे अच्छे लोग आगे नहीं आ पाते। ऐसे लोग जो राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं और जिसके वे योग्य है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते। राज्य में इतना अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है और गैर-जिम्मेदार है। इससे शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और उसका कोई निदान नहीं हो रहा है जिससे असंतोष उत्पन्न हो रहा है। जो कोई भी उनकी भलाई के लिए आगे आता है वह उनका शिकार बन जाता है ऐसा ही हुआ है। ऐसा कई घटनाओं में हुआ है। राज्य को तथा पूरे राज्य प्रशासन को जब तक इन मामलों में सहानुभूति मिलती रही, जब तक वे इनके हाथों से नहीं निकल गये। ऐसा पंजाब में कश्मीर में तथा असम में तथा अन्य सब स्थानों पर हुआ। राज्य प्रशासन के अधिकतर लोगों ने तथा पुलिस ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आतंकवादियों को तथा अलगावादियों या आप जो कुछ भी नाम से बुलाते हैं, उन्होंने उनके साथ सहानुभूति दिखायी तथा उन्हें बचाया जब कि उन्होंने कई अपराध किये थे।

श्री पवन कुमार बंसल ने जो कुछ कहा है मैं कुछ हद तक उनका समर्थन करता हूं। आज प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि आप कुछ भी अपराध कर सकते हो और फिर उससे बच सकते हो। आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो और किसी भी प्रकार का उल्लघंन कर सकते हो और फिर उससे बच सकते है। राज्य पूर्णतया अक्षम, पूर्व अकुशल है, आज की यही स्थिति है। यह राज्य की बहुत बड़ी कमजोरी है आज राज्य में गैर-जिम्मेदराना, अक्षमता भष्ट्राचार की स्थिति व्याप्त है। आप कुछ भी गलत काम कर सकते हो ऐसी भावना लोगों के मन में घर कर गई है। यदि इस स्थिति को जल्दी से ठीक नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिससे भारत की एकता नष्ट हो जायेगी।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में सचेत हो जाये अभी भी समय है वे अभी भी पुलिस प्रशासन तथा न्यायपालिका में सुधार के लिए कुछ उपचारात्मक कदम उठा सकते हैं। काफी बातें कही गई है मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैंने उनका उल्लेख किया है। यह ठीक है रिपोर्ट पहले से ही मौजूद है। उनमें उपाय सुझाये गये है। सरकार ने उन सिफारिशों पर कुछ भी नहीं किया है या बहुत कम काम किया गया है

[श्री अमल दत्ता]

आज यह बहुत जरूरी है क्योंकि राज्यों के टूटने के उदाहरण हमारे समक्ष है इस संबंध में लोग पहले से ही बातें कर रहे है कि सोवियत रूस जो एक अखन्डित राज्य था और जब वह टूट सकता है तो भारत क्यों नहीं? संसद में एक मांग और रखी गयी थी कि राज्यों में संतुलित विकास होना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य और राज्यों के बीच विकास होना चाहिए। जैसा आजकल असामंजस्य है वैसा नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार को सभी शक्तियां अपने पास नहीं रखनी चाहिए बल्कि राज्यों को और अधिक स्वायतता दी जानी चाहिए। जब वे उनकी मांगों का विरोध नहीं कर सके तो उन्होंने सरकारिया आयोग के नाम से एक आयोग का गठन किया जिसे 1983 में नियुक्ति किया गया था। निःसंदेह, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस मांग को वैद्य-मान लिया गया था। लेकिन किस सीमा तक स्वायत्ता अथवा केन्द्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है? इसी बात का आयोग को पता लगाना था। इस आयोग ने पांच वर्ष से अधिक समय लिया और इसने काफी पहले अपनी रिपोर्ट दे दी थी। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ? उस रिपोर्ट को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसके किसी भी भाग को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। यही कांग्रेसी सदस्य जो हमें राज्यों को अधिक अधिकार देने की हमारी मांग के लिए नीचा दिखाया करते थे अब कहते है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए। कल मैंने एक कांग्रेसी सदस्य को यह कहते हुए सुना था कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए। यहां तक कि वहां भी यह बात फैल गई कि विभिन्न राज्यों के लोगों में व्याप्त इस प्रकार के अन्याय की भावना को समाप्त किया जाना चाहिये। लेकिन सरकार की ऐसी भावना नहीं है। इस विषय पर सरकार का क्या कहना है, यह मै सुनना चाहता हूं, क्या वह इस रिपोर्ट को शीघ्र लागू करेगी अथवा नहीं, उस रिपोर्ट को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है? मै गृह मंत्री महोदय से कानून और व्यवस्था की देखभाल के लिए स्थायी आधार पर एक संसदीय आयोग अथवा संसदीय समिति के गठन के अपने अनुरोध पर गंभीरता से विचार करने और उसका जवाब देने के लिए कहता हूं।

महोदय, वास्तव में रक्षा मंत्रालय में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह समय के अर्थात् 1990 के दौरान एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन किया गया था। जुलाई या अगस्त में उस परिषद् का गठन किया गया था। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। मै यह नहीं जानता कि इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया था अथवा नहीं। मुझे भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक सदस्य के रूप में चुना गया था। लेकिन इससे पहले कि इसकी बैठक होती वह सरकार ही चली गई थी। लेकिन मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। इस संबंध में मैने इसका उल्लेख इसलिये किया है क्योंकि इसका संबंध केवल बाह्य-सुरक्षा से ही नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा से भी रहा होता क्योंकि उस परिषद के कार्यों में एक खुफिया-रिपोर्टें तैयार करना, तथा उनका अध्ययन करके सरकार को यह सलाह देना कि आंतरिक सुरक्षा के संबंध में भी उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिये, शामिल था। लेकिन उसे एक स्मारक बना दिया गया और एक मृत शिशु अथवा इसी प्रकार की किसी वस्तु की तरह उसे फेंक दिया गया। मै इस बारे में कुछ नहीं जानता। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने हमें इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी है। मै इससे आश्चर्यचकित हूं। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने संसद में जो विचार ग्रहण किए है, उनसे हम छुटकारा पा सकें और उसी से संतुष्ट और खुश रहें। क्या वे कुछ करना चाहते है? मै यह सुनने के लिए बहुत व्यग्र हूं कि उन सारी मांगों जो आज मैंने उठाई है तथा अन्य सदस्यों ने मेरे सामने उठाई है, के बारे में गृह मंत्री महोदय का क्या कहना है। मुझे उम्मीद है कि वह इसका हल निकालेंगे और उस तरह से घिसा-पिटा जवाब नहीं देंगे जैसा कि अधिकांश मंत्री इस सभा में हमेशा करते है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब मै प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु का नाम पुकारता हूं।

डा॰ जयन्त रंगप्पी (स्वशासी जिला) : महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति पर यह चर्चा कल से चल

रही है। पंजाब, कश्मीर तथा असम में चल रहे उग्रवाद पर चर्चा हुई। लेकिन मेरे क्षेत्र के एक भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० जयन्त रंगप्पी, आपका नाम वक्ताओं की सूची में है। आपको बोलने के लिए बुलाया जायेगा। आपको एक अवसर मिला है।

इसके अतिरिक्त सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी बात को दस मिनट में पूरी कह लें तो उससे हमें आसानी होगी क्योंकि बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप समय का ध्यान रखें। तीन मिनट से दस मिनट के बीच में, मैं पहली घंटी बजाऊंगा।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली): मैं विषय तक सीमित रहूंगा। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। सौभाग्य से इस महान सभा को उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करने का कुछ समय मिला है जो इस देश में समय-समय पर घटित होती रहती है। हमारा महान देश, भारत, कभी अहिंसा और शांति का प्रतीक था। हमारे देश ने स्वतंत्रता भी इन्हीं शक्तिशाली हथियारों, अहिंसा और शांति के माध्यम से ही प्राप्त की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो इसके प्रणेता थे, ने विश्व के कोने-कोने में अहिंसा और शांति का संदेश फैलाया है। हमने महात्मा बुद्ध के शांति के संदेश से भी अपनी परंपरा और संस्कृति विरासत में प्राप्त की है, उसे आत्मसात किया है। हमें बहुत से श्रेष्ठ संदेश तथा विरासतें प्राप्त हुई हैं। लेकिन वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल में देश अनेक विपद्पूर्ण गतिविधियों का सामना कर रहा है। इन गतिविधियों को आतंकवाद, हिंसा अलगाववाद इत्यादि अनेक नाम दिए गए है। देश के अनेक भागों में चल रही कुछ गतिविधियों का पता चलाते-चलाते, यह स्पष्ट हो गया था कि हिंसा और आतंकवाद आदि के क्रूर और कठोर पांवोतले प्रजातांत्रिक मूल्य और प्रणाली निष्फल हो रही हैं। हमें उस स्थिति का विश्लेषण करना होगा कि क्यों हमारे देश में ये चीजें तेज़ी से बढ़ रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उग्रवाद में महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और हाल ही में श्री राजीव गांधी के जीवन सहित इस देश के अनेक महान सुपुत्र और सुपुत्रियों के मूल्यवान जीवन ले लिये हैं। हम बार-बार बढ़ते हुए उग्रवाद और हिंसा के बारे में विचार है तथा चर्चा करते रहे हैं। इसका अवश्य कोई न कोई मूल कारण रहा है। अचानक वह-आज की घटना बन जाती है। जब कभी देश के किसी भाग में कोई घटना घटती है तो वह समाचार पत्रों में छप जाती है, इस पर राज्य विधान सभाओं अथवा इस सभा में चर्चा हो रही होती है और संबंधित मंत्री द्वारा उस पर वक्तव्य दिया जा रहा होता है और अगले ही दिन इसे लगभग भुला दिया जाता है। वास्तव में यह स्थिति है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है कि क्यों और किस प्रकार तथाकथित गैर-सामाजिक तत्व तथा गैर-लोकतांत्रिक प्रणालियों और मूल्यों को बढ़ावा मिल रहा है। मैं इसे इस प्रकार कह सकता है। ये तथाकथित उग्रवाद, नक्सलवाद अनेक स्थानों पर शोषण से उत्पन्न हुए है। देश में मौजूद निर्धनता से इसे पोषण मिला है। आर्थिक शक्तियों के गलत ढंग से बंटवारे के कारण यह स्थिति और अधिक खराब हुई है। और इसे उन युवाओं में और अधिक उग्र बना दिया है, जो बड़े उग्र तरीके से परिवर्तन लाने के विचार रखतें थे तथा जिनके पास आजीविका कमाने के कोई साधन नहीं है।

[अनुवाद]

इस गतिविधि की परिणति व्यापक अशान्ति, हिंसा, उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद आदि के रूप में हुई हैं। इन सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा और उनका समाधान ढूंढना होगा। समय-समय पर जो नीतियां बनाई जा रही है; वे कुछ हद तक कम से कम उन वर्गों को संतुष्ट कर रहे हैं जो इस तरह की गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे अपने राज्य आंध्रप्रदेश में जब ये नक्सलवादी ताकतें भय और अराजकता की

स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी पर दूसरा पुल बनाये जाने की स्वीकृति दी गई थी।

यहां तक कि बड़ी लाइन के विस्तार का कार्य स्वाभाविक तरीके से होना चाहिये। यदि सरकार असम को भारत का एक भाग मानती थी, तो स्वतंत्रता-प्राप्ति के 30/35 वर्षों के पश्चात भी असम तक बड़ी लाइन के विस्तार के कार्य के लिये व्यापक जन आंदोलन क्यों होना चाहिये था। इसके लिये भी असम के लोगों को अपना खून बहाना पड़ा था।

यह शर्म की बात है कि कि असम में एक मीटर रेल लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है। असम के पास जल संसाधनों एवं विद्युत-आपूर्ति का विपुल भण्डार है, लेकिन वहां की एक मीटर रेल लाइन का भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है। देश के पूरे उत्तर-पूर्वी भाग में विकास की ऐसी ही स्थिति है। चाहे वह सत्तारूढ़ दल हो अथवा विपक्षी दल, ये मांगें सभी दलों ने उठाई हैं। लेकिन इन पर कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई थी। अन्ततोगत्वा विदेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। मैं न तो उस आंदोलन का प्रशंसक हूं और न ही उस समय नेतागण जिस ढंग से उस आंदोलन का आयोजन कर रहे थे उस का समर्थन करता हूं। लेकिन हमें देखना यह है कि केन्द्र सरकार ने इस समस्या का कैसे निपटान किया है। उन्होंने इस समस्या को चार-पांच वर्षों तक लटकाये रखा तथा उसके बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे और उस समझौते को लौंगवाल समझौते की तरह ही लागू भी नहीं किया गया था। शेख अब्दुला एवं भारत सरकार के बीच हुए समझौते में निहित भावना को भी लागू नहीं किया गया था और हम सभी ऐसा होते हुए देखते रहे हैं। मात्र एक ही राजनैतिक दल विशेष अनुच्छेद 370 को हटाये जाने की मांगे नहीं कर रहा है, बल्कि केन्द्र में सत्तारूढ़ उत्तरोत्तर सरकारें भी अनुच्छेद 370 की भावना का विरोध करती आ रही हैं। अनुच्छेद 370 का आशय यह है कि जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का संबंध है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये अथवा कम हस्तक्षेप होना चाहिये तथा जम्मू एवं कश्मीर की जनता को उचित स्वायत्तता अवश्य मिलनी चाहिये। अनुच्छेद 370 का आशय यही है।

अब, एक राजनैतिक दल ने साफ तौर पर कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना चाहिये, लेकिन केन्द्र में सत्तारुढ़ होने वाली उत्तरोत्तर सरकारें जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को अस्थिर करके अनुच्छेद 370 की भावना में रद्दोबदल करती रही हैं जिसके बारे में हम सभी को जानकारी है।

इसी तरीके से असम-समझौते को भी लागू नहीं किया गया था। जब असम-समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे तो उस समय वर्तमान गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। इस पर उन्ही के शासनकाल में हस्ताक्षर किये गये थे। इसके बारे में अनेक विवाद विद्यमान थे। केन्द्र सरकार यह कहेगी कि असम में उसने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया है और असम गण परिषद सरकार यह कहेगी कि जहां तक असम समझौते का संबंध है सब कुछ राज्य सरकार ने किया है, केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसी प्रकार की बहस चलती रही। लेकिन सच तो यह है कि असम की जनता यह महसूस करती है कि असम-समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत से असम-मुक्ति अथव पृथकतावाद नामक एक और प्रकार का गम्भीर नारा उठाया गया है। यह नारा उठाया गया है अतः उग्रवाद की उत्पत्ति यही से होती है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी?

जिस तरीके से केन्द्र सरकार असम-समझौते से पूर्व सेना भेज रही थी, उसी तरीके से अब भी सेना भेज रही है। 1983 में असम की जनता चुनावों का विरोध कर रही थी। किसी कानूनी दृष्टि से वहां निर्वाचन अवश्य होने चाहियें थे। पुनः 1985 में उस निर्णय को रद्द कर दिया गया था। असम गण परिषद् की सरकार बनी थी। इस प्रकार भारत सरकार असम-समस्या पर परस्पर-विरोधी ढंग से व्यवहार कर रही है। इस बारे में अभी

भी सरकार इसी तरीके से बरताव कर रही है। वहां सेना भेज दी गई है और सेना की खुफिया एजेंसियों का कहना है की कई हजार लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है?

माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि सेना की रिपोर्ट कितनी गुमराह करने वाली है। यद्यपि वहां उल्फा नहीं है तथा उल्फा की गतिविधियों के बारे में एक भी मामले की सूचना नहीं मिली है और न ही असम के पहाड़ी जिले अर्थात् मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हत्या की किसी भी घटना की खबर मिली है, लेकिन उस क्षेत्र को भी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया तथा वहां सेना तैनात कर दी गई असम के सभी समाचार पत्रों और यहां तक कि टेलीविज़न पर भी यह प्रदर्शित किया गया था कि 500 से भी अधिक हथियार पकड़े गये हैं तथा पूरे असम राज्य में टेलीविज़न पर इसके चित्र दिखाये गये थे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि हमारा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है तथा लगभग हर दूसरे घर में हाथियों एवं जंगली जानवरों से धान के खेतों की रक्षा करने हेतु लाईसेंसशुदा बंदूकें हैं एवं परम्परागत तौर पर भी हमारे क्षेत्र के लोग बन्दूकें रखते हैं। चूंकि कुछ क्षेत्र अत्यंत भीतरी क्षेत्र हैं। अतः लोग अपने लाईसेंसों की नवीनीकरण नहीं करवा सकते। अब सेना गांवों में प्रवेश कर गई है तथा उसके जवानों ये सभी बन्दूके जब्त कर ली हैं तथा उन्होंने इन बंदूकों को उल्फा से जब्त किये गये हथियारों के रूप में प्रदर्शित किया है। मैं अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा है क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसा ही छापा मारा गया था। खुफिया एजेंसियां भारत सरकार को कैसी सूचना दे रही हैं, यह तो उसका मात्र एक ही उदाहरण है। भारत सरकार का यह विचार है कि आप्रेशन-राइनो कामयाब रहा था। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। असम-समझौते से लेकर आप्रेशन-राइनो तक भारत सरकार की गलत नीति एवं गलत तरीकों के कारण जनता के मन में यह विश्वास घर कर गया है। कि भारत-सरकार शांति पूर्वक-तरीके से उठाई गई मांगों पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगी। असम की जनता को यह विश्वास हो गया है कि भारत-सरकार केवल तभी ध्यानपूर्वक सुनवाई करेगी, जब बन्दूक की भाषा बोली जाती है। अब आप वहां की जनता के मन में यह विश्वास बैठा रहे हैं कि असम प्रदेश केवल तभी खुशहाल बन सकता है, जब यह प्रदेश भारतीय संघ से बाहर हो जाये। सरकार की गलत नीतियों एवं आप्रेशन-राइनो की वज़ह से उल्फा का उद्देश्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ऐसी बात का होना अत्यंत नुकसानदायक है तथा प्रत्येक सदस्य को दलगत नीति से ऊपर उठकर इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिये।

महोदय, असम में सेना को आधी रात के समय घरों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। सेना के जवान लोगों को गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यंत्रणा कक्षों का निर्माण भी किया है जिसे सैन्य शिविरों में 'पूछताछ कक्ष' कहा जाता है। उनके पास बने बनाये उपकरण हैं। वे लोग पकड़े गये व्यक्तियों को पंखे से उलटा लटका देते हैं और पंखा चला देते हैं। उनके पास कुछ विशेष सुईयां हैं जो कि ऐसे पकड़े गये व्यक्तियों के जननेन्द्रियों में चुभोई जाती हैं और उसके बाद बिजली के झटके दिये जाते हैं। ऐसा वास्तव में असम में हो रहा है। ऐसे कई मामले है जहां उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पीड़ितों को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। सेना द्वारा न्यायालय में पेश किये गये लोगों की ऐसी हालत थी कि वे चल नहीं पा रहे थे और उनको स्ट्रेचर पर लाना पड़ा था। यदि मंत्री महोदय चाहते हैं और उपाध्यक्ष महोदय मुझको अनुमति देते है तो मैं ऐसे अगणित मामले आपके सामने रख सकता हूं जिनकी सूचना मानव अधिकार संगठन ने एकत्रित की थी।

यह स्पष्ट करने के लिए कि लोगों को सेना किस तरह से यंत्रणा दे रही है, मैं आपको एक बदकिस्मत लड़की राजू बरुआ का उदाहरण दूंगा। उस लड़की की उम्र मुश्किल से बीस वर्ष होगी। वह कॉलेज में पढ़ रही थी। उस लड़की का उल्फा से कोई सम्बन्ध ही नहीं था और सेना को भी इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा था। सेना के लोगों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे मारकर फेंक दिया। इस प्रकार से बलात्कार और हत्या से संबंधित कई मामले हैं। यहां तक कि एक 65 वर्षीय बूढ़े असहाय अध्यापक की भी

[श्री जयन्त रंगप्पी]

हत्या की गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है? परसों ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) के अध्यक्ष श्री पाचू गोपाल बरूआ के साथ सेना बुरी तरह से पेश आई थी। रात में उनके घर पर छापा मारा गया था और वहां पर सेना को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए, कल गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) एवं सभी वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। असम के केन्द्र स्थल गुवाहाटी की जनता की यह दुर्दशा है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० जयन्त रंगप्पी: मैं केवल और कुछ मिनट ही लूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इस सभा में पंजाब एवं कश्मीर की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं है। असम के जन प्रतिनिधि यहां उपस्थित है। कृपया, आप मुझे अपनी आवाज उठाने दीजिए क्योंकि यह ऐसा मंच है जहां जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां पर ऐसे लोग भी उपस्थित है जिनका पंजाब से घनिष्ठ संबंध है और वे लोग भी पंजाब पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): कृपया उन्हें बोलने के लिए और थोडा सा समय दिजिए।

डा० जयन्त रंगप्पी: यहां तक कि असम के आंतरिक भागों में भी लोगों ने उस मांग का कभी भी समर्थन नहीं किया और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। धीरे-धीरे जनता का रुख, इस ओर हो रहा है। यदि हमारे देश की सेना इस तरह से बर्ताव करेगी तो हम इस देश में गौरव और सम्मान के साथ कैसे जी पायेंगे।

देश के किसी भी संस्थापित राजनैतिक दल ने कोई आवाज नहीं उठाई। लोग 10,000 से 30,000 तक की संख्या में अपने-अपने कस्बों, गांवों, समविभागों से बाहर निकल आये और सैन्य शिविरों को घेर लिया। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने लगातार तीन से चार दिनों तक सैन्य शिविरों का घेराव किये रखा। इस तरह से हम असम की शान्तिप्रिय जनता को अपने से दूर कर रहे हैं। जो कि भारत के साथ है और जो भारत का एक अंग है।

इसके अतिरिक्त, असम में कुछ और समस्याएं हैं। मैं कहूंगा कि ये समस्याएं उत्पन्न की गई है क्योंकि सरकार असम की जनता की उचित मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि सरकार का यही रवैया रहेगा तो असम की शान्तिप्रिय जनता हिंसक बन जाएगी।

मै असम के एक पहाड़ी जिले का रहने वाला हूं। करबियालांग और उत्तर कच्छार के इन दो पहाड़ी जिलों के लोग 1971 से ही अनुच्छेद 284(क) के तहत स्वायत्तता प्राप्त राज्य की मांग करते आ रहे हैं। अब उन्होंने वहां पर सैन्य शिविर बना लिया है। अब जबकि हर कोई, भले ही वह उल्फा हो अथवा कोई अन्य संगठन हो, बन्दूकों की बात कर रहा है, तो ये दोनों जिले अत्यन्त शांति पूर्वक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। विधान सभा की सभी सीटें स्वायत्त राज्य मांग समिति को मिली हैं। यहां तक कि जिस लोक सभा सीट पर मैं चुना गया हूं, यह भी स्वायत्त-राज्य मांग समिति के कारण मिली है। जिला परिषद चुनावों में 26 सीटों में से 23 सीटें स्वायत्त-राज्य मांग समिति के पक्ष में गई हैं और सभी निर्वाचित प्रतिनिधि स्वायत्त राज्य की मांग करते रहे हैं। यह संविधान के अंतर्गत है। इसके लिए असम को दो खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः संसद द्वारा इन दोनों पहाड़ी जिलों को यह वचन दिया गया था। अन्य सभी पहाड़ी क्षेत्रों का उत्रयन कर दिया गया है और मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड जैसी विभिन्न राज्य इकाइयों के रूप में उनका पुनर्गठन किया गया है। लेकिन केवल इन दोनों जिलों को छोड़ दिया गया है। संसद ने इन जिलों को वचन दिया था कि भविष्य में संविधान के अनुच्छेद 244(क) के तहत असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्तता प्राप्त राज्य को स्थापित किया जाएगा। इसके बावजूद सरकार जनता के इस उचित आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: कई और वक्ता भी बोलना चाहते हैं। आपने पहले ही 20 मिनट का समय ले लिया है। कई वरिष्ठ सदस्यों ने कृपा करके आपको बहुत समय दे दिया है। कल कई सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला था और आज भी कई सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा।

डा॰ जयन्त रंगप्पी: महोदय, मैं केवल दो मुद्दों पर बोलूंगा।

उल्फा समस्या के अतिरिक्त वहां पर जनजातीय तथा बोडो समस्या भी है। सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए अन्यथा उल्फा जैसे और संगठन जन्म लेंगे। अब कम से कम जनजातीय लोग तो आप के साथ हैं क्योंकि वे उल्फा तरीकों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यदि कल को ये लोग भी अलग हो जाते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न कर देगी।

दूसरे, महोदय मैं वह सुझाव देना चाहता हूं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों से युक्त एक सर्वदलीय प्रतिनिधि-मण्डल को तथ्यों का पता लगाने के अभियान पर भेजना चाहिए ताकि उक्त मण्डल यह पता लगा सके कि ये आरोप सत्य हैं अथवा नहीं। मैं सभा से यह नहीं कह रहा हूं कि वे बिना किसी आपत्ति के मेरे विचारों को स्वीकार कर लें।

सभी राजनीतिक दलों से युक्त एक प्रतिनिधि-मण्डल को असम भेजा जाये ताकि वहां की स्थिति का पता लगाया जा सके और इस बात का भी पता लगाया जा सके कि और कौन से कदम उठाये जाने चाहिएं।

अब कोई भी संगठन तुरन्त आगे नहीं आयेगा और न ही अपने हथियार सौंपकर बातचीत के लिए तैयार होगा। भारत सरकार जब तक आगे नहीं आती और उनसे नहीं कहती कि वह संविधान के ढांचे के अन्तर्गत उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, तब तक वे लोग तुरन्त अपने हथियार सौंपने वाले नहीं हैं। यदि भारत सरकार यह कहती है कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वे अपने हथियार सौंप दें, तो वे ऐसा नहीं करेंगे। अतः हमें और अधिक व्यवहारिक बनना चाहिए।

सर्वप्रथम एक शाक्ति मिशन होना चाहिए। हमें उल्फा तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों, माननीय सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए अपील करनी चाहिए। एक शांति मिशन शुरू किया जाना चाहिए ताकि वहां पर सामान्य स्थिति बहाल हो सके और जब वहां पर सामान्य स्थिति बहाल होगी तब इसके बाद दूसरी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज जब मैं अपने घर से सदन के लिए आ रहा था, मेरा घर 3, कृष्णा मेनन मार्ग पर गृह मंत्री के घर के पास है। मुझे घर से बाहर निकलने के लिए पुलिस ने रोक दिया और यह कहा कि हम घर से उस रास्ते से इसलिए नहीं जाएं क्योंकि अभी एक महापुरूष उस रास्ते से जाने वाले हैं। हम जब फिर वहां से आग्रह कर के निकलने लगे तो मुझे अपनी गाड़ी निकालकर बाहर आना पड़ा तो कहा कि आप दाहिने हिस्से से नहीं जा सकते। आपको बाएं हिस्से से जाना चाहिए। जब कि गृह मंत्री की गाड़ी उस रास्ते से निकल रही थी, उस रास्ते से वे आए और सदन में पहुंच गए। आपकी गाड़ी दाएं हिस्से घुसी और मेरी गाड़ी बाएं हिस्से गई। मुझे यह कहा गया कि आप अपने दाएं हिस्से चलो और यहां तक आने में मुझे ठीक एक घंटा लगा। आप अपने घर से निकले, मैं अपने दरवाजे से निकला और मैं यहां साढ़े तीन बजे पहुंच गया।

उपाध्यक्ष जी, हर तरफ गाड़ी को रोका जा रहा है। वह तो एक तरफ लेकिन हमें कहा गया कि आप सड़क पर पैदल नहीं चल सकते। चीन का प्रधान मंत्री दिल्ली में है इसका मतलब यह नहीं है कि आप दिल्ली को कैदखाना बना दें। हमारे नागरिक अधिकारों को आप छीन नहीं सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के

[श्री जार्ज फर्नांडीज]

भूतपूर्व अध्यक्ष हसन वाही मेरे घर आ रहे थे। रास्ते में जहां पर एक आॅटोरिक्शा पर जाने वाले तिब्बतियों को पुलिस ने रोक कर खींच लिया, वह वहां पर खड़े होकर बोलने लगे और कहने लगे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया और बहुत आग्रह करने के बाद ही उनको छोड़ा गया और वे मेरे घर आए।

उपाध्यक्ष जी, वहां पर मजनूं का टीला पर अभी 12 बजे लाठियां चलाई गईं, टीयर गैस किया गया। मजनूं का टीला अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास है जमुना के एक तरफ। कहां तो राजघाट है और उससे और पांच किलोमीटर की दूरी पर है। वहां 12 बजे टीयर गैस चलती है, वहां के गरीब लोग जो अपना निर्वाह करने के लिए, पेशा करने के लिए जो उस मकान का हिस्सा है, उससे सड़क पर आना चाहते हैं तो उनको पुलिस ने रोका। मुझे अपने घर से सदन आने के लिए पुलिस रोकेगी, पैदल चलने वाले को रोकेगी और जब मैं सदन में आकर बैठा हूं तो मेरी बगल में एक मंत्री महोदय आकर बैठ जाते हैं और मैं कहता हूं कि यह अनुभव लेकर मैं सदन में आया हूं तो वह मुझे कहते है—आपको तो एक घंटा लगा इतना चक्कर लगाकर आने में, मेरी भी वही हालत है। पुलिस की गाड़ी और वह बत्ती वाली गाड़ी, ये सब गाड़िया गईं और मुझे आने में एक घंटा लग गया और वे मुझसे बोले कि मैं सोच रहा हूं कि अगले चार दिन सदन में ही रह जाऊं। उपाध्यक्ष जी, आप इस पर हमें व्यवस्था दीजिए। हम अपने सदन के काम को कैसे करें, आज शाम को हम घर कैसे पहुंचें? गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरा उनसे सवाल है कि हम कैसे अपने घर चले जाएं? हम कल सुबह कैसे सदन में आ जाएं कि क्या एक विदेश का प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान में आता है तो उसके लिए आप इस शहर को चीन की राजधानी बना देंगे? क्या इस शहर के भीतर आप लोगों के चलने पर भी रोक लगा देंगे? मेरे घर से बाहर निकलने पर आप रोक लगा देंगे? उपाध्यक्ष जी, इस बात को बरदाश्त नहीं किया जाएगा। हम गृह मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि ये रुकावटें नहीं की जाएं वरना हमें इस सदन के भीतर किसी न किसी प्रकार की कार्यवाही करनी होगी, दूसरा कोई उपाय हमारे सामने नहीं रहेगा। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। यह बात उठाकर केवल बैठ जाने वाली बात नहीं है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि मैं संसद सदस्य के नाते अपना काम किस तरह से करूं मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, इसी विषय पर मैंने भी अपना एक प्रस्ताव दिया है क्योंकि जिस प्रकार से परसों के दिन यहां तिब्बती लोगों को गिरफ्तार किया गया, कल मैंने इस बात पर अपनी चिन्ता प्रकट की थी। भारी तादाद में तिब्बती नागरिकों पर अत्याचार किया गया है और उसकी पुनरावृत्ति आज फिर हो रही है, दोहराई जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। जोशी जी, आप बैठिये। ऐसे नहीं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दें कि उन निरीह तिब्बतियों पर किस कारण से अत्याचार किया जा रहा है, किन कारणों से ऐसा हो रहा है। जैसा अभी जार्ज साहब ने कहा, मजनूं के टीले पर उनकी बस्ती बनी हुई है। उस बस्ती में आज जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, कुछ लोगों को खुश करने के लिये, क्या इस प्रकार की नीति भारत सरकार ने तय की है। उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि तिब्बती लोगों पर होने वाले अत्याचार को अविलम्ब बंद किया जाना चाहिए और जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरन्त छोड़ा जाना चाहिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : यह माननीय सदस्य और सदन दोनों का अपमान है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि कुछ तिब्बतियों की गिरफ्तारी वगैरह कुछ घटनाएं हुई हैं, तो यह उचित समय नहीं है कि इस मुद्दे को इस सभा के अन्दर उठाया जाए। यहां प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य सभा

में आ रहे थे, तो उन्हें सभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि गृहमंत्री महोदय इस बारे में क्या कहना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चौहान) : मैं माननीय सदस्यों की भावनाएं अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं पुलिस से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि जब एक विदेशी विशिष्ट व्यक्ति इस शहर में आता है, तो हमें कुछ विनियमों का पालन करना पड़ता है और यदि कोई व्यक्ति यह आग्रह करे कि "मैं केवल इस मार्ग से ही जाऊंगा। मैं पुलिस द्वारा निर्धारित निदेशों या विनियमों का अनुपालन नहीं करूंगा।" तो ऐसा करने से कठिनाई उत्पन्न होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब कोई विदेशी विशिष्ट व्यक्ति इस शहर में आता है, तो आप समस्या उत्पन्न न करें। वह यह न महसूस करे कि ये घटनाएं उसकी वजह से ही हो रही हैं। ऐसा संकेत नहीं जाना चाहिए। मैं पुनः पुलिस से यह पता लगाऊंगा कि क्या इसे उचित रूप में अधिसूचित किया गया था और यदि हां, तो निःसंदेह हममें से हरेक को पुलिस की हिदायतों का अनुपालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : गृह मंत्री जी तो इस तरह से बता रहे हैं जैसे मैंने कोई गलत काम किया है। गृह मंत्री जी के भाषण से ऐसा आभास हो रहा है। क्या इस शहर में चलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्या मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। सड़क पर चलने का मुझे अधिकार नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अभी जो बात, उपाध्यक्ष जी, आपने कही, उस भावना को शायद गृह मंत्री जी ने नहीं समझा। गृह मंत्री जी ने कहा कि बाहर से जब कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिये सरटेन रूल्स होते हैं। हम गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस बारे में भी सरटेन रूल्स हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य सदन में आ रहे हैं तो उन्हें रोक दिया जाये। इसलिये बात यहां सरटेन रूल्स एण्ड रैगुलेशन्स की नहीं है। बात यह है कि जार्ज साहब अपने घर से निकले और गृह मंत्री जी भी निकले लेकिन गृह मंत्री जी तो सदन में पहुंच गये परन्तु जार्ज साहब को यहां आने में एक घण्टा लगा। दूसरे, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के आने पर हमें रूक जाना पड़ेगा। यदि बाहर से कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, चाहे वह कितना भी बड़ा महापुरूष क्यों न हो, क्या उसके लिये संसद-सदस्यों के अधिकारों को भी रोका जायेगा, उनके अधिकारों को कम किया जायेगा, यह प्रश्न है। प्रश्न यह नहीं है कि पुलिस को क्या व्यवस्था करनी है। प्रश्न यह नहीं है कि बाहर से यदि कोई व्यक्ति आये तो उसे क्या करना चाहिये। हम चाहेंगे कि अभी जो तत्काल प्रकरण सामने आया है, जार्ज साहब के साथ घटना घटी है, गृह मंत्री जी उस के बारे में यहां जवाब दें कि ऐसी घटना क्यों घटी इसके पीछे कारण क्या रहे।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष जी, बार बार इसी तरह की घटना घटती रहती है, आज कोई नई बात नहीं है। सवेरे जब हम आ रहे थे तो मेरे साथ भी इसी तरह की घटना घटी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु सभा की तरफ आ रहे हों, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगी कि माननीय सदस्य को असुविधा न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा समर्थित मुद्दे का समर्थक नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे इस स्थान तक पहुंचने में एक घंटे से अधिक समय लगा है। मैं समझता हूं कि यह जो घटना घटी है इसमें पुलिस ने जरूरत से अधिक प्रतिक्रिया की है। मैं नहीं जानता कि क्या कुछ हुआ। चारों तरफ दो से तीन किलो मीटर तक सभी सड़कें पूर्णतः बन्द कर दी गई। किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। किसी कार को आने की अनुमति नहीं। मैंने अपना पास दिखलाया। लेकिन पुलिस वालों के लिए पास का कोई महत्व नहीं है।

4.00 बजे म०प०

आप देखिए, मुझे यहां आने में एक घंटा लगा। मैं समझता हूं कि उन्हें इस प्रकार जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए।

श्री एस०बी० चव्हाण: मैं पता लगाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सामान्यतः ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को कुछ क्षेत्रों की सुरक्षा करनी होती है। लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रियाएं होती है, तो मैं पता लगाने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): उपाध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात होती है, गृह मत्री जी, शायद आपकी नालेज में नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर मूव करते है तो 5-10 मिंनट के लिए आप रोक सकते है, लेकिन एक रूट से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और सारे रूट बंद कर दिए ज़ाते है, 10 रूट रोक लिए जाते है। फिर आधा घंटा रोकने के बाद खोल देते है। वजह यह होती है कि वीआईपी आ रहे है। जो भी इस तरह के रूट हों, उनको आप 5-10 मिनट पहले सिक्यूरिटी अरेंजमेंट के लिए रोक सकते है, लेकिन यह नहीं कि सारे रूट रोक लिए जाएं और घंटे भर तक लोग खड़े रहें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

4.01 बजे म०प०

उपाध्यक्ष महोदय: मैं नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे निर्धारित समय में ही बोलें। यदि वे 20 या 25 मिनट के लिए बोलते रहेंगे, तो वे अन्य सदस्यों का समय ले लेंगे। ऐसे सदस्य भी है जिन्हें गत सत्र तथा इस सत्र में भी बोलने का अवसर नहीं मिला। उन्हें इससे अत्यधिक असुविधा होती है। अतः मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि केवल 10 मिनट तक बोलें।

अब श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ बोलेंगे।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर): महोदय, मैं विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद तथा हिंसा के सन्दर्भ में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर बोलना चाहता हूं।

यह संतोषजनक बात है कि 11 जुलाई, 1991 को भारत के माननीय राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को सम्बोधित करते हुए घोषणा की कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि असम के अलगाववादी तत्व पुनः

मुख्यधारा में वापस आ जाएं। लोगों की वास्तविक शिकायतों का निराकरण होगा। असम के तीव्र विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह संतोषजनक बात थी। मैं समझता हूं कि इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से विधि और व्यवस्था की स्थिति इन विद्रोही आन्दोलनों के कारण उत्पन्न हुई है।

भारत बर्मा (अब मयंमार) सीमा पर पूर्वोत्तर दिशा में भारत के सीमावर्ती चार राज्य हैं—अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, मणीपुर तथा मिजोरम—यहां पर प्रमुख विद्रोही गतिविधियां चल रही हैं। स्वतन्त्रता और स्वायत्तता चाहने वाले अनेक आदिवासी गुट भारतीय और मयंमार सैन्य-बलों के साथ मुख्य लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं।

4.04 बजे म०प०

[श्री पी०एम० सईद पीठासीन हुए]

महोदय, मैं आपको यह इतिहास बताना चाहूंगा कि ये अलगाववादी आन्दोलन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैसे शुरू हुए।

एन०एस०सी०एन० के सामरिक मुख्यालय नुपका (मयंमार) में श्री एस०एस०खपलांग (एन०एस०सी०एन०), श्री ए० राजखोवा (उल्फा) और मणीपुर के यू०एन०एल०एफ० के श्री आर० के० मेध्यू के बीच 22 मई, 1991 को हुए एकीकरण समझौते के बाद से आई०बी०आर०एफ० (भारत-बर्मा क्रांतिकारी मोर्चा) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा बर्मा के इन सभी भूमिगत संगठनों को संगठित करने के प्रयास कर रहा है। आई० बी० आर० एफ० ने पी० एल० ए० तथा के० आई० ए० से अनुरोध किया था कि वे उसमें शामिल हो जाएं। इस दौरान उल्फा तथा एन० एस० सी० एन० को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया और कुछ समय के लिए उनके कार्यों में रुकावट आ गई।

कुछ महीने पूर्व मणीपुर राज्य पुलिस के समक्ष रिवोल्यूसनरी पीपुल्स फ्रन्ट के सचिव (वित्त) स्वयंभू कैप्टन जर्मन ने पुष्टि की थी कि इसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र है और बर्मा, बंगलादेश तथा पाकिस्तान के प्राधिकारी अवैध भारतीय संगठनों को पर्याप्त सहायता दे रहे हैं। 17 दिसम्बर, 1990 को आर०पी०एफ० के महासचिव को भेजे पत्र में यह लिखा थाः

> "हम बर्मा के साथ सम्पर्क बना सकते हैं। बर्मा की सरकार व्यापक स्तर पर सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। बर्मा की मुद्रा को डालरों के परिवर्तित कराने की भी संभावनाएं हैं। अगर यह अभियान सफल रहा तो हम काफी पैसा कमा सकते हैं.....भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए बर्मा की सरकार अपने नियंत्रण में सारे बल के साथ हमारे विद्रोही मोर्चे को संरक्षण देने को सहमत हो गई है।

एक सुविख्यात पुलिस अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजे पत्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है "कि आर०पी०एफ० के बर्मा की सेना से सम्बन्ध स्थापित होने का तथा अत्यधिक चौंका देने वाली वास्तविकता है तथा इससे देश की सुरक्षा को ही नहीं अपितु सारे देश की अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो गया है।

बर्मा सरकार को कुछ और ऐसी रिपोर्टें भी दी गई हैं जिनमें उत्तर पूर्व में व्याप्त वास्तविक स्थिति का पता चलता है।

अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विदेशी सहायता तथा देश के विभिन्न भागों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों जैसे कि पीपुल्स वार ग्रुप आफ आन्ध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जे०के०एल० एफ०, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड पीपुल्स लिब्रिशन आर्मी आफ मणिपुर, पंजाब की खालिस्तान कमांडो फोर्स, माओइस्ट

[श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ]

को-आरडीनैशन कमेटी ऑफ बिहार, यूनाईटिड लिबेरेशन फ्रंट आॅफ असम इत्यादि के माध्यम से भारत में अस्थिरता पैदा करने का गंभीरता से प्रयास किया जा रहा है ये संगठन पूरे तालमेल से काम कर रहे हैं तथा उचित अवसर की प्रतीक्षा में हैं।

उल्फा आतंकवादी गिरोह जो कि पिछले 10 वर्षों के दौरान विशेषत्तया पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान एक शक्तिशाली आतंकवादी गुट के रूप में उभर कर सामने आया है, उसने अपने आत्मनिर्णय के मुद्दे को उठाने के लिए संयुक्त रार को ज्ञापन भेजा है। उल्फा ने यह ज्ञापन आत्मनिर्णय के अधिकार की बहाली तथा असम राज्य को एक पृथक तथा विशिष्ट आत्म निर्णायक ईकाई बनाने के लिए 26 अक्तूबर, 1990 को संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा।

उल्फा ने आगे यह निवेदन किया कि इस विश्व स्तरीय सम्माननीय संस्था के समक्ष अपनी याचिका पर दलील प्रस्तुत करने के लिए एक शिष्टमंडल को उपस्थित होने की अनुमति दी जाये?

इन सभी आतंकवादी समूहों ने बर्मा सरकार, पाकिस्तान सरकार तथा बंगलादेश सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया। ये सरकारें इन सभी आतंकवादी समूहों, विशेषकर असम के उल्फा समूह को सभी प्रकार की सहायता देती रही है?

उल्फा द्वारा चलाई जा रही हिंसा गतिविधियों जैसी हिंसा के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में पनपने के कारणों का विश्लेषण करते हैं। एक तर्क यह दिया जाता, इन्होंने यह हिंसा का रास्ता केवल, अभाव, गरीबी तथा बेरोजगारी के कारण ही नहीं अपनाया बल्कि इसके पीछे उनका उचित नसलीय असंतोष भी है। इस उचित नसलीय असंतोष को अच्छी प्रकार पहचाना जा सकता है।

उल्फा के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इसका कारण असम आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलों के माध्यम से की जा रही हिंसा है। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि वर्तमान राजनैतिक तथा प्रशासनिक ढांचे की लोगों की मूल समस्याओं से निपटने तथा डगमगाती सामजिक व्यवस्था को संभालने में असफलता भी इसका एक कारण है।

अलग-अलग समय पर उल्फा ने यह संदेश प्रेषित किये। इस हिंसात्मक आंदोलन से निपटने के लिए कुछ सुझाव यह हैं;

(1) सरकार को उल्फा जैसे संगठनों को अलग-थलग करना चाहिए। इस उद्देश्य से ऐसी समस्याओं के बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सरकार को राजनैतिक नेताओं, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, शिक्षाविदों को विश्वास में लेना चाहिए।

(2) विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को लेकर एक शीर्ष संस्था का गठन किया जाना चाहिए जो कि विद्रोही तत्वों से निपटने के लिए किए गए निर्णयों का विश्लेषण तथा क्रियान्वयन कर सके तथा उन पर नज़र रख सके।

(3) असम तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में इस भावना को पैदा करना होगा कि केन्द्रीय सरकार उनके क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के प्रति उत्सुक है। केवल आयोग अथवा समितियां गठित करने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जायेगी।

(4) सीमा पर चौकसी पूरी तरह होनी चाहिए तथा अगर आवश्यकता पड़े तो लोगों, हथियारों तथा नशीली दवाईयों की अवैध आमद को रोकने के लिए सीमा को सील किया जाना चाहिए।

(5) उत्तर-पूर्व में कार्य कर रही विभिन्न सुरक्षा ऐजेंसियों की भूमिका पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए , 1947 अथवा इससे पहले बने कानूनों की भी समीक्षा की जानी चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो इनमें संशोधन किया जाना चाहिए।

(6) लम्बे समय से उत्तरपूर्व के सीमावर्ती राज्यों में सेना अथवा अर्द्ध सैनिक बल तैनात हैं। इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए आसम जैसे राज्य में सेना विरोधी भावना पैदा होना अच्छा नहीं। इसके साथ आन्तरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए सेना के उपयोग की भी समीक्षा की जानी चाहिए।

(7) इसके साथ-साथ सरकार के मुखिया अथवा प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री के लिए आवश्यक है कि वे देश के भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग क्षेत्रों का दौरा करें ताकि वहां की परिस्थितियों का वे स्वयं आंकलन कर सकें। इससे वहां के लोगों का खोया विश्वास फिर से लौट आयेगा क्योंकि अन्ततः यह डगमगाया हुआ विश्वास ही उत्तरपूर्व क्षेत्र में फैली इस बनावटी भाग में घी का काम कर रहा है।

(8) देश से बाहर फैली विद्रोही तत्वों की जड़ों पर प्रहार करना भी आवश्यक है। 'रा' तथा अन्य आसूचना संगठनों को ऐसे सुमेध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए जैसे कि तथाकथित 'मानवाधिकार संगठनों' के लिए काम करने वाले लोग जैनेवा, लंदन, न्यूयार्क आदि स्थानों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए जहां ये संस्थायें अपना विचार-विमर्श करती हैं।

(9) लंदन स्थित 'एमनैस्टी इंटरनैशनल' मानवाधिकार संगठन को देश के अशांत क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए।

(10) देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए यथा संभव सहायता दे कर पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(11) राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें विदेशों से प्राप्त होने वाली राशि बंद करना आवश्यक है। जिन संगठनों को विदेशी सहायता मिलती है; उनकी पूरी जांच की जानी चाहिए।

(12) विद्रोही तत्वों द्वारा चलाई जा रही सभी प्रकार कि हिंसात्मक गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। सरकार को किसी व्यक्ति को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सरकार को धैर्य से बल का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा पुलिस विरोधी तथा सेना विरोधी भावना का पनपना स्वाभाविक है।

(13) सीमापार से लोगों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एन॰आर॰जी॰) को पुनः तैयार करने तथा प्रकाशित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

(14) सुरक्षा बलों के सम्बन्ध में बढ़ती हुई शंका को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर सम्पर्क समितियां गठित की जानी चाहिए जिन में सेना, नागरिक प्रशासन तथा अन्य लोगों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सरकारी ऐजेंसियों तथा जनसंगठनों में परस्पर तालमेल से विश्वास बढ़ेगा।

(15) सरकार किसी भी संगठन को बातचीत के लिए आमन्त्रित कर सकती है परन्तु पहले दो बातें सुनिश्चित करनी जरूरी है— (1) सर्वप्रथम इस संस्था को सशपथ हिंसा का त्याग करना होगा। (2) बातचीत संविधान के अन्तर्गत की जानी चाहिए। असम अथवा नागालैंड को देश से पृथक करने की बात कार्यसूची में नहीं होना चाहिए।

(16) जिन युवकों ने हथियार उठा लिए है उन्हें इस रास्ते की अनुपयोगिता समझाने के लिए सभी प्रकार के गैर-सरकारी प्रयास किए जाने चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकार और इन युवकों के बीच अंतर को कम करने के लिए पहल करनी चाहिये। मेरे विचार से यदि सरकार ऐसा करती है, तो पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या सुलझ जाएगी।

श्री शरद दिघे (मुंबई उत्तर मध्य) सभापति महोदय, कल से हम देश के विभिन्न भागों में विधि और

[श्री शरद दिघे]

व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर विचार कर रहे हैं। इसमें केवल यही विषय नहीं है, बल्कि इसमें आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की बढ़ती हुई घटनाओं के हवाले भी हैं। अतः मेरा निवेदन है कि यह विषय पूरे देश में विभिन्न मामलों के आम विधि और व्यवस्था की स्थिति से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह देश के कतिपय भागों में इन उग्रवादियों की आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों से भी संबंधित है। अन्यथा हम विभिन्न राज्यों में होने वाले अपराधों पर भी चर्चा करते जैसे मध्य प्रदेश में नियोगी हत्याकांड, कर्नाटक में वन संरक्षण अधिकारी की हत्या अथवा महाराष्ट्र में जोगेश्वरी में दो ननों की हत्या पर चर्चा करते, जिन पर एक साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

लेकिन यह मुद्दा हमारे देश के कतिपय भागों में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों तक ही सीमित है, इसलिए मैं इसके इस पहलू के बारे में ही बोलूंगा।

वास्तव में विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य-सूची में 'लोक आदेश' और 'पुलिस' राज्य से संबंधित विषय दर्शाए गए हैं। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, संघ-सूची में मद 2 क का उल्लेख है जिसमें राज्यों की सहायता के लिए सशस्त्र सेनाओं अथवा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती का उल्लेख किया गया है। लेकिन समवर्ती सूची में अपराधों से संबंधित विषय शामिल है जिनमें भारतीय दंड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता और नजरबन्दी शामिल है। अतः इस दृष्टिकोण से केन्द्र भी उत्तरदायी है। केन्द्र इस दायित्व से यह कहकर नहीं बच सकता है कि विधि और व्यवस्था की स्थिति और उसके बिगड़ने के लिए केवल राज्य सरकार ही उत्तरदायी है। लेकिन इनमें से अनेक समस्याएं..............**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जॉज फर्नान्डीजः सभापति जी, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी पांच मिनट पहले जब आप सदन में थे तो मैंने सुरक्षा का प्रश्न उठाया था। मैंने अभी घर पर फोन किया तो मुझे बताया कि मेरी सैक्रेटरी सुश्री जय जेटली, जो मेरे घर के फाटक पर खड़ी थीं, पुलिस उनको उठा कर ले गयीं और यह कह कर ले गयीं कि कोई खड़ा नहीं रह सकता है और उनको थाने में ले जाकर बैठा दिया गया और हमारे घर के भीतर जो कोई भी जाना चाहता है, उनको अन्दर जाने से रोका जा रहा है । गृह मंत्री मुझे बतायें कि मैं घर जा सकता हूं कि नहीं? **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवानः चेयरमैन साहब, इससे शर्म की बात और नहीं हो सकती है कि एक एम०पी० के घर के सामने कोई आदमी घर के बाहर नहीं निकल सकता है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आप बैठिये। पहले मेरी बात तो सुनिये। आपको यहां की व्यवस्था मालूम होनी चाहिये कि जब सभापति यहां खड़ा हो तो आपको बैठना होता है। मि० तीरकी यू आर ए सीनियर मैम्बर । गृह मंत्री इधर बैठे हैं। मेरे ख्याल में जो मैम्बर की बात आपने सुनी है, इसके लिए कोई व्यवस्था की जायेगी।

श्री राम विलास पासवानः इनकी व्यवस्था का मामला नहीं है। इनके घर के या हमारे घर के किसी सदस्य को अगर पुलिस उठाकर ले गयी.....

सभापति महोदयः किसी का भी नहीं होना चाहिये।

श्री राम विलास पासवानः क्या दिल्ली में एमरजेंसी लगी हुई है या कर्फ्यू लगा हुआ है।

श्री राजेश कुमार (गया): एक महिला को घर से ले जाना बहुत ही अफसोस की बात है। सभापति जी, आपसे आग्रह है कि तुरन्त उसको रिहा करायें। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

सभापति महोदयः चूंकि गंभीर बात है, इसलिए पूछ रहा हूं कि माननीय सदस्य श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ ने जो बताया है, क्या आपके घर में तो ऐसा नहीं गुजरा है? नहीं गुजरा है। तो इसलिए जो उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न

गठाया है, यह एक गंभीर मामला है। जो कोई भी एम॰पी॰ के परिवार का अंग हो या उनके संरक्षण के लिए कोई खड़ा हो। **(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आप ठीक से बैठिए। मैंने कहा कि आखिर कोई व्यवस्था तो हाउस में होनी चाहिए।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) माननीय सभापति महोदय, जब से यह मामला सदन में आया है, यह उनका प्रश्न नहीं, सदन का मामला बन गया है। हम भी जब आ रहे थे तो हमें भी दो घंटे रोक कर रख दिया गया था।

श्री राजेश कुमारः क्या दिल्ली में इमरजेंसी लगी है? क्या यह सरकार कुछ व्यवस्था करेगी?...**(व्यवधान)**

श्री राम प्रसाद सिंहः अभी हम लोग देश में कानून और व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे हैं और कानून वाले ही व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आप लोग बैठ जाइए। अभी जो हमारे यहां डिस्कशन हो रहा है वह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर है। आप लोग इसे डिस्कशन में ला सकते हैं। यह बात जो खासकर आई है, मैं उसके बारे में होम मिनिस्टर को कहूंगा कि उनको इसे नोट करना चाहिए और इसके बारे में व्यवस्था करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आपको होम मिनिस्टर से सुनना नहीं है। यह तरीका गलत है। आप मंत्री महोदय को सुनें। यह कोई तरीका है? उन्होंने एक सवाल उठाया है जिसके लिए मंत्री महोदय जवाब भी देंगे। आप लोग सब उठकर बात करना शुरु करेंगे तो बात कैसे होगी? आपको अभी बैठना है। जब हम खड़े हो गए हैं तो आपको बैठना है, यही विधि-व्यवस्था है।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाणः सभापति जी, मैं अभी जाकर पुलिस से जानकारी लेता हूं कि अभी-अभी जार्ज साहब ने जो शिकायत की कि उनके ही घर के सामने अगर एक लड़की को पुलिस उठाकर ले गई है तो उसे पुलिस थाने में बैठाया होगा। मैं आपको बताऊं कि आपको वहां जाने में कोई तकलीफ न हो इस बात का पूरा प्रबंध किया जाएगा।

श्री राजेश कुमारः यह एक सदस्य का सवाल नहीं है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आप ऐसे ही बोलते जाएंगे?

श्री राजेश कुमारः अभी गृह मंत्री का वक्तव्य है कि हम जानकारी ले रहे हैं। क्या जार्ज साहब ने गलतबयानी रखी है?

सभापति महोदयः यह बात आप मुझसे पूछ रहे हैं?

श्री राजेश कुमारः हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः सभापति जी, हम पुलिस थाने जाएंगे और अगर हमें रास्ते में पकड़ा गया तो जिम्मेदारी आपके हाथ में आती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री रंगराजन कुमारमंगलमः जार्ज सहाब ने कुछ बात उठाई, ज़रूर हो सकता है

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

[अनुवाद]

यह संभव है कि कभी-कभी अधिक उत्साह भी बाधाएं उत्पन्न करता है हम देखेंगे। माननीय मंत्री इसकी जांच कर रहे हैं। इस बारे में अभी विचार व्यक्त नहीं कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: देखिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्री चले गए हैं। उनकी जगह पर कुमारमंगलम जी बैठे हैं। फिर इसमें हल्ला करना ठीक नहीं है। दिघे जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री शरद दिघे अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री शरद दिघे: महोदय, जहां तक इन आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों का संबंध है, हम गृह मंत्री महोदय से आंकड़े चाहते हैं कि क्या इस सरकार के सत्ता में आने से निर्दोष व्यक्तियों की क्रूर व निर्मम हत्याओं में वृद्धि हुई है या कमी आई है और इसका अनुपात क्या है। हम पूरा ब्यौरा जानना चाहते हैं ताकि यह सभा इस स्थिति के बारे में उपयुक्त परिप्रेक्ष्य बना सके।

जैसा कि हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि निर्दोष व्यक्तियों की निर्मम हत्या केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हो रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी दिन दहाड़े सिरसा में अनेक व्यक्तियों की हत्या कर दी गई और यह घटना इस सभा के ध्यान में भी लाई गई थी। यह घटनाएं अन्य राज्यों में भी घट रही हैं। यह न केवल पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में भी घट रही हैं। महाराष्ट्र में भी कल्याण में एक उपनगरीय स्थानीय गाड़ी में बंब विस्फोट हुआ और हाल ही में हमने समाचारपत्रों में यह समाचार पढ़ा कि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री के गृह नगर नांदेड में खुफिया विभाग ने कुछ आतंकवादी गतिविधियां देखीं। अतः हम जानना चाहते हैं कि पंजाब के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों की वास्तविक स्थिति क्या है ताकि हम इसका सही आकलन कर सकें।

महोदय, मैं लोक सभा या राज्य सभा में तारांकित अथवा अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों में मैंने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के नौ जिले आतंकवादी हिंसा से प्रभावित हैं। यह उत्तर 25 नवम्बर, 1991 को दिया गया है।

इसी प्रकार, जहां तक कश्मीर का संबंध है 29 अगस्त, 1991 को लोक सभा में बताया गया कि 1990 से 30 जून, 1991 तक जम्मू और कश्मीर में 1,833 विस्फोट हुए, 553 आतंकवादी सीमा पर मारे गए और 299 अन्य स्थानों पर मारे गए। अतः प्रथम दृष्टया ऐसा ही प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्यों में ये आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं।

हमने यह भी देखा है कि सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए जहां, तक कश्मीर का संबंध है, मैंने पढ़ा है कि सफलता प्राप्ति के लिए ऑपरेशन फ्लश आउट और 'ऑपरेशन डेलीबरेट' शुरु किए गए और उनमें बेजोड़ सफलता भी मिली। सरकार का ऐसा दावा है। हम लोग की गई कार्यवाही का पूर्ण ब्यौरा चाहते हैं। सेना द्वारा अक्तूबर में आपरेशन फ्लश आउट शुरु किया गया ताकि रैनावाड़ी और पट्टमल्लू तथा श्रीनगर के निचले इलाकों से आतंकवादियों को पकड़ा जा सके और उनके हथियारों के भंडारों पर कब्जा किया जा सके। अतः, मैं गृह मंत्री महोदय से इन कार्यवाहियों का पूर्ण ब्यौरा चाहता हूं जो आपरेशन फ्लश आउट और आपरेशन डेलीबरेट के माध्यम से की गई और जो विशेषरूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुदृढ़ खाइयों का एक नेटवर्क है।

अतः, जहां तक सरकार का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उग्रवादियों और आतंकवादियों के विरुद्ध गंभीरता से कार्यवाही कर रही है और न केवल कश्मीर और पंजाब में बल्कि अन्य राज्यों में भी आतंकवादियों की इन गतिविधियों को रोकने का प्रयास कर रही है। मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता

नहीं है कि वास्तव में ये केवल विधि और व्यवस्था की ही समस्याएं नहीं हैं। वास्तव में ये राजनीतिक समस्याएं हैं। अत:, जब तक राजनीतिक समाधान नहीं ढूंढे जाते हैं हम इन गतिविधियों के एक विशेष प्रकार से समाप्त होने की आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, जितना जल्दी हो सके सरकार को पंजाब और काश्मीर की समस्याओं का राजनीतिक हल ढूंढना चाहिए। केवल तभी हम आतंकवादियों और अलगाववादियों की गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढ सकते हैं। यही बात असम पर भी लागू होगी मेरे माननीय मित्र ने असम के लोगों की कठिनाईओं के बारे में पहले से ही विस्तार में वर्णन किया है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके असम में 'अल्फा' गतिविधियों के कारण जो स्थिति पैदा हो गई है उससे निपटने के लिए राजनीतिक हल ढूंढना होगा। इस संबंध में बाहरी सहायता ली जानी चाहिए और राजनयिक स्तर पर इन मामलों पर पड़ोसी राज्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए और पाकिस्तान पर आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई न करने तथा प्रशिक्षण शिविरों को बन्द करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दबाव डलवाना चाहिए। अब चीन के साथ भी बातचीत होने जा रही है। ब्रिटेन की ओर से भी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है और ऐसी उम्मीद है कि अमरीका भी पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों को बन्द करने के लिए कुछ कदम उठायेगा। अतः यह कार्य केवल गृह मंत्रालय का ही नहीं है बल्कि विदेश मंत्रालय को भी इन मामलों को पड़ोसी राज्यों के साथ उठाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए ताकि इन समस्याओं को निपटाया जा सके।

जहां तक अपहरण का संबंध है, निःसंदेह इस संबंध में नीति में शुरु से लेकर आज तक सदैव बदलाव आता रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब उचित समय आ गया है कि हमें एक अपहरण के संबंध में निश्चित तथा दृढ़ नीति अपनानी चाहिए। अपहरण या तो फिरौती के लिए किया जाता है या फिर ऐसे अपराधियों को जिन्होंने जघन्य अपराध किये होते हैं और जो जेलों में होते है उनको छुड़वाने के लिए किया जाता है। इसलिए सरकार को आतंकवादियों को ठोस संकेत देना चाहिए। ऐसा सिगनल उन्होंने श्री राडू के मामले में पहले ही दिया हुआ है कि अब के बाद हम किसी भी अपराधी को जो अपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे नहीं छोड़ा जायेगा। ऐसे संकेत की पहले से ही आवश्यकता थी और मैं सरकार को ऐसा संकेत करने के लिए बधाई देता हूं। आतंकवादियों को यह मालूम हो जाना चाहिए कि किसी के भी अपहरण से वह सरकार से या किसी राज्य से अपने साथियों को नहीं छुड़वा सकते हैं। ऐसा दृढ़ संकेत दिया जा चुका है और इसे जारी रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि अपहरण को मुख्य अपराध माना जाना चाहिए और अपहरणकर्ताओं को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यह एक विश्वव्यापी बुराई है और पूरे विश्व का यह अनुभव रहा है कि जब कभी भी कानून में अपहरणकर्ता को कठोर दंड देने के लिए संशोधन लाया जाता है, तो अपराधों में कमी आनी शुरु हो जाती है। ऐसा अनुभव अमरीका और ब्रिटेन में रहा है। अपहरणकर्ताओं से निपटने के लिए स्काटलैंड के पास पर्याप्त अनुभव है उन्होंने कतिपय कदम उठाये थे। हमें उनके द्वारा अपनाए गये उपायों पर विचार करना चाहिए और यदि वे हमारे देश के लिए उपयुक्त पाये जाते हैं, तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए और उससे मेरा विचार है कि इस समस्या से निपटने के लिए एक अच्छा वातावरण पैदा होगा। इसलिए सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए और कानून में ऐसा परिवर्तन लाना चाहिए ताकि अपहरण को मुख्य अपराध बनाया जा सके। मेरा विचार है कि इससे इस बुराई को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

जहां तक अन्य गतिविधियों का संबंध है जैसे ऐसी गतिविधियां जो अपराध से संबंधित है लेकिन उसके पीछे कई सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको इस समय हम चर्चा में नहीं ले सकते क्योंकि जैसा कि शुरु में कहा गया था कि यह चर्चा अलगाववादियों और आतंकवादियों की गतिविधियों तथा अपहरण तक सीमित है।

अतः, मैं निवेदन करता हूं कि हमें पूरी समस्या पर सदन में आज ही चर्चा नहीं करनी चाहिये यह बहुत लंबी हो जायेगी क्योंकि फिर हम हरिजनों पर तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी चर्चा कर सकते हैं। हम अन्य समस्याओं पर भी चर्चा कर सकते हैं और उनका विश्लेषण करके उन सभी समस्याओं का सामाजिक

[श्री शरद दिघे]

कारण भी ढूंढना चाहिये लेकिन आज हम केवल अन्य मामलों तक ही सीमित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज केन्द्र सरकार को केवल इन समस्याओं के राजनीतिक पहलू पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि अपहरण से संबंधित एक निश्चित नीति बनाई जाए और यदि संभव हो सके तो कानून में उचित, उपयुक्त संशोधन किया जाए जिससे कि अपहरण को एक मुख्य अपराध घोषित किया जा सके।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): सभापति महोदय, इस देश में आतंकवाद, अलगाववाद, प्रथकतावाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्याएं और अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुझे खेद है कि जब सदन में इस पर चर्चा हो रही है, तो गृह मंत्री महोदय वास्तव में ही असहाय हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय हमें हमारा भारत पढ़ाया जाता था। उस पुस्तक में एक पैरा था जिसमें लिखा था कि भारत की एकता इसकी विभिन्नता में समाई है। काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश। लेकिन वह अवधारणा खत्म हो गई है और यह धारणा 15 अगस्त 1947 से समाप्त हो गई जब देश का विभाजन हुआ।

मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र इस बात से सहमत होंगे कि अल्पमत कट्टरवाद की अपेक्षा बहुमत कट्टरवाद ज्यादा खतरनाक है और हिन्दू कट्टरवादिता भारत का विभाजन करने में मदद प्रदान करती है।

मेरे मित्र श्री शरद दिघे ने जैसे आंकड़े दिये हैं मैं वैसे नहीं देना चाहता हूं। हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम आंकड़ों को इतना महत्व नहीं देते है। ये आंकड़े पचास या साठ या सौ हत्याओं के भी हो सकते हैं। लेकिन हम मानव हैं, हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि जब एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, तो उनके माता-पिता के लिए अपने बेटे या बेटी को खो देने की बात है। जब एक स्त्री अपने पति को खोती है तो यह उसके लिए आंकड़े का प्रश्न नहीं होता बल्कि उस औरत के लिए अपने पति को खोने का प्रश्न होता है क्योंकि वास्तव में उसने अपना सब कुछ खो दिया होता है।

यह बात आज बिल्कुल स्पष्ट है कि आज केन्द्र सरकार आतंकवादियों से निपटने में पूरी तरह से असफल रही है। दिन दहाड़े रोमानिया के राजनयिक श्री राडू का दिल्ली के भीड़भाड वाले इलाके से अपहरण कर लिया गया था। 48 दिन बाद वे एक रेलगाड़ी से वापिस लौटे और वह रेलगाड़ी भी काफी खचाखच भरी हुई थी। उन 48 दिनों के दौरान उनको दिल्ली में किसी सरकारी अधिकारी के बंगले में कुछ दिनों के लिए रखा गया था और फिर बाद में जालन्धर में रखा गया था। उस समय आपकी पुलिस इतनी असहाय कठोर हृदय थी।

पुलिस के इस व्यवहार को मैं निर्दयता का व्यवहार कहुंगा। उनके लिए मैं यही विशेषण प्रयोग कर सकता हूं। वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। सिख आतंकवादियों के शिकंजे से श्री लिवयू राडू की रिहायी का श्रेय भारत सरकार को नहीं जाता है। यह तो पश्चिमी ताकतों रोमानिया, इग्लैंड और अमरीका ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर श्री राडू को मुक्त कराया और यह हम जानते है कि यू एस ए के राज्य उप-सचिव श्री राजनीलैंड बरथेलोमियू इस्लामाबाद गये थे और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से श्री राडू को छुड़वाने के लिए बातचीत की थी। श्री राजनीलैंड बरथलोमियू पाकिस्तान गये थे और वह इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेन्स के महानिदेशक से मिले थे और उन्होंने विशेषतया आई० एस० आई० के श्री अफजल और श्री सजाद से लम्बी बातचीत की थी। कामरेड श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कल नियम 193 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस बात का हवाला दिया था। यह भी सच है कि ये दो व्यक्ति श्री अफजल और श्री सजाद असरफ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र; हिमाचल प्रदेश बिहार में भी आतंकवाद को फैलाने के मुख्य सूत्रधार थे और काठमांडू, नेपाल में इनके मुख्यालय थे। की गतिविधियों का संचालन करते हैं मेरे बी०जे०पी० के मित्रों को यह जान लेना चाहिये कि एक हिन्दू राष्ट्र द्वारा मुस्लिम आंतकवादियों की गतिविधियों को अनुमति देने में कोई नैतिकता नहीं है। आप शेखी बघारते हो कि नेपाल हिन्दू राज्य है। लेकिन हमारा मित्र नेपाल राज्य पाकिस्तान को शरण दे रहा है। खाड़ी युद्ध में मुसलमान, मुसलमानों के विरुद्ध लड़े। लेकिन नेपाल एक हिन्दू देश होने के कारण मुस्लिम

उग्रवादियों को आश्रय दे रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय निर्णय आर्थिक आधारों पर लेते हैं। उन्होंने अफज़ल तथा सज्ज़ाद नशरफ को आश्रय दिया। हमें यह भी मालूम है कि किस प्रकार आश्रय के कांग्रेस के मुख्य मंत्री ने कहा कि बंगलादेश में अल्फाओं को प्राशिक्षण दिया जा रहा है और बंगला देशी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादियों की सहायता कर रही है।

पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष पहल के अन्तर्गत कुछ दिन पूर्व लंदन में कश्मीर मसले पर एक सम्मेलन हुआ था। यह गत 17 नवम्बर को हुआ था। उस सममेलन का प्रमुख वक्ता तथाकथित प्रधान मंत्री सरदार अब्दुल क्वाइम खान था। इस बात के भी समाचार थे कि उस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिटिश संसद के 13 सदस्यों ने भाग लिया था। जब 13 सदस्यों ने इसमें भाग लिया तो यह साधारण मामला नहीं है वे वहां उपस्थित थे और स्वभावत: वे भारत के विरूद्ध बोले थे।

भाजपा के मेरे कुछ मित्र अनुच्छेद 370 को रद्द किये जाने के बारे में बात कर रहे थे। स्थिति क्या है? अनुच्छेद 370 को हटाने में राष्ट्र के लिए भी खतरा है। यह केवल 1947 के पहले ही नहीं था, अब बहुसंख्यक सांप्रदायिक भावना अधिक खतरनाक है। वह अल्पसंख्यक रूढ़िवाद नहीं है। यह बहुसंख्यक रूढ़िवाद है, हिन्दू रूढ़िवाद, जो देश का सर्वनाश कर सकता है तथा अगर आप इस दिशा में बढ़ेंगे तो भविष्य में इससे बहुत-सी समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी।

उग्रवाद केवल एक राष्ट्रीय मसला नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय मसला है। इस मामले में माननीय मंत्री का क्या मत है? क्या माननीय मंत्री हमें अपना विचार बतायेंगे? आपका उच्चायुक्त का कार्यालय क्या कर रहा है? क्या उन्हें इसकी जानकारी है? क्या उच्चायुक्त और राजदूत को इसकी जानकारी है? विदेश-कार्यालय का लक्ष्य खाना पीना और मौज करना है। मेरे विचार में अगर हमारे दूतावास इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो आप कभी भी उग्रवाद का सामना नहीं कर सकेंगे। मेरे पास समाचार पत्र का अंश है यह दैनिक आनंद बाजार पात्रिक का दि स्टेट्समेन, वर्तमान तथा आजकल में विस्तार से छपा था। निःसदेह ये सभी पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होते हैं। बंगलादेश के उप-उच्चायुक्त श्री सैय्यद नूरहसन ने एक प्रेस-सम्मेलन बुलाया, जो एक राजनयिक के अधिकार-क्षेत्र से परे है। उन्होंने वह प्रेस-सम्मेलन 3 दिसंबर, 1991 को कलकत्ता में बुलाया था। उस प्रेस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि श्री हितेश्वर सैकिया राजनीतिक तिकड़म का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने वह आरोप लगाया है। लेकिन असम के मुख्य मंत्री श्री हितेश्वर सैकिया ने आरोप लगाया कि बंगलादेश यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम, उल्फा जैसे विद्रोही समूहों को सहायता तथा प्रशिक्षण संबंधी सुविधायें प्रदान कर रहा है। असम के मुख्य मंत्री श्री हितेश्वर सैकिया ने यह आरोप लगाया है। किन आधारों पर उन्होंने यह आरोप लगाया? मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। अगर श्री हितेश्वर सैकिया की गतिविधियां अथवा उनके भाषण निंदनीय हैं तो हम उनकी निंदा करेंगे। लेकिन उप-उच्चायुक्त या राजदूत को इस प्रकार का आरोप लगाने का क्या अधिकार है? क्या यह बात ठीक है? किसने उन्हें यह अधिकार दिया?

महोदय इस देश में अनेक राजनयिक अधिकारी हैं। लेकिन सभी इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तीन बीघा के मसले के सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ हवाले दिये। वह मसला तीन दलों-फारवर्ड-ब्लाक, भाजपा तथा कांग्रेस के कुछ लोगों को अनावश्यक रूप से परेशानी में डाल रहा है। उस प्रेस सम्मेलन में उप-उच्चायुक्त ने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उस प्रेस सम्मेलन में अधिकांश भारतीय समाचार पत्रों को बंगलादेश के विरुद्ध झूठा प्रचार करने की आदत है; प्रेस-रिपोर्टें बिना किसी जांच पड़ताल की गई जानकारी पर आधारित है तथा अधिकांश समाचार-पत्र अनुत्तरदायी हैं। उन्हें वह आरोप लगाने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ?

मेरे विचार में उन्होंने एक राजदूत की सभी मान-मर्यादाओं, शिष्टाचार तथा शालीनता का उल्लंघन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही इस मामले को बंगलादेश की सरकार के साथ उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार

[श्री अमर राय प्रधान]

को शिकायत पत्र भेज चुकी है। मेरे विचार से इस केन्द्रीय सरकार ने कुछ ठोस कार्य नहीं किया है। यह आपका रवैया है जबकि श्री हितेश्वर सैकिया ने यह कहा कि उग्रवादियों को बंगलादेश में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस मसले पर बंगलादेश के उच्चायुक्त ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। उस वक्तव्य के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलादेश की सरकार के साथ यह मामला उठाने की आपसे अपील की है। इसने बंगलादेश सरकार के साथ समझौता-वार्ता शुरू करने के लिए आपको जानकारी भेजी है। फिर यह राजनयिक इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दे रहे है? लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। स्थिति यह है। यह बहुत गंभीर मामला है।

इस संबंध में मैं माननीय गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस मामले को सुलझाते हुए वह देश के प्रति ईमानदार रहें। संपूर्ण देश में रूढ़िवादी, अलगाववादी तथा विघटनकारी ताकतें अपना घृणित सिर उठा रही है। इसे रोकने के लिए हमें कुछ कदम उठाने हैं। सरकार को वह कार्यक्रम बनाना है। अगर सरकार वह कार्यक्रम तैयार करती है तो इससे मदद मिलेगी। सरकार को रूढ़िवादी ताकतों की गतिविधियों का ध्यान रखना ही चाहिये। उसे ऐसी ताकतों पर रोक लगा देनी चाहिये।

सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को सुलझाने के संबंध में सरकार को अवश्यक कुछ उपाय करना चाहिये। भूमि-सुधार पूरी तरह लागू किये जाने चाहिये ताकि समस्यायें सुलझाई जा सकें। इसे करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिये। तभी आप इस देश में उग्रवाद पर रोक लगा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदयः पीयूष तिरकी जी, आप क्या चाहते हैं? ई० अहमद जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। पीयूष तिरकी जी, आपका व्यवस्था संबंधी कौन सा प्रश्न है?

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): हमारे चार सदस्य है ऐसे भी दल हैं, जिसमें दो-एक सदस्य हैं। लेकिन उन्हें अभी तक बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसीलिये 'महोदय' मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उन सदस्यों को जो अपने दल की ओर से बोलना चाहते हं, बुलाने के लिए, दलानुसार क्या व्यवस्था है?

सभापति महोदयः मैं पहले से तैयार व्यवस्था क्रम के अनुसार नाम पुकार रहा हूं।

श्री पीयूष तिरकी : नहीं उस व्यवस्था क्रम के अनुसार नहीं।

सभापति महोदयः मैंने फारवार्ड ब्लाक के श्री अमर राय प्रधान का नाम पुकारा है।

श्री पीयूष तिरकीः महोदय, उनके कितने सदस्य हैं?

सभापति महोदयः उनकी संख्या चाहे जो भी हो क्या वह इस सभा के सदस्य नहीं है? जब आपकी बारी आयेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा! कृपया बैठे रहिये। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० एस० पी० यादव (सम्भल): हमारा नंबर बहुत देर से लगा हुआ है।

[अनुवाद]*

सभापति महोदयः वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदयः जब कभी भी आपको अवसर मिलेगा, मैं आपका नाम पुकारूगा।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी): महोदय, देश एक दुखद और खतरनाक दौर से गुजर रहा है। मैं मिश्रित विचारों के साथ इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। मिश्रित विचार इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि एक ओर तो कुछ तत्व इस सभा की सुख-शांति के विरोधी बने हुए हैं और दूसरी ओर, आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी हैं जो न केवल कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी कर रहे हैं, बल्कि देश की एकता को भी खतरा पहुंचा रहे हैं। दुर्भाग्य से, वे ऐसे लोग हैं जिन में साम्प्रदायिक भावनाएं भरी हुई हैं और वे लोगों में फूट डाल रहें हैं। साथ ही, प्रसन्नता की बात है कि विचारशील और परिपक्व लोग भी हैं जो उन आंतकवादियों, उग्रवादियों और अपराधियों का, जो हिंसा और हत्याएं कर रहे हैं तथा कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में, हम सबको इस देश के निर्माताओं के पावन मूल्यों को बचाए रखने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए भी, एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहना चाहिए।

माननीय सदस्यों ने कल और आज जो कुछ कहा, उसका वर्णन करके मैं इस सभा का मूल्यवान समय अधिक नहीं लेना चाहता मैं केवल एक दो बातों का ही उल्लेख करना चाहूंगा अर्थात् सांप्रदायिक हत्याएं जो इस देश में पिछले अनेक वर्षों से होती आ रही हैं। मेरे पास माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री एम॰ एम॰ जैकब द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 566 के संदर्भ में दिया गया उत्तर है। मंत्री महोदय के अनुसार 1989 में साम्प्रदायिक दंगों की 14 घटनाएं हुई। वर्ष 1990 में ऐसी 24 घटनाएं हुई। 1989 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप 915 व्यक्ति मारे गए थे जिसमें से 413 लोग भागलपुर में मारे गये। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक, 1990 में दंगों की जो 24 घटनाएं हुई थी उनमें 692 लोग मारे गए थे जिनमें 113 लोग हैदराबाद में और 112 अलीगढ़ में मारे गए थे। 1991 में 24 दंगे हुए थे जिनमें वाराणसी में हुआ दंगा शामिल नहीं है जिसमें मारे गए लोगों की संख्या अभी तक नहीं बताई गई है।

ये हत्याएं इस देश में हो रही हैं, जो कि एक लोकतंत्रात्मक देश है और धर्मनिर्पेक्षता के प्रति वचनबद्ध है। यह वास्तव में निन्दनीय है। देश में वर्तमान परिस्थितियों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं।

इधर हाल में, कानून और व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ी है। कुछ राज्यों में पुलिस को सत्ताधारी राजनीतिक दल के अनुरूप बनाया गया है। यहां पर उत्तरप्रदेश का मामला उल्लेखनीय है। वाराणसी में हाल ही में हुए दंगों, के बारे में सभा में उल्लेख किया गया था, यद्यपि उन पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई थी, कुछ चर्चा हुई थी और सभा में ये विचार प्रकट किए गए थे कि यदि पुलिस ने निष्पक्षता पूर्वक अपने कतर्व्यों का निर्वाह किया होता, तो इन हत्याओं को रोका जा सकता था।

दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि, यह सरकार के लिए लज्जा की बात है, राज्य की पुलिस धार्मिक आधार पर बेकसूर लोगों की हत्या कर रही थी। यह बहुत ही लज्जाजनक है। सभा में यह जिक्र किया गया कि वाराणसी में भी कर्फ्यू वाले क्षेत्रों किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता को नहीं जाने दिया गया केवल स्थानीय सांसद को उन क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी गई। दुर्भाग्य से, इस देश में ऐसी बातें हो रही हैं। भयावह बात यह नहीं है कि पुलिस नृशंसता जो एक आम बात बन गई है, के कारण लोग मरते है बल्कि भयवाह यह है कि लोगों का सरकार, सरकारी तंत्र और व्यवस्था की निष्पता से विश्वास उठ गया है। यह इस देश में एक खतरनाक स्थिति है।

अतः, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी व्यवस्था कायम की जाये जिससे कोई भी दोषी पुलिस कर्मी बचने न पाए। अन्यथा यह पुलिस के कुकर्मों की अनदेखी करना होगा जिसके परिणाम वाराणसी में हुई मौतों से बहुत अधिक खराब होंगे। अतः, प्रशासन को निष्पक्ष हो कर व्यवहार करना चाहिए।

[श्री ई॰ अहमद]

दुर्भाग्य से, हमारे देश के राजनीतिक क्षितिज पर साम्प्रदायिक दंगों के खतरे ने एक घातक बीमारी का रूप ले लिया है। हम सबको इस बात का पता लगाने के लिए एकजूट हो जाना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए या कम से कम इसको कैसे कम किया जाए। शायद यह हम लोगों की इस देश के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी।

मेरा विचार है कि इस दंगे का एक कारण यह है कि कुछ राजनीतिक दलों अथवा कुछ लोगों द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति दुर्भावना रखने के कारण विरोधपूर्ण बातों का प्रचार किया जा रहा है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे तत्व और दल हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कुछ भ्रांति फैला रहे हैं और इससे बहुसंख्यक समुदाय के आम लोगों में नाराजगी की तीव्र भावना उत्पन्न हो गई है। वे अल्पसंख्यक समुदाय में लोगों को देशद्रोही और राटर-विरोधी मानते हैं। ऐसी बातें बाद में नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में साम्प्रदायिक हत्याएं होती हैं।

05.00 बजे म॰प॰

यह कहना अथवा इस बात का समर्थन करना सही नहीं है कि इस देश के मुसलमान इस देश की मुख्यधारा के अंग नहीं हैं। हम हैं। देश की मुख्यधारा पर जनता के किसी वर्ग अथवा किसी समूह अथवा किसी दल का एकाधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक पहचान एवं राष्ट्रीय पहचान के बीच विभेद नहीं कर सकता। अमेरिका में रहने वाले यहूदियों में अलग से पहचान बनाये रखने की एक तीव्र भावना थी। यह आवश्यक नहीं है कि अलग पहचान बनाये रखने का मतलब अलग राष्ट्रीय पहचान हो। स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पहचान एवं धार्मिक पहचान, दोनों के ही जीवंत रूप थे। अतः, इस क्षेत्र में किसी स्वार्थी तत्व द्वारा किये जाने वाले किसी प्रकार के दुष्प्रचार को बंद किया जाना चाहिये। अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्रशासन का कर्तव्य है। कल मेरे विद्वान साथी श्री खुराना जी ने सभा में जो भापण दिया था, क्या मैं उसमें से कुछ शब्दों का उल्लेख कर सकता हूं? अपने भापण के दौरान उन्होंने कश्मीर के सपूत, श्री फारूख अब्दुल्ला के कुछ विचारों की आलोचना की है। मैं श्री फारूख अब्दुल्ला की वकालत नहीं कर रहा और उन्होंने अपने कार्य-काल के दौरान जो अनेक बातें की थीं, मैं उनसे सहमत भी नहीं हूं। लेकिन हमें एक बार अवश्य कहनी चाहिये और वह यह है कि कश्मीर के अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए शेख अब्दुल्ला एवं महान नेता जवाहर लाल नेहरू दोनों व्यक्ति ही जिम्मेदार थे। श्री फारूख अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति कश्मीर के विलय की वकालत करते रहे तथा राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध रहे कि कश्मीर हमारे देश का एक अखंड भाग है। हमारा यही दृष्टिकोण है। हमें किसी को भी कश्मीर को भारतीय संघ से अलग करने की अनुमति नहीं देंगे। इससे इस देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की वास्तविक संख्या पर असर पड़ेगा। कश्मीर को भारतीय संघ से अलग करने के किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रस्ताव का विरोध करने वालों में हम सबसे पहले एवं सबसे अन्तिम व्यक्ति होंगे। कश्मीर इस देश का एक अभिन्न अंग है। लेकिन, इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति कश्मीरियों को उनकी मनोवृत्ति एवं पहचान को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह एक मनोवैज्ञानिक विषय है। उनका अपनी मनोवृत्ति एवं पहचान है। हमें उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करना ही चाहिये।

इस सभा में मेरे एक वरिष्ठ मित्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया है कि—यह कथन उद्धृत करने योग्य है—'हमें कश्मीर की भूमि तो मिल गई है लेकिन वहां की जनता का मानस हम नहीं जीत पाए हैं'। मैं इस बात पर भी जोर देता हूं कि हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि हम किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करें कि कश्मीर की जनता भारतीय संघ की जनता के साथ एकाकार हो जाए। ऐसा गोलियों के द्वारा नहीं किया जा सकता; ऐसा खरीद-फरोख्त करके नहीं किया जा सकता। अतः, श्री फारूख अब्दुल्ला जैसे व्यक्तियों एवं उन जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय नेताओं को विश्वास में लेना होगा। हमें कश्मीर में जाकर वहां के लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। हमें उनके मन को लुभाने वाले शब्दों का प्रयोग करना होगा।

केवल इस प्रकार की दलील देने एवं प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। मैं, इसी परिप्रेक्ष्य में, यह कहता हूं कि भाजपा द्वारा आज जो एकता यात्रा निकाली गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे जनता में खाई पैदा हो जायेगी। अतः, इस देश को प्यार करने वाले, इस देश के प्रति निष्ठा रखने वाले तथा इस देश की एकता एवं अखंडता कायम रखने की राष्ट्रीय वचनबद्धता रखने वाले हर भारतीय के लिए एक जुट होकर विभाजनकारी प्रवृत्तियों एवं हमारी जनता में फूट डालने वाले तत्वों के विरुद्ध लड़ने का यही उचित समय है। जनता के मनों में वैमनस्य पैदा करने के लिए, ऐसा किया जा रहा है। यह देश के लिए एक खतरनाक स्थिति होगी।

अतः, देश के सामने उत्पन्न किए गए खतरों का सामना करने के लिए हम सभी को एकजुट होना चाहिये। इसके साथ ही; क्या मैं अल्पसंख्यक समुदाय को संरक्षण प्रदान किये जाने के लिए कह सकता हूं? उनमें भी अपने जान-माल एवं सम्मान की सुरक्षा की भावना पैदा होनी ही चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या गृह मंत्री जी कुछ बताना चाहते हैं?

सभापति महोदय: शायद उन्होंने इसकी पहले ही कोई व्यवस्था कर दी है।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण: वास्तव में, मैं पुलिस आयुक्त से बातचीत करने हेतु गया था। श्री जार्ज फर्नान्डीज की सचिव श्रीमती जेतली को पुलिस—इस तथ्य के कारण की उस क्षेत्र के नजदीक कुछ तिब्बती आने का प्रयत्न कर रहे थे—घर से ले गई थी। इसी वजह से हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन मैंने उन्हें श्रीमती जेतली को तुरन्त रिहा करने को कह दिया है।

चूंकि सभा छह बजे समाप्त होने वाली है, अतः इस बात की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी कि सदस्य अपने घर समय पर पहुंच जायें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या आपने तिब्बतियों की रिहाई के आदेश दे दिये हैं?

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण: मैं यह आदेश नहीं दे सकता।

सभापति महोदय: वह ऐसा वादा नहीं कर सकते।

अब, डा॰ एस॰ पी॰ यादव बोलेंगे। डा॰ यादव, आपके दल के दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। आपने पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कुछ टीका-टिप्पणी की थी। इसी वजह से मैं यह चेतावनी दे रहा हूं।

श्री के॰ पी॰ रेड्डयया यादव: क्रोध से.......

सभापति महोदय: प्रत्येक व्यक्ति को यह विदित होना चाहिये कि उसकी क्या स्थिति है।

डा॰ एस॰ पी॰ यादव: सभापति महोदय, आज सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, नियम 193 के अधीन देश में कानून-व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति, जिसमें आतंकवाद, हत्याएं और अपहरण आदि पर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि सन् 1971, जब से बंगला देश का निर्माण हुआ है, उस समय से उत्तर भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां उन जख्मों के कारण उत्पन्न हुई हैं, जो जख्म बंगला देश के बनने से लगे थे। वास्तविकता तो यह है कि जब किसी भी प्रकार का क्षेत्रवाद, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, पक्षपात, बेईमानी, भ्रष्टाचार, धर्मान्धता, ऐतिहासिक घटनाएं, राजनीतिक और भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक टकराव, न्यायपालिका की शिथिलता और बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचारियों की निष्क्रियता, इन सब कारणों से देश के अंदर आतंकवादी प्रवृत्तियां, हत्याएं और अपहरण हो रहे हैं।

सभापति महोदय, आतंकवाद के बारे में पंजाब और कश्मीर की चर्चा तो क्या की जाए, इनमें हुई अनेक हत्याओं के बारे में सदन के कई माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश के

[डा॰ एस॰ पी॰ यादव]

बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। पंजाब और कश्मीर से चल कर आतंकवाद की गंगा अब उत्तर प्रदेश में भी बहने लगी है और उत्तर प्रदेश के बहुत से हिस्से आतंकवाद की चपेट में आ गए हैं। सितम्बर 1991 को मेरे नजदीक रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील के एस डी एम और कानूनगो का अपहरण किया गया और बड़े नाटकीय ढंग से उनको रिलीज किया गया। किसी भी एक्शन का पता नहीं चला कि आतंकवादियों के खिलाफ किस परकार का एक्शन हुआ, इसका पता नहीं चला।

05.08 बजे म॰प॰

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसी प्रकार से 8 अक्तूबर, 1991 को घनौरा मण्डी थाने में पोस्टेड 6 पुलिस कर्मियों की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई, लेकिन आज तक उनके खिलाफ किसी प्रकार के एक्शन का पता नहीं चला। रुद्रपुर के अंदर अक्तूबर के महीने में रामलीला हो रही थी। रामलीला के अंदर बम कांड हुआ, जिसमें 55 व्यक्ति मारे गए।

इस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवाद की गंगा बह रही है। अभी 6-7 दिसंबर को दैनिक जागरण झांसी के माध्यम से बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जो हमें पढ़ने को मिला, उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख (डायरेक्टर जनरल पुलिस) और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री पहली जनवरी 1992 का सूरज नहीं देख सकेंगे। यह बड़ी गंभीर स्थिति है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और केन्द्र सरकार के लिए सोचने की बात है, लेकिन केन्द्र सरकार इस मामले में क्या सोच सकती है, यह बात हम लोग जानते हैं। नवीं लोक सभा भंग की गयी, केवल प्रधान मंत्री पद की दौड़ थी और इस दौड़ में दसवीं लोक सभा के चुनाव हुए। दसवीं लोक सभा के चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति थी? पंजाब, बंगाल, असम, काश्मीर और उत्तर प्रदेश की बात क्या करें, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या पेरूम्बदूर में की गयी। क्या कर रही थी सी॰बी॰आई॰, क्या कर रही थी सी॰आई॰डी॰? कानून और व्यवस्था कहां थी? अगर होती तो क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या हो सकती थी? भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या हुई, पूरे देश ने शोक मनाया, देश शोकाकुल था, लेकिन हमारे जो चीफ कमीश्नर आॅफ इलेक्शन, श्री टी॰ एन॰ शेषन थे, उन्होंने चुनावों को 25 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया। विधान सभा और लोक सभा के चुनावों के लिए 25 दिन आगे बढ़ा दिए। पता नहीं कितने प्रत्याक्षी थे, जिनकी मार्मिक हत्या कर डाली।

इस देश के अंदर आतंकवाद और अपहरणों की क्या चर्चा की जाए। क्या इन पर कोई रोक लग सकती है? हम केवल इस सदन में किसी धारा के तहत डिसकशन कर लेते हैं और यहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं। इसके पहले प्रधान मंत्री की भी हत्या हुई थी। अभी-अभी आन्ध्र प्रदेश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व मंत्री, वयोवृद्ध नेता की हत्या हुई। हम केवल श्रद्धांजलि अर्पित कर के रह जाते हैं और उस पर कोई एक्शन होने वाला अब दिखाई नहीं देता है। मैं इसको मान कर चलता हूं कि जब-जब पक्षपात किया, जब-जब कोई अत्याचार किया, लोगों को दबाया जाएगा, डिप्रेस किया जाएगा, यह बेरोजगारी रहेगी, तब तक खाली दिमाग शैतान का घर बना रहेगा और यह जो आतंकवाद, अपहरण और हत्याओं का सिलसिला है वह कम नहीं होगा। आज अपहरण एक उद्योग बन गया है और इस उद्योग के अंदर बहुत से आतंकवादी, राजनीतिक लोग और कुछ डाकू समुदाय के लोग लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश अपहरणों में सबसे आगे है। 1990 में 3878 अपहरण हुए। इसके बाद दूसरा नम्बर बिहार का है। बिहार में 2138 अपहरण हुए। इसके बाद राजस्थान में 2107 अपहरण हुए और यूनियन टैरीटोरी के अंदर 2681 अपहरण हुए पिछले तीन सालों में। गाजियाबाद और दिल्ली के अंदर एक-एक अपहरण की कीमत 50 लाख रुपये है। तो यह उद्योग सबसे सस्ता है और इसमें कोई एक्शन भी नहीं होने वाला है।

इसलिए सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा स्थिति में डिटीरियोरेशन हो रही है उसके लिए अगर सभी दलों के नेताओं की मिलीजुली बैठक बुलायी जाए और उसमें कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए और राष्ट्रीय नीति तैयार करने के बाद उस पर अमल किया जाए, तब इसका कुछ समाधान हो सकता है। जो फोर्सिज़ इस काम में लगी हुई हैं, आतंकवाद से निपटने के लिए लगी हुई हैं उनके पास घटिया किस्म के हथियार हैं। जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग है उनके पास अति-आधुनिक विदेशी हथियार मौजूद हैं। जिस समय घनौरा के अंदर 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे उनके पास 315 बोर की राईफल थी और आतंकवादियों के पास ए०के-47 और ए०के-74 राईफलें थी। कितने दुर्भाग्य का विषय है। यहां मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में आतंकवादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं उन क्षेत्रों के जो सम्मानित लोग हैं उनके लिए भी ए०के 47 रायफलों के लाइसेंस दिए जाएं। इस प्रकार ए०के० 47 और ए०के० 74 रायफलों के लाइसेंस दिये जायें ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। इसके अतिरिक्त जो लोग बोर्डर एरिया में रहते हैं उनके लिए पुलिस प्रोटेक्शन हो। सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस पर ही नियंत्रण करना सबसे अधिक आवश्यक है। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं पीछे 22 तारीख के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली आ रहा था। मुरादाबाद में मेरा फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन था, लेकिन मेरे डिब्बे में दो सिपाही आकर डिब्बे को तोड़ने लगे तथा तरह-तरह की उन्होंने गालियां दीं और उसके बाद दोनों रायफलों को शीशों पर उन्होंने रख दिया। उसकी शिकायत मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और रेल मंत्री जी को भेजी थी, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने भी स्थिति बयान की थी। अगर पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं किया गया तो यही लोग जो रक्षक हैं भक्षक बन जायेंगे, बने भी हुए हैं। इससे देश का सुधार नहीं होगा। इन पर जरूरी है कि कोई नियंत्रण का अंकुश अवश्य लगाया जायें।

मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि पुलिस प्रशासन में जितना भ्रष्टाचार फैल गया है, यह समाज को ठीक करने का बहुत बड़ा अंग था, लेकिन वही जब डूब रहा है तो उसमें आतंकवाद की प्रवृत्तियां आ जाती हैं और ये खुद आतंकवादियों से मिल जाते हैं। ये आतंकवादी प्रवृत्तियां किस प्रकार से समाप्त हो सकती हैं इसके लिए इस चर्चा को विशेष महत्व देने का गृह मंत्री जी कष्ट करें। मेरा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि यह चर्चा फार्मल चर्चा बनकर न रह जाये। इसमें जितने भी आपको अच्छे पाइंट्स लगें, सभी दलों के नेताओं की आप मीटिंग बुलायें और उसके बाद इस चर्चा के द्वारा कोई हल निकालें। अन्यथा आने वाला समय बहुत क्रूशियल है, उसका समाधान होना मुश्किल हो जायेगा। हमें लगेगा कि कांग्रेस की सरकार जब अपने ही भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को नहीं बचा सकी तो फिर जनता को क्या बचायेगी, यह इनकी अक्षमता का प्रमाण-पत्र है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा (सिरसा): देश में, विशेष तौर पर उत्तर भारत में पंजाब से बाहर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। पिछले दो-तीन सालों में पंजाब के पड़ोसी राज्यों तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में आतंकवादियों ने धीरे-धीरे घुसपैठ कर लिया है।

पहले हरियाणा में अनेक गंभीर घटनाएं घटी हैं, जिनमें कि उग्रवादियों ने प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की है। कुरूक्षेत्र में बम विस्फोट हुआ था। दरियापुर, पानीपत, ड़बवाली आदि स्थानों पर हत्याएं की गई थीं। इस श्रृंखला में नवीनतम घटना सिरसा एवं टोहना में घटी है।

राज्य सरकार की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जहां तक खुफिया एजेंसियों का संबंध है, केन्द्र सरकार की ओर से एक त्रुटि रही है। वह राज्यों को समय पर खुफिया जानकारी प्रदान नहीं कर पाई है।

[कुमारी शैलजा]

यह सर्व विदित तथ्य है कि आतंकवादियों के पास राज्य पुलिस बल से बेहतर एवं अधिक अत्याधुनिक हथियार हैं। आतंकवादी ए- 12 एवं ए० के० 47 से कम किसी हथियार का उपयोग नहीं करते, जबकि हमारी पुलिस को 303-राइफलों से ही काम चलाना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से बार-बार और अधिक उपकरण, जिनमें कि ए०के० 47, एस० एल० आर० कारबाईन, ट्रांसमीटर आदि सम्मिलित हैं, मांगे हैं।

अब तक केन्द्रीय सरकार ने न तो यह निर्णय लिया है कि राज्य पुलिस को कौन से हथियार उपलब्ध कराये जाएं और न ही उसने इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण पर्याप्त हथियार उपलब्ध करवाए हैं। केन्द्रीय सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि उसे राज्य को कौन से हथियार प्रदान करने चाहिये और सरकार को यह कार्य बड़ी तेजी से करना होगा।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जिस उपयुक्त प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वह राज्य पुलिस के पास नहीं है। उनको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अलग तरह का प्रशिक्षण देने की जरूरत है। पुलिस केवल आम इन्सान पर लाठियां बरसा सकती हैं, और जब आतंकवादियों का मुकाबला करने का समय आता है तो वे पुलिस थाने के बाहर भी नहीं निकलते हैं। टोहाना में हाल ही में हुई एक घटना से यह बात स्पष्ट हो जाती है जबकि आतंकवादी वहां पर लगभग 45 मिनट तक ठहरे हुए थे। वे अपनी इच्छानुसार लोगों की हत्या कर रहे थे और उनके पास इतना समय भी था कि वे ए०के० 47 रायफल में गोलियां भर रहे थे। वे वहां पर और एक घण्टा भी ठहर सकते थे और उनको कोई भी रोक नहीं सकता था और कम से कम कोई ललकार भी नहीं सकता था। यह समझने लायक बात है कि इससे वहां की जनता बहुत परेशान हो गई। यह नैतिक पतन से ग्रस्त उस बल के कारण हुआ है जिसको ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त हथियार नहीं दिये गये और न ही उचित प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि पंजाब में सेना को भेजने से पड़ोसी राज्यों में इसका दबाव वास्तव में बढ़ गया है। हरियाणा की पंजाब से लगकर 500 कि०मी० से अधिक लम्बी सीमा है जिसके अंतर्गत छः जिले अम्बाला, कुरूक्षेत्र, कैतनाल, जिंद, हिसार एवं सिरसा आते हैं। हरियाणा में सिख लम्बी तादात में है और विभिन्न समुदायों के लोग यहां पर हमेशा शांति एवं समरसता से रहे हैं। स्थिति में अभी भी सुधार लाया जा सकता है क्योंकि वहां आतंकवाद के अनुयायी/समर्थक नहीं है। वे अपनी मर्जी से आते और जाते हैं क्योंकि लोग उनसे डरते हैं और राज्य पुलिस जनता को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। वास्तव में मारे गये अथवा अपहरण किये गये लोगों में अधिकांश लोग सिख हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को विशेष नागरिक रक्षा प्रशिक्षण (सिविल डिफेन्स ट्रेनिंग) दिया जाना चाहिए। लोगों को अपनी आत्म-रक्षा के लिए और अधिक उदारता से हथियारों के लाईसेंस देने चाहिएं।

जैसा कि मैंने इससे पहले दिन कहा था कि जबकि पंजाब के पास अर्धसैनिक बलों की लगभग 400 कम्पनियां हैं और हरियाणा के पास केवल 3 कम्पनियां हैं जो कि, मुझे विश्वास है कि आप यह स्वीकार करेंगे कि यह संख्या न के बराबर है। हरियाणा को कम से कम और 10—15 कम्पनियां दी जानी चाहिए। यदि हमारे पास केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पर्याप्त कम्पनियां न हों तो मैं समझती हूं उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे जनता को और रोजगार भी मिलेगा। यदि इससे होने वाली हानि को हम जान और माल की हुई हानि से मिलाकर देखेंगे तो यह हानि बहुत कम होगी।

हमारे राज्य की सरकार के मांग के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को हरियाणा को 30 करोड़ रुपये और भी देने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में और अधिक पुलिस थाने, चेक-पोस्ट, वाहन, ट्रांसमीटर आदि स्थापित किये जा सके। राज्य सरकार को ऐसे बल की संख्या, जो कि बेहतर ढंग से प्रशिक्षित हो और जो बेहतर हथियारों से सुसज्जित हो, को बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका व्यय केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिए।

मात्र पंजाब में सैन्य कार्रवाई करने से कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलेंगे क्योंकि अधिकांश आतंकवादी पहले ही अन्य राज्यों में शरण ले चुके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आतंकवाद से प्रभावित सभी राज्यों को एक सम्मिलित प्रयास करना चाहिए और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक मुख्य अभिकरण के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

केन्द्रीय सरकार को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना चाहिए और जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, आतंकवाद की समस्या को केवल पंजाब राज्य से संबंधित समस्या न समझकर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए।

श्री बी०एन० रेड्डी (मिरयालगुडा): उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मुझे यह कहना चाहिए कि राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का कारण वास्तव में सत्ताधारी दल, कांग्रेस (आई) की देन है। आन्ध्र प्रदेश राज्य का यह अनुभव रहा है कि कांग्रेस (आई) सत्ताधारी दलों में से कुछ दल अपने आप को सत्ता में बनाये रखने के लिए खून की राजनीति का अनुसरण करने के आदी हो गये हैं। राजनीति के खेल में, अपने सत्ता को बनाये रखने के लिए वे इस उद्देश्य से नक्सलवादियों का उपयोग करने के हद तक बढ़ जाते हैं। हमारे दल के और विपक्ष दल के कई नेताओं की हत्या की गई। जिन नेताओं की हत्या की गई उनमें कुछ नेता हैं श्री सुन्दर बसैय्या और नरसय्या। आन्ध्र प्रदेश के एक जिले में वर्ष 1983 से हमारे दल के हजारों नेताओं की और गत वर्ष हाल ही में तेलुगू देशम् पार्टी के नौ नेताओं की हत्या की गई। इस प्रकार वर्ष 1983 से हमारे दर्जनों कार्यकर्त्ताओं एवं प्रमुख दल नेताओं की हत्या की गई।

गत दो वर्षों के दौरान कांग्रेस (आई) के खूनी दस्तों द्वारा नलगोण्डा जिले में तेलुगू देशम दल के नौ नेताओं की और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के ग्यारह कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं की दिन दहाड़े हत्या की गई। इसमें से प्रमुख है, हमारे दल के प्रमुख कार्यकर्त्ता उप्पालांचा के सरपंच श्री सुद्दारय्या की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। तकेडापाड़ी के सरपंच श्री किशन को बस में से बाहर घसीटा गया और उनकी हत्या कर दी गई।

1989 के आम चुनावों में, यह सर्वविदित ऐतिहासिक बात है—श्री चेन्ना रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) को बहुमत प्राप्त हुआ और वो भी नक्सलवादियों की सहायता से। इसके प्रतिफल के रूप में श्री चेन्ना रेड्डी ने आतंकवादी गुटों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के नाम पर सभी द्वार रास्ते खोल दिये पर इसका इतिहास कुछ अलग/विपरीत रहा। नक्सलवादियों ने इस प्रस्ताव का लाभ उठाते हुए हथियार खरीदने के लिए करोड़ों रुपयों की वसूली की नक्सलवादी वनों को छोड़कर शहरों में प्रवेश कर गये हैं और तीन वर्षों की अवधि में नलगोण्डा एवं वरंगल में कांग्रेस दल के ही नहीं बल्कि हमारे दल के भी हजारों कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई है। उन्होंने जाति/वर्ग व्यवस्था के दुश्मनों को दूर करने के नाम पर अन्य विपक्ष दल के नेताओं की भी हत्या की। इसमें हाल ही में हुई एक भूतपूर्व मंत्री की हत्या भी शामिल है। वरंगल में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता श्री हाईग्रीवाचारी की हत्या की गई थी। इस प्रकार अब वास्तव में तेलंगाना के उत्तरी भाग में पीपुल्स वार ग्रुप का शासन चल रहा है। यह भी एक सच्चाई है कि सत्ताधारी दल के नेता खूनी दस्तों को विपक्ष के लोगों की हत्या करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। अतः इस प्रकार इसका कांग्रेस (आई) शासित राज्य पर उल्टा प्रभाव/असर पड़ा।

तेलुगू में एक कहावत है 'भस्मासुरा हस्तम'। वह व्यक्ति जिसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था उसका नाश भी स्वयं ब्रह्मा के द्वारा ही हुआ। अतः इस प्रकार कांग्रेस (आई) सरकार की नीतियां स्वयं कांग्रेस के लिए हानिकारक सिद्ध हुई है। अब सम्पूर्ण राज्य में आतंकवादियों और बन्दूक का शासन है। राज्य की ऐसी स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको यह अवसर दिया। यहां देश की सबसे बड़ी अदालत में इस बात पर बहस हो रही है कि देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को कैसे रोका जाए। हमारे कुछ मित्रों ने कहा और मैं भी बहुत सीधी भाषा में कह रहा हूं कि सचमुच में जब इंदिरा जी जैसी देश की प्रधान मंत्री आतंकवाद को नहीं रोक सकीं, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि ऐसी विभूतियों की हत्याएं आतंकवादियों दवारा की जा रही हैं और उस पर भी आतंकवाद आज तक रुका नहीं बल्कि "ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही गया"। पहले पंजाब में थी फिर कश्मीर में हुआ असम में हुआ, मद्रास में और अब उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है।

मान्यवर, समय बहुत कम है। यों तो आज सबसे ज्वलंत उदाहरण कमीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश का है। कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा गया और हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि यह आतंकवाद जो है कुछ सांप्रदायिकता की वजह से भी हो रहा है।

मैं पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में कौन सी साम्प्रदायिकता है। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिये, बिल्कुल होनी चाहिये। इस देश में जितने भी लोग रहते है, भले ही वे किसी भी मजहब को मानने वाले हों, यह देश उनका है और सब को समान अधिकार मिलने चाहिये। किन्तु कश्मीर घाटी के हिन्दुओं ने कौन सा अपराध किया है कि ढ़ाई लाख हिन्दुओं को वहां से निष्कासित कर दिया गया और उनके विषय में यहां किसी को चिन्ता नहीं है। क्या मुल्क में कोई ऐसा कोना है जहां पर किसी भी अल्पसंख्यक को हटा दिया गया हो, केवल कश्मीर को छोड़ कर। शासन की चुप्पी का ही यह परिणाम है कि देश में आतंकवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक वही हालत पंजाब की है। इन्दिरा जी की हत्या भी पंजाब की वजह से हुई। आज भी पंजाब में दिनोदिन आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवाद की आग बढ़ती जा रही है। बल्कि यह आग देश में चारों ओर फैलती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में वहां से भी ज्यादा भीषण रूप उसने अख़्तयार कर लिया है। तमाम जगह हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश शासन के बस की यह बात नहीं है क्योंकि आतंकवाद ने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। भारत के कुछ प्रदेशों को छोड़कर, चारों ओर यह आग फैली हुई है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला नहीं होगा तो यह आग सारे देश को निगल जायेगी।

मैंने खासकर आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाया था, जहां से मैं चुनकर आता हूं। इसलिये कि कश्मीर के बारे में, पंजाब के बारे में और पीलीभीत के बारे में तो अक्सर चर्चा हुई है और होनी भी चाहिये किन्तु मैं उत्तर प्रदेश के जिस अंचल से आता हूं, वह देवरिया एक आखिरी जनपद है। वहां भी आतंकवाद की समस्या पीलीभीत या कश्मीर से कम नहीं है। वहां आये दिन अपहरण की घटनाएं या मर्डर हो रहे हैं। पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद का ईश्यू दूसरा है, दूसरे ईश्यू को लेकर है किन्तु हमारे यहां एक नारायणी नदी है, जो नेपाल से होकर, बिहार में सोनपुर और पटना तक जाती है, वह हमारे लिये सबसे बड़ा खतरा है। वह सबसे खतरनाक नदी है। हमारे बगल में नेपाल है, बिहार और उत्तर प्रदेश का बार्डर है, जबकि सरहद पर नेपाल है। वहा के आतंकवादियों का नाम है—जंगल पार्टी। उनका कहना है कि उस भूभाग पर उनका राज रहेगा। वे लोग आये दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में आकर लोगों का जबर्दस्ती अपहरण करते हैं और रुपया वसूल करते हैं। इतना ही नहीं, रुपया वसूलने को वे "लेवी" कहते है, लेवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि हम लेवी वसूल कर रहे हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के आई॰जी॰, डी॰आई जी॰ को लेकर मैं स्वयं उस क्षेत्र में गया था। जंगल पार्टी का सरगना उस समय बोर्डर पर आया था। उसने गांव के कई लोगों को पकड़ लिया। संयोग से एक आदमी उनकी बिरादरी का ही निकला, जिसे उन्होंने पकड़ लिया था। जब उस आदमी ने कहा कि मैं आपकी ही बिरादरी का हूं तो पहले उसे गाली दी गयी और कहा बिरादारी कुछ नहीं, रुपया लाओ।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों या लुटरों की कोई जाति नहीं है। उनका कोई मजहब नहीं होता बल्कि उनका काम ही लूटना होता है।

अभी दो महीने हुए, हमारे क्षेत्र के एक स्थान खड्डा में, मय जीप के एक आदमी का अपहरण कर लिया गया। उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। आये दिन उस क्षेत्र में रोज अपहरण हो रहे हैं। अभी मुझे सूचना मिली है कि हमारे यहां शुगर फैक्टरीज अधिक हैं, शुगर फैक्टरी के कर्मचारियों का वहां अक्सर अपहरण होता रहता है, उनसे रुपया वसूल किया जाता है, अभी एक शुगर फैक्टरी के मैनेजर ने मुझे एक पत्र दिखाया, जो जंगल पार्टी की ओर से लिखा हुआ है। उस पत्र में कहा गया है कि पहली जनवरी तक अगर हमें तीन लाख रुपया अदा नहीं करते हो तो तुम जिन्दा नहीं रह सकते। अब उसका क्या होगा? वहां की पुलिस के उच्चाधिकारियों ने शासन को लिखा था कि हमें रिवर पुलिस चाहिये। मान्यवर, नारायणी नदी साधारण नहीं है। बल्कि वह हम लोगों के लिये विपत्ति है। बाढ़ में रोज कटान करती है और बगल में जंगल पार्टी को पनाह देती है। दोनों तरफ जंगल पार्टी वाले लूटते हैं। वहां मांग की गयी थी कि हमें रिवर पुलिस चाहिये ताकि वह रोज कम से कम नदी में गश्त करती रहे, तभी इन घटनाओं में कमी आ सकती है।

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो प्रदेशों का ही मामला नहीं है, यह नेपाल से भी संबंधित है। जब पुलिस का प्रैशर पड़ता है तो सारे बदमाश भागकर नेपाल में चले जाते हैं। वहां पर बैंत और खैरा की लकड़ी कीमती होती है, नेपाल से माल आता है और वहां पनाह मिलती है। कई सौ किलोमीटर में बार्डर पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश पंजाब की तरह ग्रसित है। वहां पश्चिमी जिलों में पंजाब के आतंकवादी पहुंच चुके हैं और पूर्वी जिलों में नेपाल की तरफ के।

जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी
सो नृप अवश्य नर्क अधिकारी।

आप भले ही कुछ कहें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम लोग राहत की सांस तो लें। आज पीलीभीत में क्या हो रहा है, रामपुर में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शायद प्रधानमंत्री जी से मिलकर रिक्वेस्ट की कि यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का संयुक्त पुलिस अभियान बनाया जाए और ऐसे सम्पर्क स्थापित किए जाएं कि हर प्रदेश को आतंकवादियों के बारे में सूचनाएं मिलती रहें। सब मिलकर आतंकवाद को दबाएं।

मेरा दूसरा निवेदन नेपाल से है क्योंकि नेपाल एक अलग राज्य है। भारत सरकार को नेपाल सरकार से भी बात करनी चाहिए कि यहां के आतंकवादी अगर नेपाल में प्रवेश पाते हैं तो नेपाल सरकार मदद करे और उन्हें पकड़कर उत्तर प्रदेश या भारत सरकार को सुपुर्द करे।

यह बात सही है कि जैसे हमारे एक मित्र ने कहा कि हर साल जैसे बाढ़ पर बहस होती है उसी तरह से हम हर साल आतंकवाद पर बहस कर लेते हैं। रावण के पास समुद्र बसा था, रावण ने अपराध किया था समुद्र ने अपराध नहीं किया था, उसे भी सजा मिली। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से सारी शक्ति आती है, यह बात सच है। लेकिन यह भी सच है कि अपने देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। उनपर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

धारों षठों से षठता सदैव
ये नीति कभी ने बोलो नरेश।

षठों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आतंकवादी केवल एक वर्ग को नहीं मारते हैं। यदि कश्मीर के आतंकवादी केवल हिन्दुओं को ही मारते और पंजाब के आतंकवादी केवल हिन्दुओं को ही मारते तब हम धार्मिक बात समझते। कश्मीर के आतंकवादी मुसलमानों की हत्या करते हैं और पंजाब के आतंकवादी सिखों

[श्री राम नगीना मिश्र]

की हत्या करते हैं। दुश्मन का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, इसलिए हमें निष्पक्ष होकर हिम्मत के साथ इसपर कुछ करना है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सबसे अधिक अगर हमको खतरा है तो कश्मीर के बारे में है, पाकिस्तान की वजह से है। यह बात सत्य है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जब समझते हैं कि हमारी साख जनता में कम हो रही है तो हिन्दुस्तान के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर देते हैं और वहां के लोगों को बरगलाते हैं कि हिन्दुसतान ने तुमको दो टुकड़ों में बांट दिया और इसका बदला लेना है। वहां से अपार धन मिल रहा है, आतंकवादियों को शिक्षित किया जा रहा है और हथियार मिल रहा है।

इसलिए मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि दुश्मन बाल-बांका भी नहीं कर सकता है, रावण से अगर विभीषण टूटा हुआ नहीं होता तो राम रावण का वध नहीं कर सकते थे इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने देश में बैठे हुए विभीषणों को देखिए, गौर कीजिए और अगर विभीषणों से बचिएगा तो देश को बचा पाइएगा। इस देश में रहने वाले जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, देश में रहने वाले लोग अगर भारत मां को भारत मां कहने में संकोच करेंगे और भारत की रक्षा में संकोच करेंगे तो वे अपने देश के साथ ही नहीं बल्कि अपने साथ भी गद्दारी करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस देश में सारे जितने भी धर्मों के लोग हैं वे सब लोग मिल कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें और भारत को एक रखने की कोशिश करें और एक रखें, तभी इस देश का भला हो सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आतंकवाद और अलगाववाद की लहर इस देश में चल रही है। इसके संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसका मूल कारण क्या है, इस तरफ सरकार को सोचना पड़ेगा। यह आन्दोलन कई वर्षों से इस देश में चल रहा है, इसमें खाली पंजाब ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी वहीं हालात हैं। कश्मीर के हालात में भी सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है और यह समस्या दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। यह एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रही है। इसलिए हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कहां पर हम लोगों ने भूल की है। आज हर जगह यह समस्या शुरू हो चुकी है। यह सब होने का कारण क्या है, इस तरफ हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, नहीं तो यह बढ़ता ही जाएगा और हम लोग इसको काबू नहीं कर पाएंगे।

आज जो शेड्यूल्ड ऐरिया है, वहां पर भी उनका अलग से डिमाण्ड है लेकिन असल में उन्होंने भी नक्सलाइट का रूप लेना शुरू कर दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको मालूम होगा, जिस समय नागालैंड का मूवमेंट चला उस समय कितने लोगों की जान जोखिम में डली, कितने लोग मारे गए, कितने तरह के अत्याचार हुए उसके बाद वहां 15 वर्ष के बाद, यह सरकार चाहती है उनको छोटा स्टेट दे करके मनाया जाए। उसी तरह से मेघालय और मिजोरम का हुआ। अल्फा के साथ-साथ बोडो लैंड भी है। मेरा कहना यह है कि इन सब की जो समस्याएं हैं उनके साथ बात करके इसको निपटाने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया तो सारे हिन्दुस्तान में टेरेरिस्ट यहां से पंजाब से लेकर मद्रास तक और कश्मीर तक सारे टेरेरिस्ट अभी आपने सुना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार सब जगह पर, जहां तक कि दिल्ली में भी उनकी संख्या बढ़ चुकी है। आज नौकरी में भी भाई-भतीजावाद चल रहा है। आज जिनके पास बहुत रुपया है वे लोग भी आतंकवादियों में शामिल हैं जिनके पास नहीं है वे लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं। न हम उनको काम दे सकते हैं, न मान-समान दे सकते हैं न वे स्वाधीन नागरिक के माफिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कहीं पर 5 सितारा होटल बन रहे हैं और कहीं पर 5-10 लाख झुग्गियां बन रही हैं, तो हिन्दुस्तान के स्वाधीन नागरिक कहां जाएंगे। पुलिस का काम है उनकी रक्षा करना जो अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आज हम देखते हैं कि एक-एक मंत्री के लिए 300 और इससे भी अधिक पुलिस वालों की ड्यूटी

लगाई जाती है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए कांस्टेबल की व्यवस्था है, एक उनके कपड़े धो रहा है, एक बच्चे को खिला रहा है, एक बाजार जा रहा है, यह सब हो रहा है और दूसरी तरफ गरीब आदमी को लूटा जा रहा है, उसको ब्लैक-मार्केटीयर लूट रहा है, दुकानदार लूट रहा है, मिलावट करने वाला लूट रहा है, पुलिस लूट रही है, उनको पटरी से हटाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो क्या आतंकवाद नहीं होगा। उन लोगों को भी मान-सम्मान से इस देश के अंदर जीना है, उनको इसके लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आज आतंकवाद पैदा हो रहा है। आज हमारे युवक बेकार हैं, कमजोर हैं, समाज में जो विषमता है, किसी के पास इतना रुपया हो गया है कि वह हिमाचल पर्वत पर बैठा हुआ है, रुपयों के पहाड़ पर बैठा हुआ है और कोई दाने-दाने को तरस रहा है, यह भी आतंकवाद का एक कारण है। कोई गंगा के पानी से नहा रहा है और किसी के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। बेकारी, भाई-भतीजावाद टेलीफोन से नौकरी पक्की हो जाना, एक पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आज 10-10 हजार रुपए खुलेआम घूंस ली जाती है, इस वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। यदि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने हैं तो हिन्दुस्तान के सभी बच्चों को मान-सम्मान से जीने का अधिकार देना होगा। उनके हितों की रक्षा करनी होगी।

अंग्रेजी के समय में भी हिन्दुस्तान के अंदर 620 राज्य थे, तब भी इस तरह की समस्या नहीं थी, आज क्यों है। आप युवकों की मांगों को सुनिए, उनसे बात कीजिए और यदि उनकी कोई मांग ठीक नहीं है तो उनको समझाइए, जिन कारणों से आतंकवाद बढ़ा है, उन कारणों को दूर कीजिए। आज पुलिस ही आतंकवाद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। मैं सारे पुलिसकर्मियों को दोष नहीं देता, लेकिन आज पुलिस कर्मचारी भी आतंकवादियों से मिल गए हैं, उनको डर है कि यदि आतंकवादियों को पकड़ेंगे तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। आज उनके पास आतंकवादियों को पकड़ने का साहस नहीं है।

होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज सारे देश की स्थिति ठीक नहीं है। आज देश को बनाना या बिगाड़ना आपके अधिकार में है। आप जल्दी से जल्दी इन सारी बातों पर ध्यान दें।, तभी स्थिति सुधर सकती है। उन लोगों से बातचीत करिए, उनकी मांगों को सुनिए, यदि वे कहीं गलती पर हैं तो उनको समझाइए। पुलिस भेज कर, लाठी चला कर, जेल भेज कर, इन चीजों से आतंकवाद कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। सब हमारे देश के नागरिक हैं, कुछ लोग भूल-चूक कर सकते हैं तो उनके साथ बैठिए और उनको समझाइए, तभी कोई सही रास्ता निकल सकता है और समस्या का समाधान हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर इस सदन में चर्चा हो रही है। हर सत्र में चर्चा होती है, लेकिन इसके कारण क्या है, इस पर ठोस सुझाव नहीं आ पाते। ..... (व्यवधान) सभापति जी, मैं अभी बता रहा था कि विधि व्यवस्था हमारे देश में गड़बड़ा गयी है, उस पर ठोस सुझाव आने चाहिए। मेरा कहना यह है कि विधि व्यवस्था एक-दो दिन में नहीं गड़बड़ाई। यह गड़बड़ाते-गड़बड़ाते यहां पहुंची है। इसके कारण जरूर हैं। इन कारणों को हम छिपा देते है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी आर्थिक नीतियां गलत रहीं, जिसके कारण आर्थिक विषमता इतनी बढ़ी है कि उसको लेकर लोगों में असन्तोष फैला और बेकारी हुई। उसके साथ-साथ भ्रष्टाचार भी तेज़ी से बढ़ा। ऐसी स्थिति में विधि-व्यवस्था गड़बड़ाना स्वाभाविक है।

हमारे यहां पुलिस प्रशासन को जो काम मिला है, विधि-व्यवस्था को दुरूस्त करना, हमने शुरू से पुलिस प्रशासन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया, चाहे सरकार किसी की भी हो। उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन वास्तव में जो पुलिस निष्क्रिय हुई है उसका मुख्य कारण है कि पुलिस को हमने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया और वह मूकदर्शक बन गयी। आज हम पुलिस को जितनी चाहे गाली दें, लेकिन यहां तक पुलिस को किसने पहुंचाया? सबसे पहले आप इसको कैसे सुधारेंगे।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

उसके वाद अपराधकर्मियों की जो जमात है उससे भी राजनीतिक लोक फायदा लेने लगे हैं और फायदा ले कर यहां तक पहुंचाने के लिए भरसक कोशिश करते हैं। अगर ईमानदारी किसी में है तो इस बात को कबूल करना चाहिए ताकि देश खतरे में न पड़े। अपराधकर्मियों से मदद ले रहे है, चाहे वह स्मगलर हो या डकैत हो। उन लोगों को लोक सभा या विधान सभा में भी आने का मौका मिला। वह पहुंच गया यहां तक। वह समझता है कि जब हम मदद कर सकते है तो मै स्वयं क्यों नहीं जा सकता। बात यहां तक पहुंची। जब वह यहां तक पहुंचा तो जिस पुलिस से वह घबराता था आज उसी पुलिस के सामने खुले आम चलता है। तो क्या पुलिस की मोरल रहेगा? किसने पुलिस के मोरल को गिराया? हमें यह नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, भूमि हदवन्दी कानून राज्य सरकार ने लागू किया और साथ-साथ यह प्रचार किया दूरदर्शन से कि जितनी भी सरकारी जमीन है वह भूमिहीनों, हरिजनों और भूमिहीन पिछड़ी जातियों को दी जाएगी। यह कानून बन गया है। मान्यवर, कुछ नहीं मिला किसी को। आखिर असन्तोष बढ़ेगा या नहीं। ढोल आपने पीट दिया, सरकार ने प्रचार कर दिया और उसको एक इंच भी नहीं मिली जमीन। आज हमारे क्षेत्र में भूमि विवाद से भी विधि व्यवस्था गड़बड़ा रही है। आज तक उन्होंने यह कानून लगू नहीं किया, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो जो सरकार वहां है उसको कह सकते हैं। विपक्षी पार्टियां मदद कर रही हैं। इसका कारण जो भी हो। मैं वामपंथी पार्टियों से कहूंगा कि इसको लागू करवाना चाहिए। जब तक यह लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम सरकार में बाहर से मदद करके भी बचा नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ यह है।

मान्यवर, गुप्तचर, विभाग की बात कहीं जा रही है। गुप्तचर विभाग है क्या? यह भी पुलिस का दस्ता है जो इस चीज़ को बताता है कि कहां क्या हुआ। अगर आप इस विभाग को स्वतंत्र भूमिका निभाने देते तो गुप्तचर विभाग में इतनी शक्ति है कि दुनियां के किसी भी देश के गुप्तचर विभाग से कम नहीं है। आपने इसे स्वतंत्र भूमिका कभी भी निभाने नहीं दी। आतंकवाद की जहां तक बात है। हम पूछते हैं कि आप जो विकास करते है अगले-पिछले के नाम पर लेकिन क्या इस देश के अन्दर सचमुच देशहित की बात करते हैं? मेरे क्षेत्र में कांग्रेस के दो विधायक हैं। एक ही गांव में नाली बनी हुई है फारवर्ड वालों की तरफ और बैकवर्ड लोग इसके लिए तड़प रहे हैं। क्या यही विकास है? लेकिन आप लोगों का इस पर ध्यान नहीं गया कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में उग्रवाद कई बरसों से बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोज वहां हत्यायें हो रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हत्या न होती हो। मैं आपको बता रहा हूं अभी भी हमारे यहां के हरिजन लोग पीने के पानी के लिए कुएं को काटकर मिटी वाला पानी पी रहे हैं। विन्देश्वरी दूबे की सरकार ने विधायकों को अधिकार दिया था कि इनकी अनुशंसा पर कार्य होंगे, पम्प या कुएं खोदे जायेंगे, लेकिन यह सारा विकास का कार्य अगड़ी जाति के लोगों के लिए हो रहा है और वही लोग बूथ पर कब्जे करवाते हैं। एक तरफ गरीब लोग, हरिजन लोग गन्दा और खराब पानी पी रहे है और दूसरी तरफ बड़े लोगों के यहां कई-कई पम्प और कुएं लगे हैं। क्यों नहीं आप इस तरफ ध्यान देते और भू-क्रांति की बात करते, सारा दोष सरकार का है जो विकास को सही ढंग से नहीं कर पाई और सबको हिस्सा बराबरी पर नहीं दिया। विकास भी ऊंची और नीची जाति की, ऊंच-नीच की भावना से किया है। फिर क्यों नहीं गरीब का बेटा हथियार उठायेगा। आप गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को, आपने भी तो बंगला देश में कुछ किया था। वह भी चाहेगा कि यहां भी ऐसी परिस्थिति बने। इसकी तो आप चिन्ता करते हैं लेकिन जिस चीज की चिन्ता की आज जरूरत है वह करें। अगर आप देश को बचाना चाहते है तो इसी सत्र में चुनाव प्रणाली में सुधार करें और इसके लिए आवश्यक कदम उठायें। जब तक चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं करेंगे, गरीबों को बूथ पर नहीं जाने दिया जायेगा। जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि लोग हथियार उठा रहे हैं।

आप हरिजनों को सुविधा देने की बात करते हो, लेकिन वह सुविधा उन्हें वास्तव में नहीं मिलती है। आज वही गरीब और भोले लोग उग्रवाद की तरफ जा रहे हैं। वे आशा छोड़ चुके हैं कि अब हमें कुछ नहीं मिलने

वाला है। इसलिए आज वे हथियार उठा रहे हैं। गरीब का बेटा, जिस देश का नौजवान भूमिहीन हो, गरीब हो उस देश का कल्याण नहीं होगा। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप राज्य सरकार को जोर देकर कहें कि जो कानून बनाये हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू करे। इसके लिए हो सकता है आपकी कुर्सी न रहे, लेकिन देश तो रहेगा। आप घबराते हैं कि लागू करने के लिए जोर देंगे तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि चुनाव प्रणाली में सुधार लायें। अगर हमारे मंत्री जी को देश के प्रति श्रद्धा है, देश को बचाना चाहते हैं तो इसी सत्र में चुनाव प्रणाली में सुधार करें जिसमें गरीबों को मत देने का अधिकार हो और सही प्रतिनिधि इस सभा में आ सकें। अगर वे प्रतिनिधि यहां आ जायेंगे तो सारी बीमारियां दूर हो जायेंगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री लाईता उम्ब्रे (अरूणाचल पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर पार्टी हित से परे हट कर चर्चा करनी चाहिए तथा कांग्रेस के अनेक नेताओं ने भी यही बात कही इसलिए मैं ईमानदारीपूर्वक अपने विचार व्यक्त करूंगा।

महोदय, यह सच है कि देश में विधि और व्यवस्था की सामान्य स्थिति आए दिन बिगड़ती जा रही है। यह बड़ी तीव्रता से बिगड़ती जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवादी तथा अलगाववादी बहुत संगठित हैं। यह सभी मानते हैं कि उसके पास बेहतर तथा अत्याधुनिक शस्त्र हैं तथा वे बहुत अच्छी प्रकार से संगठित हैं। केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उन पर काबू पाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के बावजूद वे जहां चाहते हैं वहीं पर यों ही हमले कर रहे हैं।

म॰ प॰ 6.00 बजे

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक बार फिर आज इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा की बैठक आज आधा घंटा और बढ़ा दी जाए। हमारे पास कुछ वक्त और है। माननीय गृह मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा चाहती है कि सभा की बैठक आधा घंटा बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: आज सभा की बैठक आधा घंटा बढ़ाई जाती है।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा): यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। दो-तीन घण्टे और बढ़ायें या एक दिन और रखें। मंत्री जी कल यहां जवाब देंगे तो एक दो घंटे के लिए और बढ़ायें। सारा सदन इसके पक्ष में है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: 6-7 सदस्य समय पर आए हैं और बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए यह अच्छा होगा कि हम उन्हें बोलने का अवसर दें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाइये।.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री के॰ पी॰ रेड्डयया यादव की अपील है कि हमें बैठना चाहिए और आज ही चर्चा पूर्ण करनी चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आधा घंटे तक देखते हैं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव: यह महत्वपूर्ण मामला है। चूंकि मंत्री जी कल जवाब देंगे, इसलिए क्यों नहीं इसे दो घण्टे के लिए बढ़ा देते हैं। जिसमें डेढ़ घण्टा सदस्य बोलेंगे और आधा घंटा मंत्री जी लेंगे। इससे महत्वपूर्ण और कोई सब्जेक्ट नहीं है।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, इसके लिए निर्धारित समय 4 घंटे है। हम पहले ही 8 घंटे ले चुके है।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल नौ घंटे।

श्री गुलाम नबी आजाद: केवल नौ घंटे। मैं समझता हूं कि जब तक हम इसे पूरा करेंगे तो दस घंटे लग जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुद्दा तो महत्वपूर्ण है।

श्री चन्द्रजीत यादव: इसमें आधा घंटा और लग सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: देखें, आधे घण्टे में कितना कम्प्लीट होता है, मुद्दा यह है कि कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल सका। हो सकता है वे अपने को उत्तेजित महसूस करें। हरेक को अवसर देना बेहतर है।

[हिन्दी]

समय के बारे में थोड़ा ध्यान देना है।

श्री लाईता उम्ब्रे: मेरे समय में से कम नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उम्ब्रे जी भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री लाईता उम्ब्रे: मैं यह कह रहा था कि हमारी मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ सशक्त संशोधन करने की आवश्यकता है।

मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन मैंने देखा है कि मौजूदा व्यवस्था पूर्णतया और बुरी तरह से विफल रही है। हम अनेक उदाहरणों के द्वारा यह जान सकते हैं। हमें अनेक उदाहरण अभी भी याद हैं।

केन्द्र तथा राज्यों में स्थाई सरकारों के रहते हुए और विकास के प्रति उनकी वचनबद्धता के बावजूद कुछ नेता हैं जो सत्ता-लोलुप हैं और वे बोफोर्स, मन्दिर, रथ, यात्रा एकता यात्रा इत्यादि मुद्दे उठाते रहते हैं। वे मुद्दे उठाते हैं और देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं। वे इसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। हमें इस यात्रा के कारण को भी देखना है। जब भी ये लोग महसूस करते हैं कि उनकी अस्तित्व मिटने जा रहा है तो वे कतिपय मुद्दे उठाएंगे और फिर लोगों को ऐसे कहने लगेंगे जैसे वे जनता, गरीब और दलित लोगों के मसीहा हों। और

अन्ततः जब वे सत्ता में आ जाते हैं, तो वे कुछ नहीं करते। मैं असम का उदाहरण देता हूं। अखिल असम छात्रसंघ ने ऐसे मुद्दे उठाए जिन्हें कांग्रेस सरकार कभी भी हल नहीं कर पाई। लेकिन वे स्वयः भी इन समस्याओं का समाधान करने में बुरी तरह विफल रहे। उनकी 5 वर्ष की पूरी अवधि के दौरान क्या हुआ? वे सब समस्याओं का समाधान करने की बजाय पैसा बटोरने में लगे रहे। जब ये लड़के सत्ता में आए तब वे कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रावासों से मंत्रियों के बंगलों में जा रहे थे। आज वे सब लखपति हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

मैं माननीय सदस्यों विशेषकर वरिष्ठ सदस्यों को ये कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं कि वे इन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। आज जिस प्रकार नई राजनैतिक पार्टियां बन रही हैं उससे लगता है कि राजनैतिक पार्टियां टूट कर 20-30 वर्षों में इतनी अधिक हो जाएंगी कि हर सदस्य एक अलग पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और इस प्रकार देश में कभी भी स्थाई सरकार नहीं रहेगी। सत्ताधारी पार्टी विधि और व्यवस्था की बढ़ती हुई समस्या पर नियंत्रण के लिए सशस्त्र बल तैनात करने के अलावा कभी भी कोई अन्य कार्य नहीं कर सकेगी। अतः, मैं माननीय सदस्यों विशेषकर वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मौजूदा व्यवस्था के लचीलेपन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

महोदय, मैं पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर के बारे में अधिक नहीं बोलना चाहता लेकिन मैं अपने मन की कुछ बातें कहूंगा। मेरे विचार से कश्मीर में समस्या का मुख्य कारण यह है कि लोग अपने आत्म-सम्मान, गरिमा और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। यह सब केन्द्र सरकार द्वारा निरन्तर की जा रही घोर उपेक्षा तथा पिछले कई वर्षों में जम्मू कश्मीर से सम्बन्धित छोटे-छोटे मुद्दों से गलत ढंग से निपटने, मुस्लिम अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना के परिणामस्वरूप हो रहा है तथा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जम्मू-कश्मीर के निर्दोष लोगों पर सेना द्वारा की गई ज्यादतियां हैं।

तत्पश्चात्, पंजाब में समस्या का कारण सिख समुदाय का आत्म-सम्मान, प्रतिष्ठा तथा इज्जत और असुरक्षा की भावना तथा पहचान है। उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति तथा परिश्रमी प्रकृति के कारण उन्हें लगता है कि भारत उन के लिए बोझ है। इसलिए वे लड़ रहे हैं।

हाल ही में सरकार ने पंजाब में सेना को तैनात किया है। सेना तैनात करके आप कभी भी समस्या को सुलझा नहीं सकते; आप कभी भी शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव नहीं करवा सकते क्योंकि मैंने स्वयं सेना की ज्यादतियों को असम में देखा है।

पंजाब में भी ऐसा ही होगा, मुझे इसकी आशंका है। आप उन लोगों के दिल जीत नहीं पायेंगे जिन्होंने अभी तक कोई विचारधारा नहीं बनाई है। जब उनका उत्पीड़न किया जायेगा तो वे आतंकवादियों के साथ हो जायेंगे; इसलिए मैं यह समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब समस्या के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। केन्द्र स्थिति से निपटने में सक्षम है। परन्तु मेरा यह व्यक्तिगत निवेदन है कि पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर का प्रभार किसी अलग मंत्री को सौंपा जाये क्योंकि गृह मंत्रालय में हमारे मंत्रियों पर अनेक समस्याओं का काफी बोझ रहता है जिसके कारण पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर की समस्या की ओर वे पर्याप्त समय नहीं दे पाते। इसलिए किसी मंत्री को जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाना चाहिए।

जब भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के नेता केन्द्रीय नेताओं से मिलने के लिए आते हैं तो उनकी ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और जो भी जिन्दगी में एक बार उत्तर-पूर्व क्षेत्र की यात्रा कर लेता है; वह इस क्षेत्र का विशेषज्ञ बन जाता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी कारण हम नागालैंड, असम तथा त्रिपुरा में समस्याओं का समाधान नहीं कर पाये हैं। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार, चीन तथा भूटान के साथ तीन दिशाओं में हमारी 1700 कि०मी० लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है। इसीलिए आतंकवादी बड़े पैमाने पर नवयुवकों की भर्ती कर रहे हैं।

[श्री लाईता उम्ब्रे]

इस पर तुरंत नियन्त्रण पाया जाना चाहिए। ऐसा पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने भी राज्य की स्थिति से गृह मंत्रालय को अवगत कराया है तथा और सहायता की मांग की है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। यह भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब प्रशिक्षण शिविरों से नवयुवक प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहर आयेंगे तो वे हमला करेंगे और उस समय समस्या का समाधान ढूंढने का समय नहीं रहेगा। इसलिए सरकार को तुरंत इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।

इसलिए, महोदय, मेरा यह विचार है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति रवैये की समीक्षा करनी होगी तथा उसे बदलना होगा। अब ऑल बोडो स्टूडैंट्स यूनियन तथा ऑल बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी ने यह चेतावनी दी है कि अगर 31 दिसम्बर, 1991 तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गईं, तो वे अपना आन्दोलन पुनः शुरू कर देंगे तथा बोडो लैण्ड पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश-द्वार होने के कारण बोडोलैंड में आन्दोलन होता है, तो सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र को सामान खाद्य सामग्री की आपूर्ति बंद हो जायेगी। इसलिए मेरा गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वे बोडो नेताओं को बुलाकर उनसे उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श करें। इसके अतिरिक्त जनजातीय लोगों के विभिन्न वर्गों की अनेक मांगे हैं। गृह मंत्री महोदय जो कि काफी अनुभवी हैं, वे निश्चित तौर पर सहानुभूतिपूर्वक इन समस्याओं पर विचार करेंगे।

श्री शिबू सोरेन (दुमका): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में कानून और व्यवस्था की लगातार बिगड़ती स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। यदि गहराई से हम देखें तो निश्चय ही एक कारण का पता आपको लगेगा और वह कारण है इस देश में फैली विषमता चाहे वह विषमता किसी भी प्रकार की है। बेरोजगारी भी इसका कारण है। पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, विस्थापित बेरोजगार, आज कोई राज मांग रहा है, कोई देश मांग रहा है और हम लोग उसे आतंकवाद का नाम देकर, उस पर कार्यवाही करते हैं। विषमता चाहे किसी भी प्रकार की हो उसपर नियंत्रण करने का क्या उपाय हो सकता है यह हमें ढूंढना होगा। आज जो लड़के पढ़-लिखकर डिग्री हासिल करते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है चाहे कितने ही इंटरव्यू में बैठे और पास भी हो जाएं। कानून तो रोज बनते हैं लेकिन लागू नहीं होते हैं।

मैं आदिवासी हूं और झारखंड इलाके से आता हूं। हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बातें आज तक कागजों में ही देखी गई हैं। इनके लिए यदि कुछ हुआ भी होगा तो मेरे जैसे आदमी के लिए जो मैम्बर बना हो या उसके लिए जो नौकरी में पढ़-लिखकर गया हो। आज हम पार्लियामैंट में बैठकर बहस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। हम उसकी गहराई में क्यों नहीं जाते हैं। आज पंजाब की समस्या कहां से उठी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों पर जो अत्याचार हुआ उसे सारी दुनिया के लोग भुला नहीं सकते हैं। उससे जो परिवार बचा है वह आतंकवादी नहीं बनेगा तो क्या इंसान बनेगा। वहां से विषमता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। समस्या का समाधान तभी होगा जब उनपर हम गहराई से विचार करेंगे। हमारे झारखंड में कोयला, लोहा, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा होता है। हमारी जमीनें सरकार की तरफ से अधिग्रहण की जा रही हैं। बंगलादेश से जो रिफ्यूजी होकर आए हैं उनसे भी बदतर हालत हमारी है। क्यों ऐसी पालिसी बनती है?

यदि कारखाने बनाने हैं तो उस गांव के लोगों का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं पर भी बताए कि उनके लिए मकान बनाए हों।

जो इंदिरा निवास योजना बनी थी उसकी हालत देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे, वह एक धक्के में टूट जाए। मैंने एक बार अधिकारियों से कहा था कि आप एक रात इसमें रहकर बताइए। अगर घर गिर जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आप टैंडर दे रहे हैं लेकिन उसमें क्या हो रहा है। विषमता की सीमा नहीं है।

यहां पर बहुत विद्वान सांसदों ने अपनी बातें कहीं हैं। छोटे-छोटे राज्यों की मांग को सरकार को मान लेना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन होगा और उसमें लोगों की खुशी बढ़ेगी। आज झारखंड में आंदोलन को हम लोग

बचा कर रखें, इसको हम लोग उग्रवाद की तरफ नहीं जाने देना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि इस पर आप विचार करेंगे।

आज हर घर में उग्रवाद आ गया है, किसी के घर में पैसा ज्यादा हो गया है तो उसके लिए उग्रवाद, किसी के घर में पैसा नहीं है तो उसके लिए उग्रवाद, आप क्या कहिएगा उनको? जिसके घर में पैसा ज्यादा हो गया है उनके बेटे उग्रवाद से भी ज्यादा अत्याचार करते हैं क्योंकि वे बड़े लोग हैं। अगर किसी बड़े पदाधिकारी का बेटा हो या मंत्री का बेटा हो तो वह कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्यवाही नहीं है, तो उनके लिए टेलीफोन चल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर हो जाएगा, तो यह व्यवस्था देश में चल रही है और हम लोग गरीबी-गरीबी चिल्लाते हैं। लेकिन देश के फाइव स्टार होटलों में जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए मेरा कहना है कि छोटे राज्यों का विचार जरूर होना चाहिए क्योंकि इससे भी कुछ समस्या हल हो सकती है और मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे बहुत कुछ हल हो सकता है। आज जो बेरोजगारी है उसके लिए मेरा सुझाव है जैसे हमारा कल-कारखाने का इलाका है और हमारे यहां कोयला निकलता है उससे केवल नौकरियां ही नहीं हैं बल्कि उससे बहुत सारे रोजगार भी हैं। आप ठेकेदारी या बेरोजगार लड़कों का, एक कोआपरेटिव सोसायटी बना करके गारण्टी कर दीजिए, जिसमें हजार दो हजार रुपए महीने का फायदा होता, तो उसके लिए करोड़पति भी जाएगा। बोकारो या रांची में अगर कोई काम हो तो दिल्ली से भी ठेकेदार पहुंच गया, पंजाब से भी ठेकेदार पहुंच गया। ये तो आतंकवादियों का खेती है, आज लड़के समझ रहे हैं कि हमारे अधिकार कहां-कहां छीने जा रहे हैं।

इसलिए हम समझते हैं कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन हम लोग बोल-बोल कर इसको बड़ा कर देंगे। अगर नौजवानों को रोजगार मिलेगा और सम्मान के साथ उनका हक उनको मिलेगा जो हक उनका बनता है। आदिवासी हरिजन जो आज ऊंची जातियों से, उच्च वर्गों से शोषित हुए थे, आज वे सर उठाए हैं और पददलित होने के नाते हम लोगों ने भी बहुत मार खाई है, हम लोगों ने भी बहुत छोटे-छोटे काम किए हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो गांधी जी का सपना था जो आज नीचे के लोगों पर आया है तो अब वे ऊपर आए हैं तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो उनकी लड़ाई होगी, इसके लिए चाहे जिस तरह की भी लड़ाई की नीति उनको बनानी पड़े?

मेरा कहना यह भी है कि आज उद्योगधंधों में भी हमको गारंटी दीजिए। आदिवासी हरिजन का जो हक बनता है वह हक उनको दीजिए और उस पर कोई दूसरा कानून घुसपेठी नहीं करे, यही कारण है, नहीं तो उग्रवाद कुछ नहीं है। आज घर-घर में उग्रवाद की ट्रेनिंग हो रही है। पंजाब का सुन करके हमारे झारखंड इलाके में भी किडनेप शुरू हो रहा है और वे कहते हैं कि अगर आप 10 हजार रुपया दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे नहीं तो मार देंगे। अब वह खेत बेच कर 10 हजार रुपया देता है, तो यह हवा का ट्रेनिंग हो गया है, इसको रोका नहीं जा सकता है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मैं तो यह कहूंगा कि पुलिस के अन्दर ये सबसे ज्यादा उग्रवाद है और इस शासन के अन्दर लोग भरे पड़े हैं, यही लोग करवाते हैं, पैसा कमाने के लिए करवाते है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो आज यह स्थिति न होती, लेकिन कोई भी आज तक इस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है और यह आतंकवाद पूरे देश में फैलता जा रहा है, इससे पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा।

मान्यवर, यह बहुत बड़ी बात है और ये न्याय की लड़ाई है। गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, आपने कहा भी है, अगर आसाम, पंजाब और कश्मीर से उन दुर्घटनाओं से बचना है तो झारखंड अलग राज्य का अविलम्ब विचार करें। आप कई बार घंटी बजा चुके हैं इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मान्यवर, इस देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषमता की वजह से आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इसके पीछे एक कारण है। 1971 में जो

[श्री छेदी पासवान]

इस देश में, चाहे जिस गलत राजनीतिक सूझ-बूझ की वजह से पाकिस्तान को दो भागों में बांट कर बंगला देश का निर्माण किया गया, उसी समय से इस देश में आतंकवाद और अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ी।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इस आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण का बीज इस देश में उसी समय बो दिया गया था जब 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली नगर में जातीय दंगों के नाम पर 4-5 हजार निर्दोष सिक्खों की हत्या कर दी गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, इस परिपाटी से हमारे देश में आतंकवाद बढ़ा है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय हमारे विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, देश की 14000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना के कब्जे में है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इन चीजों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, बल्कि ढाई-तीन हजार वर्षों से जो लोग दलित थे, उनको अधिकार देने की बात पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी पी सिंह ने जब की तो आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। देश में बेरोजगारी समाप्त हो, मंहगाई कम हो, इसकी चिंता उनको नहीं है, लेकिन ढाई-तीन हजार वर्षों से पिछड़ी हुई जनता को जब अधिकार देने की बात की गई तो आडवाणी जी रथ यात्रा ले कर निकल पड़े। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और धर्म-निर्पेक्ष शक्तियों को दबाना था और उसी यात्रा की प्रवृत्ति आज फिर दिखाई दे रही है जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एकता यात्रा लेकर निकल रहे हैं। हमें आश्चर्य और दुख होता है कि ये लोग कहते है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाओं पर चलने वाले हैं, चरित्र पर चलने वाले हैं, लेकिन बिना पढ़ाए यूनिवर्सिटी से वेतन लेने वाला व्यक्ति आज देश में एकता यात्रा लेकर निकल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब बीजेपी के लोग मंदिर बनाने में असफल रहे, तब देश के नागरिकों के दिमाग को डायवर्ट करने के लिए एकता यात्रा लेकर निकल रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है। यदि एकता यात्रा निकालने से देश एक हो सकता, देश की अखण्डता को बचाया जा सकता तो फिर लोकसभा और विधानसभाओं की क्या आवश्यकता है। फिर तो सब यात्राएं लेकर निकल पड़ेंगे, डेमोक्रेसी की क्या आवश्यकता है। यदि एकता यात्राएं निकालने से देश की अखण्डता बचाई जा सकती है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में जब मंदिर बनाने में असफल रहे तो नागरिकों के ध्यान को डायवर्ड करने के लिए एकता यात्रा लेकर निकल रहे है। यह उसी तरह की बात है, जिस तरह से जब हम लोग नेपाल गए थे, तो नेपाल के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हों, सजग न हों, इसलिए वहां के राजतंत्र ने उनको शराब पीने की छूट दे रखी थी, ताकि वे अपने अधिकार न मांग सकें। आज देश में जो आतंकवाद, अपहरण और हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, उनके कारणों पर ध्यान देना होगा। इस तरह से लोगों के दिमाग को कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है और इसमें मीडिया का भी खुला हाथ रहा है। मैं आज मीडिया के लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि मीडिया को भी इस देश के लोग ज्यादा दिनों तक बरदाश्त करने वाले नहीं हैं। आज मीडिया कुछ लोगों, खास वर्ग के लोगों के हाथों में है, लेखनी उनके पास है, बुद्धि उनके पास है, प्रेस उनके पास है, वे प्रेस में लिखते हैं, लेकिन अब मीडिया के लोगों को देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते चेत जाएं, नहीं तो देश की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है।

जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तराई क्षेत्र में जो आतंकवाद बढ़ा है, उसके पीछे भी पीलीभीत की घटना है। उत्तरप्रदेश सरकार की गलत नीति की वजह से आज तराई में आतंकवाद बढ़ रहा है। पीलीभीत में निर्दोष लोगों को जब मारा गया तो उसकी प्रतिक्रियास्वरूप उत्तर प्रदेश में आज आतंकवाद बढ़ रहा है।

मैं बिहार से आता हूं लेकिन बनारस मेरे क्षेत्र से लगा हुआ है। वाराणसी में हाल ही में 8 तारीख को जो दंगे हुए, उसका कारण क्या था। वाराणसी में पहले अल्पसंख्यकों को सड़क पर खड़ा कर के, तेल छिड़क कर

मारा गया, आग लगाई गई और यह सारा काम पुलिस के संरक्षण में हुआ। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप 13 तारीख को सिक्खों और मुसलमानों ने हिन्दुओं की हत्या करने का काम किया, यह बात में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। एक तरफ हमारी राज्य सभा के सदस्य वहां भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और दूसरी तरफ श्रीश चन्द्र दीक्षित जी पूरे बनारस में घूम-घूम कर पुलिस प्रशासन को डायरैक्शन्ज देते हैं किस किस तरह के लोगों को आतंकित करो, निर्दोष लोगों को जेलों में बन्द करो। ये बातें हो रही हैं। आप कैसे इस देश में अलगाववाद और आतंकवाद को रोक सकते हैं? इस देश में जब तक श्रम की, श्रमिक की उपेक्षा होती रहेगी, आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। आतंकवाद और अलगाववाद कदापि समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि समय से पहले सजग हो जाएं।

इसके अलावा जो काश्मीर की बात है, काश्मीर में मुख्य कारण यह है कि काश्मीर की सारी शक्ति एक परिवार के हाथ में दे दी गयी है। जो भी बजट के माध्यम से काश्मीर के विकास के लिए राशि मिली उस सारी राशि से सिर्फ एक ही परिवार का विकास होता रहा। गरीब नौजवान साथी, जो पढ़े-लिखे थे उनको रोजगार नहीं दिया गया। इस कारण काश्मीर की वादियों में आतंकवाद बढ़ा हुआ है। काश्मीर में, गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, सही मायने में अगर इनका दिलों-दिमाग साफ है, आप चाहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो तो मैं कहूंगा, मैंने सी०आर०पी० के जवानों का इन्टरव्यू लिया था कि काश्मीर के आतंकवाद को किस प्रकार रोक सकते हैं। हमारे रिर्जव पुलिस के जवानों ने बताया कि वहां एक ही उपाय है कि सारे नेता, भले ही पुलिस के संरक्षण में, नुक्कड़ सभाएं करना शुरू कर दें तो काश्मीर की समस्या को बहुत हद तक घटाया जा सकता है। जिस तरह से भी हो, सभा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस देश में कोई भी दंगा हो, आंतक हो, उसमें निश्चित रूप से पालिटीकल लोगों का हाथ रहता है। एक शायर ने कहा है:

जब सियासत के निगेवां वे हवा देते हैं।
आग शहर में दंगाई लगा देते हैं।।
आप ताकीद भी करते हैं बच-बच के चलें।
आप ही राहों में कांटे भी बिछा देते हैं।।

इसका जीता-जागता उदाहरण हमारा बिहार राज्य है। हम लोगों ने वहां पुलिस, एस०पी० और डी०एम० को कलैक्टिव रिसपोंसिबिलिटी देकर वहां के दंगे को पूर्णतः दबाने का काम किया है। अगर वहां कहीं भी दंगा होता है तो सीधी जवाबदेही हम एस०पी० और डी०एम० पर डाल देते हैं। इससे तमाम लोगों को सबक लेना चाहिए तभी इस देश से दंगा रुक सकता है।

पंजाब के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। पंजाब की जो पुलिस है स्थानीय पुलिस है उसका अन्तर्राज्यीय ट्रांसफर होना चाहिए। अगर पंजाब के आतंकवाद में सरकार कमी लाना चाहती है तो निश्चित रूप से वहां की पुलिस का अन्तरराज्यीय ट्रांसफर करना चाहिए, तभी वहां कुछ आतंकवाद रोका जा सकता है।

इसके बाद भूमि सुधार की बात है। आज किसी एक आदमी के पास हजारों-हजार एकड़ जमीन पड़ी है, वह खेती नहीं कर पाता है। एक आदमी जब अपना घर बनाना चाहता है तो भूस्वामी लोग उसे मार कर भगा देते हैं। आखिर यह विषमता कब तक चलती रहेगी? एक तरफ विषमता चले और एक तरफ आप देश में शान्ति चाहते हैं, यह कदापि सम्भव नहीं है। हम लोगों की जब सरकार थी उस समय संविधान की नवीं अनुसूची में भूमि सुधार को शामिल करने की बात हम लोगों ने कही थी। उसके लिए हमने प्रयास भी किया था। लेकिन सरकार गिर गयी और उसके बाद सुधार नहीं हो सका। हमने प्रावधान जरूर किया कि जो भूपति, जिसकी सीलिंग से अधिक जमीन है, अगर उस जमीन को भूमिहीनों के बीच वितरित कर दिया जाए तो भूपति लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उस प्रावधान को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का काम सरकार मजबूती से करे तभी इस देश से गरीबी समाप्त हो सकती है। हमारे बिहार में कहावत है:—खाली बैठे शैतानी

[श्री छेदी पासवान]

सूझे। जो खाली बैठता है निश्चित रूप से उसके हाथ में काम नहीं रहता है तो वह कुछ न कुछ गलत काम करेगा। इसलिए जब तक इस देश में बेकारी, बेरोजगारी रहेगी तब तक देश में समता की बात नहीं की जा सकती है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को दबाने के लिए एकता "एकता यात्रा" निकाल रहे हैं। इससे देश की समस्या का समाधान नहीं होने जा रहा है। इन्हीं चद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ और सदस्य चर्चा में भाग की अनुमति लेना चाहते हैं। अगर सभा हो तो हम कार्यवाही का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कल जो लोग जल्दी आ जायेंगे; उन्हें बोलने का अवसर मिल जायेगा तथा जो लोग इस समय अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं; उन्हें अपनी बात कहने से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए हम अभी आधे घण्टे की बढ़ोतरी कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यः कृपया अब सभा स्थगित कर दीजिए।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाणः मेरे विचार में अच्छा यही होगा कि अगर आप अभी सभा स्थगित कर भी देते हैं तो कल भी उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा जिनका नाम आज सूची में है। कल इसमें कोई भी नाम जोड़ा नहीं जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यः हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं नाम पढ़ता हूं। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो बता दो। मैं केवल सूची में दिए नाम पढूंगा।

श्री किरिप चालिहा, डा॰ के॰डी॰ जेस्वाणी, श्री भीम सिंह पटेल, श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी, श्री तेजनारायण सिंह, कुमारी फ्रिडा तोपनो, श्री धर्मपाल सिंह मलिक, श्री ए॰ वेंकट रेड्डी, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री आस्कर फर्नान्डीज़, श्री सी॰ श्रीनिवासन, श्री के॰पी॰ रेड्डयया यादव, श्री एस॰ एस॰ आर॰ राजेंद्र कुमार, तथा श्रीमती बासव राजेश्वरी।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाणः सूची बहुत लम्बी है।

मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं। आज ही सदस्यों को देर तक बैठ कर अपना भाषण पूरा करने का समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः सूची में 16 नाम हैं।

अगर प्रत्येक सदस्य पांच मिनट का समय लेगा तो भी एक घन्टे से अधिक लग जायेगा।

श्री एस॰ बी॰ चव्हाणः अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन सभी को 45 मिनट से अधिक का समय न दें। उसके बाद मैं उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदयः इस मामले में हमें संक्षेप में विचार व्यक्त करने होंगे। हमने आज जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अच्छा नहीं है। यह सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देने के लिए किया गया है जबकि यह विद्यमान मानकों के विरुद्ध है फिर भी चूंकि ऐसा असाधारण परिस्थितियों में किया गया है, इसलिए हम इसे स्वीकार करते हैं।

6.41 बजे म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय: आप सभा में जो चर्चा कर रहे थे, उसे मैं सुन रहा था। समस्या यह है कि हमने अन्य विषयों पर भी चर्चा करने का निर्णय लिया है। यह भी एक विषय है। इसके बाद हम आर्थिक स्थिति और विदेश मंत्रालय के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह निर्णय लिया गया था कि यह विषय उसी दिन लिया जाएगा जब कार्य-सूची में इसका उल्लेख होगा और इसे उसी दिन पूरा कर लिया जाएगा। अन्यथा, हम अन्य विषयों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। कल और आज हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि कल भी हम इस पर चर्चा करेंगे तो हम अन्य विषय नहीं ले पाएंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आज हम चर्चा पूरी कर लें और माननीय गृह मंत्री कल इसका उत्तर देंगे। उसके बाद हम अन्य विषय लेंगे। अन्यथा हम आर्थिक स्थिति, विदेश मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी विषयों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण: मुझे केवल एक अनुरोध करना है। मैंने कल पंजाब के प्रमुख व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई है। वह बैठक 2.00 बजे तक चलेगी। अतः आप 2.00 बजे के बाद मेरे उत्तर का कोई समय निश्चित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम ऐसा कर देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव: महोदय, चूंकि गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं, इसलिए हम कल इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रजीत यादव, हम एक काम कर लें। आज हम 7.00 बजे तक बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। यदि कुछ और माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करने से रह जाएंगे तो हम कल इस पर चर्चा कर लेंगे। अन्यथा इस पर चर्चा करना संभव नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं देख रहा हूं कि आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। हम भी उन्हें सुनना चाहते हैं लेकिन समय सीमित है। मैं अंदर बैठा सभी भाषण सुन रहा था। अब श्री किरिप चालिहा बोलेंगे।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): अध्यक्ष महोदय, इस सभा में यह चर्चा शुरू करने के लिए मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का धन्यवाद करता हूं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे भूत वर्तमान और भविष्य से जुड़ा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें न केवल सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति ही, बल्कि सामान्य आर्थिक स्थिति, प्रारंभ से ही आर्थिक स्थिति का प्रबंध और स्वतंत्रता-प्राप्ति समय से तथा उससे पूर्व भी, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी शामिल है।

इससे अनेक विषय परस्पर जुड़े हैं और पूरे विषय के साथ न्याय करना कठिन होगा। लेकिन फिर भी न होने से कुछ होना अच्छा है।

मैं महसूस करता हूं कि कुछ पहलुओं का उल्लेख किया जा सकता है और कुछ अन्य पहलुओं को अन्य वक्ताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप आतंकवाद को ले लीजिए। अनेक प्रकार के आतंकवाद हैं। आज अलगाववाद से संबंधित आतंकवाद है जो आज सर्वाधिक मुखर आतंकवाद है। सामाजिक आतंकवाद है जैसे दहेज, हत्याएं, माफिया, डकैती और बंबई के गुंडों जैसे गिरोह, ऐसा ही आतंकवाद है। इस प्रकार अनेक प्रकार के आतंकवाद हैं।

अलगाववाद के भी विभिन्न पहलू हैं। कश्मीर में अलगाववाद ने ऐतिहासिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। पंजाब में यह अलग है।

असम में अलगाववाद पंजाब और कश्मीर के अलगाववाद से भिन्न है। अतः हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की

[श्री किरिप चालिहा]

आवश्यकता है। प्रत्येक विषय का अपना पहलू है। मेरे विचार से इस विषय के सभी पहलुओं के साथ न्याय करना, किसी एक वक्ता के लिए असंभव होगा। स्वाभाविक है कि असम से आने और सत्ता पक्ष का सदस्य होने के कारण, मैं असम और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सामान्य परिप्रेक्ष्य में कुछ अधिक प्रकाश डालूंगा। ऐसा करते हुए मैं नहीं चाहता कि मेरे पहले भाषण को अलग से देखा जाए। मैं बीच-बीच में सामाजिक आतंकवाद के बारे में भी बोलूंगा। वास्तव में, जब भी चर्चा होती थी मैं ऐसे अवसर की तलाश में रहता था। दुर्भाग्यवश, श्री राम निवास पासवान यहां नहीं हैं। लेकिन श्री चन्द्रजीत यादव यहां मौजूद हैं। वह प्रारंभ से ही सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे हैं। वह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। यद्यपि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, फिर भी वह वहां बैठे हैं।

सामाजिक तनाव से जातीय संघर्ष होते हैं। मेरे विचार से सभी बुराइयों के लिए सरकार को दोष देना उचित नहीं है। कांग्रेस दल को भी सभी बुराइयों के लिए दोष देना उचित नहीं है क्योंकि ये बुराइयां साधारण नहीं हैं। ये अत्यंत जटिल हैं। ये सभी विकास की प्रक्रिया के परिणाम हैं और प्रारंभ से अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल हैं। इसका हमारी मनःस्थिति, धर्म, व्यवस्था या समाज और शासन से संबंध है। किसी भी तरह हम इसे भूलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अचानक ही हमने पाया कि जातीय संघर्ष बढ़ गए हैं। निःसन्देह इन मुद्दों के महान नेता श्री वी॰ पी॰ सिंह हैं। हमारा दल छोड़ने के बाद वह जातीय भेदभाव के बारे में पूरी तरह संलग्न हो गए लेकिन लोग शायद एक साधारण सी बात भूल गए हैं।

मैंने जातीय भेदभाव के बारे में हुई चर्चा के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि असम और पूर्वोत्तर राज्यों अथवा बंगाल जैसे स्थानों में ऐसी कोई हिंसा हुई हो। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया। असम या बंगाल में जातिवाद क्यों नहीं है। वहां आर्थिक शोषण अधिक हो रहा है, सामाजिक भेदभाव बढ़ रहा है। उनमें जातीय भावना क्यों नहीं है। केवल राजनीति में नहीं बल्कि समाज में भी क्रांति होनी चाहिए। 15वीं शताब्दी में असम में जैसा धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था और वहां जातिवाद समाप्त हो गया, वैसी ही सामाजिक क्रांति होनी चाहिए। मैं कथित उच्च जाति या निम्न जाति का सदस्य हूं। हमारे धार्मिक समारोहों में अनुसूचित जाति के व्यक्ति प्रसाद बांटते हैं। यही परंपराएं हैं। जातिवाद की बुराई समाप्त करने के लिए हमें इन नियमों की ओर ध्यान देना चाहिए।

इसी प्रकार, कश्मीर और पंजाब में वैसी ही स्थिति है जैसी असम अथवा नागालैंड में थी। मेरे विचार से कश्मीर और पंजाब के मुद्दे पर बोलते हुए सरकार की निंदा पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुख्य जोर विदेशी ताकतों, विशेषतया पाकिस्तान की धृष्टता पर होना चाहिए। सदस्यों की इस बात को सुनकर बहुत दुःख होता है कि यह स्थिति बांग्लादेश युद्ध के कारण हुई है। बांग्लादेश की मुक्ति का एक अलग इतिहास है। हमें उसके लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश के प्रति भारत सरकार का दृष्टिकोण कभी भी गलत नहीं रहा है। क्या उसी के कारण आज हम पाकिस्तान की कार्यवाही को उचित ठहराते हैं? पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, वह एक जैविक युद्ध से भी बुरा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे यह कहना चाहिए कि हमारे गृहमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे केन्द्रीय मंत्री में इतना साहस नहीं है कि वे पाकिस्तान को सबक सिखा सकें और उन्हें भारत के मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहें। राजनीतिक इच्छा केवल कांग्रेस सरकार के [illegible] में ही नहीं, बल्कि हम सब में समग्र रूप में होनी चाहिए। हमें अल्पसंख्यक सरकार की ऐसे मुद्दों पर कमजोरियों को नहीं ढूढ़ना चाहिए। हमें कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं—ऐसी समस्याएं जो हमारी देश भक्ति की भावनाओं का उल्लंघन करती हैं, ऐसी समस्याएं जो हमारे राष्ट्रीय विचारों को चोट पहुंचाती हैं, ऐसी समस्याएं जो अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्रों से संबंधित हैं, के प्रति हमारा दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण रवैये से ऊपर होना चाहिए। हम किसी पार्टी या सरकार पर आरोप लगा कर उनके साथ न्याय नहीं कर सकते।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामलों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं, जनता दल के नेताओं की संक्षिप्त होती ज

रही एकता की तरह संक्षेप में कहना चाहूंगा। मैं अपना भाषण अब समाप्त करने वाला हूं। पूर्वोत्तर में, नागालैंड में अलगाववाद का एक अलग इतिहास रहा है। नागा लोगों में पृथकता की भावना थी। अब वे सम्मिलित हो रहे हैं। सम्मिलित होने की प्रक्रिया में शामिल होने से उन्हें लाभ हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का भविष्य जातीय भेदभाव या धार्मिक भेदभाव में नहीं, बल्कि राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित होने की प्रक्रिया में निहित है। पूर्वोत्तर के अधिकांश क्षेत्रों में यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जब असम में सेना बुलाई गई थी, तो इसी सदन में मैंने सेना को असम भेजने को उचित बताया था और कहा था कि भारतीय सेना को कभी भी आक्रमक सेना नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सेना को वहां भेजना अनिवार्य हो गया है। यह प्रशासन में एक परकार की घुसपैठ है। प्रशासनिक तन्त्र में घुसपैठ तथा आतंकवाद होने के कारण एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे नियंत्रित करने में पुलिस समर्थ नहीं है। लेकिन असम में आज की घटनाओं को देखते हुए और चूंकि गृह मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अनुभव से पता चलता है कि भारतीय सेना को असम जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। उनकी अपनी समस्याएं हैं और उससे न केवल असम के लोगों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं बल्कि सरकार के लिए और हम सब के लिए भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं महसूस करता हूं कि अलगाववाद और अलगाववादियों के आन्दोलनों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के पास अलग से एक प्रशिक्षित पुलिस होनी चाहिए जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपट सके। प्रत्येक व्यक्ति ने पुलिस व्यवस्था की खामियों की ओर संकेत किया है। हम जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था में खामियां हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, मैं असम से हूं मुझे थोड़ा और बोलने की इजाजत दीजिए।

आज असम में जो कुछ हो रहा है, वह बहुत ही गम्भीर बात है। यदि आप इसे महसूस नहीं करते, तो जैसा मैंने कहा है, असम में अलगाववाद पंजाब तथा कश्मीर की तरह फैलेगा। यदि आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो असम में भी पंजाब तथा कश्मीर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। हम सब को असम की स्थिति के बारे में पता है। यदि आप असम के लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, तो असम भी पंजाब तथा कश्मीर जैसा हो जायेगा अतः आपके लिए कार्यवाही करने का यही उचित समय है। आपको एक बार फिर से असम के बारे में समूची नीति की पुनरीक्षा करनी चाहिए और कुछ ठोस शांतिपूर्ण कदम उठाने चाहिए जिससे कि असम में अलगाववाद की प्रवृत्ति विकसित न हो। जब असम में सेना भेजी गई थी तो उस समय किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। मैं अभी भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुश्किल से दो-तीन प्रतिशत लोग 'उल्फा' का समर्थन करते हैं और कोई भी व्यक्ति भारत से अलग होना नहीं चाहता। मैं पहला असामी हूं और अंतिम असामी हूं। मैं पहला भारतीय हूं और अंतिम भारतीय हूं। मैं असम के हित के लिए गोली खाने को भी तैयार हूं। मैं इस राज्य का प्रतिनिधि हूं।

मेरा विचार है कि ऐसे कई कारण हैं जिनसे असम में अलगाव की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। अलगाव की यह प्रवृत्ति कुछ राजनीतिक कारणों से पैदा हुई है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया भाषण समाप्त कीजिए। समय कम है।

श्री किरिप चालिहा: इसीलिए, मैं महसूस करता हूं कि असम के संबंध में उचित समय पर उचित राजनीतिक कदम उठाये जाने चाहिए। जब अवसर उपलब्ध है, तो हमें उस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और इसके लिए मैं समूचे सदन से अपील करता हूं कि वह असम की समस्या को सुलझाने के लिए सही समाधान ढूंढने का प्रयास करे। इस सरकार पर या किसी राजनीतिक पार्टी पर न छोड़िये। आप में से कितने

[श्री किरिप चालिहा]

लोग असम या पंजाब यह देखने के लिए गये कि वहां क्या हो रहा है। कैंसर का उपचार टुकड़ों में नहीं होता। इसमें दस्त और वायरल बुखार की दवा दी गई है जबकि बीमारी कैंसर की है। (व्यवधान)

मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मुझे आशा है कि आप मेरे विचार माननीय गृह मंत्री तक पहुंचा देंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया): अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से हम सदन में विधि-व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में आज विधि-व्यवस्था की जो हालत है क्या उसमें मनुष्य के जीने लायक है। सामाजिक विपमता और आर्थिक विषमता पूरे देश में फैली है, मै उसी के सम्बन्ध में यहां चर्चा करना चाहता हूं।

इस देश में हरिजनों को मन्दिर में जाने से रोका जाता है। आप जगन्नाथ मन्दिर को ले लीजिये, उसमें कोई हरिजन प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ समय पहले, कांग्रेस के एक चोटी के नेता, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका नाम था बाबू जगजीवन राम, जब वे वाराणसी में पूर्णानन्द जी के स्टच्यू पर फूलमाला चढ़ाने की लिये गये थे तो उनके वापस आने के बाद मूर्ति को धोया गया था। इस देश में स्थिति यहां तक है कि हरिजनों को खाट पर बैठने से रोका जाता है। ऐसी हालत में क्या उसका लड़का या भाई भतीजा आतंकवाद की ओर नहीं जायेगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में 40-44 सालों से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी एक नीति रही है कि फूट डालो और राज करो। जो भी कानून हरिजन उत्थान के लिए बनता है, उस कानून को लागू नहीं किया जाता है। जो कानून हरिजनों के लिए बनता है उसको लागू नहीं होने देते हैं। आज कई तरह से आन्दोलन चल रहा है। पंजाब, असम, कश्मीर, बम्बई और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में क्या हो रहा है। सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। सबसे ताजुब्ब की बात है कि दिल्ली में रोमानिया के राजनयिक का दिन-दहाड़े अपहरण किया गया। पूरे देश में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण का माहौल बना हुआ है।

हम बिहार की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपको मुख्य मंत्री बिहार से सबक लेना चाहिए। बी॰जे॰पी॰ के लोग और सत्ता पक्ष के लोगों में कोई अन्तर नहीं है। दोनों मिलकर राज करना चाहते हैं। बिहार में दंगा नाम की कोई चीज नहीं है। जहां-जहां केन्द्र शासित राज्य हैं, राज्यपाल का शासन है, कांग्रेसी हुकुमत है, सब जगह आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में आज जो कुछ हो रहा है क्या उसके समाप्त होने की संभावना है? जिस समाज में बैठने और रहने में, ऊंच-नीच का भेदभाव है वहां विधि-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हो सकती है। मैं इनकी आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में नहीं जाना चाहता हूं। पूरे देश में आतंकवाद, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार के कई कारण हैं।

जब श्री वी॰पी॰ सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भूमि सुधार को लागू करने के बारे में कहा था परन्तु सरकार गिर गई। जब हम लैंड रिफार्म करना चाहते हैं। तो बड़े लोगों की जमीन लेकर गरीबों में बांटना चाहते है तो लैंडलार्ड अदालत में जाकर उसे रुकवा लेते है। क्योंकि लैंड रिफार्म कानून में अभी मेरे मित्र सोरेन जी बोल रहे थे, दक्षिण बिहार से हिन्दुस्तान की आधी इनकम आती है। इस्पात, अभरक, कोयला बिहार से आता है। बिहार के बारे में इनका क्या रवैया है? आज तक बिहार को रायल्टी नहीं मिली है और न ही इनकी देने की मंशा है। बिहार में कल-कारखाने जब लगाये जाते हैं तो कलकत्ता के लोग, दिल्ली के लोग व ठेकेदार वहां चले जाते है और जिनको वहां विस्थापित किया गया है उनकी रोजी-रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। उनके लड़के क्या करेंगे वे हथियार उठाएंगे ही? आतंकवाद की ओर बढ़ेंगे ही? अतः इसे रोकने के लिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार के दक्षिण इलाके से जो इनकम भारत सरकार को प्राप्त होती है और जो बिहार सरकार की

रायल्टी जो करोड़ो रुपयों का बकाया है, इनको देनी चाहिए ताकि हम उन गरीब लोगों के बीच में, उनकी जो रोजी-रोटी छिन गई है उनकी व्यवस्था करें, बिहार सरकार उनके लिए कुछ कर सके जिनको विस्थापित किया गया है उन्हें रोजगार मुहैया करा सकें।

7.00 बजे म०प०

आज सबसे अहम् बात यह है कि जो रक्षक है, वही भक्षक है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि मैं गया से चुनाव जीतकर आया हूं। इनको जो मेरे बगल में (B.J.P.) कांग्रेस दोनों को मैं परास्त करके आया हूं। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और जो हमारे बाजू में बैठे हैं, दोनों को हम पराजित करके चुनाव जीतकर आये हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं, कि वहां के डी०आई०जी० रंजीत कुमार सिन्हा....अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बिहार के पुलिस वर्दी खरीदने के घोटाले में शामिल था और गया चुनाव में जो मुस्लिम महिलाएं वोट देने जाती थीं, वह उनका बुर्का उलटता था और बिहार में जो पुलिस वर्दी घोटाला काण्ड हुआ था.... उसमें भी सिन्हा अभियुक्त था।

अध्यक्ष महोदय: आफिसर का नाम लिखा है तो वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री राजेश कुमार: और जो पुलिस वर्दी घोटाला काण्ड बिहार में हुआ था, उनका यह अभियुक्त था। यहां पर होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने रंजीत कुमार सिन्हा को सी०बी०आई० में पोस्टिंग कर दी तो ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग करना क्या आतंकवाद को न्यौता देना नहीं है? रंजीत कुमार सिन्हा.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अधिकारी का नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार: उनकी सी०बी०आई० में इन्होंने पोस्टिंग कर दी और सी०बी०आई० में कहां पोस्टिंग की, पटना में पोस्टिंग कर दी। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, मैंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को आप सी०बी०आई० में.....पोस्टिंग नहीं करें। परन्तु इन्होंने नहीं माना।

अध्यक्ष महोदय: देखिये, यह ट्रांसफर और एपाइण्टमैण्ट के मामले हाउस में नहीं उठाये जाते, प्लीज़। हम लोग हिन्दुस्तान के लॉ एण्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं।

श्री राजेश कुमार: मैं ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारो को पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जायेगी तो उससे आतंकवाद बढ़ेगा या रूकेगा? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय: अब यह बड़ा विषय है, उसपर आइयेगा, व्यक्तिगत मत जाइयेगा।

श्री राजेश कुमार: मैं कहना चाहता हूं कि जो रक्षक है, वही भक्षक है। जो पदाधिकारी लूटने का काम करता है, जो पदाधिकारी चोरी करने का काम करता है, वैसे पदाधिकारी को इन्होंने बड़ी से बड़ी पोस्ट दे रखी है इसलिए आतंकवाद को रोकना कठिन है......मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दल के नेताओं को मिलकर बैठ करके आपस में बात करनी चाहिए कि इस पर हम क्या करें। अन्यथा विधि-व्यवस्था के संबंध में चर्चा करना बेकार होगा।

इन्हीं चन्द शब्दों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा स्थगित करने से पहले मैं सदस्यों से कल चर्चा में पूरी तैयारी करके आने के लिए कहूंगा जिससे कि हम इस चर्चा को समाप्त कर सकें। इस मुद्दे पर माननीय मंत्री से यह अनुरोध करने का भी

[अध्यक्ष महोदय]

निर्णय लिया गया है कि वे यथासंभव जितने मुद्दों का उत्तर दें सकते हैं दे दें और यदि यह संभव न हो तो मंत्री महोदय मुद्दों को छांट सकते हैं और उनके जबाब मंत्रालय लिखित रूप में दे सकता है।

अतः अब हम सभा कल 11.00 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित करते हैं।

7.03 बजे म०प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 12 दिसम्बर, 1991/21 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०—48/29/7/15/91 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 38: के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय (पी०एल०यू०) मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वार मुद्रित।